(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम् विधान सभा के तृतीय सत्र का छठा दिवस [संख्या 4

बुधवार,
दिनांक 21 फरवरी, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, वित्त, श्रम, जन-स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वायत्त शासन, गृह, खाद्य, पशुपालन, पुनर्वास एवं पर्यटन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

अकलेरा की जल-प्रदाय योजना

42. **श्री भैरूलाल** (अकलेरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अकलेरा, जिला झालावाड़ में जल-प्रदाय योजना के अन्तर्गत कितनी रकम की स्वीकृति कब हुई थी और अब तक वहां कितनी रकम खर्च हुई और क्या-क्या कार्य हुआ तथा कितना काम होना शेष है और यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में जन-सहयोग की पूरी रकम भी जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो इस कार्य को सम्पन्न कराये जाने में ढिलाई बरती जाने का क्या कारण है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) रु० 2.38 लाख की स्वीकृति दिनांक 19-2-71 को प्राप्त हुई थी । इस योजना पर माह जनवरी, 73 तक रुपया 2,24,101.13 की रकम खर्च हो चुकी है, जिसमें निम्न कार्य हुए हैं :—

(1) आर. सी. सी. टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(2) एच टाइप क्वार्टर्स का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(3) राइजिंग मेन एवं डिस्ट्रिब्यूशन का कार्य प्रगति पर है ।

(4) कम्पाउन्ड वाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(5) पम्पिंग सैट्स क्रय किये जा चुके हैं ।

निम्न कार्य बाकी हैं :—

(1) नये कुओं का निर्माण ।

(2) दो पंप हाउस का निर्माण ।

(3) ब्लीचिंग पाउडर डोजिंग प्लांट का क्रय होना ।

उपरोक्त कार्य 9/73 तक सम्पूर्ण किये जाने की संभावना है ।

(2) हां, अकलेरा के कुओं में पानी की आमद काफी कम है । कुएं खुदवाने पर पर्याप्त पानी के आने की संभावना की पुष्टि हेतु राजस्थान भू-जल मंडल के उदयपुर स्थित वरिष्ठ भू-गर्भवेत्ता को

Page No 2

(2)

(श्री चन्दनमल बैद)

लिखा जा चुका है । उत्तर आते ही जो कार्य अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को आवंटित किये जाने के बावजूद रुका हुआ है वह तुरन्त शुरू कर दिया जावेगा।

श्री मैंहलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस कार्य को सम्पन्न कराने के लिये इस ठेकेदार को यह ठेका दिया गया है क्या उसके अन्य निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कई जगह पर ठेके हैं इसलिए पूरा नहीं कर रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। इस प्रश्न से यह संबंधित भी नहीं है कि किस-किस ठेकेदार का कहां-कहां कितना-कितना काम चल रहा है।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या यह सही है कि जैसा मंत्री महोदय ने कहा कुओं में पानी की कमी महसूस की जा रही है तो अकलेरा में नदी से पानी लाया जाय तो कैसा रहेगा ? क्या राज्य सरकार इस पर अपने विचार रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न के उत्तर में आप से निवेदन किया कि कुओं के खुदवाने पर पर्याप्त पानी आने की संभावना है। राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को इसकी पुष्टि के लिये लिखा है और उनकी पुष्टि के बाद ही पता लगेगा कि पानी है या नहीं। वे पुष्टि कर देंगे कि पानी है तो नदी से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि यह पुष्टि कर देंगे कि पानी आने की संभावना नही है तो आपके सुझावानुसार कार्य किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोठालाल !

युवा इन्जीनियरों के लिये विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने हेतु स्वीकृत धनराशि

43. **श्री मोठालाल** (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि युवा इन्जीनियरों के लाभ हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये केन्द्र ने राज्य सरकार को 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त राशि को खर्च करने की योजना बना ली है ? यदि हां, तो क्या ?

राज्य-मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष राज्य सरकार को 70 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि को खर्च करने की योजना बना ली गयी है।

(2) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम एवं राजस्थान वित्त निगम को दी जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। निगम द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को समुचित प्रशिक्षण देकर औद्योगिक बस्तियों में शेड्स बना कर उद्योगों की स्थापना में सहायता प्रदान की जावेगी। निगम द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न कार्य हाथ में लिये गये हैं:—

(1) कार्यक्रम के अन्तर्गत उम्मीदवारों का चयन एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(2) योजनाओं, की फिजीबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि की तैयारियां।

(3) वित्तीय सहायता का प्रबन्ध।

(4) तकनीकी मार्ग-प्रदर्शन।

(5) उत्पादित वस्तुओं की समुचित बिक्री के लिये सहायता।

(6) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता।

श्री मीठालाल : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि इस समय कुल कितने शिक्षित बेरोजगार इन्जीनियर हैं ? अब तक कितनों को इस सहायता से सहायता प्रदान करदी गयी है, और कितनों को यह अनुदान मिल गया है और कितनों ने नहीं लिया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका विवरण अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री मीठालाल : यह योजना बता रही है कि पुरानी औद्योगिक बस्तियों में ही यह काम दिया जा रहा है। यदि विभिन्न जिलों में औद्योगिक बस्ती बसा कर काम करना चाहें तो उनको वहां सहायता देंगे या केवल जयपुर में ही जहां आलरेडी इनका डेवलपमेन्ट हो रहा है वहां देंगे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जहां-जहां औद्योगिक बस्तियां बनी हुई हैं, वहां दे रहे हैं।

श्री मीठालाल : बीकानेर का इन्जीनियर यहां जयपुर में आकर उद्योग खोलेगा तो बीकानेर में क्यों नहीं करेगा ? जहां का निवासी है वहां पर ही करे तो इससे औद्योगिक विकेन्द्रीकरण भी होगा और जिलों का डेवलपमेन्ट भी होगा। पुरानी औद्योगिक बस्तियों में ही यह क्यों देना चाहती हैं ? नये में क्यों नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पुरानी के साथ नयी औद्योगिक बस्तियां बसायी जायें इसका भी प्रयत्न किया जावेगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : भारत सरकार से राशि कब प्राप्त हुई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : निश्चित तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस वर्ष प्राप्त हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण के लिये निश्चित योजना बनायीं जाती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस बारे में खर्चा किया जाता है। जो-जो आइटम्स लिये जावेंगे उनमें उनको तैयार किया जावेगा। उसमें प्रशिक्षण भी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो माल इन्जीनियर पैदा करेगा उसको बेचने का क्या प्रबन्ध होगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : बिक्री हेतु किस प्रकार की सहायता दी जावेगी इस विषय का विवरण तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन इसमें प्रावधान है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माल की बिक्री का प्रोसेस क्या होगा, मार्केट क्या होगा ? आपने कहा कि सारी योजना बनायी गयी है तो विशेष रूप से बिक्री और मार्केट के बारे में पूछना चाहूंगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं समझता हूं सरकारका दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में ठीक नहीं है गलत है । आपकी योजना ऐसी होनी चाहिये कि जो दूरदर्शितापूर्ण हो जहां जनसंख्या बहुत है वहां एयर पाल्यूशन, वाटर पाल्यूशन की भी संभावना है । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि औद्योगीकरण अवश्य करें किन्तु सारे राजस्थान को अपना नक्शा मानकर उसको स्केटर्ड करें ।

एक जगह कन्सेन्ट्रेशन करने से आपकी योजना, मैं समझता हूं खामियों से भरपूर होगी और उसके अन्दर कई दिक्कतें सरकार को आवेंगी । जो लोग इस सम्बन्ध में कुछ रोजगार भी पाने को उत्सुक हैं उनके लिये भी एक नये क्षेत्र में नया काम अगर हम रखेंगे तो योजनाबद्ध तरीके से सरकार को हर तरह से सुविधा होगी । क्या मन्त्री महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ विचार रखेंगे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : इस सम्बन्ध में मेरा पूरक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कितने बेरोजगार इन्जीनियर, वकील आदि राजस्थान में आज हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कितने लगाये जा चुके हैं ? कितने शेष रहे उनमें से कितनों को इससे लाभ होगा ? आगे कितने इन्जीनियर आदि और तैयार हो रहे हैं ? उनके लिये आपके पास क्या प्रोवीजन है ? तो इस दृष्टि से यह प्रश्न अत्यन्त महत्व का है । उन्होंने कहा है कि आज ये सारे आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये इस प्रश्न को पूरा उत्तर आने के लिये पोस्टपोन कर दिया जावे तो अच्छा रहेगा दो चार दिन बाद वे जवाब दे सकते है जब उनके पास पूरे आंकड़े और पूरी जानकारी आ जावे ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Postponed.

श्री लक्ष्मणसिंह : Thankyou.

पदमपुर मण्डी को नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाना

44. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि पदमपुर मण्डी, जिला गंगानगर को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी है मगर उसे रोक रखा है ? यदि हां, तो अब इस सम्बन्ध में कब तक घोषणा कर दी जावेगी ?

राज्यमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री मूलचन्द) : जी नहीं । इस माह के भीतर नगरपालिका स्थापित कर दी जावेगी ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : इसके बाद इसका चुनाव कब तक करा दिया जावेगा ?

श्री मूलचन्द : अभी तो स्थापित करने का प्रश्न है । चुनाव बाद का प्रश्न है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चार पंचायतों के सम्बन्ध में इस प्रकार की घोषणा की गई थी । विजयनगर, पीलीबंगा, केशरीसिंहपुर और यह पदमपुर मण्डी सबके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कागज समानान्तर चल रहे हैं। इनका गजट नोटिफिकेशन भी एक ही समय हुआ था, अब पदमपुर को तो आप एक महीने में करने जा रहे हैं। इन तीन के लिये आप कब तक कर देंगे ?

श्री मूलचन्द : अभी तो इसी की सूचना चाही गई थी और वह मैंने दे दी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राज-पत्र में इन सभी के बारे में घोषणा की गई थी।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : राज्य सरकार ने पिछले महीने ही निर्णय लिया था और आदेश भी हो गया था कि एस. डी. ओ. को पदमपुर मण्डी भेजा जाय, पर यह वहां से कुछ दूर है इसलिये भी और रचनात्मक दृष्टि से यह ठीक समझा गया कि दूसरा ही आदमी वहां भेजा जाय। यह कार्यवाही आज या कल तक कर दी जावेगी इसलिये इसमें महीना भर का समय भी नहीं लगेगा। रहा प्रश्न दूसरी पंचायतों का। गंगानगर जिले की ही एक और पंचायत को टेक ओवर कर लिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का आदेश दे दिया गया है। अब यह कौनसी है यह ऑफ हैण्ड मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। बाकी के लिए जानकारी करके सूचित किया जा सकता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान के लिये यह अहमियत का प्रश्न है। इसके लिये सरकार का क्या मापदण्ड है कि जिसके अनुसार किसी पंचायत को नगरपालिका में बदला जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : कानून के अन्तर्गत इसका प्रावधान है जिसके हिसाब से नोटिफिकेशन निकलता है, एतराजात लोगों से मांगे जाते हैं सैक्शन 18 (6) के मातहत साइमल्टेनियस नोटिस दोनों विभागों की तरफ से निकलते हैं, एतराज मांगे जाते हैं कि दोनों ही पंचायतों को कन्टीन्यू किया जाय या एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जावे और फिर नगरपालिका में तबदील किया जावे या कुछ नहीं किया जावे। सभी ओप्शन राज्य सरकार के सामने होते हैं। फिर प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझती है वह करती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो आपने प्रोसीजर की बात कही। मेरा प्रश्न है कि किन आधारों पर एक पंचायत को आप नगरपालिका में तबदील करते हैं ? आबादी का प्रश्न भी जैसे हो सकता है, अरबन इम्पेक्ट भी हो सकता है या किसी प्रकार का डेवलपमेन्ट वहां हो जावे उसके हिसाब से होता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है। लेकिन इसके लिये सरकार के सामने दो-तीन मोटे क्राइटेरिया रहते हैं। दस हजार की जनसंख्या का होना, डेवलपमेन्ट एरिया में आना, विकास अगर उसका फेज्ड प्लान्ड मेनर का है तो ये तीन बड़े क्राइटेरिया हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब आप नगरपालिका में किसी पंचायत को परिवर्तित करते हैं तो क्या उस पंचायत को पहले

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
सस्पेन्ड करते हैं ? अगर हां, तो इन पंचायतों में किसको आपने कब सस्पेण्ड किया ?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरों की सूची मेरे पास नहीं है । केवल याददाश्त से कह रहा हूं । दोनों विभागों की तरफ से इसके लिये साइमल्टेनियसली नोटिफिकेशन निकलते हैं । अब इनमें किस तारीख को निकला यह तारीख मेरे पास नहीं है अभी । साइमल्टेनियसली नहीं निकलता है तो हाईकोर्ट का फैसला है इसमें कि इसमें कानूनी खामी रह जाती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी जानकारी है कि ये कुछ पंचायतें काफी समय पहले सस्पेण्ड कर दी गई थीं फिर नगरपालिका काफी समय बाद बनाई गई । मेरा पूछना यह है कि इसमें इतना गैप क्यों रहा ? यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया कि इसकी तारीखें मेरे पास नहीं हैं । जानकारी करके ही बता सकता हूं ।

उच्च विद्यालय, कुशलगढ़ के अध्यापक.

45. **श्री जोयिग** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ उच्च विद्यालय में श्री धरनीधर नाम का अध्यापक नियुक्त है ? यदि हां, तो कब से है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री धरनीधर अध्यापक ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में बी० ए० तथा एलएल० बी० की प्राइवेट परीक्षा दी थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक ने परीक्षा देने के पूर्व राज्य सरकार से मंजूरी ली थी ? यदि हां, तो राज्य-सरकार ने कितने दिनों का अवकाश दिया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री धरनीधर अध्यापक ने जिस समय उज्जैन में परीक्षा दी थी उसी समय में कुशलगढ़ उच्च विद्यालय में हाजरी लगाई है ? यदि हां, तो क्या ऐसा भी नियम है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने इस पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री धरनीधर ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है ? यदि हां, तो कब और क्या राज्य सरकार ने उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है ?

राज्यमन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) :
(1) जी हां, दिनांक 15-9-67 से ।

(2) श्री धरनीधर अध्यापक ने बी. ए. परीक्षा सन् 1966 में एवं एल. एल. बी. परीक्षा सन् 1971 में विक्रम विश्वविद्यालय से दी थी ।

(3) जी नहीं । इस अध्यापक को परीक्षा देने हेतु कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया ।

(4) परीक्षा की तारीखें उपलब्ध नहीं हैं । इनका पता लगाया जा रहा

Page No 7

(7)

(श्री जुझारसिंह)
है। जांच होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी हां। त्याग-पत्र अभी स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि अध्यापक के विरुद्ध परीक्षा में बिना स्वीकृति बैठने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है।

श्री जीविंग : क्या यह अध्यापक फिलहाल सस्पेण्ड है ?

श्री जुझारसिंह : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री जीविंग : फिर जानकारी क्या है आपके पास ?

श्री जुझारसिंह : यह इस्तिफा देकर अलग होना चाहता था पर बिना स्वीकृति के परीक्षा दी इसलिये इस्तिफा स्वीकृत नहीं किया गया है। बाकी कार्यवाही चल रही है।

श्री मानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : परीक्षा 66 में दी आज 73 चल रहा है, सात साल तक आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री जुझारसिंह : हमें जानकारी 71 में मिली। तब से विभागीय कार्यवाही चल रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : आपने कहा इसका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अनुशासन की कार्यवाही चल रही है। दूसरा एलीगेशन यह भी है कि उन दिनों की हाजरी रजिस्टर में है। इन सारे वाकयातों को देखते हुए क्या अब आप यह उचित नहीं समझते कि इसे सस्पेण्ड कर दिया जावे ?

श्री जुझारसिंह : इन दोनों मुद्दों की जांच करवाने के बाद में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें भी सात साल लगेंगे ?

श्री जुझारसिंह : नहीं, 7 साल की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी-बाजार, जयपुर) : क्या बिना इजाजत इम्तिहान देना गंभीर अपराध है कि उसको निकाला जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : और यह सामान्य अनियमितता आपके सब करते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : कम से कम इस मामले को पोल-पट्टी में से निकालिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में पेय जल उपलब्ध कराने हेतु धनराशि

46 **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदार-पुरा, जोधपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1972-73 में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में पेय जल एवं विद्युत् उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? कृपया स्थानों

Page No 8

(8)

(श्री अमृतलाल गहलोत)

के एवं स्वीकृत धनराशि की तादाद दर्शाते हुये सूची पेय जल एवं विद्युत् की अलग-अलग सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिये लगभग पांच लाख के एस्टीमेट्स समाज-कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने निदेशालय को भेजे परन्तु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में जोधपुर नगर को अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्ले में पेय जल उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार रखती है?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 72-73 में राजस्थान के विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में नल लगाने के लिये 5,50,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। जिसके पक्ष में 5,50,000 रुपये के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य (अभियान्त्रिक) एवं जल-प्रदाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजे जा चुके हैं जिसका स्थानवार विवरण परिशिष्ट (क) में दिया गया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में बिजली लगाने के लिये वर्ष-72-73 के लिये राजस्थान विद्युत् मण्डल के बजट में 25 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी नहीं। जोधपुर नगर के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिये जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जोधपुर से 62,000 रुपये के प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत किये गये थे जो कि सारे ही स्वीकृत कर मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य (अभियान्त्रिक) जलप्रदाय विभाग, जयपुर को भेजे जा चुके हैं।

(3) जोधपुर नगर के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में पेय जल उपलब्ध कराने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि आवंटित करना, उपलब्ध प्रावधान तथा प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपने जो शब्द प्रयोग किया कि स्वीकृत किया जा चुका है। परिशिष्ट (ङ) पर जो लिस्ट पेश की है यह स्वीकृत राशि नहीं है। यह सिफारिश की राशि हो सकती है। कृपया स्पष्टीकरण करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया 62,800 रुपया जोधपुर नगर परिषद् को भेजे जा चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दिक्कतें होती हैं उनको कम करने की कोशिश की जाय।

श्री अध्यक्ष : स्वीकृत हो चुकी है फिर क्या रह गया है।

एक माननीय सदस्य : यह परिशिष्ट (क) में 10 लाख क्या है ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : 7-9-72 को जोधपुर नगर परिषद् को 62,800 रु० का प्रस्ताव पास करके भेजा जा चुका है।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जो स्वीकृत राशि बताई है, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को पेय जल की सुविधा देने की बात कही है, और जो राशि स्वीकृत करके जो लोग गये हैं जोधपुर में····

श्री **अध्यक्ष** : अलग से पूछिये, यह अलग से सवाल है।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : आज अनुसूचित जाति एवं जन-जाति पर शोषण हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जानकारी यह जानना चाहता हूँ कि यह स्वीकृति कौनसी तारीख को हो चुकी है ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि जोधपुर से प्राप्त हुआ 16-8-72 और 7-9-72 को निदेशालय से स्वीकृत किया जाकर जल-प्रदाय विभाग को भेजा जा चुका है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री हरलाल मीणा !

श्री **मोहम्मद गफ्फारअली** : मैंने एक प्रश्न किया था....

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : क्या 5 लाख 50 हजार का व्यय किया जा चुका है या कोई लेप्स हो जाने की स्थिति है ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री हरलाल मीणा !

जिला कोष कार्यालयों के कर्मचारी

47. श्री **हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या वित्त-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोष कार्यालयों में कर्मचारियों की वर्त्तमान स्ट्रेन्थ कितनी है व कितने वर्षों से है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले दस वर्षों में जिला कोष कार्यालयों के कार्य में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो उसके अनुरूप कितने पद नये सृजित किये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि बैंकों की तरह कोष कार्यालयों के कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता देने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो उन्हें उक्त सुविधा उपलब्ध कराने में क्या कठिनाई है ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) इस समय प्रान्त में 27 कोष कार्यालयों में 678 कर्मचारियों की स्ट्रेन्थ है जो वर्ष 1963 से है।

(2) जी हां, वर्ष 1963 के पश्चात् 48 नये पद सृजित किये गये हैं।

(3) जी नहीं, राजकीय परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (76) एफ. डी. (नियम) 70, दिनांक 11-12-70 के अनुसार कोष कर्मचारियों को अतिरिक्त समय कार्य करने हेतु मानदेय स्वीकृत करने का प्रावधान है ?

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट !

ग्राम बोंलिया बुजगनि थाना सुलेन में ट्रक दुर्घटना से मृत्यु

48. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या ग्रह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बोंलिया बुजगनि थाना सुनेल में तारीख 8-4-71 को ट्रक नं० 1903 एम. पी. ग्रो. जो ग्राम के पास पत्थर ढो रहा था, द्वारा दो औरतें व एक बच्चे की हत्या कर दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ट्रक एक्सीडेन्ट से केवल एक बुढ़िया मरी ही थी और बच्चा व उसका मां जिन्दा ही थे, परन्तु उनके चिल्लाने पर ट्रक ड्राइवर व वहां के निवासी जो ट्रक भाड़े पर लाये थे ने दोनों की वहीं हत्या करदी ?

(3) क्या असली मुल्जिम जो कि बोंलिया का रहने वाला था और जो ट्रक किराये से लाया था उसको पुलिस ने मुल्जिम नहीं बनाया ?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। एक बच्चा बाद में मरा है।

(3) उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में ट्रक ड्राइवर मुल्जिम कल्लू को गिरफ्तार किया जाकर, उसके खिलाफ दिनांक 22-10-71 को धारा 304 ए 302 आई० पी० सी० के तहत मुकदमें का चालान मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, भवानी मण्डी की अदालत में पेश किया जा चुका है जो जेरतजवीज है। दौरान तफतीश ट्रक किराये पर लाने वाले श्री कंवरलाल साकिन बोंलिया का इस दुर्घटना में मुल्जिम होना नहीं पाया गया। अतः उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : यह किसने तय किया कि वह मुल्जिम नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पुलिस के तफतीश के दौरान यह पाया गया कि वह मुल्जिम नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय यह जो घटना हुई है उसके बारे में दो प्रधान और दो विधायकों ने मौके पर जाकर मालूम किया कि किराये वाला शरीक था और पहले बुढ़िया मर गई और एक बच्चा व उसकी मदर ट्रक वाले जो किराये से लाये थे जिसको आप फरमा रहे हैं–सबने मिलकर हत्या कर दी। गवाहों को डराया, धमकाया। आप द्वारा किसी निष्पक्ष एजेन्सी से जांच करायें। वास्तविकता आपके सामने आ जायगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जांच के दौरान यह साबित हुआ है एक बच्चा कुचला गया और मरा नही था उसको बाद में मारा गया। उसी के अनुसार कार्यवाही की गई है। ट्रक का जो मालिक है वह शामिल है, यह नहीं पाया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : क्या कंवरलाल ने पुलिस में रिपोर्ट की। ट्रक का मालिक कंवरलाल नहीं था।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास जो रिपोर्ट उपलब्ध है वह यह है माननीय सदस्य चाहेंगे तो पुनः जांच करवा सकती हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मामला सब-जूडिस है। कौन मुल्जिम है, कौन मुल्जिम नहीं है, यह कहना अभी उचित नहीं होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उसके खिलाफ आज भी एवीडेन्स आ सकती है तो चालान हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक मुल्जिम कंवरलाल तफतीश के बाद रह गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या इस सम्बन्ध में थानेदार की शिकायत गांव वालों ने एस० पी० या डी० एस० पी० से की ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने (श्रीमती कमला बेनीवाल ने) कहा जांच करायेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मामला सब-जूडिस है। कौन मुल्जिम है और कौन मुल्जिम नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कानूनी स्थिति यह है कि किसी भी केस का इन्वेस्टीगेशन कभी हो सकता है। खास तौर से राज्य मंत्री महोदया ने यह कहा कि बच्चा कुचला गया था और मारा गया तो मामला यह लगता है एक्सीडेन्ट हुआ और सबूत को नष्ट करने के लिये कत्ल कर दिया। इसमें सब-जूडिस होने का मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चालान 302 में किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : अभी मैंने निवेदन किया था कि सब-जुडिस है यह मामला उस पर यह कहा गया कि सब-जुडिस होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है तो मुकदमे का तो अदालत में चालान हो गया और उसके बाद सब-जुडिस तो अपने आप हो गया। अब इनवेस्टीगेशन में क्या हो क्या नहीं है उसके बारे में मैंने ना नहीं कहा है। माननीय गृह मंत्री महोदया ने कहा कि इसकी ओर जांच करा लेंगे तो ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने डिस्कशन में कहीं ऐसा न हो कि सब-जुडिस हो। सब-जुडिस के लिए सैट रूलिंग्स है, सैट प्रोसीडिंग्स है और इसके बारे में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जब चालान हो गया तो अपने आप ही सब-जुडिस हो गया। वह इसकी फरदर जांच करें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि चालान हो गया यह तो प्रश्न ठीक है और चालान मेरे ख्याल में 302 में हुआ क्योंकि मरा नहीं, मारा गया है। इसकी संगीनीयत को आप समझती हैं और यह सुझाव है माननीय सदस्यों का कि 304 (ए) में होता तो बात अलग थी। अब 302 में एक मुल्जिम को अलग रख दिया गया। यह आरोप है इसलिए चालान भी हो गया है। जब कि शहादत दूसरे मुल्जिम के खिलाफ आ रही है तो अलग से कानून इसका इन्वेस्टीगेशन कराने की स्थिति में है ?

प्रश्न संख्या 49

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मालाराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

अलवर जिले में मोटे अनाज पर लेवी

50. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में मोटे अनाज—ज्वार, बाजरा व मक्का की खरीद पर लेवी लगाई हुई है, मगर अब तक कोई लेवी वसूल नहीं हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि लेवी लगाने के समय बाजरे के भाव 80 व 85 रु० क्विन्टल थे और अब बढ़कर 115 रु० के करीब हो गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अलवर व अन्य सब मंडियों में मोटे अनाज का आना बन्द हो गया है और अनाज के अभाव में जनता बहुत परेशान है ?

(4) क्या यह सही है कि अलवर जिले से मिले हुये अन्य राज्यों के इलाके हरियाणा व यू० पी० में अनाज के भाव अलवर जिले से सस्ते हैं और अलवर जिले से अनाज बाहर जाने का कोई खतरा नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार अलवर जिले से लेवी हटाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :
(1) जी हां !

(2) लेवी लागू होने के समय बाजरा का भाव अलवर में 85 रु० से 88 रु० तक था अब 107 रु० से 110 रु० का भाव है।

(3) यह सत्य है कि मंडी में अनाज नहीं आ रहा है।

(4) जी नहीं, उत्तरप्रदेश की मंडी में बाजरे के भाव अधिक हैं, किन्तु हरियाणा राज्य की मंडियों में कम है।

(5) भारत सरकार से लेवी हटाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्र-व्यवहार चल रहा है, स्वीकृति आने पर लेवी हटा दी जावेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह जानना चाहूंगा कि किसी जिले में लेवी लगाने की आज्ञा भारत सरकार देती है या आपका डिस्कशन है कि आप चाहे जिस जगह लेवी कायम रखें और चाहे जहां नहीं रखे ? हमारे वहां पर मोटे अनाज के भाव दुगुने हो गये हैं और अध्यक्ष महोदय अनाज नहीं मिल रहा है। मोटा अनाज आना बन्द हो गया, आप चाहें तो आज ही हटा सकते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था और सारे एम० एल० ए० कहते हैं लेवी हटा देनी चाहिए फिर भारत सरकार को आप क्यों नहीं कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारत सरकार को आप कहें कि सारी लेवी राजस्थान में हटा दी जाये वह दूसरी बात है लेकिन किस जिले में लगायें यह तो आपके डिस्कशन की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खरीफ सीरियल की वसूली का पूरे देश की विभिन्न स्टेट्स का 46 लाख टन का टारगेट रखा था। इस 46 लाख टन के टारगेट में से राजस्थान के अन्दर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तरप्रदेश में 6 लाख टन मोटे अनाज का टारगेट था।

Page No 13

(13)

(श्री परसराम मदेरणा)

उसमें से राजस्थान का टारगेट केवल 30 हजार टन का था। इस 30 हजार टन के टारगेट के अगेनेस्ट में अभी जो लेवी वसूल हुई है वह 7500 टन है और जैसा मैं निवेदन कर चुका हूँ लेवी लगाना और लेवी हटाना यह एसेन्शल कमोडिटीज एक्ट के नीचे भारत सरकार की बिना इजाजत के न तो लगा सकते थे और न हटा सकते हैं इसलिए हमने भारत सरकार को लिखा है कि लेवी की वसूली कम हो रही है। राजस्थान में इस साल कैतसाली की स्थिति है और अगर टारगेट्स हम एचीव नहीं कर सके क्योंकि फूड मिनिस्टर्स की भी कान्फ्रेन्स हुई थी 15-16 दिसम्बर को उसमें भी मैंने कहा था कि राजस्थान में खरीफ का प्राडक्शन बहुत कम है और कम होने की वजह से और दूसरे जिलों में अकाल है ऐसी स्थिति में राजस्थान में हम टारगेट्स एचीव नहीं करा सकेंगे लेकिन चूंकि आपने पिछले दो दिनों में अखबारों में पढ़ा होगा कि 46 लाख टन में से 25 लाख टन लेवी वसूल हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि 20 लाख टन के आसपास जो शार्टफाल हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं जिसको माननीय सदस्य जानते हैं, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि इस तरह से लेवी का टारगेट वसूल नहीं हो रहा है इसलिए इस लेवी को हटा देना चाहिए इस पर भारत सरकार ने अभी तक अपने निर्णय की सूचना राज्य सरकार को नहीं दी है लेकिन अभी 24-25 तारीख को फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हो रही है उसमें भी मैं बात करूंगा। यह लेवी का मामला है और हमारी तरफ से नहीं है और भारत सरकार का सेन्ट्रल फूड के लिए एक्ट बना हुआ है उसके तहत है ताकि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में जितने अनाज की आवश्यकता है वह भारत सरकार हमको भी दे रही है तो ऐसी सूरत में बिना भारत सरकार के डिसीजन के हम फैसला नहीं ले सकते हैं। हम अलग से निर्णय लेना पसन्द नहीं करते...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्नकर्त्ता के छक्के छूट रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह दूसरे जिलों की भी मांग है और मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब यह नहीं पूछें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि वहां पर एक मन अनाज भी लेवी में वसूल नहीं हुआ। यह तो आपके डिस्कशन की बात है कि किस जिले में लगायें और किस में नहीं लगाये। आप चाहे तो अभी हटा सकते हैं। मैं एक जिले की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : भरतपुर जिले में भी यही स्थिति है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भरतपुर जिले की क्या बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल आपके ही जिले में बन्द हो जाये और बाकी दूसरों में रहे यह कैसे हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 25 जिलों के अन्दर लेवी नहीं है

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो केवल 9 जिलों की बात कर रहा हूं आपको शिकायत क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे सवालों की जीवन रक्षा कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल जाट !

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में लेवी लगाई है और लोग बड़ी कठिनाई से समय निकाल रहे हैं और लोकल अनाज नहीं मिलता है। बाहर से व्यापारी अनाज लाते हैं वह मजदूरों को देते हैं। वह भी सरकार ने बन्द कर रखा है इसलिए जहां भयंकर दुष्काल है वहां पर लेवी हटा देनी चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी खाद्य मंत्रीजी ने लेवी के बारे में प्रकाश डाला वह ठीक है लेकिन खाद्यान्न के संबंध में लेवी लगाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। मैं समझता हूं कि आपने अव्वल तो आवेदन कब भेजा लिखकर कि लेवी हटाई जाये अलवर जिले में एक बात और उसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि आप स्वयं दिल्ली में जाकर फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में यह कह सकते हैं कि अलवर जिले की समस्या एक खास समस्या है वहां पर लेवी क्या फाकामस्ती हो रही है तो लेवी कहां से लोगे। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि अलवर जिले के अन्दर लेवी नहीं लेंगे, लेवी हटाई जाये, अकाल-ग्रस्त क्षेत्र है तो यह तो मानवीय प्रश्न है और व्यवस्था का प्रश्न है, अन्न का प्रश्न है इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी इस संबंध में कदम उठाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री परसराम मदेरणा : मैं इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : इनको भी सुन लीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : तीनों के प्रश्न एक साथ ले लें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : लेवी को लेने का जहां तक प्रश्न है, लेवी अगर लगाने के बाद अगर बाजार में धान मिल सकता है तो लेवी लेनी चाहिए, इसके विरुद्ध मैं कुछ नही कहना चाहता हूं। लेकिन लेवी लेते हैं व्यापारियों से और होता यह है कि व्यापारी लोग काश्तकारों से अण्डर ग्राउन्ड डील कर काश्तकारों के नाम पर ट्रक भरा कर अनाज की निकासी किसानों के नाम पर करते हैं। इसका परिणाम यह होता हैं कि जहां पर लेवी लगाई हुई है वहां अनाज की शोर्टेज है और बाजार में अनाज मिलता नहीं है। वहां के लोगों को अनाज खाने को नही मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं कि कम से कम राज्य सरकार इस बारे में विचार करे और वहां से निकासी बन्द करे। अगर निकासी नहीं होती है तो लेवी नहीं मिलने का प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : मेरा प्रश्न और है। मेरी अर्ज यह है कि लेवी के सम्बन्ध में जो आपकी मान्यतायें हैं इनमें कुछ परिवर्तन आप कीजिए। जैसे कि लेवी यूनिफार्मली सब पर एक ही प्रकार से लगे, यह न्यायोचित है और सब जिलों पर लगे यह न्यायोचित नहीं है। गंगानगर जिले से आप लेवी ले सकते हैं, इसमें

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कठिनाई नहीं है। लेकिन आप डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा से लेवी वसूल करें जहां विषम स्थिति है, किसानों पर संकट है, वहां पर लेवी लेते हैं तो दूसरी स्थिति पैदा होगी।

फिर लेवी किससे लें, किस स्लेब पर लें। जो बड़े जमीदार हैं उनसे किस स्लेब पर लेवी वसूल की जाय, इन मान्यताओं पर विचार करने की जरूरत है और जो आपकी मान्यतायें अभी चल रही हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। लेवी तो लेनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो राय व्यक्त की है उनके साथ में मेरी सहमति है। लेकिन यह लेवी जो लगाई है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वे खेती करमकल्ले की करते हैं ज्यादातर।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : लेवी लगाई....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं ठण्डा भी कर लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : लेवी जो लगाई जाती है तो वह ग्रेडेशन पर लगाई जाती है। राजस्थान बनने के बाद प्रोड्यूसर पर एक दफा ही लेवी लगाई गई 1966 में, गेहूँ पर लेवी लगाई गई थी और वह जो लेवी लगाई गई है सैल पर लगाई गई है। जो लाइसेंस होल्डर होलसेल डील करते हैं और जो मार्केट में अनाज लगाते हैं उसके 50 परसेंट पर लेवी है। इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। राजस्थान में 26 जिलों में से 9 जिलों के अन्दर लेवी लगाई है और बाकी को हमने छोड़ दिया है, 17 जिलों को।

तीसरी बात यह कि भारत सरकार ने जब लेवी लगाई तो इन दी मंथ ऑफ अगस्त राजस्थान में हमको ऐसा दिखता था कि थोड़ी बहुत बरसात हुई है, उसके बाद में सूखे की स्थिति हो सकती है और राजस्थान में मोटे अनाज पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। इसी एक्सपेक्टेशन के आधार पर हमने भारत सरकार को कहा कि यहां इस तरह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि यह ऑल इण्डिया पॉलिसी है अनाज पर इंटर स्टेट मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेवी का आधार तय करते समय चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में यह तय किया गया कि जो स्टेट लेवी लगायेंगे उसके आधार पर ही बेन लगायेंगे। राजस्थान में मोटे अनाज की लेवी का 30 हजार टन का टारगट अचिव करने का फिक्स किया गया। यह प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो स्टेट लेवी लगायेगी भारत सरकार उन स्टेट्स से एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के सम्बन्ध में डिसिजन लेगी। ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन हटाने के क्या माने हो सकते हैं यह डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य इसका आसानी से कयास लगा सकते हैं आज....

श्री लक्ष्मणसिंह : हमारे यहां गल्ला चोरी छिपे व्यापारी लोग मक्का गुजरात

(श्री लक्ष्मणसिंह)
में भेज रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। बार-बार इस सदन में चर्चा की है और जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं उनको भी सरकार सजा नहीं देती है, सरकार उनको बरदाश्त कर रही है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : बांसवाड़ा जिले में अन्दर भयंकर दुष्काल है। मंत्री महोदय बतावें कि जब बांसवाड़ा जिले में भयंकर दुष्काल है और जब डूंगरपुर और उदयपुर में लेवी नहीं लगाई तो बांसवाड़ा में लेवी लगाने का मतलब क्या है ? जब मक्का की फसल में माला की बीमारी लगी तो सरकार उसको बचा नहीं सकी। सरकार की बिल्कुल साफ रिपोर्ट है कि मक्का की फसल खत्म हो गई है बांसवाड़ा जिले में तो फिर बांसवाड़ा जिले में लेवी लगाने का क्या अर्थ है, यह मंत्री महोदय बतावें।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, आवश्यक है कि दूसरी स्टेट्स में एक्सपोर्ट होने से बैन लगाने के लिए जो भारत सरकार ने टारगेट फिक्स किया है उसको लेवी के जरिए अचिव करें। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि सारे देश में 45 लाख के टारगेट में 25 लाख का फिजिकल टार्जेट अचिव हुआ है तो अब भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति रहेगी इसीलिए उन्होंने यह कांफ्रेंस चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स की बुलाई है जिसमें होल सैल डील के बारे में विचार किया जाएगा।

जहां तक प्रश्न दो जिलों का है, एक टौंक और दूसरा बांसवाड़ा जिले का टौंक जिले के 60 परसेंट से ऊपर गांव स्केयरसिटी में है और बांसवाड़ा जिले के करीब 2 सभी गांव, दो-तीन या सात-आठ गांवों को छोड़ कर सभी में स्केयर-सिटी है। यह मामला मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है और इस पर आज शाम को निर्णय होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल जाट !

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात...

प्रश्न सं० 51

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, क्वेश्चन। श्री शंकरलाल जाट !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री जयकिशनलाल !

फागी व चाकसू तहसील का औद्योगिक सर्वेक्षण

52. श्री **जयकिशनलाल, तोसावड़ा** (फागी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फागी व चाकसू तहसील का औद्योगिक सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

(2) फागी व चाकसू क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने में समर्थ है ?

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसा कौन-कौन सा कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है जिससे

Page No 17

(17)

(श्री जयकिशनलाल तेमाबड़ा)
लघु उद्योग तथा बड़े उद्योग स्थापित किये जा सकें ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) फागी व चाकसू तहसील का अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ? जयपुर जिले को इकाई मान कर जिले का सर्वेक्षण किया गया है।

(2) राज्य के समस्त जिलों के लिए जो भी सामान्य सुविधायें एवं सहायता राज्य सरकार देती है, वह फागी और चाकसू क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध है। इन सुविधाओं के सम्बन्ध में सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह जानकारी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित होने पर मिल सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मोठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बताया था कि शिवदासपुरा और चाकसू, फागी वगैरा के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करा लिया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शिवदासपुरा के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण करा लिया गया है और करा लिया है तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपसे निवेदन किया है कि समस्त जिले का सर्वेक्षण किया जा रहा है और जिसमें चाकसू, फागी और शिवदासपुरा सभी शामिल हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट आने वाली है एक-डेढ़ महीने में। रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर सब जानकारी जानी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

राजकीय माध्यमिकशाला, गडियाला का भवन

53. श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तारीख 19-12-1972 को राजकीय माध्यमिक शाला, गडियाला (बीकानेर) में छात्रों की परीक्षा आरम्भ थी ?

(2) क्या यह सही है कि विद्यालय भवन को विद्यालय निरीक्षक अथवा शिक्षा विभाग के अन्य उच्च अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना जनता के उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत, गडियाला (बीकानेर) ने उक्त विद्यालय को तारीख 19-11-72 के दिन किन्हीं मंत्रीजी की मीटिंग कराने हेतु उनके सुपुर्द करने का पत्र प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को लिखा ?

(4) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक के भवन को सुपुर्द करने से इन्कार करने पर विद्यालय भवन पर तारीख 19-11-72 को जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाकर उक्त भवन का उपयोग भोजन करने एवं राजनैतिक मीटिंग करने में किया गया ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) :
(1) जी हां।

(2) यह सही है।

(3) पत्र दिनांक 19-12-72 को लिखा गया।

(श्री जुंझारसिंह)

(4) प्रधानाध्यापक ने उच्च अधिकारी की अनुमति उपरान्त भवन देने को कहा। विद्यालय के हाल में मीटिंग हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

वृद्धावस्था पेंशन के मामले

54. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में अभी तक वृद्धावस्था पेंशन के कोई भी केसेज फाइनल नहीं किए गए हैं ? अगर हां, तो क्यों और कितने मामले कब से कहां पेंडिग में पड़े हैं ?

(2) क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन के मामले पटवारियों द्वारा तैयार करवा कर आवश्यकतानुसार फायदा वृद्धों को दिलवाना चाहती है ? अगर हां, तो ऐसा निर्णय कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन के मामलों को शीघ्र ही निपटाने के लिए नियम बनाना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज-कल्याण मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (१) जी नहीं। जिला जालोर में अब तक 56 प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त हुए थे जिनमें से 14 वृद्धावस्था एवं ६ अपाहिजों के पेन्शन के स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 36 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है जिनका ब्योरा निम्न प्रकार हैं:—

क्रम सं.	नाम तहसील	प्रार्थना-पत्रों की संख्या	प्रार्थना-पत्र भेजे जाने की तिथि
1.	जालोर	32	13-11-72
2.	आहोर	1	11/71
3.	सांचोर	1	2-9-72
4.	भीनमाल	2	3-10-72

(2) निर्देशानुसार वृद्धावस्था पेन्शन के प्रार्थना-पत्रों की प्रारम्भिक जांच, तहसीलदार, विकास अधिकारी अथवा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाती है। पटवारी या अन्य अधोनस्थ कर्मचारी द्वारा जांच कराने की जिम्मेदारी उक्त सम्बन्धित अधिकारियों की है। नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(3) वृद्धावस्था पेन्शन नियम बने हुए हैं। नये नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धावस्था पेन्शन के मामलों को दो माह में निपटाने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि दो महीने में कोई प्रार्थना-पत्र पूरा किया गया हो तो उसका एक भी इन्स्टान्स बता सकते हों तो मन्त्री महोदय बतावें।

यह भी बतावें कि कितने केसेज पेन्डिग हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : वास्तव में यह सही है कि दो माह में यह कार्यवाही नहीं होती है। कोशिश यही की जाती है कि 60 दिन में इस प्रकार के प्रार्थना-पत्रों को तरजीह देकर निपटा देना चाहिए। मैं अर्ज करूं माननीय सदस्य को ..

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्त्री महोदय, इससे भी पुराने केसेज हैं। माथुर साहब ने जब यहां इसकी घोषणा की तो हमने करतलध्वनि से इसका स्वागत किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपने अभी बताया कि कितने पुराने केसेज पेन्डिग में पड़े हुए हैं। मेरा तो एक ही केस है एक वृद्धा का जो माचे पर पड़ी हुई है। उसको तीन बार कह चुके हैं कि फोटो खिचाओ। पैसा लगा कर फोटो खिचाओ। इधर तो माचे पर पड़ी है और उधर उसको फोटो खिचवानी होगी, मैं कहता हूं पेन्शन देने की पॉलिसी डिसीशन है सरकार का, लेकिन वास्तव में इसका लाभ मिलता नहीं है। सरकार की नीति का इम्प्लीमेन्टेन्शन नहीं हो रहा है। लोगों के सामने कुछ कहा गया, घोषणा कर दी लेकिन इसका लाभ कैसे मिलेगा जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे? ग्रेचुट्शस रिलीफ के लिये अकाल में आप पैसा देते हैं, अगर पेन्शन मुकर्रर हो जाये तो आधा रिलीफ आपको नहीं देना पड़ेगा। अकाल रिलीफ की इतनी बड़ी लम्बी लिस्ट है आपकी। यह जो प्रश्न है, यह इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें राज्य सरकार को विचार करना चाहिये और स्थिति पर ध्यान देना चाहिये।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : आपने कहा कि रूल्स को सिम्प्लीफाइ करने की जरूरत नहीं है। यहां साबिक वित्त मन्त्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नियम क्लिष्ट है और इनके माध्यम से पेन्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रांगण में कहा कि इनको सिम्प्लीफाइ करेंगे। इसी सदन की आश्वासन समिति से बार-बार लिखा जा रहा है वित्त मन्त्री महोदय को कि आप इनको सिम्प्लीफाइ कब कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने उत्तर को तो करेक्ट कर लीजिये। आज के एप्लीकेशन फार्म में एक बुढ़िया जो चालीस मील इन्टीरियर में रहती है, उसको आप तस्वीर उतरवाने के लिये कहते हैं, इसको आप बन्द करिये। पचीस साल के बाद जब इन्टीरियर में फोटोग्राफी पहुंच जायेगी, तब आप तस्वीर मांगियेगा, लेकिन तब तक वह अपाहिज भी नहीं रहेगा और आपका यह प्रश्न भी खत्म हो जायेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले के अन्दर सैंकड़ों दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं जो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही हैं। वहां के कलेक्टर कहते हैं कि इसके लिये फन्ड्स नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अपाहिजों को पेन्शन दी जाय, आप इसके लिये फन्ड्स प्रोवाइड करिये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : प्रश्न केवल फोटो खिचवाने का ही नहीं है। मेडिकल जूरिस्ट का सर्टीफिकेट लेना पड़ता है। मेडीकल जूरिस्ट बिना पैसे सर्टीफिकेट नहीं देता किसी गरीब महिला की हिम्मत नहीं कि उसके पास जा सके। जयपुर में ही एक केस तैयार करने में छः महीने लग जाते हैं बार-बार उसका पीछा करने के बावजूद भी। जब तक आप इसको सिम्प्ली-

(श्रीमती नोगेन्द्रबाला)
फाइ नहीं करेंगे तब तक इन रूल्स का कोई उपयोग नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कलेक्टर को जो आपने जिम्मेदारी दे रखी है उसके बजाय जिला जन-कल्याण अधिकारी को यह काम सौंप दें तो यह ठीक होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं, नहीं। कलेक्टर को ही जिम्मेदार बनाया जाये।

(व्यवधान)

श्री जयकिशन तोसावड़ा (फागी) : इस परिस्थिति को थोड़ा सरल किया जाये। या तो तहसीलदार को सर्टीफिकेट देने के पॉवर्स दिये जायें। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है....

(व्यवधान)

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अगर इसके लिये कोई पेन्शनर मिनिस्टर रखा जाये तो अच्छा होगा।

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसमें कोई दो-राय नहीं कि यदि हम डिसेब्ल्ड पर्सन्स को, ओल्ड पर्सन्स को सहायता देना चाहते हैं तो उनकी जो कठिनाइयां हैं, और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उन सबका ध्यान रखना पड़ेगा। नियम काफी क्लिष्ट बने हुए हैं और लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। मैं तो इस हद तक कह सकता हूं कि या तो हम यह कह दें कि हम कुछ नहीं देना चाहते। लेकिन यदि हम देना चाहते हैं तो उन रूल्स को सिम्पलीफाइ करना चाहिये। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि एक माह के भीतर-भीतर यह रूल्स सिम्प्लीफाइ हो जायं।

श्री दलपतसिंह (खाचरी) : वृद्ध लोगों को पेन्शन के नियम भी सिम्प्लीफाइ करने चाहिये। ऐसा नियम बनाना चाहिये कि उन लोगों को पेन्शन मनी ऑर्डर के जरिये भेज दी जाये और मनी ऑर्डर की कमीशन उनके पैसों में से काट ली जाये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : गत बजट सेशन में मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि पेन्शन के लिये एज लोअर कर दी जायगी। 65 साल से कम कर दी जायेगी।

श्री हरिदेव जोशी : अगर मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है तो उसको ऑनर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लूणाराम सारण!

जिला चूरू में उद्योग प्रसार अधिकारी

55. **श्री लूणाराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक परियोजना, चूरू द्वारा हर तहसील में एक उद्योग प्रसार अधिकारी नियुक्त है? यदि नहीं, तो जिले की सात तहसीलों में से कितनी तहसीलों में उद्योग प्रसार अधिकारी नियुक्त नहीं हैं?

(2) जिन तहसीलों में उद्योग प्रसार अधिकारी नियुक्त नहीं है उन तहसीलों का कार्य जब से परियोजनाएं चालू हुईं, से लेकर समय-समय पर किस-किस तहसील के उद्योग प्रसार अधिकारियों के अधीन कितने-कितने समय रहा है और उन्होंने अपने कार्यकाल में जहां उद्योग प्रसार अधिकारी

(श्री लूणाराम)
नहीं थे वाली तहसीलों में कितने-कितने दिन नगरपालिका सीमाओं या नगरपालिका सीमाओं के बाहर भ्रमण किया एवं उन्होंने अपने समय में कितने नए उद्योग स्थापित कराये और कितने पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया ? कृपया नगरपालिका सीमाओं एवं नगरपालिका सीमाओं के बाहर की पूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, इसलिये निवेदन है कि इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

नगरपालिका अनूपगढ़ में ट्यूब लाइट्स के टेन्डर

56. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगर पालिका, अनूपगढ़ में ट्यूब लाइट्स कब-कब किस कम्पनी से किस-किस भाव में खरीदी ?

(2) क्या इन ट्यूब लाइट्स के लिये बाकायदा टेण्डर मांगे थे ? यदि हां, तो किस-किस फर्म ने टेण्डर दिये तथा किस फर्म का टेन्डर स्वीकार किया गया ? जिस फर्म का टेन्डर स्वीकार किया गया वह फर्म बिजली विभाग द्वारा स्वीकृत फर्म है ? यदि नहीं, तो इस फर्म के टेन्डर क्यों स्वीकार किये गये ? क्या यह भी सही है कि यह टेन्डर फर्जी फर्म्स से लिये गये हैं ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से जनता की शिकायत पर कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

राज्य मन्त्री, स्वायत शासन (श्री मूलचन्द) : (1) नगरपालिका अनूपगढ़ ने श्री सत्यप्रकाश खन्ना, सर्वे एसोसियेट, अजमेर से 40 ट्यूब लाइट, कम्प्लीट फिटिंग के साथ 120 रु. प्रति ट्यूब लाइट के हिसाब से माह मई, 1972 में खरीदीं।

(2) जी हां।

(क) श्री सत्यप्रकाश खन्ना, सर्वे एसोसियेट, अजमेर।

(ख) कमल मोदी, इलेक्ट्रिशन कम्पनी अजमेर।

(ग) हीरालाल सिन्धी, आसरा होटल, अनूपगढ़।

(घ) श्री करमचन्द हेमराज, अनूपगढ़।

श्री सत्यप्रकाश खन्ना, सर्वे एसोसियट का टेन्डर स्वीकार किया गया। बिजली विभाग द्वारा स्वीकृत फर्म का होना आवश्यक नहीं है। बिना जांच टेन्डर फर्जी कहना कठिन है।

(श्री मूलचन्द)

(3) जी हां। जांच के अनुसार ट्यूब लाइट्स जो नगरपालिका द्वारा खरीद की गई है वह टेन्डर के अनुसार है या नहीं इसके लिये जिलाधीश, गंगानगर को क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता विद्युत् विभाग या किसी तकनीकी अधिकारी द्वारा जांच कराने का 18-1-73 को लिखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस फर्म से यह ट्यूब लाइट्स खरीदी गई है, वह फर्म क्या स्वीकृत फर्म है ?

श्री मूलचन्द : जहां तक स्वीकृत फर्म होने का प्रश्न है, यह कोई म्युनिसिपैलिटी के लिये नियम नहीं है कि वह केवल विभाग द्वारा स्वीकृत फर्म से ही सामान खरीदे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह स्वीकृत फर्म है ?

श्री मूलचन्द : स्वीकृत फर्म हो या नहीं, इसके लिये म्युनिसिपैलिटी बाध्य नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न तो स्पष्ट और डाइरेक्ट है। क्या यह फर्म विभाग द्वारा स्वीकृत है ?

श्री मूलचन्द : यह जानकारी इसमें नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो बता दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न ही यह है कि क्या यह फर्म स्वीकृत है ? मैंने तो यही पूछा है कि जिस फर्म से ट्यूब लाइट्स खरीदी गई हैं और जिसके टेन्डर स्वीकार किये गये हैं, वह फर्म डिपार्टमेन्ट द्वारा स्वीकृत है या नहीं, और यह कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि फर्म स्वीकृत हो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने प्रश्न पढ़ा ही नहीं। इसमें यह साफ पूछा गया है कि क्या जिस फर्म का टेन्डर स्वीकार किया गया वह फर्म बिजली विभाग द्वारा स्वीकृत फर्म है।

श्री मूलचन्द : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि यह स्वीकृत है या नहीं। जहां तक खरीद का सवाल है उसमें स्वीकृत फर्म से ही खरीदना आवश्यक नहीं है। तो मान लीजिये कि यह स्वीकृत फर्म नहीं है....

श्री भानुकुमार शास्त्री : मान लीजिये का प्रश्न नहीं है। सही स्थिति क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरी शिकायत है कि जो प्रश्न मैंने पूछा है, मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं देना चाहते।

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : घोटाला ऐसे

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
ही होता है। इसलिये स्वीकृत फर्म होना आवश्यक है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या यह सही है कि टेन्डर मांगे जाते हैं, उसमें सभी टेन्डर देते हैं, और स्वीकृत फर्म का ही टेन्डर स्वीकार किया जाये, यह कोई जरूरी नहीं है? क्या यह सही है?

श्री मूलचन्द : जी हां!

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर।

ग्राम माण्डवा की जल योजना

49. **श्री मालाराम** (नीम का थाना) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) (क) क्या यह सही कि ग्राम मांडवा खुर्द तहसील नीम का थाना में सार्वजनिक कुए पर इन्जिन तथा ग्राम में पानी की व्यवस्था के लिये नल लगाये गये थे? यदि हां, तो कब और उस पर कुल कितना व्यय हो चुका है? क्या कभी पानी दिया गया? यदि हां, तो कब?

(ख) यह इन्जिन व नल अब कहां हैं और इनका अब तक क्या उपयोग हुआ है?

(2) (क) क्या यह सही है कि ग्राम मांडवा कलां तहसील नीम-का-थाना में पहाड़ी पर बसा हुआ है जबकि सार्वजनिक कुआ मैदान में है जिसके कारण पानी लाने में बड़ा कष्ट है?

(ख) क्या यह सही है कि इस ग्राम के अधिकांश परिवार सैनिक हैं?

(ग) उपरोक्त स्थिति में क्या राज्य सरकार इस ग्राम में नल योजना की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) (क) जी हां, कुल व्यय रुपया 64,311 हुआ, जी हां, विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत माह जून व जुलाई, 1964 में दो माह के लिये योजना द्वारा पानी दिया गया।

(ख) चूंकि यह पूर्ण योजना नवम्बर, 1964 में पंचायत को सम्भला दी गई थी व तब से अब तक पंचायत के पास ही है, विभाग को यह जानकारी नहीं कि इन्जिन व नल अब कहां है।

(2) (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) विकास विभाग द्वारा योजना में आ गई कमियों को दूर करने का खर्चा देने पर जलदाय विभाग योजना का सधारण कार्य अपने हाथ में ले सकता है।

राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधा

51. श्री **शंकरलाल जाट** (कपासन) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा किसानों को कुवा खुदवाने, पम्पिंग सेट लगवाने के लिये ऋण की सुविधा आवश्यकतानुसार नहीं मिल पा रही है ?

(2) यदि हां, तो इसके लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

गत वर्षों के मुकाबले पम्पिंग सैट्स आदि के लिये ऋण की सुविधाओं में वृद्धि हुई है। यद्यपि यह वांछित मात्रा में नहीं हुई है। राज्य सरकार राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में ऋण देने को प्रोत्साहित करने को कदम उठा रही है। ऋण देने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है और लीड बेंकों को जिलास्तरीय समितियां बनाने में कदम उठाने को कहा जा रहा है समय-समय पर इन बेंकों से सम्पर्क करके कृषि क्षेत्र में ऋण सुविधायें अधिक देने को कहा जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

21. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत बजट सेशन में वित मन्त्री ने अपने भाषण में राजस्थान में लगने वाले इन दस उद्योगों का उल्लेख किया था:— स्कूटर, थ्री व्हीलर, सोडा एश, ग्लास बोटल्स, क्वायोलाइट, केलसियम कारबाइड व चार अन्य जिनके लेटर ऑफ इन्टेट तो प्राप्त बताये पर नाम नहीं बताये। कृपया उनके नाम, उद्योग लगाने वाले का नाम व स्थापन के स्थान के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त उद्योगों में से जोधपुर नगर में कौन-कौन से स्थापित किये जायेंगे ?

(3) यदि कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जायगा, तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अब तक लगने वा उद्योगों में से चार की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय हुआ है। इन चार उद्योगों में से जोधपुर में कोई स्थापित नहीं किया जा रहा है।

(3) उद्योगों की स्थापना के स्थान के संबंध में निर्णय, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम तकनीकी एवं आर्थिक

(उद्योग मंत्री)
आंकड़ों तथा अन्य मुद्दों जैसे किसी क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होना तथा उसके लिये पानी, बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होना आदि के आधार पर लेता है। इन उद्योगों का जोधपुर में स्थापित होना अथवा न होना इन्हीं आधारों पर निर्भर करेगा।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच के मामले

22. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अब तक कुल कितने मामलों में जांच की गई है ? गत पांच साल का विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) इनमें से कितने मामलों में अदालत में चालान पेश किये गये हैं ? सूची मय नाम, पद एवं आरोप के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गत पांच साल में 325 मामलों की जांच की गई है, जिनका पूर्ण विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(2) 161 मामलों में अदालत में चालान पेश किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

नमक बनाने हेतु भूमि का आवंटन

23. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री जी. डी. वांगड़ के नाम पर नमक बनाने हेतु भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब कितनी भूमि का और किन शर्तों पर ?

(2) उपरोक्त आवंटन के लिये कब-कब आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे और किन-किन के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) हां। 1 जुलाई,70 को 47-5 एकड़ भूमि ग्राम खारडिया (तहसील नावां, जिला नागौर) में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सलाइन एरिया अलॉटमेन्ट) नियम, 1970 के अन्तर्गत लीज डीड की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) विज्ञप्ति सं० डी० आई० ए/70/84-8 दिनांक 20 अप्रेल, 1970 के द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।

बाड़मेर जिले के अभावग्रस्त ग्राम

24. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(1) बाड़मेर जिले में इस वर्ष कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त गांवों को कब अभावग्रस्त घोषित किया गया है ?

(3) क्या उक्त गांवों में अकाल राहत कार्य खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(4) राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कब शुरू कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में चालू वर्ष-2029 में 570 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त गांवों को 1 जनवरी, 1973 से अभावग्रस्त घोषित किया गया।

(3) इस जिले की विभिन्न तहसीलों में कुल 25 राहत कार्य खोले जा चुके हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) प्रश्न के खण्ड 3 में वर्णित समस्त 25 राहत कार्य चालू हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल राहत कार्यों हेतु सामान की खरीद

25. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अकाल राहत कार्यों के लिये 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72 व 1972-73 में क्या-क्या सामान कितनी-कितनी राशि का किस-किस वर्ष में कब-कब खरीदा गया ?

(2) उक्त सामान का उपरोक्त वर्षों में स्टोर वेरिफिकेशन कब-कब किया गया तथा किस-किस स्टोर में कितने-कितने मूल्य के सामान की कमी पाई गई तथा इसके लिये किस-किस को जिम्मेवार ठहराया गया तथा गबन के कितने केस बने और दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले की निजी संचालित शालाओं के बारे में शिकायतें

26. श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में निजी संचालित माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक शालाओं की कुछ शिकायतें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में आई हैं ? कृपया तहसीलवार एवं संस्थावार बताने का कष्ट करें।

(2) क्या जिन संस्थाओं की शिकायतें राज्य सरकार के अनुदान के दुरुपयोग की प्राप्त हुई थीं उनका अनुदान बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो किन किन संस्थाओं का ?

(श्री लूणाराम)

(3) उपरोक्त संस्थाओं का यदि अनुदान बन्द नहीं किया गया तो अनुदान बन्द नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) जिन-जिन संस्थाओं की शिकायतें विभाग के पास आई उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया तहसीलवार बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) चूरू जिले के बाल हितकारी विद्यालय एवम् माडर्न स्कूल, सरदारशहर, तहसील सरदारशहर की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) बाल हितकारी संस्था के सम्बन्ध में विद्यालय निरीक्षक, चूरू का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर माह अप्रेल से संस्था की अनुदान राशि विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक बन्द की गई थी। अब अनुदान नियम, 1963 की धारा 10 के अन्तर्गत उप निदेशक, समाज शिक्षा निदेशालय के प्रतिवेदन के आधार पर कारण बताओ नोटिस नियमानुसार संस्था को जारी कर दिया गया है। इसका उत्तर प्राप्त होने पर अनुदान बन्द करने सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) मामले की छानबीन की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) माडर्न स्कूल सरदारशहर, तहसील सरदारशहर की शिकायतें प्राप्त होने पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुदान अनुभाग अधिकारी एवम् लेखाकार द्वारा इस संस्था की जांच की गयी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस पर आगे नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बाल हितकारी विद्यालय की सूचना प्रश्न के भाग 2 के उतर में निहित है।

बिक्री कर से वसूली

27. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान में कृषि उपज, ट्रेक्टरों, ट्रेक्टरों के हिस्सों-पुर्जों, ट्रेक्टरों के यंत्रों, खाद आदि से सन् 1971-72 व 1972-73 में कितना बिक्री-कर वसूल हुआ तथा जिला गंगानगर से कितना ?

(स्थगित किया गया)

जल समस्या के निराकरण हेतु व्यय की गई राशि

28. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजना सन् 66–67, 67–68, 68–69 एवं चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में अब तक जल समस्या के हल करने में जिलेवार कितनी राशि ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय हुई ? अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त समस्या के हल के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा गया है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 28

(२८)

उत्तर

(1) विभिन्न योजना अवधि में जल-प्रदाय योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय हुआ है:—

(रु० करोड़ों में)

प्रथम योजना	2.08
द्वितीय योजना	3.49
तृतीय योजना	7.31
तीन वार्षिक योजनाएं (1966–67 से 68–69)	4.98
चतुर्थ योजना	
1969–70	2.98
1970–71	4.24
1971–72	5.93
1972–73 (आवंटन)	8.72
योग रु०	39.28

इस व्यय में समाज कल्याण विभाग तथा तृतीय योजना काल तक सामुदायिक विकास विभाग द्वारा व्यक्तियों को पेय जल कुओं के निर्माण आदि में दी गई आर्थिक सहायता सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त व्यय की जिलेवार सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। प्रथम योजना-काल में हुए व्यय के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। द्वितीय एवं तृतीय योजना काल के जिलेवार व्यय के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(2) राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार नहीं हुई है अतः वांछित जानकारी देना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

29. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य के विभिन्न जिलों में किन-किन शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा विभाग द्वारा कितना-कितना अनुदान दिया जा रहा है जो संस्था के कुल खर्चे का कितना प्रतिशत है? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है। प्रतिशत सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिविल इन्जीनियरों के रिप्रजेन्टेशन्स

30. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार-पुरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन-स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग सिविल इन्जीनियरिंग विभाग है या मेकेनिकल इन्जीनियरिंग विभाग है ?

(2) उक्त विभाग में सिविल व मेके-निकल पद सृजन करने का क्या आधार

(श्री अमृतलाल गहलोत)
है ? बीकानेर व जयपुर नगर वृत्त को मेकेनिकल किस आधार पर बनाया गया ?

(3) विभाग के हर डिविजन के मेन्टीनेंस व एग्जीक्यूशन का 1971-72 का क्या वर्क लोड है ?

(4) क्या सिविल इन्जीनियरों के साथ पदोन्नति अन्याय नहीं हो रहा है ?

(5) सिविल इन्जीनियरों के कितने रिप्रजेन्टेशन्स कब से सरकार के पास पड़े हुए हैं व किन-किन का उत्तर दे दिया गया है ?

(6) प्रश्न के भाग 5 में बाकी रिप्रजेन्टेशन के जवाब अभी तक क्यों नहीं दिये गये हैं व हर एक का उत्तर कब तक. सरकार दे देगी ?

उत्तर

(1) जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एक सिविल इन्जीनियरिंग विभाग है, परन्तु इसमें होने वाले कार्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए विभाग में सिविल इन्जीनियर व मेकेनिकल इन्जीनियर रखने का प्रावधान है।

(2) समय-समय पर विभाग में करवाये जाने वाले कार्य को मद्देनजर रखते हुए सिविल व मेकेनिकल के पदों का सृजन किया जाता है। जयपुर नगर तथा बीकानेर वृत्तों के अधीन करवाये जाने वाले यांत्रिक प्रकृति के कार्यों को मद्देनजर रखते हुए ही इन वृत्तों को मेकेनिकल अभियन्ताओं के अधीन रखा गया था।

(3) यह संलग्न तालिका में प्रेषित है।

(4) जी नहीं।

(5) सूची संलग्न है।

(6) उपरोक्त भाग (5) के संदर्भ में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

विमुक्त जाति सेवक संघ को जीप

31. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विमुक्त जाति सेवक संघ द्वारा सन् 1955 में एक जीप खरीदी गई थी ? यदि हां, तो कितने रुपयों में ?

(2) क्या यह सही है कि विमुक्त जाति सेवक संघ के अकाउन्ट्स के अनुसार इस जीप की मरम्मत पर 14 हजार रुपये खर्चा हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि यह जीप सन् 1964 में केवल 6 हजार रुपयों में ही बेच दी गई जिसकी पूरी कीमत अभी तक भी वसूल नहीं हुई है ? यदि हां, तो यह जीप किसको बेची गई थी तथा अब कितनी रकम बाकी है ?

(4) यह जीप किस-किस के पास कितने-कितने समय तक रही है ?

(5) क्या इस जीप के लिए कोई लॉग-बुक रखी जाती थी ? यदि हां, तो उसके अनुसार यह जीप कुल कितने मील चली ?

उत्तर

(1) जी हां, जीप की कुल कीमत 13200/— रुपये मात्र थी।

(2) जी नहीं, विमुक्त जाति सेवक संघ के अकाउन्ट्स के अनुसार इस जीप की मरम्मत इत्यादि पर केवल, 10,558-32 रु. व्यय हुए हैं।

(3) जी हां, यह जीप श्री गणपतसिंह, ड्राइवर को श्री माणिक्यलाल वर्मा द्वारा गठित समिति के द्वारा 6000/– रुपये में बेची गई थी। अभी तक 2500/– रु० वसूल हो पाया है। शेष रकम वसूल होना शेष है।

(4) वह जीप संस्था के पदाधिकारियों के पास रही।

(5) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने चित्तौड़गढ़ जिले की बोराडा पंचायत के सरपंच श्री किशनसिंह व एक अध्यापक पर दिनांक 9 फरवरी, 1973 को किये गये एक हमले के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. सर्वश्री मूलचन्द सामरिया, मीठालाल और सुरेशचन्द्र, सदस्य विधान सभा ने 4 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है, जिनमें से एक में जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने, दूसरे में आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानें निरन्तर खोले जाने और तीसरे में दौसा नगर में पानी की अपर्याप्त सप्लाई तथा चौथे में सिंचाई विभाग के 2 डिविजनों को जयपुर से भीलवाड़ा तथा डूंगरपुर में अस्थाई स्थानान्तरण करने का उल्लेख किया गया है।

3. सर्वश्री मीठालाल व मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा दौसा में पड़ी हुई मक्का का वितरण न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें जोधपुर नगर परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव न होने के सम्बन्ध में चर्चा की गई है।

इन सब स्थगन प्रस्तावों का सम्बन्ध किसी हाल की घटना अथवा अविलम्बनीय लोकमहत्व की घटनाओं से नहीं है और माननीय सदस्य यदि चाहें तो इन प्रश्नों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चल रही बहस के समय उठा सकते हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

5. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने माइनिंग विभाग के कर्मचारियों के उदयपुर में आमरण अनशन आरम्भ करने के सम्बन्ध में एक स्थगन

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी प्रकार सर्व श्री मूलचन्द सामरिया मीठालाल व सुरेशचन्द्र, सदस्य विधान सभा ने दौसा नगर, जमवारामगढ़ व बस्सी क्षेत्र के काश्तकारों को जमवारामगढ़ बांध से होने वाली सिंचाई सुविधा को उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

6. सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हाण्डा व केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने लन्दन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के कार्यालय पर हुए हमले के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : यह हाउस ऑफ कामन्स पार करता हुआ आया है।

श्री अध्यक्ष : ....इस प्रश्न का सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

7. दिनांक 19-2-73 को सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव व गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने तहसील मांडल के निवासी कजोड़ दरोगा की भूल से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

8. सर्वश्री गुरुदयालसिंह सन्धु, केदारनाथ, गिरधारीलाल भार्गव व योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 19-2-73 को उप-जिला एवं विकास अधिकारी, गंगानगर द्वारा वहां के रेस्ट हाउस के चौकीदार की पत्नी के साथ बलात्कार के प्रयत्न के सम्बन्ध में 4 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कल दिनांक 22-2-73 को सदन में एक वक्तव्य दिया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माइनिंग विभाग के कर्मचारियों द्वारा 21 दिन से हड़ताल चल रही है उसके बारे में पहले भी मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपसे प्रार्थना की गई थी कि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। आज उसको 21 दिन हो चुके हैं और राजस्थान के 2500 खनिज कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और उसके साथ में उनके महामन्त्री और 51 अन्य....

श्री अध्यक्ष : मैं बीच में इतना सा निवेदन कर दूं कि 19 तारीख के स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपने फरमाया उसके बाद में अभिभाषण पर आपका भाषण हुआ था उसमें कह देते।

श्री गुमानमल लोढ़ा : भूख हड़ताल की सूचना आज हुई है। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान के खनिज कर्मचारियों को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में चलाई जा रही चिता, बादला,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
डेगाना व झामरकोटड़ा माइन्स के अन्दर काम कर रही हैं तो झामरकोटड़ा के बारे में तो कल यह बताया गया था कि वहां पर करीब 5 करोड़ का लाभ हुआ है, लेकिन वहां के कर्मचारियों को 2 रु० 31 पैसे की मजदूरी दी जाती है ।

श्री **अध्यक्ष** : संक्षेप में कहें ।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं । मैं माननीय मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि आज राजस्थान राज्य की ओर से 3 रुपये से कम की मजदूरी दी जाय और उसी के पास में बीकानेर जिप्सम उसी स्थान पर काम कर रही है जहां उनको 6 रुपया प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, और केन्द्रीय सरकार को ओर से जो मिनिमम वेजेज नियत किया हुआ है उसमें 4 रु० 50 पैसे प्रति व्यक्ति मजदूरी दी जाती है, और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि कम से कम 2 रु० और सवा दो रुपया हर व्यक्ति को मजदूरी देंगे। इस सम्बन्ध में और ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में माननीय खनिज मंत्रीजी से वक्तव्य दिलायें । पिछली 19 तारीख को भी यहां पर प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद में भूख हड़ताल....

श्री **अध्यक्ष** : उस पर निर्णय दे दिया गया है।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : जो स्टाफ है राजस्थान सरकार का उसको सरकार 275 रुपया देती है और केन्द्रीय सरकार का जो माइनिंग स्टाफ है, माइनिंग डिपार्टमेन्ट में उसको 375 बेसिक पे मिलती है, 150 रु० फिक्स्ड डी० ए०, 75 रु० फील्ड एलाउन्स, 10 पर्सेन्ट हाउस रेन्ट।

श्री **अध्यक्ष** : जितना आप कह रहे हैं वह स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : एक मिनिट में समाप्त कर दूंगा। डेली एलाउन्स 10 दिन तक 12 रु० प्रतिदिन। मैं निवेदन कर दूं आपसे कि 2500 खनिज कर्मचारी 21 दिन से हड़ताल पर हैं और 1-12-72 को मांग-पत्र दे दिया गया है, डिमांड नोटिस दे दिया गया है, उसके बाद आज तक इस मामले को उलझा हुआ रखा गया है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र कल या परसों इस बारे में वक्तव्य दें और इस स्थगन-प्रस्ताव की महत्ता को देखते हुए वक्तव्य देंगे। इसके साथ साथ जो राजस्थान सरकार को हर रोज 5-6 लाख का नुकसान हो रहा है और 21 दिन से जो व्यक्ति बेकार बैठे हुए हैं तो आप अनुमान लगाइये कि इस महंगाई के युग में किस प्रकार से वे अपना जीवन-निर्वाह कर रहे होंगे। उस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें, इसका दिन आज ही नियत कर दें।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : मैं केवल इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : कह दी।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : जो आपने नहीं कही वह कहना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : यह कोई जरूरी नहीं है। इट इज नाट नेसेसरी दैट एवरी बोडी शुड से आपने कह दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उसमें नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : आप इनको ब्रीफ कर देते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक मिनिट में, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव पर व्यवस्था के बाद में बोलने की इजाजत देता हूं तो एक आदमी बोल ले लेकिन 3-3 4-4 आदमी बोलने लगें तो यह बहुत ही बेजा बात है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक मिनिट में कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मैं मान लूंगा लेकिन आप मेरी बात मानेंगे या नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह कहना चाहूंगा कि एक श्रमिक नीति....

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत परम्परा होगी कि आपने जब एक विषय पर अपना निर्णय दे दिया इसके बाद में एक के बाद एक बोले तो यह तो बहस हो जायगी और आपके निर्णय का कोई मतलब नहीं रहेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह आपके....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री खेतसिंह : जब अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया और आपके नेता बोल लिये और फिर आप कहें कि एक मिनिट बोलने दिया जाय तो यह कौनसा तरीका है। आप लोगों को इतने साल हो गये....

श्री अध्यक्ष : मैं इसको समाप्त करता हूं। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

श्री मूलचन्द सामरिया : वहां पर मक्का पड़ी हुई है....

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर 90 टन मक्का पड़ी हुई है....

श्री हरिदेव जोशी : प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर सर।

कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। वहां पर सभी पार्टियों के रिप्रेजेन्टेटिव उपस्थित थे उन्होंने यह कहा था कि एक एक व्यक्ति बोल लें। उन सभी की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इसमें कम से कम समय लगाया जाये और सदन की डिबेट पर ज्यादा समय लगाया जायेगा। मैं समझता हूं कि जो आपके नेता महोदय ने आश्वासन दिया है उसका आप ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी पैदा नहीं होगी।

श्री मीठालाल : एक मिनिट....

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेण्ट मोशन है ?

श्री मीठालाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा को जो मक्का भेजी गई है, वह 90 टन भेजी गई है। वहां के एस० डी० एम० साहब आर्डर का इन्तजार कर रहे हैं। एस० डी० एम० साहब के पास मक्का तो भिजवा दी है

(श्री मीठालाल)
लेकिन क्या करना है, इसके लिये कोई आर्डर नहीं पहुँचा है। यह भी सुनने में आया है कि उस मक्का को उठवा कर किसी अन्य जगह भिजवाया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो अच्छा नहीं होगा। सरकार की गलती के कारण वह तकसीम नहीं की जा रही है। मेरा सरकार से यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : हर एक समय पर निवेदन नहीं होगा।

श्री मीठालाल : दूसरा निवेदन यह करना है कि यह आश्वासन दिया गया था कि पानी की जो व्यवस्था है वह कुछ दिनों चालू रखी और अब बन्द कर दी। अब गरमी आ रही है, और जनता को परेशानी होगी।

तीसरा निवेदन यह है कि सिंचाई के बारे में वहां के वाटर वर्क्स के जो ऑफिसर हैं उनका ट्रान्सफर भीलवाड़ा किया जा रहा है। जब कि वहां के ऑफिसर का किसी अन्य जगह किया जा रहा है। जब उनके बारे में कहा गया तो यह कहा गया कि उनको मूविंग रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि इतना लम्बा नहीं करें।

श्री विट्ठल भाई : अकाल के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक इण्टरनेशनल महत्त्व का स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : आपका रखा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : यू० एन० ओ० में भेज दें इण्टरनेशनल महत्त्व का है। (हंसी)....

श्री केदारनाथ शर्मा : यह हाउस जनता का है।

श्री अध्यक्ष : मैं इससे डिफर करता हूं।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन
कार्य सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद ।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करूंगी हमेशा बोलने के लिये पहले पुरुषों को ही समय दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि महिलाओं को भी प्रमुखता दी जाती है। रामानन्दजी अगर चाहें तो आपके बाद बोल लें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप बोल लें ।

श्री अध्यक्ष : आप के बाद इनको समय दे दिया जाये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is our partys attitude also ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर खेतसिंह जी....

श्री अध्यक्ष : एक बात और निवेदन करना है कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना है ।....

एक माननीय सदस्य : टाइम लिमिट कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : तो उसके लिए 7वें मिनिट पर घन्टी होगी और 10वें मिनिट पर भाषण समाप्त कर दें । जो पार्टी के नेता हैं 15 मिनिट पर घण्टी और 20 मिनिट पर समाप्त कर दें ।

श्री खेतसिंह : ठीक है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय 15 मिनिट तो मिलने ही चाहियें ।

श्रीमती निर्मला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो सदन में अभिभाषण दिया उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं क्योंकि आज हम जिस अकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं आज की स्थिति में उसे महा अकाल कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि हमारे 26 जिले हैं उनमें से 24 जिले अभावग्रस्त घोषित कर दिये तथा 1 करोड़ 33 लाख की जनसंख्या आज बहुत संकट से गुजर रही है। भूख से लोग मर गये हैं पर सरकारी कुछ रिकार्ड कहते हैं कि

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

भूख से नहीं, बीमारी से मृत्यु हुई है । मैं पूछना चाहती हूँ कि 25 वर्ष का आदमी किसी साधारण बीमारी से मरता है या दमें की बीमारी से तो चिकित्सा शास्त्री के लिये बहुत ही गम्भीर बात होगी । आज विश्व के प्रमुख चिकित्सा शास्त्री यह मानते हैं कि सभी बीमारियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध परोक्ष रूप से भूख से है। क्या भूख तथा बीमारी में अन्तर करने का कोई मापदन्ड है ? आज पश्चिम राजस्थान की स्थिति

(12-17 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अच्छी नहीं है । मैं उदयपुर डिविजन की बात करती हूं जहां पर अकाल की छाया भयंकर रूप से पड़ी हुई है । कई स्थानों पर खेरवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयपुर, चित्तौड़, राशमी, प्रतापगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ही परेशानी के साथ लोग गुजर रहे हैं । वैसे राजस्थान के लिये यह परिस्थिति नयी नहीं है । हर वर्ष एक या दो साल छोड़ने के बाद वही स्थिति आ जाती है । ऐसी स्थिति आखिर क्यों ? इसका कारण यह है कि हमारे राजस्थान की जो भूमि है वह बहुसंख्यक रूप से रेगिस्तानी है । इन 25 वर्षों में इसको सिंचित करने के लिये हमने कोई खास कार्य नहीं किया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर का उदाहरण दूं । वह भी रेगिस्तानी इलाका है । पर वहां मानव पुरुषार्थ द्वारा हराभरा कर दिया गया है। सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान को वहां भी ऐसा किया जा सकता है । यद्यपि राजस्थान कैनाल का कार्य 1958 में प्रारम्भ कर दिया गया है पर अभी तक पूरा नहीं हुआ । यह सौभाग्य की बात है कि हमने विश्व बैंक से ऋण लेने की बात की है। यदि इसी प्रकार कार्य हुआ तो मरुभूमि को हराभरा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त भी मरुभूमि को हराभरा करने की योजना कागजों में बनाई गई है । भूगर्भ स्थित जल का सर्वेक्षण किया गया, पेड़-पौधे लगाने की योजना बनी, विशालकाय उड़न टीबे हैं, उनको स्थिर किया जायेगा । क्या ही अच्छा होगा, यह कागजों से वास्तविकता में आ जाती । इससे सम्भवतः इस प्रकार की परिस्थितियों से हम छुटकारा पा सकते थे।

अकाल राहत के बहुत कार्य पिछले समय किये गये थे और इस वक्त भी अकाल राहत के कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं । परन्तु पिछला अनुभव हमें यह बताता है कि बहुतसे अकाल राहत के कार्य कागजों में हुए और उनका पैसा जेबों में गया । इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में इसके मैं आपको प्रमाण दे सकती हूँ कि सिंचाई विभाग के द्वारा कई प्रकार के कार्य कागजों में हुए और उनके झूठे बिल बनाये गये। उदाहरण के लिये गम्भीरी लेफ्ट कैनाल, राइट कैनाल, ओराई, इनके अतिरिक्त और भी कई स्थान हैं, मांगरोल, प्रतापगढ़ में गडोला टैंक–इन पर एक पैसा का भी काम नहीं हुआ लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा झूठे बिल बनाये गये । उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से मैं नम्र निवेदन करूंगी, इसकी पूरी-पूरी जांच कराई जानी चाहिये और ऐसे व्यक्तियों को, जो झूठे बिल

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

बनाने में प्रवीण हो गये हैं, तुरन्त बर्खास्त करना चाहिये वरना जनता को गाढ़ी कमाई का पैसा उन लोगों की जेबों के अन्दर ठूंसता रहेगा और नाम मात्र को अकाल राहत के कार्य होते रहेंगे।

हमारे प्रान्त की सत्तर प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। यद्यपि कृषि योग्य भूमि तो हमारे यहां बहुतसी है परन्तु पानी की कमी है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां पर फिर प्रवाही नदियों का अभाव है। कुछ प्रवाही नदियां हैं जिन पर बांध बना कर या एनीकट बना कर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। यद्यपि सरकार ने बहुतसा कार्य इस क्षेत्र में कराया है, इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगी परन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जैसे चित्तौड़गढ़ का आपके सामने मैं उदाहरण प्रस्तुत करूं। वहां पर गम्भीरी जो कैनाल है और ओराई कैनाल है, वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, परन्तु उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों की ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर देना चाहती हूं। सबसे पहली कमी तो यह है, वहां जो नहरें हैं वे कच्ची बनी हुई हैं। नहरें कच्ची बनी होने के कारण सीपेज ज्यादा होता है। उससे दो तरह का नुकसान होता है—एक तो पूरा का पूरा पानी कृषकों को नहीं मिल पाता है, दूसरा यह होता है कि भूमि में क्षार उत्पन्न होता है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। पानी गम्भीरी कैनाल में छोड़ा जाता है, उसके बन्द होते समय हजारों की संख्या में लोग मेरे पास आने लग जाते हैं, तो मैं समझ जाती हूं कि आज कैनाल बन्द हो गई है। लोग कहते हैं, हमारे गांव में सौ बीघा जमीन रह गई, कहीं दो सौ बीघा जमीन रह गई, कहीं चार सौ बीघा जमीन रह गई। इस प्रकार की बातें सुनते-सुनते मैं बहुत अधिक परेशान हो गई हूं। मेरा सिंचाई मन्त्री से पुरजोर निवेदन है कि नहरों को कम से कम पक्का कर दिया जाय ताकि कृषकों की इस समस्या का समाधान किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह कैनाल जब से बनी है तब से रोक कटिंग नहीं हुआ है। इसकी वजह से पानी की क्षमता बढ़ नहीं पाती है। इसके अलावा नहरें बनी हुई हैं, उनका स्लोप ठीक प्रकार का नहीं है, इस कारण बहुत अधिक पानी इधर उधर बिखरता है और एक दृष्टि से पानी का अपव्यय होता है। मैं समझती हूं कि एक बूंद पानी की भी कीमत है, परन्तु बहुत सारा पानी इधर उधर बिखरा हुआ आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कैचमेंट एरिया है, वहां पर कई वर्षों से सफाई नहीं की गई है। इस कारण जो पानी बह कर आता है उससे सारे के सारे कैचमेंट एरिया में कीचड़ और ऐसी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। इससे भी पानी का प्रवाह नहीं बढ़ पाता है इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए।

रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। यदि भूमिगत जल का विस्तृत से सर्वेक्षण किया जाय तो यह महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। सौभाग्य की बात है, लाठी और चांदना जैसे क्षेत्र में ट्यूबवैल बनाये गये हैं। लेकिन इसके साथ ही फाउन्टेन इरिगेशन,

(श्री निर्मला कुमारी)

फव्वारों के यंत्र से खेती की व्यवस्था की जा सके तो वहां की भूमि की दृष्टि से अच्छा होगा क्योंकि एक तो भूमि को समतल करने की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, दूसरे इससे कम पानी में भी अधिक सिंचाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मेड़ बनाने और नाली बनाने में भी जमीन अनावश्यक रूप से खराब नहीं होती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि वहां कृषकों को ऋण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के ऋण की व्यवस्था होगी तो सम्भव है कि इस स्थान को हराभरा देखा जा सकता है।

कृषि को सुचारु रूप से करने के लिए और अधिक उत्पादन करने के लिए रसायन खाद की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। परन्तु यह देखा जाता है, कई बार रसायन खाद के अभाव में अकाल नहीं होते हुए भी अकाल पैदा हो जाता है। मैं उदयपुर क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ के सम्बन्ध में निवेदन करूं, वहां पर रबी की फसल के लिए रसायन खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह सुना गया है कि चित्तौड़गढ़ के लिए जो कोटा मिलने वाला था, वह राजस्थान की सीमाओं में नहीं आया बल्कि उधर ही उसे काले बाजार में बेच दिया गया। इस प्रकार के जो कार्य हुए हैं इनकी पूरी पूरी जांच की जानी चाहिए।

रसायन उर्वरक की समस्या का सबसे सही समाधान तभी हो पायेगा जब रसायन खाद का कारखाना राजस्थान में डाला जाय। अब प्रश्न उठता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान वह हो सकता है, जहां इसकी कोरट आफ प्राडक्शन सबसे कम हो। इसके लिए मैं सोचती हूँ कि चित्तौड़गढ़ सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि पहली बात है, कारखाने के लिए पानी चाहिए। चित्तौड़गढ़ में इतना अच्छा कैचमेंट एरिया है, वहां पर बेड़च नदी पर घोसुंडा स्थान पर बांध बनाया जा सकता है और उस बांध से काफी पानी एकत्रित किया जा सकता है। यह पानी जितना खाद के कारखाने के लिये चाहिये उससे कहीं अधिक होगा। उससे खाद के रखकाने की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होगी बल्कि बहुत सारी जमीन को हराभरा किया जा सकता है और हरित क्रांति का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। खाद के कारखाने के लिए दूसरी सबसे आवश्यक चीज है, वह है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) राक फास्फेट। झामर-कोटड़ा स्थान है, वहां पर काफी मात्रा में राक फास्फेट उपलब्ध है और प्रतिदिन सात - सौ टन के करीब निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ में बहुत अधिक यातायात के सम्बन्ध में परेशानी नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा कार्य वहां किया जा सकता है। तीसरी बात यह है, रसायन खाद की खपत वहां अधिक हो जायगी क्योंकि वह नहरी एरिया है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस खाद को बाहर भेजने में यातायात के सम्बन्ध में परेशानी भी नहीं होगी। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पुरजोर प्रार्थना करूंगी कि खाद के कारखाने के लिए तकनीकी दृष्टि से चित्तौड़गढ़ ही श्रेष्ठ स्थान है। इसके लिए इसे चुना जाय तो सम्भव है, इससे हमें बहुत अधिक लाभ हो।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

कृषि की निर्भरता को भी कम किया जाना चाहिए क्योंकि कृषि पर निर्भर रहते रहते हम हर साल भुखमरी और बीमारी में से गुजरते हैं। ऐसी दृष्टि में डेयरी फार्मिग को प्रोत्साहन दिया जाय तो अत्यधिक उत्तम होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ने विचार व्यक्त किया है, कितनी ही अच्छी उर्वरक जमीन क्यों न हो एक हेक्टर जमीन से दो हजार से अधिक नहीं कमाया जा सकता है परन्तु डेयरी फार्मिग से 3000-4000 तक कमाया जा सकता है ऐसी स्थिति में डेयरी फार्मिग के लिए बहुत अधिक क्रियाशील होना चाहिए। सौभाग्य की बात है, तीन, डेयरी फार्मिग की व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा की जा रही है, परन्तु मैं यह निवेदन करूंगी, स्थान-स्थान पर हर कृषक को डेयरी फार्मिग के लिए सुविधा दी जाय तो बहुत अधिक उपयुक्त होगा। डेयरी फार्मिग के लिए चार बातें आवश्यक हैं, एक है प्रारम्भिक पूंजी, दूसरी है, सही निर्देशन, तीसरी है अच्छी नस्ल और चौथी है चारा इस प्रकार का कार्य प्रारंभिक रुप में किसानों को बैंक से लोन दिला कर, कर सकते हैं। अभी अभी प्रश्नोत्तर काल में यह सवाल आया था और जब हम यह देखते हैं कि बैंक से लोन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बैंक से लोन लेने में किसानों को सुविधा हो यह प्रयास किया जाना चाहिये।

निर्देशन के लिये स्थान स्थान पर निदेशालय खोले जाने चाहियें जिससे कृषक डेयरी के बारे में उचित निर्देश ले सकें। अच्छी नस्ल के बारे में ग्रामीणों को पता नहीं है। उन्हें इस बात से परिचित कराया जाना चाहिये। कौन-कौनसी अच्छी नस्लें है उसके बारे के कृषकों को गाइडेन्स देना चाहिये तभी जाकर हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे।

अच्छे चारे के लिये भी हमको प्रोत्साहन देना चाहिये। ऐसा घास होता है जिसकी तीन तीन, चार चार कटिंग होती है– जैसे बरसीम और जापानी तथा सूडानी घास, परन्तु इस ओर किसानों का ध्यान नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगी कि इस ओर उन्हें पूरी पूरी गाइडेन्स मिलनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोयले और लकड़ी के.......

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : जब माननीय सदस्य दूसरे पक्ष के ओर पुरुष वर्ग के बोलते हैं तो आसन की ओर से उन्हें काफी समय दिया जाता है लेकिन जब कोई महिला सदस्या बोलती है तो उनके ऊपर समय की पावन्दी लगाई जाती है। यह क्या न्याय है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो माननीय सदस्या बोल रही हैं उनको पूरा समय दिया जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उदारता बरतनी चाहिये। दस मिनिट की उदारता बरती जाये।

श्रीमती निर्मला कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह कहूंगी कि दोनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, यह हमारे लिये अधिक सराहनीय बात है,

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

क्योंकि इसके पूर्व 37 हजार 6 सौ 38 वर्ग-किलोमीटर क्षेत्र का ठेकेदार द्वारा निरंकुश रूप से तथा अवैज्ञानिक ढंग से कटाई की जाती थी और अब उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो यह एक अच्छी बात है। परन्तु इसके साथ-साथ और भी कई कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में कुछ कार्य हुआ है परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लकड़ी के खिलौने का उद्योग चल रहा है परन्तु इस उद्योग को भी सरकार और प्रोत्साहित कर सकती है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार को एक सुझाव दूंगी कि इन वनों के अन्दर सरकार के द्वारा शहतूत के पेड़ लगाये जायें तो अधिक उपयुक्त होगा। इन पेड़ों के लगाने से आर्द्रता बढ़ेगी और मानसून आयेगा। इनसे कई लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे। इस कुटीर उद्योग के माध्यम से कई बेकार लोगों को भी हम रोजगार दे सकेंगे।

टूरिस्ट इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिये जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बात कही गयी है वह वास्तव में सराहनीय है। चित्तौड़गढ़ में टूरिस्ट डाक बंगलो बनाया गया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर जो डाक बंगलो है वह साज सामान के अभाव में सूना है। वहां पर कोई टूरिस्ट नहीं है बल्कि ठंड से बचने के लिये कुत्ते वहां पर आश्रय लेते हैं। इसके साथ साथ मैं यह पूछना चाहूंगी कि यह जो शक्ति और भक्ति की ऐतिहासिक नगरी चित्तौड़गढ़ है, वहां पर टूरिस्ट्स के लिये और भी अधिक व्यवस्था की जा सकती है। गंभीरी नदी में टूरिस्ट लोगों को तोफा बिहार द्वारा आकर्षित करने के लिये और उनमें पर्यटन के साधन जुटाने के लिये एक ऐनीकट का कार्य दो-तीन साल पहले प्रारंभ किया गया था। कई हजार रुपया इस पर लग चुका है परन्तु अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यह कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा है। इस कार्य को पूरा कराया जाना चाहिये ताकि चित्तौड़गढ़ जो शक्ति और भक्ति की नगरी है उसको और अधिक आकर्षक बनाया जा सके और इससे अधिक विदेशी मुद्रा उपार्जित की जा सकती है।

ग्रामीण विद्युतिकरण के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उसका मैं स्वागत करती हूँ। यह सौभाग्य की बात है कि राणाप्रतापसागर परमाणु बिजलीघर के प्रारंभ हो जाने से काफी मात्रा में बिजली मिलने लगेगी। परन्तु राजस्थान का जो क्षेत्र है, दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र वहां पर न तो जल संकट है और न ही वहां पर अन्न संकट है, परन्तु वहां पर विद्युत संकट देखने को मिलता है। वहां पर कई घंटे के लिये विद्युत नहीं होती है ऐसी स्थिति में किसान उसका अधिक उपयोग नहीं कर पाता है। साथ ही साथ ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं जहां पर बिजली नहीं है। सरकार से मैं यह निवेदन करूंगी कि वहां के लोगों की इच्छाओं को पूरा किया जाये। लोग एक तरफ आकाश की ओर निहारते रहते हैं कि कब बादल आकर बरसा कर जाये। दूसरी ओर वे सरकार की ओर भी टकटकी लगाये बैठे हैं कि बिजली कब उन्हें मिल जाय। उनकी यह वाजिब मांग है। मैं आशा करूंगी कि राणाप्रतापसागर परमाणु बिजलीघर से मिलने वाली बिजली इन कृषकों को भी उपलब्ध हो सकेगी और उससे इन गांवों में भी हरित क्रान्ति का उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

इसके अतिरिक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया है उसका मैं स्वागत करती हूं। राज्य सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। एक और कदम सराहनीय है—शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। अगले वर्षों में पांच प्राथमिक पाठशालाओं पर एक माध्यमिक शाला चालू हो जायेगी। यह अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक करोड़ की धनराशि छात्रों को आकर्षित करने के लिये यूनिफार्म के रूप में और पुस्तकों के रूप में भी दी गई है। यह सराहनीय कदम है। परन्तु मैं सरकार को यह कहना चाहती हूं कि जिस संख्यात्मक अनुपात में हम शिक्षा को बढ़ा रहे हैं यदि उसको गुणात्मक अनुपात में भी बढ़ाना शुरू कर दें तो कितना अच्छा होगा। आज हम विदेशी शिक्षा पद्धति को अपनाने में हिचकिचाते नहीं हैं। आज हम उन देशों की शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा पद्धति को तथा पाठ्यक्रम को अपना लेते हैं यह जानते हुए भी कि हमारी पाठशालाएं अधिकतर ऐसी हैं जहां पर कि एक ही अध्यापक है। एक अध्यापक है जिसको कुल 208.00 रुपया मासिक मिलता है। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति किस प्रकार से बच्चों को अध्ययन करा सकता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि एक व्यक्ति से बच्चों की रुचि कभी पैदा नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त उसके आय के साधन कितने कम हैं। उसे यह काम छोड़कर अपनी जीविका के लिये अन्य साधन जुटाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। कक्षा को कमरे में बिठाकर वे अन्य व्यवसाय के लिये चले जाते हैं। इस प्रकार के हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं कि कई ऐसे अध्यापक हैं जो प्राईमरी तक पढ़े हुए हैं, अनट्रेन्ड हैं। पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने यह बात कही थी उस समय मुझे एक माननीय सदस्य ने टोका था। परन्तु मैं आज फिर उनसे कहूंगी कि वे स्वयं जाकर देखें—मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मेरे अपने ही गांव में जहां मैं पैदा हुई हूं, ऐसा अनट्रेन्ड टीचर आप देख सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति से कैसे छात्र पढ़ सकते हैं। जो टीचर स्वयं चौथी कक्षा तक पढ़ा हो वह कैसे चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। इसकी आप कल्पना कीजिये। यह दुःख की बात है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिये हम इनको छोड़ देते हैं। इस प्रकार की कई समस्याएं आज हमको देखने को मिल रही हैं। आज हमने कई विदेशी सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम को अपना लिया है जिसमें कि प्रयोग आवश्यक है। एक टीचर वाले विभाग में, स्कूल में वह कहां पर प्रयोग कर पायेगा, कहां वह विद्यार्थियों को पढ़ायेगा। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम जो ये एक टीचर वाले स्कूल हैं उन स्कूलों में कम से कम दो टीचर शीघ्र ही कर देने चाहियें और इन टीचर का वेतनमान भी कम से कम इतना अवश्य होना चाहिये कि उन्हें रोजी रोटी के लिये, अपने बच्चों के उदर-पोषण के लिये इधर उधर नहीं ताकना पड़े। साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा प्रयोगात्मक होनी चाहिये। प्रयोगात्मक होगी तो बच्चे बहुत कुछ सीख सकेंगे, इस विषय में मैं कुछ

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

सुझाव देना चाहूँगी और वह यह है कि कृषि तथा उद्योग भी शिक्षा के प्रारम्भ से ही लागू कर दिया जाय तो यह काफी उपयोगी रहेगी । उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में तो यह कहावत चरितार्थ होती है "पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेकार" इसके अतिरिक्त आज हम यह कहते हैं कि आज की शिक्षा आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि आज हमारे यहां पर सैकड़ों इन्जीनियर्स, डॉक्टर्स बेकार बैठे हुए हैं बेचारे स्नातकों और स्नातकोत्तर लोगों का तो कहना ही क्या है । उनकी तो सेना ही खड़ी है । तो आज के विश्वविद्यालय और कॉलेजेज जो हैं वे सिर्फ शिक्षित बेकार पैदा करने के कारखाने ही रह गये हैं । आज हमें शिक्षा को उपयोगी बनाने की जरूरत है । अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो यह कहावत है कि "पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे बेकार" वह चरितार्थ हो जायेगी । आज पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है वो इधर उधर मारे मारे रोजगार की तलाश में घूमते फिरते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि फिर ऐसी शिक्षा से क्या लाभ ? इस प्रकार की शिक्षा शिक्षण संस्थाओं द्वारा देने से क्या फायदा ? अभी यहां जब श्रीमाली कमेटी आयी थी तो मेरा साक्षात्कार उनसे हुआ था । उन्होंने मुझे पूछा कि राजस्थान में कहां चौथा विश्वविद्यालय खोला जाय ? तो मैंने उनसे कहा कि राजस्थान में पहले ही तीन विश्वविद्यालय हैं जो ही काफी हैं अब चौथे विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है । इसका कारण यह है कि एक विश्वविद्यालय के खुलने में काफी धन की आवश्यकता होती है और काफी धन उसमें व्यय हो जाता है । एक विश्वविद्यालय का खर्चा 20 कॉलेजों के बराबर होता है । और इस प्रकार धन का अपव्यय होता है । एक विश्वविद्यालय न खोल कर अगर आप 20 वोकेशनल कॉलेजेज खोलें, 20 व्यावसायिक कॉलेजेज खोलें तो उसका काफी उपयोगिता होगी । अगर आज हम शिक्षा को व्यावसायिक नहीं बनायेंगे तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि इस शिक्षा का क्या फायदा ? आज कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उनके माता-पिता को अगर आप पूछेंगे तो उनमें से 99.9 परसेन्ट के बच्चों के माता-पिता यही कहेंगे कि हम हमारे बच्चों को कॉलेज में और विश्वविद्यालय में इसलिये भेजते हैं कि उन्हें अच्छी नौकरी मिले । तो इसका मतलब यह हुआ कि विश्वविद्यालय और कालेजेज जो हैं वे सिर्फ ज्ञान-पिपासा शान्त करने की जगह ही हुई । शिक्षा शास्त्री यह कहते हैं कि विश्वविद्यालय और कालेजेज हैं वे सिर्फ ज्ञान-पिपासा शान्त करने की जगह ही हैं, रोजगार देने वाले स्थान नहीं हैं । तो फिर आप विश्वविद्यालय या कालेजों के सामने बड़े-बड़े अक्षरों में यह लिख दें कि ये कालेजेज और विश्वविद्यालय जितने भी हैं वे सिर्फ ज्ञान-पिपासा शान्त करने की जगह ही हैं और रोजगार देने की जगह नहीं तो मैं समझती हूँ कि आज जो विद्यार्थी वहां पढ़ने आते हैं उनमें से 99.9 प्रतिशत विद्यार्थी वहां पर पढ़ने नहीं आयेंगे । वे रोजगार ही ढूढ़ेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें शिक्षा विद्यार्थियों को ऐसी देनी चाहिए जिससे कि आगे उनको रोजगार मिले । हमें शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

आवश्यकता हैं। हम पहले भी बहुत गलतियां कर चुके हैं अब हमें आगे के लिये फिर से वे ही गलतियां नहीं दोहरानी हैं। आज विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी भीड़ विद्यार्थियों की लगी रहती है और एक क्लास के स्थान पर भीड़ को एक टीचर किस प्रकार से पढ़ा सकता है यह बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आपसे पाठ्यक्रम के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। आज जो विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम है वह बहुत ही डिफेक्टिव है। मैं आपको एक उदाहरण जोधपुर विश्वविद्यालय का देना चाहती हूं कि वहां पर एक 'आधा गांव' नाम की पुस्तक जो बहुत ही खराब है, उसमें काफी गालियां और अश्लील शब्द हैं। जो पढ़ाने वाली महिलायें हैं उन्हें उसे पढ़ाने में बहुत ही शर्म आती है। मेरी वहां की प्राध्यापिकाए जो महिलायें हैं उनसे बातचीत हुई उन्होंने यह बताया। उन्हें पढ़ाते हुए शर्म महसूस होती है। तो आज इस प्रकार का जो डिफेक्टिव पाठ्यक्रम है उसे बदलना चाहिये...

(एक साथ दो सदस्य बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आप जल्दी ही समाप्त करें....

श्रीमती निर्मला कुमारी : मुझे एक-दो मिनट और बोलने दीजिये। मैं एक मिनट में और निवेदन करूंगी। अब मैं इसके अतिरिक्त परीक्षा प्रणाली के बारे में कहूंगी। आज यह बात आम देखने में आयी है कि परीक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है....

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो पुस्तक बतायी है उसका क्या नाम है जिसमें कि हमारे ग्रामीण समाज के लोगों के बारे में इतनी भद्दी बातें कही हैं इसको किसने लिखी है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : उस पुस्तक का नाम है 'आधा गांव' और वह पुस्तक शायद नामवरसिंह ने लिखी है।

एक माननीय सदस्य : नामवरसिंह ने नहीं लिखी है।

श्री शीशराम ओला : किसी ने लिखी हो। ऐसी पुस्तक जो हमारे ग्रामीण जनता के खिलाफ में लिखी हुई है उसे पाठ्यक्रम से तुरन्त हटा देनी चाहिये अगर उसमें किसी तरह की गालियां लिखी है तो....

श्रीमती निर्मलाकुमारी : मैं सही कह रही हूं, पुस्तक चाहे नामवरसिंह ने नहीं लिखी होगी मैंने पुस्तक को तो नहीं देखा है पर उसमें....

एक माननीय सदस्य : उसमें बहुत से अश्लील शब्द हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सबको हनुमान चालीसा पढ़ाओ।

श्री शीशराम ओला : मैं हनुमान चालीसा पढ़ाने की नहीं कहता। वो भी तो बहुत बहादुर थे....

एक माननीय सदस्य : मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह पुस्तक कैसे लागू हो गयी? आज ऐसी पुस्तकें पढ़कर हमारे बच्चों पर इसका कितना खराब असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि ऐसी पुस्तक की कोई उपयोगिता नहीं है।

Page No 44

(५५)

श्री मोहनलाल छंगाणी : 'आधा गांव' वास्तव में बहुत ही अश्लील है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : तो मैं निवेदन कर रही थी, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे देश में जो परीक्षा प्रणाली है वह दोषपूर्ण है। आज विद्यार्थी को परीक्षा में 10 प्रश्न पूछते हैं और उसमें से कोई पांच प्रश्न करने होते हैं। विद्यार्थी एक महीने पढ़कर या दस दिन पढ़कर पास हो सकता है। तो इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आज विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाय वह व्यावसायिक शिक्षा देने की जरूरत है। हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिसमें उनको ट्रेनिंग मिले। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को आर. ए. एस. और आई. ए. एस. की परीक्षा में बैठने के लिये कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है तो मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि ऐसी ट्रेनिंग दूसरे जाति के विद्यार्थियों को भी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था क्यों नहीं होती ? मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह ऐसी व्यवस्था करें। मैंने पिछले साल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त भी यह बात कही थी। आज हमें विद्यार्थियों को गाइडेन्स देने की जरूरत है। हमारे विद्यार्थियों को आज ऐसी गाइडेन्स नहीं मिलती है। आज अधिकांश विद्यार्थी इसलिये शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें गाइडेन्स नहीं मिलता। इसलिये हमें प्रान्तीय स्तर पर और जिला स्तर तथा विद्यालय स्तर पर ऐसे ट्रेनिंग सेन्टर खोलने चाहियें जिससे कि लोगों को गाइडेन्स मिले। जिससे कि आगे चलकर विद्यार्थियों को लाभ हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहकर जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को दो तीन बार पढ़ा और पढ़कर उस पर काफी विचार किया लेकिन बार बार पढ़ने के बावजूद भी मुझे उसमें कोई नई चीज नहीं मिली। मुझे उस अभिभाषण में कोई आशाजनक चिन्ह नहीं मिला। मैंने फिर भी उसको बार बार पढ़ा क्योंकि इस असेम्बली प्रारम्भ के कुछ दिन पूर्व राज्यपाल महोदय से एक किसी खास जगह पर कोई महानुभाव आये थे जो फोरेन ऐम्बेसेडर थे और अध्यक्ष महोदय ने उनके सम्मान में उन्हें पार्टी दी थी जिसमें मुझे भी बुलाया गया वहां पर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला उस वक्त उन्होंने मुझे बड़ी आशायें बन्धायी थी। उन्होंने कहा था कि अबकी बार आप मेरे भाषण में नयी चीज पायेंगे। तो मैं यह मान करके चला कि शायद कोई इस साल नयी बात आये चूंकि इस साल काफी गम्भीर स्थिति थी पिछले साल के बजाय तो मुझे काफी आशा बन्धी थी। मगर जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ तो यह देखने में आया कि वस्तुस्थिति वो ही रही जो कि पुराने परम्परागत तरीके से कहा जाता है। वे ही ट्रेडिशनल ढंग से सभी बातें उनके द्वारा कही गयीं। जो गम्भीरता स्थिति की थी वह नहीं रही। जो आशा थी कि कोई नया रास्ता, नया तरीका, नयी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व्यवस्था करने की कोशिश की जायेगी, यह उम्मीद थी वह नहीं रही। इस वर्ष के अभिभाषण से मुझे काफी निराशा हुई, क्योंकि इस वर्ष के भाषण में उन्होंने अपने पिछले वर्ष का मूल्याकंन करके उसका चित्रण रखने की कोशिश की गयी। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उस भाषण में जो वास्तविक स्थिति थी उसे ज्यों की त्यों नहीं रखी गयी। जो फैक्ट्स और फीगर्स थे उन्हें सही नहीं रखा गया और उसमें यह कोशिश की गयी कि जो फैक्ट्स और फीगर्स थे उन्हे उभारने के बजाय ढांकने की कोशिश की गयी और जो कामयाबियां थीं और जो नाकामयाबियां थीं उनका विश्लेषण अच्छी तरह नहीं किया गया और नाकामयाबियां क्या हुई उन्हें नहीं बतलाया गया। अगर नाकामयाबियों का अच्छी तरह विश्लेषण किया जाता तो हमें इसमें मदद मिलती कि ये नाकामयाबियां क्यों हुई। इसलिये पीछे का मूल्यांकन करते हैं।

इस दृष्टि से, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कहा गया है, पिछला वर्ष जो हम अन्त कर रहे हैं, उसमें जो कुछ भी करना चाहिये था कर सकते थे उसके बारे में चित्रण नहीं है। ईमानदारी से सही चित्रण नहीं है जो वास्तविकता के ऊपर आधारित हो जिससे कि आगे की दिशा का सही संकेत मिल सके। इसलिये मेरा यह मानना है कि इस अभिभाषण के द्वारा आगे की दिशा का निर्धारण करना है, आगे कार्यक्रम का निर्धारण करना है उस ओर स्पष्ट संकेत न होने से दिशा का निर्देशन न होने से यह अभिभाषण निराशा ही पैदा करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह किस लिये है? यह राज्यपाल का कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसिजर है जिसके अनुसार राज्य सरकार अपनी नीति और कार्यक्रम राज्यपाल महोदय के मुखारविन्द से घोषणा करती है।

मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण इतना निराशाजनक होने के कारण हमारी राज्य सरकार की स्वयम् की अपनी पार्टी द्वारा निर्धारित नीति में निष्ठा की कमी और स्वयम् में, अपनी पार्टी में, दल में, जनता में डेमोक्रेसी में आत्मविश्वास की कमी यह चीज़ स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है। आज यही कारण है पिछले 72 के चुनावों में जितना बड़ा मेसिव मैन्डेट इस सरकार को मिला जिसमें 145 सीटें इस सरकार को मिली ...

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : 148।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 145 आपको मिली और 4 हमें मिली। एक कार्यक्रम पर मिले। 145 सीटें उन व्यक्तियों की खूबी के लिये नहीं मिलीं बल्कि कुछ कार्यक्रम, कुछ नीतियों की घोषणा, कुछ चित्र हमने राजस्थान की जनता के सामने रखे, कुछ उम्मीदें राजस्थान की जनता के सामने रखी थी उस पर राजस्थान की जनता ने आगे होकर खुशी-खुशी अपना समर्थन दिया। वह कार्यक्रम क्या था? हमारा देश इस चुनाव के समय भी जबरदस्त मंहगाई और बेरोजगारी की ये दो समस्यायें क्रानिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डीजीज की तरह सारे भारतवर्ष को, हमारे राजस्थान को भी झकड़े हुए थी। अपने किन्हीं ठोस कार्यक्रमों की घोषणा की वजह से ही जनता में आत्म-विश्वास पैदा किया था और हमने वादा किया था कि असेम्बली में जाने का हमें मौका मिले तो हम उन समस्याओं की ओर तेजी के साथ ईमानदारी से जुटेंगे और उनको हल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन समस्याओं के साथ ही अकाल की समस्या अचानक हमारे प्रान्त पर और आ गयी। मोटे रूप से ये तीन समस्यायें हमारे सिर पर आ गयी हैं।

आज मुझे कहते हुए खेद होता है कि पिछले वर्ष भी जो कुछ हम कर पाये हैं, हम यह नहीं कह सकते कि हमने ईमानदारी से और निष्ठा से, उसी मुस्तैदी के साथ, उसी दिमागी तैयारी के साथ इन समस्याओं से जूझने की कोशिश की है या जो इस ओर हमारे कदम उठ सकते थे वे हमने उठाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के जरिये जो दिशा संकेत आपने किया है वह विश्वास हममें नहीं बंधा, आपके दल को भी वह विश्वास नहीं बंधा और हमारे दल को भी नहीं बंधा। राजस्थान की जनता ने आपको और हमको एक मेसिव मैन्डेट देकर भेजा था, उम्मीदें बढ़ायीं। यह बहुत बड़ा हमारा असेट था, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस बहुत बड़ी असेट को खोया है, उसको कमजोर किया है, उनके दिमाग में संदेह पैदा किया है। जब मैं यह कहता हूं कि सरकार में अपनी पार्टी के कार्यक्रम या उस कार्यक्रम जिसके प्रति उनका और हमारा दोनों का कमिटमेन्ट है, उसके प्रति निष्ठा की कमी है, जब मैं यह कहता हूं कि आत्मविश्वास की कमी है, उस समय यह मुद्दा नहीं है कि हम यह बात नहीं बता सकते, इस अभिभाषण में ऐसे कदम हैं जो अच्छे हैं, जो सराहनीय हैं, जिनको मैं वैलकम करूंगा। यह भी नहीं कहना चाहता कि सबके सब अच्छे ही हैं या सब के सब निराशाजनक हैं। लेकिन जो कुछ भी कदम उठाये गये हैं, साइन्टीफिकली एक कोहरेन्ट नीति के रूप में उठाये हुए कदम नहीं हैं। एक ही शब्द में कहूं यह गवर्नमेन्ट जिस तरीके इसकी पैदायश एडहॉक तरीके से हुई है चुनावों के पहले, उसी की आज भी शिकार है। और आज भी एडहॉक बेसिस पर चल रही है। कोई चीज पापुलर है, किसी न किसी रूप में करना चाहती है उसको करके पटक दिया, किसी का ऑर्डिनेन्स निकाल दिया, किसी की घोषणा कर दी, किसी के लिये प्रेस स्टेटमेन्ट दे दिया। उसके अमल करने की भी कोई नीयत है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो लिये जाने चाहिये थे क्या वे लिये गय, इनका आज अभाव मिलता है। एक सोच समझ, प्लान की तरह से प्रोग्रेसिव कदम के रूप में यह सरकार चलती तो, हमारे दल की यह मान्यता है कि, कितना ही बैक लॉग बैड एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से इकट्ठा हो गया हो, इरादे की लीडरशिप हो तो उन समस्याओं को हल करने के लिये बुलन्दी से आगे बढ़ सकती है और उन कदमों के रूप में आगे बढ़ सकती है जिसके लिये आम जनता ने मैसिव मैन्डेट दिया है और उनमें विश्वास पैदा होगा कि सरकार उनकी ओर आगे बढ रही है और वास्तव में आगे बढ़ी है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट अधिवेशन में राज्य सरकार ने एक कदम की, अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग लगाने की घोषणा की थी और इस सदन में उसका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हुआ इस सदन ने उस समय उसको एक्ट भी बना दिया। पास हो जाने के बाद एक वर्ष गुजरा उसने इस बात को साबित कर दिया है कि जो यह कहते थे वह केवल एक विन्डोड्रेसिंग की बात है। सीलिंग लागू करने की नियत नहीं। हमने अमेन्डमेन्ट भी रख दिया कि ट्रान्सफर्स हो रही है उनको इल्लीगल करार दे दो। राजा लोग प्रोपर्टीज़ को बेच रहे हैं। बूंदी, बीकानेर के महाराजा ने बेच दी। जोधपुर बेचने में लगा हुआ है। हमने अमेन्डमेन्ट पेश किया लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। एक वर्ष तक लगातार बिकती रही तो अब ओर्डिनेंस लाये हो। अब आप आर्डिनेन्स लाये हैं तो इसका मकसद क्य है? अगर इसके पीछे सही नीयत थी तो उसी समय तमाम लूप हाल्स को उसी समय से बन्द करने की कोशिश होनी चाहिये थी।

आज भी अरबन प्रोपर्टी सीलिंग एक्ट बनने से पहले आपने लूपहोल्स रोकने का प्रावधान नहीं किया। लोग जब जैसा चाहेंगे वैसा हेराफेरी इसमें भी करेंगे और जब तक अवसर आवेगा तब तक कुछ रहेगा ही नहीं। तो इन कानूनों के बनाने के पीछे आपकी नीयत साफ नहीं दिखती।

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कही यह ठीक है। अरबन सीलिंग से आप प्रोपर्टी का डिस्ट्रिब्यूशन करना चाहते हैं, गरीबी हटाओ के नारे को अगर वास्तव में आप मूर्त रूप देना चाहते हैं यह नीयत आपकी दिखती नहीं। कहीं आपके कदम आपके कथन से उल्टे पड़ते हैं। इन सब कामों के करने के पीछे केवल एक नीयत आपकी दिखती है कि लोगों को कहीं कहने का मौका नहीं मिले। काम वैसे आप उल्टे करते हैं। इससे आम जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। मेरा खयाल है आप स्वयं इस स्थिति को स्वीकार करेंगे।

आज जो अकाल, महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं हैं। अकाल की समस्या के बारे में डिटेल में मेरे अन्य माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं उनके अतिरिक्त अलग अलग जगह की स्थिति का चित्रण करने में सदन का मैं समय नहीं लूंगा। पर यह हम सभी मानते हैं कि स्थिति बहुत भयंकर है। और मैं समझता हूं कि इससे किसी को इन्कार नहीं है। अभी तक उस भयंकर स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में हम नहीं हो पाये हैं क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं और जहां से साधन मिलने चाहियें वहां से मिल नहीं पाये हैं। अब वे क्यों नहीं मिले? आपको वे हासिल करने चाहिये थे। आपको केन्द्र के पास जाना चाहिये था। अब केन्द्र ने मदद क्यों नहीं दी? इसका भी कारण है जो स्पष्ट है। हमने अपना दायित्व पहले ईमानदारी से नहीं निभाया। 68 में जो अकाल राजस्थान में पड़ा उसमें सरकारी पैसे में भयंकर घोटाला हुआ। सदन में इसका जिक्र काफी हो चुका है। अब हमारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो है उसमें भी इसका जिक्र आया है, तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नेचरली भारत सरकार को इस बार भी संकोच हुआ। आखिर यह धन हमारा राष्ट्रीय धन है। इसका दुरुपयोग न हो देखना केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों दोनों का कर्त्तव्य है। यह केन्द्र की ही चिन्ता नहीं है, हमारी भी चिन्ता होनी चाहिये।

मुख्य मन्त्रीजी इस सरकार का नया चेप्टर खोलने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने बेईमान लोगों के कारण राजस्थान के शासन के माथे में जो कलंक का टीका लगा उसको इनको धोने का प्रयास करना चाहिये। इस मामले में जो भी दोषी हों चाहे वे उच्च से उच्च पदाधिकारी रहे हैं, या सरकार के अन्य कर्मचारी नेता रहे हों. या मन्त्री रहे हों कोई भी रहा हो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये थी, ताकि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों और केन्द्र की दृष्टि में हम अपने को इस लायक साबित कर सकें कि हम राष्ट्रीय धन को राष्ट्रीय धन मानते हैं और उसको सही राष्ट्रीय कार्यों के लिये ही उपयोग करना चाहते हैं।

हमारी सरकार उस कार्य को करने में असफल रही। उस तरफ कदम नहीं उठाये। तो इस कारण यह सन्देह पैदा होना लाजिमी था केन्द्रीय शासन की नजरों में कि कहीं अबकी बार भी इसी तरह से राष्ट्रीय धन का कहीं दुरुपयोग न हो जाय। वे ही चीजें खरीदी जावेंगी, वे ही ट्रक खरीदे जावेंगे वे ही रेस्ट हाउसेज बनेंगे, सर्किट हाउसेज बनेंगे। बिना सड़कें बने ही पेमेन्ट किया जावेगा, बोगस पे-शीट और मस्टर रोल बनेंगे। यह सब नेचरल हैं सोचना उनका।

इतना होने पर भी यह अच्छा नहीं लगता कि राज्य सरकार के ऊपर वह राज्य सरकार जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई है, आई. ए. एस. अफसर सुपरवाइजर बनकर आवें। कान्स्टीट्यूशनल तरीके से मैं समझता हूं, यह दुरुस्त नहीं है। केन्द्रीय सरकार अध्ययन टोली भेजें, हमें ऐतराज नहीं। एम. पीज को भेजें, मिनिस्टरों को भेजें' यह समझ में आता है पर कुछ आई. ए. एस. लोगों को भेजना यह कहां तक उचित है। वे लोग यहां आते हैं, बंगलों में बैठकर ब्युरोक्रैटिक तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं, जनता के बीच वे जाते नहीं, जनता के दुःखदर्द वे समझते नहीं। वे क्या अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि करे और ये आई. ए. एस. अफसर डाक बंगलों में बैठकर अपनी रिपोर्ट दे दें। यह जनतन्त्र की बहुत बड़ी मखौल है, विडम्बना है।

यह जनतन्त्र की एक पद्धति का सवाल है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का सवाल है। केन्द्र को कांग्रेस दल की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, चीफ मिनिस्टर की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, यहां के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। पर जब वह अध्ययन दल आकर कह देता है कि भयंकर अकाल है, तब जाकर प्रधानमन्त्री कह रही हैं कि हां आज राजस्थान में भयंकर अकाल है। अब अकाल माना जा रहा है। पहले जब तक जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, मन्त्री, मुख्यमन्त्री कहते रहे तब तक अकाल नहीं माना। अब माना जा रहा है जब उन आई. ए. एस. अधिकारियों ने कह दिया। पहले नहीं माना। पहले उनके द्वारा गलत अनुमान लगाने से, जनता में

Page No 49

(49)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनके नहीं जाने से लाखों करोड़ों इन्सानों का, मवेशियों का जो नुकसान हुआ, जो इतने समय लोग भुखमरी के शिकार बनते चले गये, केन्द्र की मदद के अभाव में, उसकी जिम्मेदारी किस पर है। क्यों इन आई. ए. एस. अधिकारियों पर नहीं डाली जाती यह जिम्मेदारी ? इस अध्ययन टोली के खिलाफ केन्द्र ने क्या एक्शन लिया। यह मांग हमें केन्द्र से करनी चाहिये।

इस प्रकार की टोली भेजने के बजाय आप एम. पीज. की टोलियां भेजते किसी भी पार्टी के लोगों को भेज देते, हमें ऐतराज नहीं था। मिनिस्टरों को भेजते। यह वाजिब बात होती। वे जनता के बीच से आने वाले लोग हैं। जनता के दुख दर्द को सही रूप में समझ लेते।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार को अधिक सतर्क होकर चलना होगा। आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उससे तो और भी अधिक सतर्क होकर चलना चाहिये। सब प्रान्तों के साथ समानता का व्यवहार उसे करना चाहिये। खास तौर पर राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त के साथ खास तौर से इन्साफ का व्यवहार करना चाहिये। अगर नहीं करते हैं हम इस तरह से तो देश में वही शक्ति है जो तोड़-फोड़ करना चाहती है। देश के टुकड़े करना चाहती है। देश को चालीस से अधिक हिस्सों में बंटवाना चाहतो है। जिन्होंने स्टेटों के रिआर्गेनाइजेशन की बात कह भी दी है आज वे देश भर में लोग सक्रिय हैं। जनता के असन्तोष का नाजायज लाभ उठाने को वे कटिबद्ध हैं। उनका इन्टरेस्ट है देश को डिसइन्टीग्रेशन की तरफ ले जाने में। इसलिये हमें इस ओर से सावधान रहना है।

महाराष्ट्र में भी अकाल है मैंने वहां अपने साथियों से पूछा तो पता लगा वहां एक व्यक्ति को 8 किलो राशन सभी छोटे बड़ों को मिलता है। जो अन्न के मामले में डेफीसिट प्रोविन्स हैं, वहां यह स्थिति है और राजस्थान जो सरप्लस है, वहां ताज्जुब है मुझे कि वहां के प्रति व्यक्ति को चार किलो अनाज भी सरकार नहीं देना चाह रही है। यह कहां का इन्साफ है।

हम रीजनल भावनाओं के खिलाफ हैं। इस बात के भी खिलाफ हैं कि राजस्थान के बाहर अनाज नहीं जाने देना चाहिये। हिन्दुस्तान एक है। सारी दुनिया को हम एक मानते हैं। जहां कहीं भी व्यक्ति अगर भूखा मरता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिये। पर यह गलत तरीके का इन्साफ है और यह क्षेत्रीयता को पनपाने वाली बात है कि जब राजस्थान स्वयं अकाल की भयंकर चपेट में है, तब यहां का अनाज राजस्थान से बाहर भेज दिया गया। अब यह कहां, कैसे हुआ, किसके जरिये हुआ इस बात पर गम्भीरता से विचार करने और कार्यवाही करने की जरूरत है। लोग आज आन्ध्र में तेलंगाना में विस्फोटक स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। हम इस प्रकार की गलतियां करके ऐसे तत्वों के हाथों में शक्ति दे रहे हैं। जो इस तरह की गलतियों का लाभ उठाकर देश को डिसइन्टीग्रेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। देश की प्रगति को रोक कर, देश को समृद्धि के रास्ते से हटाकर विनाश के पथ पर ले जाना चाहते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यही बात महंगाई के बारे में कहना चाहूँगा। चुनावों के दिनों में महंगाई का प्रश्न इतना उग्र नहीं था। फिर यह आज कैसे उग्र बना? क्या इसको रोकने के लिये हमने वे सारे कदम उठाये जो ईमानदारी से हमें उठाने चाहिये थे? क्या हमने जिस तरह से प्रोक्योरमेन्ट अनाज का करना चाहिये था, वह किया? क्या हमने जिस तरह का सख्त रुख जमाखोरों के खिलाफ उठाना चाहिये था, उठाया? आज सरकार कह रही है, जब पानी उनके सिर पर से गुजर गया, कि इतना क्विन्टल अनाज एक व्यापारी के पास रहना चाहिये।

मैं खुद मुख्यमन्त्री से मिला। मैंने कहा आपके पास भारत रक्षा कानून की शक्ति है। आॅल इण्डिया पॉलिसी बेशक इस बारे में कोई भी न हो, आप इसकी चिन्ता न करें। लेकिन राजस्थान में डिफेन्स आॅफ इण्डिया एक्ट के तहत जिन लोगों के पास भी शहरों में या गांवों में एक निश्चित मात्रा से अधिक अनाज है तो उस पर कब्जा कर लें और जनता में बंटवा दें।

आज जनता को तीन किलो दे रहे हैं, दो किलो दे रहे हैं। आज अनाज मौजूद है। यह 150) रु० क्विन्टल कहां से आता है। आखिर कहीं न कहीं तो स्टॉक है। उस स्टॉक को क्यों नहीं जब्त कर लेते हैं। राजस्थान का तमाम तबका, राजस्थान का श्रमिक, राजस्थान का कर्मचारी-मजदूर मांग कर रहा है उनको दीजिये। उनके खिलाफ कदम नहीं उठा रहे हैं। कोई समस्या को हल करने के लिये आपके कदम नहीं और जो इस बारे में ज्ञापन लेकर जायें उन पर लाठी चलायें। मुझे खेद है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बड़े-बड़े काम के लिये मैसिव मेन्डेट मिला है। ये सामाजिक शक्ति की मांग करते हैं। उन तत्वों के खिलाफ मांग करनी चाहिये जो तबका इस स्थिति का जिम्मेदार है।

यह तबका सामन्तवादी है, बड़े-बड़े इजारेदार हैं। इस तरह के होल्डिंग्स करने वाले हैं, जो जमीनों के बड़े मालिक हैं या बड़े-बड़े सौदागर हैं आज उन तबकों से लड़ाई लेनी है। चाहे लैन्ड का सीलिंग करें चाहे टीनेन्सी बिल को पास करें चाहे मांग करें कि अनाज का थोक व्यापार हाथ में लें चाहे बसों के राष्ट्रीयकरण की तरफ आगे बढ़ें। मैं समझता हूं आपको यह समझकर चलना चाहिये कि इन निहित स्वार्थों से आप लड़ाई मोल ले रहे हैं। आप लैन्ड रिफार्म्स और लैन्ड लार्ड्स के जरिये दुश्मनी करवाना चाहते हैं। आज आप ब्लेक मार्केटियर्स को कान्फीडेन्स में लेकर चलना चाहते हैं। आप बसों के मालिक, दलाल या एजेन्टों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप दोनों तबकों को साथ में नहीं ले सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा आपको चूज करना होगा, 72 के चुनावों में आपने चूज किया है और घोषणा के मुताबिक चूज किया है इसलिये हमारी पार्टी आपके साथ आई है इस सारे सामन्तवाद को समाप्त करें। ब्लेक मार्केटियर्स के खिलाफ एक्शन लें और राष्ट्रीयकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे, किसानों को कान्फीडेन्स में लेंगे, उनको शासन का अंग बनायेंगे और इसी कारण लोगों ने मैसिव मेन्डेट दिया। आज आपके दुश्मन सरकार में बैठे हैं, आज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपके दुश्मन नौकरशाही में बैठे हैं, आज आपके दुश्मन जूडिशियरी में बैठे हैं। जगह जगह पर आपके दुश्मन बैठे हैं। यह वर्ग संघर्ष है, वर्गीय लड़ाई है। आप ब्यूरोक्रेसी के जरिये समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं इस सदन में आवाज है। आप नौकरशाही के जरिये समाजवाद लाना चाहते हैं। आप सोचें बुनियादी गलती कहां है, वह यह है कि हाकिज्म की बात करते हैं। आप वास्तविक नीति की निष्ठा के जरिये नहीं कर रहे हैं। निष्ठा होती तो आपको मालूम होता कौनसी सोशियल फोर्स इसके हक में है और कौनसी सोशियल फोर्स इसके हक में नहीं है। इसका जायजा लगाकर जो सोशियल फोर्सेज हैं वह आप देखेंगे इसके हक में है। आज आप उस गरीब तबके को साथ में लें जो लैन्ड रिफार्म करना चाहते हैं, जो महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो राष्ट्रीयकरण की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आज उन तबकों को साथ में लीजिये।

आपकी प्लान अप्रोच में कहा गया है वर्किंग क्लास को प्रोडक्शन के अन्दर हिस्सेदार बनाना है, उनके अन्दर यह भावना क्रियेट करनी है कि यह मेरा है उसका फायदा मुझे होगा, यह प्लान में है। क्या आपने उस तरह का कदम उठाया है? क्या आपने इस दौरान उस तरफ के कोई कदम उठाये हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि इस दौरान में हड़तालें हुई हैं। राजस्थान नहर के कर्मचारी 50 दिन की हड़ताल पर रहे, खेतड़ी प्रोजैक्ट के कर्मचारियों की 45 दिन हड़ताल रही, ब्यावर के लक्ष्मी मिल में महीनों तक हड़ताल रही चित्तौड़ की सीमेन्ट फेक्टरी में हड़ताल रही उपाध्यक्ष महोदय, जो भी हड़तालें हुई हैं, एक्स्ट्रा आर्डिनरी लम्बी हड़तालें हुई हैं। लम्बी हड़तालें होने का क्या कारण है? अगर आप नीति के अनुसार उनको अपना दोस्त बनाकर इन मोनोपोलिस्टों के खिलाफ लड़ना आपकी नीति का एक अंग होता तो आप सेटिल करवाते और कहते नहीं, आपको करना पड़ेगा।

केरल में सरकार है। आप और हम उसके हिस्सेदार हैं वहां के मालिकों ने लॉक आउट कर दिया। 20 हजार मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। वहां की सरकार ने नोटिस देकर तमाम कारखानों को अपने हाथ में ले लिया और तमाम इन्डस्ट्रीज को अपने हाथ में लेकर चले हैं। वहां के जागीरदारों ने बगावत की। दो हजार बीघा जमीन पर न काश्त करे और न सरकार को करने दें। सरकार ने आर्डिनेन्स लाकर उस जमीन को अपने हाथ में ले लिया, उन मजदूरों का सहयोग लिया और आज शानदार फसलें उस दो हजार बीघा में खड़ी हुई हैं। आज केरल की सबसे बड़ी फसलों में उसकी गिनती है। यह श्रेय न कोई अच्युत मेनन को है और न कांग्रेस पार्टी को बल्कि श्रेय है तो उन मजदूरों को है जिनमें यह भावना पैदा हुई कि यह मेरी जमीन है इसमें मेरा नतीजा निकलेगा और इस तरह की भावना आने पर वह सफल हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से आपने अकाल के बारे में, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में सीरियस अटेम्प्ट्स इस दौरान नहीं किया। सवाल यह है कि इस राजस्थान में 55 प्रतिशत हिस्सा एक जबरदस्त डेजर्ट है। इतना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पिछड़ापन है, साधन कम हैं इस राजस्थान को हम किस प्रकार से समस्या हल करें, क्या ओरियन्टेशन दें, जिसमें राजस्थान माडर्नाइज हो सके। जो ट्रेडिशनल और परम्परागत तरीका है जिसको पिछले 23-24 वर्षों तक चलाया, वह खतम हो गया बल्कि उसने प्राबलम खड़ी करदी। आज जरूरत इस बात की थी कि इस राजस्थान में इतना बड़ा डेजर्ट है इस डेजर्ट पर कैसे काबू पाया जाय। अगर उसी रास्ते पर चलें कि कभी चारे का इन्तजाम कर लिया और चारे के डिपो बना लिये, पानी का इन्तजाम कर दिया तो हम यह मानकर चल रहे हैं कि किस्मत में यही लिखा था कि हम रूखे हैं और रूखे ही रहेंगे इसलिये मार्डनिज्म में विश्वास नही करते हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि आप साइन्स की प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। आप अपनी अक्ल पर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

आज दुनियां के मुल्कों में काफी डेजर्ट था वह दूर हुआ है। इजरायल ने डेजर्ट का मुकाबला किया है और डेजर्ट का मुकाबला गंगानगर जिले में किया है। गंगानगर हमारी मिसाल है, हमारा खुद का अचीवमेंट है। मैं समझता हूं इसको आसानी से हल किया जा सकता है। इसको डिटेल में समझता हूँ इसको असानी से हल किया जा सकता है। इसकी डिटेल में मौका आयेगा तो कहूँगा। मैं कहूंगा राजस्थान केनाल अपने आप में एक उदाहरण है जिसको एक वर्ष में लगन के साथ, कह दिया, युद्धस्तर पर इसको पूरा करना होगा, यह वह भी नहीं कर पाये हैं और इस बात का कहीं भाषण में जिक्र नहीं है और न संकेत है कि आगे भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं लैन्ड रिफार्म आपने किया, सीलिंग पास कर दिया, ऑर्डिनेन्स पास कर दिया सीलिंग में मुझे अफसोस है, यह वैलकम जरूर है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं सीलिंग बिल के नाम पर उपाध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग एक्ट नहीं है और ईमानदारी से देखा जाय तो यह सीलिंग एबोलिशन एक्ट है।

मैंने कहा था कि लैण्डलॉर्ड्स से आप लैण्ड रिफार्म्स की उम्मीद नहीं रख सकते और आज राजस्थान को रेवेन्यू मिनिस्टर-शिप आप एक लैन्डलार्ड के हाथ में रखकर आप उम्मीद करें कि राजस्थान में भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। यह अभिभाषण इस बात का सबूत है कि पिछला सीलिंग था उसमें राजस्थान सरकार ने खुद कहा है कि 16 लाख एकड़ जमीन मिलेगी, और अब जब केबिनेट डिसीजन के बाद राजस्व मंत्री ने पत्रकारों को यह बताया कि इस सीलिंग, से जो प्रपोज कर रहे हैं, केवल 3 लाख एकड़ भूमि मिलने की आशा है और उसको और गार्बःमें करने के लिए जो नया रूप दिया है उसके बारे में चुप है वह तीन लाख मिलेगी या नहीं वह सन्देहजनक है। यह मैं खुद नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मंत्री महोदय ने खुद ही पत्रकारों को कहा कि कह नहीं सकते कि कितनी जमीन मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आपका अमेन्डमेन्ट उद्देश्यहीन है। आपका परपज भूमिहीन लोगों को जमीन देने का है और जब आपको अन्दाजा ही नहीं है तो फिर आपका मकसद क्या है यह करने का? तो मैं समझता हूं कि आपमें निष्ठा नहीं है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा खाद्यान्न के थोक व्यापार को हाथ में लेने की बात के बारे में। निश्चितरूप से हमारे दल इस बात के लिए संघर्ष कितने ही अर्से से कर रहा है कि हम तो सारे खाद्यान्न का व्यापार सरकार के हाथ में चाहते हैं बल्कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उन सब के थोक व्यापार को सरकार के हाथ में चाहते हैं। आपकी केन्द्रीय सरकार और आपकी पार्टी ने केवल गेहूं और चावल के थोक व्यापार को हाथ लेने की बात कही। मैं उसका भी स्वागत करता हूं लेकिन आपके अभिभाषण से या आपके रोजमर्रा के बोलने से ऐसा लगता है कि कोई न कोई बहाना लेकर आप इससे निकलना चाहते हैं और आपकी गवर्नमेन्ट के स्पोक्समैन के नाम से "टाइम्स ऑफ इन्डिया" के अन्दर एक न्यूज आइटम छपा है। गवर्नमेन्ट स्पोक्समैन ने कहा है कि 30 करोड़ रुपयों का, गेहूँ के थोक व्यापार को हाथ में लेने से नुकसान होगा। 70 करोड़ रुपया इनवेस्टमेन्ट करना होगा। अगर केन्द्रीय सरकार इस ढंग से हमें रुपया दे दे और हर साल देने का वायदा करे तो हम ले सकते हैं। मतलब कन्डीशन पर कन्डीशन, कन्डीशन पर कन्डीशन। नीयत यह है कि किसी तरीके से अनप्रेक्टिकल की बुनियाद पर हम उससे निकल जायें। गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान ने कान्ट्रेडिक्ट उसको नहीं किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसी तरीके से जो बड़े-बड़े मानोपालिसिट्स हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में इन्डस्ट्रियल सैक्टर को बढ़ाने की बात है। राजस्थान में हम इस मामले में इतने पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे यहां इन्डस्ट्रीज ही नहीं है और खेती में हम सब लोगों को नहीं खपा सकते। राजस्थान सरकार ने खुद एक कमेटी से रिपोर्ट तैयार कराई थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद कहा कि चौथे प्लान में आप 127 करोड़ रुपये का नियोजन करें और 127 करोड़ रुपये का नियोजन करेंगे तो 1।। लाख नये रोजगार पैदा कर सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अब तक कितना कर पाये ? मेरा कहना है कि सरकार बोल्डली इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की तरफ नहीं जा रही है। मैं इस बात का दिशा संकेत चाहता हूँ। यह ठीक है कि सरकार एग्रीकल्चर को ले लें, पानी को ले लें लेकिन अदर एम्पलायमेन्ट का क्वेश्चन आप साल्व करना चाहते हैं तो बौल्डली, बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को आप राजस्थान में लाये बगैर एम्पलायमेन्ट की प्राब्लम को हल नहीं कर सकेंगे। मेरा निवेदन करना यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जरूरत इस बात की है कि राजस्थान में एक इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट बोर्ड बनाया जाये जो सीरियसली इस बात को सोचे कि राजस्थान के अन्दर जल्दी से जल्दी किस प्रकार से इन्डस्ट्रियेलाइजेशन हो सकता है और जो हमारी 75 या 78 परसेन्ट जनता कृषि पर आधारित है उसमें से कम से कम 35 परसेन्ट जनता को निकाल करके इन्डस्ट्रीज के अन्दर उनको रोजगार दे सकें–यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए इस दिशा में हमें आगे बढ़ना

Page No 54

(54)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिए। मुझे खेद है कि इस सरकार ने इस तरफ कोई काम नहीं किया। जहां तक सवाल पूंजीपतियों, इजारेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का था। यह बिजली जो चम्बल से पैदा होती है डी०सी०एम० को यह सरकार 3 नये पैसे फी यूनिट के हिसाब से लगातार देती चली जा रही है। इसके पीछे सारे राजस्थान के डवलपमेन्ट पर ताला लगा दिया है, एक ही इन्डस्ट्रियेलिस्ट को खुश करने के लिए। क्यों नहीं हमने एग्रीमेन्ट को नल एण्ड वायड किया? क्यों नहीं कैंसिल करके उस एनर्जी को रिलीज किया। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि यहां राजस्थान चैम्बर ग्रॉफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को पिछले मुख्य मंत्री महोदय ने अपना आफिस बनाने के लिए मिर्जा इस्माइल रोड पर, चौड़े रास्ते से निकलते ही दाहिने हाथ पर जमीन दी थी जिसकी कीमत 400 रुपया प्रति वर्ग गज है 1 रुपया साल के किराये पर, उसको दी हुई है और उपाध्यक्ष महोदय इसी सदन में सवाल उठा था कि इस तरीके से यह जमीन क्यों दे रहे हैं? उस समय कहा था कि सार्वजनिक हित के लिए दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा सार्वजनिक हित हो रहा है? पंजाब नेशनल बैंक को दो हजार रुपया माहवार के किराये पर दी हुई है। आपकी ही सरकार को इन्कम टैक्स की अपीलेट अथॉरिटी का दफ्तर बनाकर 2500 रुपया माहवार किराया का लिया जा रहा है। वहां एग्जीबीशन लगाई जा रही है और उससे किराया वसूल किया जा रहा है। यह समाजवादी सरकार की कल्पना है कि पूंजीपतियों और इजारेदारों को एक रुपया साल के किराये पर जमीन सरकार दे दें और फिर वही इजारेदार उसी सरकार से, छोटे से कमरे के 2500 रुपया माहवार किराया वसूल करे, पंजाब नेशनल बैंक से 2000 रुपया वसूल करे—मैं मांग करना चाहता हूं कि यदि इस सरकार को निष्ठा है तो उस एग्रीमेन्ट को इमीडियेटली स्क्रैप कर दिया जाये, उन्होंने उस एग्रीमेन्ट का वायोलेट किया है और मेरा तो कहना है कि उस बिल्डिंग को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक को जरूरत है तो उसको दे दीजिए, इनकम टैक्स ऑफिस को जरूरत हैं तो उसको दे दीजिए। सरकार उसको अपने इस्तेमाल में लाये। क्या जरूरत है उस पर राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ठप्पा लगा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से सरकार जो एक्शन लेना चाहती थी, उस एक्शन को लेने में भी सरकार की कमी रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है। जो सरकार की यह घोषणा हैं यह वस्तुस्थिति से बहुत परे है। आपकी माथुर कमेटी की घोषणा है उससे भी परे है। आज तो मजदूरों ने हिन्दुस्तान के पैमाने पर इकट्ठा होकर 200 रुपया नेशनल मिनिमम वेज की मांग की है। उस स्तर से आप देखिये कि आप कहां खड़े हैं। 100 रु० अनस्किल्ड लेबर के लिए बिलकुल इनसफीशियेन्ट है। माथुर कमेटी ने कहा था कि सेन्ट परसेन्ट डी०ए० का यूटीलाईजेशन करना चाहिए—उसके हिसाब से भी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने कुछ अच्छे कदम भी उठाये हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगा जैसे कि लोकआयुक्त और उप लोक-आयुक्त की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नियुक्ति की बात है। इसकी डिटेल में तो जब यह आयेगा तब जाऊंगा लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह एक सही दिशा में कदम है। इसी तरीके से अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग से ऊपर की जमीन को बेचने से पीनल बनाया है। इस आर्डीनेन्स का मैं स्वागत करता हूँ लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वही सीलिंग अगर जमीन का है और जमीन से ऊपर वाली बेचे तो उसको पीनल क्यों नहीं बनाया जाये। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब उसको एग्री नहीं करें। यू. पी. ने इस तरह का आर्डीनेंस रूरल और अरबन पर लागू किया है। क्या नीयत है आपकी, क्या आप एक्शन लेना चाहते हैं ? जो चोरी से जमीनें बेच रहे हैं क्या आप उनके खिलाफ सख्ती से बर्ताव करना चाहते हैं ? इसलिए मैं कहता हूं कि यह एडहॉक किस्म की गवर्नमेंट है। नीतियों में सामंजस्य नहीं है, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, कोई कोहरेंस नहीं है। जहां कहीं किसी का प्रेसर पड़ा, उसको कर दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं चाहे तो उसको रोक दिया इस तरह से इस सरकार के काम चल रहे हैं।

इसी तरीके से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बने यह स्वागत योग्य कदम है। बहरहाल किस किस्म का यह आएगा, जब सामने आएगा तब कह सकेंगे।

इसी तरह से प्लानिंग बोर्ड की बात कही है। प्लानिंग बोर्ड होना चाहिए, यह व्यवस्था भी उचित है, लेकिन प्लानिंग बोर्ड वास्तव में प्लानिंग बोर्ड हो। यह मेंटल एक्सरसाईज का अखाड़ा नहीं हो जावे। सीनियर एक्सपर्टस इसमें रहे जो सीरियली इस काम को करें तो मैं समझता हूं कि यह उपयोगी हो सकता है।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस सरकार को जिसको इतना बड़ा, 145 का बहुमत मिला आज यह बड़ी एनोमोलस पोजीशन है। आज यह सरकार, जिसको डेमोक्रेसी को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए था, जिसको एक्सटेंड करना चाहिए, आज बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ उल्टे कदम ले रही है। आज इतने बड़े बहुमत के बाद, 145 का बहुमत होने पर भी, यह सरकार इस हाउस को बुलाने से डरती है। इस हाउस की मीटिंग एक साल तक नहीं बुलाई जाती है। जिन किसानों के सहयोग को लेने की जरूरत होनी चाहिए, पंचायत इलेक्शन कराने चाहिएं, अपनी खुद की पार्टी मीटिंग तक बुलाने से सरकार डरती है और आज तो कंसल्टेटिव कमेटीज जो बनाई गई है, की मीटिंग बुलाने से सरकार डरती है। अपोजीशन पार्टीज के लोगों को इम्पोर्टेन्ट मसलों पर कोंफिडेंस में लिया जाय, अपनी पार्टी के लोगों को इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्स पर कोंन्फिडेंस में लिया जाय, लेकिन उससे भी सरकार डरती है। उसका नतीजा यह है कि जहां डेमोक्रेसी को मजबूत होना चाहिए था वहां आपने अपनी शक्ति को आई. ए. एस. अफसरों तक सीमित करवा दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का यह रास्ता सही दिशा का नही है। यह रास्ता आपको आगे चल कर राजस्थान में मददगार नहीं होगा बल्कि जो असेट्स आपको इस तरीके के बहुमत से मिली है उसको आप बर्बाद कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहे हैं । इससे जनता के अन्दर उल्टा अविश्वास पैदा कर रहे हैं । मैं फिर उस बात को कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में इस प्रकार की शक्तियां हैं जो शायद आंध्र प्रदेश की तरह तोड़-फोड़ और डिसइंटिग्रेशन की तरफ देश को ले जाने की बात कहती है । भारतीय जनसंघ ने अभी कानपुर में अपने अधिवेशन में इस तरीके की अपनी एक सीक्रेट कमेटी बनाई और उस सीक्रेट कमेटी को आंध्र की सिचुएशन का अध्ययन करने के लिए भेजा और उस सीक्रेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि हिन्दुस्तान की जनता अब यह चाहती है कि 30-40 स्टेटों में हिन्दुस्तान को बांट दिया जाय और उसके अनुसार अब कानपुर के अन्दर उसकी स्कीम बन गई है । यह सही है कि आज जनता में असंतोष इसलिए नहीं है कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपको और हमको वोट देकर यहां भेजा है, हमको और आपको समर्थन दिया है । असंतोष है मंहगाई के कारण, असंतोष है बेरोजगारी के कारण और असंतोष है अकाल के कारण। हमारी और आपकी मान्यता यह है कि अकाल, महंगाई और बेरोजगारी की जिम्मेदारी यह मोनोपोलिस्ट्स पर है, इसके जिम्मेदार यह फ्यूडलिस्ट्स हैं, जिम्मेदार ब्लेक मार्केटियर और होर्डर्स हैं । और सही दिशा यह है कि इन मोनोपोलिस्ट के खिलाफ, इन फ्यूडलिस्ट्स, इन ब्लेक मार्केटि र्स और इन होर्डर्स के खिलाफ आओ आप और हम मिल कर किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को और मध्यम वर्ग को इकट्ठा करें, एकताबद्ध करें और जो सोशल लेजिस्लेशन, वह लेजिस्लेशन जो कसौटी है आपकी और हमारी, और जो हम बनाना चाहते हैं, जिसको हम लागू करना चाहते हैं, उनकी ममद से, उनके सहयोग से उनके हिस्सेदारी से उसको लागू करें । जो सहयोग आपको मिला है उसको आप इस महंगाई के खिलाफ इस्तेमाल की जिए, देश के इन दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए, जनता को साथ लीजिए । लेकिन आप यह नहीं करेंगे । जो आपको मदद देना चाहते हैं, आप सोशल ओब्जैक्टिव, जो सोशल फोर्सेज आपको, इसमें सहयोगी हो सकती हैं उनके सहयोग लेने के बजाय आप उन पर लाठी चार्ज करते हैं । इसका मतलब यह है कि वही पुरानी नीति, 1969 के पहले की नीति ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अभी एक मिनिट में समाप्त करता हूं । 1969 के पहले की नीति को अपना कर हम शासन के अन्दर येन-केन प्रकारेण रहना चाहते हैं बजाय आम जनता का सहयोग प्राप्त करने, किसानों और मजदूरों के सहयोग से समस्याओं का समाधान करने से आप उसकी पुरानी परिपाटी पर चलना चाहते हैं । जो सांठ-गांठ करके गड़बड़ करें उनका सहयोग लेना, राजाओं और जागीरदारों के झगड़ों को बढ़ावें और उनमें गुटबाजी करा कर एक गुट का इस्तेमाल दूसरे गुट के खिलाफ करें । इसलिये मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी चले गये हैं, कि यह राजस्थान का परखा हुआ रास्ता है । पुराने मुख्य मंत्रीजी उनके कितनी भी अपनी अच्छाइयां और बुराइयां रही हो लेकिन पोलिटिकली यह चीज थी और वही उनको यहां से ले गई । यह चीज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थी जिसने राजस्थान में इस तरह की स्थिति पैदा करदी। जो नवीनता की उम्मीद आपसे की जाती थी, जो नये रूप की उम्मीद आपसे की जाती थी, आपके प्रशासन से उम्मीद की जाती थी, आपसे यह उम्मीद की जाती थी कि यह जो मोनोपोलीसिस्ट्स है, जो फ्यूडलिस्ट्स हैं उनको रियायतें, कंसेशन देने की बात नहीं करेंगे और आप जनता से सहयोग लेते हुए स्ट्रगल का रास्ता, लड़ाई का रास्ता अपनायेंगे और राजस्थान में डेमोक्रेसी को आगे बढायेंगे। लेकिन मुझे खेद है कि मुझे इस व्यवस्था से भी निराशा हुई है। आपके कार्यकलाप में भी यह देखने को नहीं मिल रही है। आप के पार्टी के सेट अप में भी वह दिखाई नहीं दे रही है। आपने खींवसर के जागीरदार को कांग्रेस का महामंत्री बना दिया है। इस तरह से वह दिशा नहीं है जिस ओर आप जाना चाहते हैं। आप भी उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जिस पर आपके पुराने प्रेडीसेसर इस राजस्थान में चलते आए हैं।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा इन तमाम शक्तियों के साथ जो आज आप इस सदन में बैठे हैं तो हमारी जनता के सामने जो अकाल, मंहगाई और बेरोजगारी की समस्यायें हैं उसके लिये हम आप सब मिल कर साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, एक निश्चित कार्यक्रम जनता के सामने रखें और किसान, मजदूर और बीच के तबके के लोगों का सहयोग लेकर आगे बढें, तभी हम निश्चित रूप से सही दिशा निर्दिष्ट कर सकेंगे और राजस्थान को हम इन समस्याओं से निकाल कर आगे बढ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री **विट्ठलभाई** (पीपलखूंट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय का भाषण पढा और उससे मुझे मालूम हुआ कि इस भाषण में ज्यादातर अकाल की स्थिति का जिक्र है और बात भी सही है। आज राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। अकाल इस साल तो भयंकर है ही लेकिन राजस्थान में अकाल कोई इस साल ही पड़ा हो ऐसी बात नहीं है। पहले भी अकाल पड़ते आये हैं और यह जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार की है कि इस अकाल की समस्या का हल करें, लेकिन हमने किया क्या अब तक। 23 साल में कांग्रेस की हुकूमत रही और एक ही पार्टी राज करती आई है और यह उन्हीं की जिम्मेदारी थी। जो पार्टी राज करती आई है, इस अकाल की समस्या का स्थायी हल करने की जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि सरकार ने अकाल के समय, जब-जब अकाल पड़ा, हम लोग चिल्लाये कि स्थायी समस्या हल करो, गांवों में तालाब बांधों, बहते हुए पानी को रोको गहरे कुए खुदवाओ, पातालतोड़ कुएं खोदो, लेकिन आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। कहीं थोड़े बहुत बड़े-बड़े बांधों को स्कीमें की और भारत सरकार से पैसा लिया और कुछ जिलों में काम किया। बाकी आज ऐसे जिले हैं, जहां से

(श्री विट्ठल भाई)

मैं आया हूं, आप देखेंगे कि 40 माईल तक एक छोटासा तालाव भी नजर नहीं आएगा। यहां से निकलेंगे तो 40 मील तक एक तालाव भी नजर नहीं आएगा, छोटा सा तालाव तक नजर नहीं आएगा छुटपुट कुए हैं और कई कुए ऐसे हैं कि किसी में पानी है और किसी में नहीं है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह एक पहाड़ी इलाका है। ऐसे छोटे-छोटे तालाव वहां पर हजारों वन सकते हैं। हर गांव में वन सकते हैं। हमने हमारी राज्य सरकार को कहा है, जिले में कहा है लेकिन अभी तक एक भी तालाव नहीं बांधा गया है फिर कहते हैं कि आदिवासी और हरिजनों की प्रगति करने जा रहे हैं। आज आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है? यहां आज शहरों में क्या देख रहे हैं क्या शहरों में बिजली नहीं है, क्या शहर में नल नहीं है। क्या शहर के अन्दर स्कूल, कॉलेज नहीं है? शहरों के अन्दर आये दिन कॉलेज खुलते रहते हैं लेकिन आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर न तो कहीं पर तालाब हैं न कहीं पर बिजली है, न किसी गांव के अन्दर हायर सैकेन्डरी तो दूर प्राईमरी स्कूल भी नहीं है तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने खाली समाजवाद का नारा लगाया है। आज भी समाजवाद का नारा लगा रहे हैं। आप समाजवाद लाना चाहते हैं, कब तक लायेंगे? 23 सालों में एक रती भर भी आप समाजवाद नहीं लाये हैं। इसमें आप असफल रहे हैं यह आरोप मैं लगाता हूं। 23 सालों के अन्दर आपने जो यह नारा लगाया है वह झूठा नारा था, कोई सच्चा नारा नहीं था। सच्चा नारा होता तो आज आदिवासी और हरिजनों की यह हालत नहीं होती, अगर आप साल भर में एक गांव में एक तालाब ही बांधते तो 23 साल के अन्दर 23 बांध वन जाते और इन 23 गांवों की जनता को अकाल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। परन्तु आपने यह नहीं किया। हर गांव वाले आज मजदूरी चाहते हैं। हर परिवार आज मजदूरी चाहता है। आप कहते हैं इतना पैसा नहीं है। आज आपके पास में पैसा नहीं है और आपने मजदूरी की व्यवस्था नहीं की तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। आप कहते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को आगे ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं बताइये। अकाल के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। हम लोग विधान सभा में चिल्लाते रहे, जिला कमेटियों में चिल्लाते रहे कि यह पैसा विकास के काम में खर्च करो, तालाब, एनीकट, छोटे-छोटे बांधों पर खर्च करो। धूला डालने में मत लगाओ। तालाब के काम में लगाओ परन्तु धूला डालने का काम पर लगा दिया बरसात आई और वह धूला बह गया। इस प्रकार हमारा करोड़ों रुपया खर्च हो गया। सरकार का पैसा सरकारी नौकर खा गये। हो सकता है कुछ नेता भी खा गये हों लेकिन वह पैसा बेकार खर्च हुआ है। करीबन 40 करोड़ रुपया 1967 में खर्च हो गया राजस्थान में और उस काम का आज नामोनिशान भी नहीं है। इससे कितना काम हो सकता था इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। तो मैं आज भी कहना चाहता हूं अकाल पड़ गया है इसके लिये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप भी जिन्दा

(श्री विट्ठल भाई)

नही रहेंगे। जनता मरेगी लेकिन आपको भी मरना पड़ेगा। इसलिये यह तो आपको मजबूर होकर व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन आगे भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी काम हो, जो काम आपने खोले हैं उन कामों को स्थायी रूप से चाहे वह तालाब हो, चाहे ऐनीकट हो, वह काम सही ढंग से होना चाहिये ताकि पानी रुके और काश्तकारों को पानी मिले तब तक ठीक है। अगर पहली वाली नीति अपनाई तो मुश्किल होगा। तो आप असफल हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिये मैं अकालराहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि मजदूरी खोल रखी है परन्तु वह एक मंत्री के लिये है आपको जनवरी में मजदूरी खोल देना चाहिये था कम से कम 25 परसेन्ट मजदूर काम करते तब ठीक था। फरवरी में 50 परसेन्ट और मार्च में 75 परसेन्ट और अप्रेल में सेन्ट परसेन्ट यह आप कर देते तो लोग जिन्दा रह सकते थे। लेकिन अब क्या है। मैं यहा पर बांसवाड़ा जिले की बात करूंगा। हमारे यहां पर देखते हैं कि सरकारी कोई सड़क जो पी. डब्ल्यू. डी. की चल रही है वहां पर सौ मजदूर रखने का ऑर्डर है और पांच सौ आदमी मजदूरी के लिये वहां आकर बैठते हैं और उनको वहां पर लगाया नही जाता है। दूसरी सड़कों का काम थोड़ा चल रहा हैं वहां पर भी सौ पचास मजदूर रखे जाते हैं और मजदूरों को नहीं लगाया जाता है। वे शाम को वापिस घर जाते हैं, भूखे ही सो जाते हैं तो यह हमारे बांसवाड़े जिले की हालत चल रही है। आज हम यहां पर कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं आज अकालराहत मंत्रीजी स्वयं जाकर बांसवाड़ा जिले को देखें तो आप ताज्जुब करेंगे कि आदिवासियों कि क्या हालत हो रही है उन पर क्या बीत रही है। आपका उधर का दौरा होना चाहिये, यहां खाली हमारे जोशीजी के भरोसे पर मत रहिये। वह तो पक्षपात करते आये हैं और करते रहेंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस जिले का दौरा अवश्य करें और देखें कि क्या हालत है, उन लोगों को मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है। उनके साथ क्या किया जा रहा है। यह आपको सोचना चाहिये। खाली आप सत्ता में रह कर पक्षपात की नीति अपनाते रहे तो पूरा काम नहीं हो पायगा। जो भी करना है करें ताकि जनता जिन्दा रहे वरना जनता मर जायगी। आप भी यहां पर कह देते हैं कि वर्क हो रहे हैं। परन्तु कहां हो रहे हैं? कब होंगे जब जनता मर जायगी यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप समय पर मजदूरी खोलेंगे, सस्ते अनाज की दुकानें खोलेंगे तो इस साल जनता जिन्दा रह जायगी वरना नहीं रहेगी। लोग मर रहे हैं यह मैं कह सकता हूं हमारे जनसंघ के नेता महोदय ने भीलवाड़ा जिले की तरफ की कुछ लोगों के मरने की बात इस सदन में कही थी परन्तु उस पर हमारे साथी हंसने लगे कि यह झूठ बोलते हैं। यह गलत बात है। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह कहा था कि जो तथ्य बताया जा रहा है वह गलत है।

श्री विट्ठलभाई : मैं आपसे एक बात

(श्री विट्ठल भाई)

कहूंगा। बांसवाड़ा जिले में भी एक आदमी भूख से मरा है। मैं उसका नाम बताता हूं। चाहे तो आप इसकी जांच कर लो। कुशलगढ़ क्षेत्र में ग्राम बेगले में रूकमा पिता हेमाजी तारीख 14-1-72 को भूख की मौत मरा है। यह आदिवासी था। भूख से मरने की बात कहने पर मुझे कोई मजा नहीं आता है। दुःख होता है। हम सदन में झूठ बोलने के लिये नहीं आये हैं। यह एक आदमी मरा है। ऐसे कई भूख से मरने वाले हैं। अगर आपने एक हफ्ते के अन्दर मजदूरी नहीं दी तो, मजदूरी देने की कोई व्यवस्था नहीं की तो कई व्यक्ति मर जायेंगे। जो मजदूरी आप दे रहे हैं वह नाकाफी है। लोग पंचायतों पर जाते हैं और बिना मजदूरी किये लौट आते हैं, भूखे लौटकर सो जाते हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस जिले में मजदूरी खोलने की कौशिश करें। यह बात सारे राजस्थान के लिये भी कहूंगा। राजस्थान में जहां भी अकाल है वहां पर जल्दी से जल्दी मजदूरी खोलने की कोशिश करें। मजदूर फालतू नहीं रहना चहिये। हरेक को मजदूरी मिलनी चाहिये। दूसरे जो छुटपुट काम चलते हैं वहां पर औजार किसी को नहीं दिये जाते हैं। न तो गेंती दी जाती है, न फावड़ा दिया जाता है और न तगारी दी जाती है। इन लोगों को कहा जाता है कि यह सब तुम्हारे घर से लाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक मजदूर, जो अकाल से पीड़ित है, और भूख से पीड़ित है, वह मजदूरी को जाता है, फावड़ा, गेंती, तगारी एक परिवार लाता है तो वह 25 रुपये से कम में नहीं आयेगा। अब इसके पास पच्चीस रुपया होगा नहीं और वह मजदूरी लगेगा नहीं और फिर वह जिन्दा नहीं रहेगा। इसको भी आप सोच लें, इसलिये मैं आपसे, अकाल मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहां भी आप काम खोलें वहां पर औजार देने का कष्ट करें। अगर औजार नहीं देंगे तो सब के पास औजार नहीं है तो वह काम पर नहीं लग सकेंगे।

दूसरी बात, जहां आपके काम खोले जाते हैं वह कम से कम 3 या 4 मील के एरिया में ही खुलने चाहिए ताकि वह शाम को आकर अपने घरों पर ही सोयें। ऐसे कई काम खोले जाते हैं जो 10-15 मील पर होते हैं और मजदूरी पर लोग जाते हैं तो वे वहीं पर पड़े रहते हैं। पीछे उनके घरबार सूने होते हैं तो मवेशी उनके होते हैं उनको दूसरे लोग उठा ले जाते हैं, क्योंकि अकाल का मौका है। तंगड़-मंगड़ तो है नहीं काश्तकार लोग हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 3-4 मील के एरिया में ही मजदूरी के काम खुलने चाहिए चाहे छोटा खोलें या बड़ा खोलें, लेकिन मजदूरी के लिए इतना ही फासला होना चाहिए।

यह तो मैंने अकाल के साथ में मजदूरी के लिए आपसे निवेदन किया, और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चुकारा जो है वह 15-15, 20-20 दिन में होता है और कभी-कभी तो महीना भी निकल जाता है। भूखा आदमी मजदूरी के लिए जाता है तो वह तो रोज लाता है और रोज खाता है। तो कम से कम एक हफ्ते में उसका चुकारा होना चाहिये। अगर एक हफ्ते में न हो तो कम से कम 10-12

(श्री विट्ठल भाई)

दिन में तो हो ही जाना चाहिए। नहीं तो वह जिन्दा नहीं रह सकता है, क्योंकि जिस आदमी के पास में एक टाइम का अनाज नहीं है वह आदमी एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक मजदूरी कैसे करेगा और कैसे वह जिन्दा रहेगा। भूखा आदमी एक दिन काम कर सकता है, मुश्किल से दो दिन काम कर सकता है। 15-20 दिन तक वह भूखे पेट काम नहीं कर सकता है। इसलिए आपकी व्यवस्था में बड़ी भारी कमी है। कम से कम तुकारा एक हफ्ते में होना चाहिए। अगर यह होगा तब तो वह जिन्दा रहेगा।

यह तो मैंने अकाल के विषय में कहा। अब अनाज के विषय में, खाद्यान्न के विषय में बोलूंगा। अनाज आपके पास में है भी नहीं शायद, और मंगाया है तो अभी आया है कि नहीं यह मैं नहीं कह सकता यह तो आप कहेंगे, लेकिन आज हमारे बांसवाड़े जिले की बात मैं कहूं कि एक महीने पहले एक दूकान पर एक ट्रक मक्की का दिया। उसको दिये आज एक महीने का समय हो गया है। वह खुल गई है लेकिन किसी भी दूकान को आज तक अनाज नहीं मिला। एक दुकान पर कम से कम 2-2½ हजार कूपन होते हैं। वहां एक किलो भी एक परिवार को नहीं मिला। बहुत से लोग वापस चले गये। आज तक मक्की नहीं आई। अनाज बाजार में मिलता नहीं। बाजार में जाते हैं तो किसी बनिये के पास में, अनाज है तो वह डेढ़ रुपये किलो में भी मक्की नहीं बताता है। यह हालत हमारे इधर है। तो कम से कम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह सस्ते अनाज की दुकाने पंचायतवार खोली जायं। एक तो अभी न्याय पंचायत के बीच में यानी तीन पंचायतों के बीच में खोलने का तै किया है। हमारा क्षेत्र बिखरा हुआ है, एक गांव यहां है तो दूसरा वहां है। कम से कम एक पंचायत में एक दुकान खोलना चाहिए और हफ्तेवार अनाज मिलना चाहिए और महीने भर का पूरा अनाज मिलना चाहिए। अगर यह व्यवस्था नहीं की गई और मजदूरी खोलदी और मजदूरी खोलने के बाद में पैसा आपका मिला तो वह पैसा बनिये के पास जायेगा तो एक हफ्ते के नाज के बजाय चार दिन का भी नाज उसको नहीं मिलेगा। दोनों व्यवस्थाएं आपको साथ-साथ करनी पड़ेंगी। अगर ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं कीं तो एक के करने से मकसद पूरा नहीं हो पायेगा। नाज के लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मजदूरी की व्यवस्था नहीं की तो वे अपने बैल और जमीन बेच देंगे लेकिन नाज नहीं मिलेगा तो इन्सान मर जायेंगे। इसलिए आप नाज दुकानों पर दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था करें। मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मैं आशा करता हूं कि वह करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो यह जो लोग इक्के-दुक्के मर रहे हैं वह तो मर ही रहे हैं लेकिन एक महीने बाद आप हालत देख लेना। बुरी हालत हो जायगी और हजारों की तादाद में लोगों के मरने की खबर आयेगी। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त यह आपके और हमारे बस का रोग नहीं रहेगा। उस वक्त न मालूम क्या हवा फैलेगी। लोग लूटपाट कर सकते हैं, लोग मारामारी कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। सरकार ही उसको नहीं सम्हाल पायेगी और हम लोग भी कुछ नहीं कर पायेंगे। लोग हमको भी मारेंगे और आपको भी मारेंगे, और

(श्री विट्ठल भाई)
सरकार की कोई परवाह नहीं करेगा। अगर इसकी व्यवस्था होगी तो कुछ होने वाला नहीं है लेकिन अगर यह व्यवस्था नहीं हो पाई तो निश्चित यह होगा, क्यों कि भूखा इन्सान सब कुछ कर सकता है ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : बुभुक्षितं किं न करोति पापम्।

श्री विट्ठल भाई : ये दोनों चीजें मैंने कह दीं।

हमारे राज्यपाल महोदय ने माही डेम के विषय में कहा कि गुजरात और राजस्थान की सम्मिलित योजना में माही बान्ध बान्धा जा रहा है, और काम चालू है। वहां पर बांसवाड़ा जिले और डूंगरपुर जिले के बीच में इधर तो गुजरात ने कडाना बान्ध का काम शुरु कर दिया और दूसरी तरफ माही बान्ध का काम 10 साल से जोरों से चल रहा है। तो करीब 100 गांव तो इधर गढ़ी की साइड में जाते हैं बागीडोरा की तरफ और 109 और कुछ गांव हमारे बांसवाड़े के इधर के क्षेत्र में जाते हैं। बीच का हिस्सा थोड़ासा रह जाता है यह माही बान्ध जो बान्धा जा रहा है उससे थोड़े से हिस्से में बांसवाड़े में पानी मिला बाकी सब फायदा गुजरात को है, क्योंकि कडाना बान्ध से गढ़ी और बागीडोरा का हिस्सा डूब में जा रहा है और कुछ डूंगरपुर का जा रहा है और इधर माही बान्ध से पीपलखूंट का सारा हिस्सा डूब में जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार की क्या नीति है वह मैं आज नहीं कह सकता। आपकी कुछ भी नीति हो और जो लोग डूब में जा रहे हैं उनके लिए सरकार ने आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि सरकार की नीति यह है कि वह गुजरात को पानी दे और गुजरात से जो पैसा आये उसमें से हम भी खायें। और यहां पर जो वरसों से आदिवासी, वनवासी हजारों सालों से यहां पर रहने वाले हैं उनको बेघरबार करके बाहर निकाल दें। (शेम, शेम) इसके सिवाय आपका कोई विचार नहीं है, क्योंकि जितना हिस्सा डूब में जा रहा है वह सारा आदिवासी हिस्सा है जो कि वहां पर वरसों से बसे हुए हैं जंगलों में और फायदा किस को होगा ? गुजरात को। गुजरात को आप फायदा दे रहे हैं। आदिवासी अर्जियां दे रहे हैं कि हम डूब में जा रहे हैं तो हमें जमीन दो लेकिन आज तक किसी की भी अर्जी मन्जूर नहीं की और एक इंच भी जमीन किसी को नहीं दी। जब सरकार से कहते हैं कि जमीन क्यों नहीं देते हो तो वह कहते हैं कि जमीन देने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुआवजा देने की हमारी जिम्मेदारी है। मुआवजा को क्या चाटें ? हम लोग काश्तकार हैं, हम लोगों को जमीने चाहिए। मुआवजा बाद में दें। लेकिन जमीन पहले दें इसके बाद बान्ध बनायें। लेकिन यह सरकार की नीति नहीं है, और हम इसलिए कहते हैं कि यह गलत नीति है। हमारे इलाके को तो उजाड रहे हैं और बाहर के इलाके को, गुजरात को हरा-भरा कर रहे हैं। गरीब आदिवासी जो वरसों से जंगलों में बसे हुए हैं उनको भगाना चाहते हैं और एक इंच जमीन नहीं देना चाहते हैं, और कहते हैं कि मुआवजा दे देंगे। मुआवजे का पैसा कितने दिन रहेगा ? एक महीना, दो महीना या साल

(श्री विट्ठल भाई)
भर। सालभर में उसको खा लेंगे, फिर कहां जायेंगे ? फिर आपके पास में मजदूरी मांगने आयेंगे। मजदूरी आप दे नहीं पायेंगे क्योंकि आपके यहां हर साल अकाल पड़ता है और हर साल बजट में घाटा रहता है। वे भिखारी बनकर कहां जायेंगे मांग खाने। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, माही बान्ध को, मेरा मतलब यह नहीं है कि बांध को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को जमीनें डूबने जा रही है, उनको जमीन दो। जिनकी जमीन डूब गई है, उनको मुआवजा दो। जमीन उसी जंगल में और पड़ोस में होनी चाहिए। यह नहीं कि आप बाड़मेर में भेज दें। हमारे आदिवासियों को आप वहां नहीं भेज देना।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, यह याद रखना।

श्री विट्ठलभाई : चित्तौड़ जिला है, वहां भेजिये। बांसवाड़ा में भेजिये। नहीं तो वहां के आदिवासी माही बांध के लिए आन्दोलन छेड़ेंगे, छेड़ेंगे, छेड़ेंगे। क्योंकि वह भूखा मरता हुआ है। उसकी आप सब व्यवस्था कीजिये। सारी जमीन की व्यवस्था कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन !

श्री नाथूराम (नागौडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीन दिन से नाम आ रहा है। मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है। यह पक्षपात तो नहीं होना चाहिए। कल और परसों भी दिया। हर माननीय सदस्य के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : समय मिलेगा।

श्री नाथूराम : समय कहां मिलेगा। तीन दिन से मेरा नाम है।

श्री फूलचन्द जैन : तो पहले आप बोल लीजिये।

श्री नाथूराम : क्या बोल लूं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण सदन के अन्दर दिया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस अभिभाषण को मैंने बहुत ही गम्भीरता से पढ़ा है। मुझे ऐसा लगा है कि राज्य सरकार ने एक वर्ष में जो कुछ किया है, उसका संक्षिप्त लेखाजोखा देने का प्रयास किया गया है। परन्तु जो परम्परा चली आ रही है उसके अन्तर्गत कुछ नीति सम्बन्धी, कुछ आशाओं के अनुरूप, जिसको कि राजस्थान जनता उत्सुकता से देख रही है, प्रतीक्षा कर रही है, उसको कुछ नयी रोशनी आयेगी, ऐसा मुझे नहीं लगा, इसका मुझे अफसोस है। अकाल के सम्बन्ध में यहां पर भी काफी चर्चा हुई। इसमें तो दो राय नहीं है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति बहुत ही भयंकर है। मैं उस स्थिति के विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। परन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार पर इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह इसकी अहमियत को समझते हुये, जो अन्याय राजस्थान की जनता के साथ हुआ है या किया गया है, उसकी पूर्ति करे। क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य देश के विभिन्न हिस्सों में भी अकाल की स्थिति है और हम देखते

(श्री फूलचन्द जैन)

हैं कि हमारे यहां की अकाल की स्थिति की गम्भीरता को महसूस करते हुये अभी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वास्तव में बहुत बड़ा दुःख होता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्रीजी इस बात की कितनी ही घोषणाऐं करें कि राजस्थान के किसी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने देंगे, परन्तु मुझे भय है, घोषणा एक तरफ की जाती रही है और जो कुछ करना है, उस पर गम्भीरता से तत्काल कदम नहीं उठाया गया तो राजस्थान की स्थिति बहुत विकट हो सकती है। घोषणाओं से राजस्थान की स्थिति को नहीं बचाया जा सकता है। मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि आई० ए० एस० के दलों को यहां किसी ने भेजा हो। जहां तक मैं कह सकता हूँ, अध्ययन दल ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है। तो राजस्थान की सरकार को यह भी कहना चाहिए कि क्यों नहीं किया गया है। दुबारा अध्ययन दल आया और आकर चला गया है। हम उसकी आशा लिये बैठे हैं। अभी तक हमारे सामने कोई नक्शा नहीं है। किस तरह से हम, अकाल का लम्बे समय तक, अगस्त-सितम्बर तक, मुकाबला कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये और सदन को विश्वास में लिया जाये ताकि सदन के सभी माननीय सदस्य पूरे कॉन्फिडेन्स के साथ में अकाल के कामों में जुट जायें और इस संकट से जनता को निकालने की कोशिश करें।

मैं इसके साथ में उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस भ्रष्टाचार की चर्चा पहले के अकाल राहत कार्यों में हुई है, उसको मैं प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम इस बात को कदापि बरदाश्त नहीं करेंगे कि उसकी पुनरावृत्ति इस बार के अकाल राहत कार्यों में हो। मैं जब इस बात की चर्चा करता हूं तो मेरे दिल में भय है कि बहुत कम धनराशि अभी हमें दी गई है। इसको हम खर्च कर रहे हैं परन्तु उसके अन्दर हमारा काम किस ढंग से चल सकेगा? हमारे मुख्यमंत्री ने बताया था कि काफी प्रिकाशन्स लिये हैं। इस बारे में डिपार्टमेन्टल को-आर्डिनेशन कितना है, यह तो अकाल राहत मंत्री या राजस्थान सरकार ही जाने, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, अगर भ्रष्टाचार अब की बार हुआ तो मैं जनता के अन्दर मिलूंगा, उसको डिफेण्ड करने के पक्ष में नहीं हूंगा।

जहां तक चुरू जिले की स्थिति है, अभी तक जितनी धनराशि जिलाधीश महोदय, ने वहां के अकालराहत कार्यों को चलाने के लिए बताई है, उससे जो कुछ नतीजा मेरे सामने आया है, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि अकालराहत कार्यों के अन्दर जितने गांव के अन्दर अकाल है और जहां-जहां पर अकालराहत के लिए लोगों को राहत पहुँचाने के कार्य किये जा रहे हैं वहां पर भेदभाव की नीति नहीं बरती जानी चाहिये क्योंकि हम चाहे राजनैतिक मंच पर कुछ भी करें परन्तु अकाल जैसी समस्या के समाधान के लिए या उससे निपटने के लिए यदि हम अपने दृष्टिकोण के अन्दर डिफरेन्स रखते हैं तो इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा और जो जनता को परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसका असर आप पर और हम पर भी पड़ेगा।

(श्री फूलचन्द जैन)

अकाल के साथ ही खाद्य समस्या के बारे में भी मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या विकट है यह हम जानते हैं और किस प्रकार से राज्य सरकार खाद्य समस्या से निपटने के लिए अपने प्रयास कर रही है उसकी जानकारी भी समय-समय पर हमको मिलती है। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि चालीस-चालीस, पचास-पचास हजार के कस्बे के अन्दर आज भी पांच सौ ग्राम आटा एक आदमी को एक महीने के अन्दर मिलता है और फिर हम यह कहें कि हम अकाल से किसी को नहीं मरने देंगे, तो किस प्रकार यह सारी बात समझ में आये, यह हमारी समझ में नहीं आता है। मैंने जिलाधीश महोदय को पूछा कि आप जरा यह बतायें कि कौनसे आदेश के तहत आप रतनगढ़ और सुजानगढ़ जैसे कस्बों में पांच-पांच सौ ग्राम आटा एक महीने में एक आदमी के पीछे देने की व्यवस्था कर रहे हैं ? तो उपाध्यक्ष महोदय मुझे कल की घटना याद आ गई, जब जनसंघ के विरोधी दल के नेता गुमानमल जी लोढ़ा ने यह कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अन्दर बैठे हुए थे और वहां पर हमारे सभी विधायक और मुख्य सचेतक महोदय भी बैठे हुए थे पर सब असहाय थे कि उस सम्बन्ध में अपने विचारों और स्थिति के अनुरूप निर्णय करवा सकें। मैंने यह सोचा कि इस सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया जाय कि वह किस प्रकार से लोगों को जिन्दा रखना चाहती है और उसके परिणाम देखे जायं परन्तु यह एक हकीकत है, जिसको आपके सामने यहां पर रखा गया है।

इसी तरह से हमारे इलाके में रेगिस्तानी इलाके के अन्दर अकाल जब पड़ता है तो पीने के पानी की समस्या भी वहां पर उठ खड़ी होती है। वहां ऐसी भयंकर स्थिति है कि वहां दो-दो, तीन-तीन मील से पीने का पानी लाकर लोग गुजारा करते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेयजल समस्या के बारे में जो कुछ भी अब तक राज्य सरकार ने किया, उसको भी मैंने सुना पढ़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हैरान हूं कि संख्याओं और आंकड़ों के जाल के अन्दर किस प्रकार हम उलझ जाते हैं। गांवों की संख्या हम दे सकते हैं कि इतने गांवों की पेयजल की समस्या का हमने समाधान किया परन्तु एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जिन गांवों के अन्दर आपने ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें शुरू की हैं उन गांवों के अन्दर कितने ऐसे गांव थे जहां पर मीठा पीने का पानी नहीं था और जहां पर पेय जल के लिए यही नहीं कि घर में नहीं मिले, बल्कि यह कि गांव में पानी नहीं है, ऐसे कितने गांवों को शामिल किया गया है ? उपाध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में मीठा पानी है, लोग वहां पर आराम से पानी पीते हैं और वहां पर आपने पाइप लाइन डाल कर कह दिया कि ग्रामीण जलप्रदाय योजना शुरू कर दी है, इससे इस संकट के अन्दर गुजारा नहीं हो सकता ऐसे इलाकों की स्थिति नहीं सुधारी जा सकती है, जहां पर वास्तव में लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं। इस योजना के अन्दर उन सब गांवों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां पर लोग पीने के पानी के लिए चिल्ला रहे हैं।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले की बात मैं आपसे कहूं। हमें

(श्री फूलचन्द जैन)

इस बात का गौरव है, जब यह कहा जाता है कि चूरू जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर पीने के पानी के संकट के निवारण के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। मैंने भी आश्चर्य से वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को पूछा, भाई यह करोड़ों रुपया कहां खर्च हो रहा है। तो मुझे मालूम हुआ, जिस तरह से हमारे जिलाधीश महोदय कहते हैं, चूरू जिले में अकाल है लेकिन चूरू जिले में विशेष अकाल तारानगर में हैं, सरदार शहर में है। इसी तरह से पौने दो करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपया तारानगर और सरदारशहर में खर्च हो रहा है। वहां पर खर्च हो–इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, परन्तु हमारे सामने, इतने गांवों की पेय-जल की समस्या का निराकरण कर दिया है, ये आंकड़े क्यों रखे जाते हैं? इतने नेताओं को संतुष्ट कर दिया–यह क्यों नहीं कहा जाता है? यह कहा जाना चाहिए कि इतने राजनैतिक नेताओं की जो आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति करके उनको संतुष्ट कर दिया है, बाकी को धीरे धीरे करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आदमी फेवर करता है, परन्तु वह फेवर ऐसा होना चाहिए जिसके अन्दर आम लोगों को ऐसी तकलीफ नहीं उठानी पड़े कि जिससे उनके नाम पर जो पानी बरस रहा है उसकी एक बूंद भी उनके मुंह में नहीं पड़ रही हो।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर और भी कई दिशाओं में, जो राज्य की प्रगति हुई है उसका लेखा जोखा दिया है। मैं मुख्यतः उन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सम्पदा कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े और जब मैं इस दृष्टिकोण से सोचता हूं तो या तो मैं यह देखता हूं कि हमारा किसान हमारे प्रदेश की जमीन से अधिक उत्पादन कैसे कर सकता है, या मैं यह सोचता हूं कि हमारी जो खनिज और दूसरी सम्पदा है, उसका उपयोग राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैसे कर सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्य समस्या का सवाल है, हमें इस बात को कहते हुए भी दुःख होता है कि एक तरफ जहां इतनी भयंकर खाद्य-समस्या हमारे सामने है, वहां पर दूसरी तरफ किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है, वहां पर दूसरी तरफ किसानों को अपने कुओं के अन्दर बिजली लेने के लिए विद्युत विभाग की आंख नहीं खुलती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें हैरानी होती है, जिस प्रकार राजस्थान के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में अभिभाषण में यह बताया गया कि लघु उद्योग के अन्दर इतनी हजार योजनाएं पंजीबद्ध की गई और इतने लाइसेन्स के लिए हमने भारत सरकार को लिखा। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जितनी लघु उद्योग की योजनायें आपने पंजीबद्ध कीं, उनमें से कितनों ने काम शुरू किया और जो पंजीबद्ध कीं उससे राजस्थान का उस क्षेत्र में कितना उत्पादन बढ़ा। सवाल यह पैदा होता है, जैसा मैंने यहां कहा, यह आंकड़ों का मायाजाल है, इसने हमारे दिमाग को उथल-पुथल कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य रामानन्द जी ने इस प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान के अन्दर इंडस्ट्रियल बोर्ड बनना चाहिए। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की बात हमारे सामने, सदन के अन्दर भी आई है।

(श्री फूलचन्द जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब तक इंडस्ट्रियल बोर्ड भी बना है, चाहे और दूसरी व्यवस्थायें भी हुई हैं, पर उससे हमारा मकसद है वह क्या हल हो सका है जब कि घूम फिर कर वे ही चेहरे, जो ऐसे बोर्ड बने, उनमें दिखाई देते हैं। आज हमारी नीति का प्रश्न है जिसको हमें यहां सोचना होगा। हम राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश के अन्दर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं-यह बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनकी सलाह पर राजस्थान का औद्योगीकरण करना चाहते हैं। यह सबसे विकट स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, जो देश के मोनोपोलिस्ट हैं वह सब जगह सब प्रान्तों के अन्दर चाहे इंडस्ट्रियल बोर्ड हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन से सम्बन्धित कोई कमेटियां हों, चाहे वित्त निगम हो, चाहे आर० आई० एम० डी० सी० हो, उनमें वे अपना दखल रखते हैं। वे कभी इस बात को पसन्द नहीं करते हैं कि छोटे उद्योगों का काम करने वाले और छोटे उद्योग लगाने वालों को कठिनाई नहीं हो। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे यहां पर जिस प्रकार से सामंजस्य के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए उस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात दूर है। अंत में मैं यह कह सकता हूँ कि जितनी बातें, जो कुछ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर कही गई हैं, असलियत यह है कि राजस्थान का इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस गति से होना चाहिए, जिस गति को पकड़ना चाहिए था वह गति पकड़ नहीं पाया है। उसके सम्बन्ध में विस्तार से कहने की आवश्यकता होगी। जब उद्योग की डिमाण्ड आयेगी उस समय मैं कहूंगा कि किस प्रकार हमारे यहां पर, जो कुछ हम चाहते हैं उसको हमें करने के लिये जो कुछ दिक्कतें हैं उनका समाधान करना नहीं चाहते हैं या करने के अन्दर असमर्थ हैं-इसका निर्णय हमें करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पंचायत राज के चुनावों के संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा कल हुई थी। मुझे अफसोस है कि हम बारबार घोषणायें करके सदन के अन्दर आश्वासन देकर ऐसे लचर आग्यूमेंट्स के आधार पर पंचायती राज के चुनावों को, जब इच्छा होती है, टाल देते हैं। मैं आपके मारफत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह राजस्थान, जिसने पंचायत राज की शुरुआत करने का श्रेय हिन्दुस्तान के अन्दर लिया, उस पंचायत राज को मिटाने का कलंक अपने पर न लें तो अच्छा है।

इसके अलावा कुछ और बातों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो राजस्थान में इस बात का बड़ा विवाद चलता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, दूसरी तरफ यह कहना कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। इसी तरह से आजकल एक नई बात और सुनने में मिलती है वह यह कि राजस्थान में खुराना साहब की गवर्नमेंट है। कल भी यहां पर जनसंघ के नेता ने कहा, मैं देख रहा था हमारी मंत्री-परिषद् के चहरों की तरफ। क्या उसमें से कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता था कि गलत है यह बात। खुराना साहब की गवर्नमेंट नहीं है, यह बरकत साहब की गवर्नमेंट है, जिसकी मंत्रिपरिषद् के हम सदस्य हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप ही कह दें।

श्री फूलचन्द जैन : अगर वास्तव में खुराना साहब राज करते हैं तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सारे चुने हुए नुमाइन्दों और मंत्रिपरिषद् को सबको अपनी बुद्धिमत्ता से अपने हाथ में ले लिया है और राजस्थान का शासन चला रहे हैं। नाम चाहे किसी का हो, करते वही हैं। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही इस बात पर चिंतन करने की भी आवश्यकता है और मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस स्थिति को सही मान लिया जाय कि शासन खुराना साहब करते हैं तो यह स्थिति क्यों पैदा हुई? हम नौकरशाही की आलोचना करते हैं, दोषारोपण करते हैं। बीच में काफी कुछ सिलसिला चला था परन्तु उसके बाद पिछले दिनों खास तौर से नौकरशाही के बारे में कुछ कहा जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सारी स्थिति पर गंभीरता से सोचकर कुछ नीति संबंधी निर्णय लेने होंगे जिससे जो ये सारी परिस्थितियां पैदा होती हैं उन पर सही दिशा, सही स्थिति राजस्थान के लोगों के सामने रख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पीछे से कोई कह रहा है कि आपकी राय क्या है? मैं कहना चाहता हूं हमारी राय क्या हो सकती है? एम. एल. ए. अगर बोलें तो पोलिटिकल इन्टरफीएरेन्स हो जाए। मान लीजिये अगर एम. एल. ए. की राय मानलें तो ऑफिसर की शामत आ जाय। उसके बाद कोई कहे कि नौकरशाही हावी हो रही है तो हम फिर यह न कहें कि हावी हो रही है। इसलिये हमारी राय जब आवश्यक होगी तभी कहना वाजिब होगा। अभी राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई यह सब क्या है? बरकत साहब की गवर्नमेन्ट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है और मंत्रिमंडल हमारा है। इस सारी स्थिति में यह कैसा कन्फ्यूजन? अगर वास्तव में हमारी प्रशासनिक मशीनरी इतनी दक्ष है कि उसने हम सब लोगों को काबू में किया हुआ है तो यह हमारे लिये सोचने की बात है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैजें खाली पड़ी हुई हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आप तो सुन रहे हैं। इसलिये जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिये क्योंकि जितनी भी चर्चायें और भाषण करते हैं दरअसल में दिक्कत यह पैदा हो गई कि जनता की तकलीफ अपनी जगह पर है। हम सिद्धान्त और नीति की बात करते हैं और जनता की तकलीफों का समाधान क्या है? उसके बीच में लटके हुए चल रहे हैं। हमारी सिद्धान्त और नीति की बातें बड़ी होती हैं। यहां पर रामानन्दजी ने कहा बड़ी-बड़ी आशायें थीं बरकत साहब आप ने बड़ी-बड़ी घोषणायें, कीं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्रीजी ने पिछले अर्से के अन्दर कई ऐसी नीति संबंधी महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, उनके लिये हमें गर्व है परन्तु अफसोस इस बात का है कि शायद उनको फुरसत नहीं मिलती है कि वह उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवायें या इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिये वह क्या करें? अगर उन नीतियों संबंधी

(श्री फूलचन्द जैन)

घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं की काफी कन्फ्यूजन और दूर हो काफी सही रास्ता हमें दिखाई दे सकता है। यह भी एक गंभीर खतरे की बात है कि हम घोषणायें करें और घोषणाएं कर के लोगों की भावनाओं को, आकांक्षाओं को, आशाओं को उभारें उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकले तो उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। असलियत एक दिन सामने आकर रहेगा, उसको कोई छिपा नहीं सकता।

इसी तरह से मैं अंत में सिर्फ कुछ मिनट यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर कई ऐसी चीजें सामने आती हैं जिन पर हमारा दृष्टिकोण हमारा काम करने का ढंग कैसा है, इस पर सारी बातें निर्भर करती है। आज समय आ गया है, अगर हम जनता को विश्वास में लेकर न चलें तो उससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहां पर सबसे पहले एम. एल. ए. से कहा जाता है कि आप लोग प्रशासन के अंदर न पड़ें। परंतु कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे यह जरूर सोचने को विवश होना पड़ता है कि आखिर निर्णय जो भी हो, वह तो मेरिट और न्याय पर हो। सुजानगढ़ में अपने आप बी. एस. टी. ट्रेनिंग स्कूल खोले जाने की स्वीकृति हुई, क्योंकि पहले भी यह स्कूल वहां चल रहा था, फिर खोले जाने की स्वीकृति देदी। दो चार दिन बाद पता नहीं अपने आप वहां से चल कर वह चूरू पहुँच कैसे गया? यह तो शिक्षा मंत्री बतादें। इसी तरह जब अलग अलग विभागीय मांगें आयेंगी तो उन पर ज्यादा समय लेना उचित और उपयोगी समझूंगा कि किस तरह से हमने आज जो अलग अलग विभाग हैं उनमें ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जिनसे यह नहीं समझ में आता कि आखिर किस आधार को मानकर हम जनता से क्या कहें इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यहां आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी नीति संबंधी जो घोषणायें करती हैं उनके इम्पलीमेन्टेशन के बारे में दृढ़ रहें और मन में पक्का संकल्प रख कर काम करें और उन घोषणाओं के इम्पलीमेन्टेशन के अन्दर, चाहे जितनी प्रशासनिक या और किसी प्रकार की दिक्कतें आये, फिर भी उन पर सख्ती से कदम उठायें और उनकी क्रियान्विति के लिये एक्शन लें। ऐसा करने से हम अच्छा प्रशासन राजस्थान की जनता को दे सकेंगे और राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ सकेगा। बस इतना ही कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी, श्री सुरेन्द्र व्यास !

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय राज्यपाल के अभिभाषण....

श्री नाथूराम (बागडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा नाम क्यों नहीं आया। मेरा-नाम सूची में दूसरे नम्बर पर था। चेयर को न्याय करना चाहिये। हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : चेयर को न्याय करना चाहिये, जबकि मेरा नम्बर लिस्ट में दूसरे नाम पर था पर मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जाता। मैं इसका फैसला चाहता हूं चेयर से। मेरे साथ न्याय किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो स्थान ग्रहण करें। मैं नम्रता से कह रहा हूं।

श्री नाथूराम : मैं भी आपको नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय। जितने सदस्य बोले हैं उसमें आदिवासी कितने बोले हैं यह मुझे आपसे पूछना है। और अगर हमें नहीं बोलने दिया जायेगा तो फिर आदिवासी लोगों के बारे में कौन बोलेगा। पार्टी में कोई न्याय नहीं हो रहा है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहां तो पार्टी में भी पक्षपात हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन में पक्षपात नहीं होना चाहिये। हमें हमारा बोलने का हक मिलना चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हे बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का परम्परागत अभिभाषण जो होता है और उस पर जो परम्परा के अनुसार धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में आया है उसका समर्थन करने के लिये मैं आज खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय, ने अपने भाषण के आरम्भ में ही अकाल की गम्भीरता को स्वीकार किया है और राज्य सरकार ने भी। उपाध्यक्ष महोदय इस साल इतना भीषण अकाल है कि ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए पोईन्ट ऑफ ऑर्डर उपाध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय ट्रेजरी बैन्चेज में कोई भी मन्त्री नहीं है। कम से कम मन्त्री जी को तो बुलाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल की गम्भीरता के बारे में इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को पता है और राज्य सरकार भी इसके बारे में चिन्तित है। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान सरकार की ओर से समय-समय पर इस बात के बारे में घोषणायें होती रही हैं कि इस भयंकर अकाल के अन्दर किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया जायगा।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय मेरा नम्बर क्यों नहीं आया बताइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि राजस्थान सरकार अकाल की स्थिति से परिचित है। लेकिन मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को जो कदम दो महीने पहले उठाने चाहिये थे वे अकाल से लड़ने के लिये दो महीने बाद में उठाये गये।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि हालांकि राज्य सरकार अकाल से लड़ने को तैयार है लेकिन वह दो महीने पीछे रह गयी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सदस्य पर दबाव डाला जा रहा है चीफ व्हिप माननीय सदस्य पर दबाव डाल रहे हैं।

श्री नाथूराम : मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला हूं। मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं चेअरर से न्याय चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मानना पड़ेगा कि आज जो अकाल की भयंकर स्थिति है हालांकि राज्य सरकार इस बारे में जागरूक होते हुए भी....

श्री नाथूराम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप वाली लिस्ट में मेरा नम्बर दूसरा है और माननीय सदस्य का चौदह नम्बर पर नाम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मुझे क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं बोलूंगा, मेरा हक है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : मैं बोलूंगा, मेरा हक है। मैं जनता में काम करने वाला हूं कोई चापलूसी करने वाला नहीं हूँ। मैं भी बोल सकता हूँ मुझे नहीं बोलने दिया जायगा तो मैं सम्पादकों से बात करूंगा। आदिवासियों की वजह से आप आज यहां बैठे हुए हैं....

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिये।

श्री नाथूराम : पार्टी की तरफ से मुझे क्यों नहीं मौका दिया गया है यह पूछना चाहता हूं। आज 50 प्रतिशत सदस्यगण पिछड़े वर्ग के हैं।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल साहब।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : पार्टी में कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तमाशा बना रखा है। मैं चेअरर की इज्जत करता हूँ लेकिन चेअरर से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : समय-समय पर मन्त्रिमण्डल की बैठकों में अकाल से लड़ने के लिये निर्णय लिये गये। राज्यपाल महोदय ने कहा कि अक्टूबर में ही निर्णय लिया कि टैक्स रिलीफ दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। गिरदावरी रिपोर्ट सबमिट हुई और बाद में राज्य सरकार ने अकालराहत कार्य शुरु करने के चार लाख रुपये सैंक्शन किये लेकिन वे भी दो महीने बाद चालू किये गये जिससे कि जो राज्य सरकार ने चार लाख रुपये सैंक्शन किये थे वह लैप्स हो गये। कोई काम चालू नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय फेमिन के बारे में हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि मन्त्रिमण्डल ने ऐसा निर्णय लिया है कि पांच लाख मजदूरों को 31 जनवरी तक रोजगार दे दिया जायेगा। लेकिन हुआ यह कि विचार करते-करते ऐसा हुआ कि 31 जनवरी तक दो लाख लोगों को ही राज्य सरकार ने काम दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया कि दो लाख लोगों को ही काम दिया जा सका। मैं पूछना चाहता हूँ कि

Page No 72

(72)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जब टारगेट पांच लाख लोगों को काम देने का था तो उस टारगेट को क्यों नहीं अचीव किया गया । उपाध्यक्ष महोदय, अगर बीस लाख की बात करते, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते और फिर उसमें अगर दो-तीन लाख लोगों को काम नहीं दिया जाता तो बात दूसरी है । उपाध्यक्ष महोदय, यहां जब पांच लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट था उसमें दो लाख लोगों को ही काम दिया और तीन लाख बाकी रह गये तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो टारगेट था उसकी क्रियान्विति क्यों नहीं हुई । किसके कारण नहीं मिल पायी यह एक विचारणीय प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न यह है कि इसके लिये कोई अधिकारी दोषी है, हम किसी नौकरशाही पर आरोप लगाना चाहें, जिला प्रशासन पर आरोप लगाना चाहें तो आज तक अकाल पर शिथिलता बरतने के कारण किसी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि राज्य सरकार यह सोचती है कि नीति निर्धारित करने का उनका काम है और उसका इम्पलीमेन्टेशन उनका काम नहीं है तो यह उचित नहीं है । यह सही नजरिया नहीं है । सदन के सामने समिति की रिपोर्ट है । यह कहा गया कि सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से पूरी मदद नहीं मिली । यदि मिलती तो युद्ध स्तर पर अकाल के काम को हाथ में ले सकते थे और उसका मुकाबला करते । उपाध्यक्ष जी, मनचन्दा यहां पर आये । जांच के लिये आये । उनका यहां पर क्या व्यवहार रहा यह मैं नहीं कहना चाहता । आई.ए.एस. अफसर से क्या अपेक्षा की जा सकती है । वह आई. ए. एस. अफसर चाहे दिल्ली में बैठा हो; केन्द्रीय सरकार में या चाहे वह राजस्थान के अन्दर बैठा हो, उनमें कोई फ़र्क नहीं है । दोनों का एप्रोच एक ही है । देश में आई.ए.एस. रूल करते हैं । सही जायजा लेकर स्थिति को आंकने का उनका काम है । लेकिन उपाध्यक्षजी, उन्होंने फेवरेबल रिपोर्ट नहीं दी उसके लिये उनको पब्लिकली कन्डेम किया है । सरकार की तरफ से मनचन्दा कमेटी की रिपोर्ट असलियत जाहिर नहीं करती है, वह सही नहीं है । दुबारा इस सम्बन्ध में कमेटी राजस्थान में दौरा करती है । वे ही लोग होते हैं । गांव का साधारण आदमी एस. डी. ओ., तहसीलदार, कलेक्टर को जाकर पुकार लगाता है । मनचंदा का स्वागत नहीं किया । जिस आदमी को क्रिटीसाइज किया जाता है, जो आदमी प्रिजुडिस है, जो यह मानता है कि अकाल स्थिति विषम नहीं है, राजस्थान को वह कमेटी विजिट करे तो उसका स्वागत कौन करे । आशंका थी वही बात हुई । मनचन्दा यहां आये उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की है वह मैं नहीं जानता । लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है जिस तरह की बात पत्रकारों को कही है, उससे स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि धान की कमी है । अकाल की भीषणता को उन्होंने नहीं माना है। धान तो आज भी मिल जायगा । भाव जरूर बढ़े हुए हैं। लेकिन क्रय शक्ति का क्या होगा ? रिपोर्ट में जो अपेक्षा करके चलते हैं वे उस तरह की रिकमन्डेशन देने वाले नहीं हैं । हमारी ओर से भी भूल रही ।

एक बात मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि इस सब विवाद में पड़

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
कर अपनी आलोचना को या अनेलेसिस को मोड़कर केन्द्रीय सरकार या मनचन्दा के खिलाफ खड़ा कर दें तो वाजिब दृष्टिकोण नहीं होगा । डी. पी. ए. पी. का पैसा हम खर्च नहीं कर पाये । मनचंदा कमेटी का यह रवैया होना और केन्द्रीय सरकार का वह रूख हो जाना कि राजस्थान सरकार पैसे को खर्च नहीं कर सकती है । उन्होंने कहा कि आप यह पैसा खर्च करो तो हम और पैसा दे सकते हैं । यह भी हम नहीं कर पाये ।

हमारी लाबी जरूर कमजोर है, यह सही बात है । हमारा पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट बिलकुल फैल हो गया यह भी सही बात है । अकाल की भीषणता के बारे में सही बात निवेदन करना चाहता हूं । शहरी क्षेत्र से माननीय सदस्यों का काफी सम्पर्क है । चाहे दिल्ली में बैठे हुए हों या राजस्थान की राजधानी में या राजस्थान के अन्य शहरों में हों, राजस्थान के लोगों को और दूसरों को आसमान से छूने वाली मंहगाई जरूर अखरती हैं लेकिन अकाल की ओर उनका ध्यान नहीं है । हम उनका ध्यान नहीं बंटा पाये । शहरी लोगों का ध्यान नही बंटा पाये क्योंकि हमारा सार्वजनिक जनसंपर्क विभाग फेल हो गया है । हमारी पब्लिसिटी बिलकुल पूवर है ।

एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा डी. पी. ए. पी. का पैसा खर्च नहीं हुआ । टैस्ट रिलीफ वर्क्स कई जगह चालू भी नहीं हुए और पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार आज तक नहीं दे पाये । इसके कई कारण हैं। इसके बैकग्राउन्ड में जाना पड़ेगा यह समझने के लिये कि यह सब क्यों हुआ । हमारी सरकार पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का तय करती है । अधिकारियों को सूचित किया कि पांच लाख को रोजगार दें । उनके पास प्रस्ताव नहीं । उनको अब प्रस्ताव बनाने हैं तो अप्रेल में जाकर दे पायेंगे । फरवरी में नहीं मार्च में नहीं । अक्टूबर नवम्बर में जहां यह सब पहुंच जाना चाहिये था वह पहुँचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य के अनुसार अकाल तो पड़ते रहेंगे । भगवान् न करे अकाल पड़े । मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । बीस लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की बात पैदा होती है ।

इन सब परिस्थितियों में किसी अधिकारी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया । कोई कार्यवाही नहीं की गयी । ऐसे ढांचे में हम यह मान कर चलते हैं कि घोषणा नीति और कार्यक्रम के आधार पर, किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है, निष्पक्ष ढांचा हमारे सामने खड़ा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है । यह आरोप लगाना कि राज्य सरकार ने अकाल की गम्भीरता को स्वीकार नहीं किया है, राज्य सरकार जागरूक नहीं है यह उचित नहीं है । अक्टूबर में यह पता नहीं था कि आने वाले महीने में अकाल कितना भीषण हो जायगा और कैसी परिस्थितियां पैदा हो जावेंगी । विरोधी दल हल्ला मचाते हैं उससे घबरा कर उसको दबाने के लिये इस प्रकार के आदेश जिलाधीशों को दिये गये 'गो स्लो विथ दी फैमीन' मैं नहीं मान सकता कि इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार दे सकती है । हम

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
दो महीने पीछे रह गये। हमेशा के लिये रह गये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पांच मिनिट और लूंगा उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल की समस्या के बारे में मेरा निवेदन है। मैं बहुत कुछ निवेदन करना चाहता था लेकिन मैं समझता हूं समय कम है। फूड की प्रोब्लम थी। 4645 दुकानें खोलीं। उनको हम राशन मुहैया नहीं कर सके। राजस्थान सरकार ट्रक मुहैया नहीं करा सकी। थानेदार पकड़ सकता है व्यक्तिगत काम के लिये। पंजाब सरकार से हमें कॉग्रापरेशन नहीं मिला, यह भी ठीक है। मैं इसमें सन्देह नहीं करता हूं। यह अपने आप में सही बात है। यह बिलकुल अपने आप में सही बात है। पर इसके लिये हमने किसी पर जिम्मेदारी डालने की भी कोशिश नहीं की। सारा दोष स्वयं पर ले लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी की भी दिक्कत है। इसको लेकर निष्क्रमण की बात कही गई। मैं निवेदन करूं कि इसके आंकड़े गलत हैं। राजस्थान सरकार की इस नौकरशाही मशीनरी ने ये गलत आंकड़े राज्यपाल महोदय को दिये हैं। मेरी तहसील से अकेली से 35 हजार के लगभग मवेशी निष्क्रमण कर गये। सरकारी मशीनरी को पता ही नहीं है कि ये माइग्रेंट किन-किन रास्तों से करते हैं। फोडर डिपो भी गलत जगह खोल रखे हैं। अकाल की समस्या के हल करने के बारे में हम पिछड़ गये हैं। फिर भी हमें आगे के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने कहा राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार मिटाने को कृत संकल्प है। यह कथन स्वागत योग्य है। सरकार को इसमें कुछ सफलता भी मिली है, इसे ईमानदारी से हमें स्वीकार करना चाहिये।

राजस्थान में निस्संदेह एक साल में राजनैतिक भ्रष्टाचार तो समाप्त हो ही गया। और भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं करता। क्योंकि राजनैतिक भ्रष्टाचार समाप्त करना सबसे सरल और कारगर था। न मरीज ही रहा न मर्ज ही बचा। राजनैतिक लोग नहीं रहेंगे तो राजनैतिक भ्रष्टाचार भी नहीं बचेगा।

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक लोग तो हैं अभी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजनीति केवल असेम्बली में बैठकर नहीं हो सकती। यह किसी हद तक सही बात है। लोग कहते हैं तो ट्रान्सफरों में, प्रमोशन्स आदि में हम ने पैसे खाये होंगे। इस प्रकार की हीन भावना हम में आई होगी। इस प्रकार के आरोप विरोधी पक्ष भी लगाता रहा है। एम. एल. ए. का ही सवाल नहीं था तब तो, मन्त्रीगण के खिलाफ भी इस तरह से आरोप लगाते रहे हैं। पर अब वे इस तरह के आरोप किसी पर नहीं लगा सकते। मिनिस्टरों के खिलाफ लगाने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। आज सारा शासन सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अच्छा-बुरा सब वही करती है। अब अगर भ्रष्टाचार कोई करता है तो वह मशीनरी ही करेगी।

Page No 75

(75)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पर मैं निवेदन करूं कि जैसा कि कहा गया कि 80 प्रतिशत प्रशासन में बैठे ये अफसर लोग भ्रष्ट हैं–इसे मानने में मुझे डर लगता है हालांकि यह सत्य हो सकता है। क्योंकि आज जब न मरीज रहा न मर्ज रहा तो अब तो केवल इस सरकारी सर्विस का ही सवाल रह गया।.

अब भ्रष्टाचार की ही बात करते रहेंगे और इस डर से कोई काम ही नहीं करें तो प्रशासन ठप्प हो जायगा। तो मरीज और मर्ज को समाप्त करने की बात यहां नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि फिर भी लोकायुक्त की नियुक्ति स्वागत योग्य है। बहुत अर्से से इसका इन्तजार था। पब्लिक वर्क्स का, मिनिस्टर का, राजनीति में काम करने वालों का, प्रमुखों का, प्रधानों का इन सबका आचरण अबव डाउट होना चाहिये फाल्स एलीगेशन लगाने का मौका नहीं मिलने देना चाहिये। यह सही बात है। इस दृष्टि से यह सही कदम है। मैं यह मानकर चलता हूं।

इसी प्रकार पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया। मैं इस बात को दोहराना पसन्द नहीं करता कि इसमें राजस्थान सरकार की नीयत स्पष्ट दिखती है। चुनावों का प्रश्न इसमें पैदा नहीं होता। इस संस्था को जो मृत हो गई है मृत प्राय तो आप मान ही चुके हैं, मैं मृत मानता हूं, केवल इसमें फोर्मल डिक्लेरेशन की जरूरत बाकी रह गई है। यह संस्था मर गई है। अगर आप इसका डेथ सर्टीफिकेट ही चाहते हैं तो वह भी समय आने पर दे दिया जावेगा। आज वैसे भी इन संस्थाओं के पास कोई काम नहीं है सिवाय तनख्वाह बांटने के।

मैं समझता हूं कि रोडवेज के राष्ट्रीयकरण करने की बात स्वागत योग्य है। अब सरकार को चाहिये कि उन एरियाज में जहां पूरे के पूरे जिले को जान बूझकर नेशनेलाइजेशन से बचाया जाता रहा है उसको आप पहले टेक अप करें। 25 परसेन्ट आपका अभी लक्ष्य है, हम चाहते हैं शीघ्र ही यह शत-प्रतिशत हो जाय। पर 25 परसेन्ट में भी पहले उस एरिया को आप लें जिसको बचाये रखने के लिये जानबूझकर राष्ट्रीयकरण से अवोइड किया जाता रहा है, एक खास बेल्ट को, उसको आप पहले लें।

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कदम भी स्वागत योग्य है। डिटेल में जब यह मसला और रूपों में सामने आवेगा तब अपने विचार इस पर रक्खूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट और। स्टेट हाउसिंग सोसायटी, जिसके जरिये शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को ऋण मिलता है, अच्छा कदम है। पर इसको ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो ऋण प्राप्त करने वाले लोग हैं वे अधिकांश में पिछड़े लोग हैं और अशिक्षित हैं। उनको इस कठिन प्रक्रिया से बड़ी कठिनाई होती है। आप इसके तरीके को सिम्पलीफाई करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, टौंक में लेदर फैक्टरी की बात कही गई। लोग इसके

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
बहुत अरसे से इन्तजार में थे। मैं समझता हूँ कि राज्ज सरकार इस वादे को जल्दी पूरा करेगी। टौंक राजस्थान का सबसे गरीब शहर है। इस एक ही उद्योग से वहां की काफी हद तक इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

पांचवीं योजना के सन्दर्भ में स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। इसमें तरह-तरह के टैक्निकल लोग और प्रशासनिक लोग होंगे। ये लोग पांचवी योजना का प्रारूप तैयार करेंगे। अब इसमें कितना कहां खर्चा करने की बात आती है यह देखने की बात है। पर एप्रोच पेपर ऑफ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान देखने से यह निस्सन्देह स्पष्ट हो रहा है कि ईस्टर्न बेल्ट में काफी कम प्रोवीजन रखा है। वेस्टर्न बेल्ट के लिये ही अधिक रखा गया है। मैं इस सदन में राजस्थान के विघटन की बात पैदा करने वालों का विरोधी रहा हूँ। मैंने सदैव राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है और आज भी मैं अपनी उस स्थिति को बदल नहीं रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आज भी कि किसी तरह की विघटन की बात पैदा हो। पर यह भी सत्य है कि वेस्टर्न बेल्ट में लगातार अकाल पड़ते रहते हैं और हर साल पड़ते हैं। इसके लिये हमारी उनके साथ सहानुभूति है। इसे मिटाने के लिये पैसा खर्च होना चाहिये। पर, उपाध्यक्ष महोदय, डवलपमेंट ईस्टर्न राजस्थान का बिल्कुल रुक गया है। वह ईस्टर्न राजस्थान सबसे अधिक टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है पर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसका कितना प्रोपोर्शनेटली खर्च किया जाता है उस पर। यह रेशो बहुत नेग्लीजैबल है। करीब-करीब पूरा का पूरा ही रुपया वेस्टर्न सेक्टर पर खर्च करते रहे हैं अब तक। नेशनल प्रोब्लम है यह अकाल, और इसके लिये केन्द्रीय सरकार को अधिक खर्च करना चाहिये। नेशनल प्रोब्लम को फाइट करने की बात करते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। और इसके लिये हमें सेन्टर को एप्रोच करना चाहिये। पर पूर्वी राजस्थान का लगातार डवलपमेन्ट रुकता रहे उसे स्टेण्ड स्टिल कर दें तो आज जिस तरह से माननीय रामानन्दजी ने भी कहा कि जिस प्रकार का हाल आन्ध्र प्रदेश में हो रहा है और जो घटनाएं वहां घट रही हैं उनसे हमें भी सबक लेना चाहिये। यह मंहगाई और बेरोजगारी के साथ असन्तुलन, रीजनल इम्बेलेन्स बहुत बड़ा फैक्टर है। यह लोगों की जानकारी में आता है, दिमाग में अखरता है। रीजनल इम्बेलेन्स को नोटिस करने से कोई हल नहीं होगा, ठीक है, वे भी हमारे ब्रदर्स है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं अब ईस्टर्न राजस्थान को स्टेगनेंट-अवरुद्ध कर दिया, जिसे रोका जाय और फिर इन सबके बाद वेस्टर्न राजस्थान की बात करें कि हम एक वेस्टर्न राजस्थान बनाना चाहते हैं। आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि हम अलग चाहते हैं। हम राजस्थान के टुकड़े नहीं होने देना चाहते हैं। पर एक तरफ आपके कारण और तकलीफें हों और फिर आप यह बात कहते हैं कि हम वेस्टर्न राजस्थान को बनाना चाहते हैं। आप बना लीजियें, हम स्वागत करते हैं लेकिन फिर यह ईस्टर्न राजस्थान के भरोसे नहीं चलेगा। केन्द्र

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

से जो कुछ आपको लेना हो ले लीजिये फिर देखते है, आप कैसे वेस्टर्न राजस्थान को चलाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है अब ईस्टर्न राजस्थान को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिये। रीजनल इम्बेलेन्स को ध्यान में रखकर चलना चाहिये। हमारे यहां भी इन्साफ करना चाहिये। हमारे यहां कई प्रपोजल्स बन सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। कोई माननीय सदस्य कह सकता है कि हमारे यहां प्लान में पैसा.... खर्च किया गया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आधा मिनिट और लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं इन सब बातों को निवेदन करने के बाद, एक बात निश्चित रूप से सही है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय, इस अकाल के क्षेत्र को देखने के लिए वृद्धावस्था और बीमारी के बावजूद भी राजस्थान के इन्टीरियर पार्ट्स में गये हैं और राजस्थान की समस्याओं को समझने की कोशिश की है और जितना योगदान दे सकते थे, उसको देने का कष्ट किया है, प्रयत्न किया है। इसलिए हम सब लोगों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो कृपापूर्वक अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये और हम सब को करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान में भयंकर दुष्काल की स्थिति बताई है जिसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने अकाल क्षेत्र का दौरा किया और संसदीय दल की बैठक में राजस्थान में अन्न की कमी को बताया। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने फाइनेन्स कमीशन के सामने राजस्थान की सही स्थिति को रखा उसके लिये भी वे बधाई के पात्र हैं।

राजस्थान में केन्द्रीय अध्ययन दल ने दो बार दौरा किया लेकिन राजस्थान की सही स्थिति नहीं देखी और राजस्थान के साथ पक्षपात करके सन्तोषजनक पैसा नहीं दिलाया यानी लगभग 5 करोड़ रुपये दिलाया और हमारे पड़ोसी प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र को करोड़ों रुपया दिलवाया। राजस्थान में 26 जिलों में से 24 जिलों में अकाल है। 18458 गांवों में 1 करोड़ 33 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई है और राज्य सरकार की तरफ से 3 लाख 43 हजार लोगों को मजदूरी पर लगाया है—यह बहुत ही कम है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अन्न की कमी थी फिर भी अन्न की इतनी कमी थी कि लोगों को सस्ते अनाज की दुकानों पर अनाज नहीं पहुँचा पा रहे थे और इस भयंकर दुष्काल की स्थिति में खाद्य निगम ने भन्डारों में जो अन्न था वह महाराष्ट्र को भेजा। दिसम्बर माह में जो कोटा राजस्थान को अलॉट किया गया था वह राज्य सरकार नहीं उठा पाई। ऐसी भयंकर स्थिति में पुलिस प्रशासन और मुनाफाखोरों की मिली भगत से मोटा अनाज और चावल राजस्थान से बाहर गया है और आज भी बाहर जा रहा है। चावल के ट्रक जो बाहर जाते हैं उनको

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
पकड़ा नहीं और पकड़ लिया तो सजा नहीं दी ।

एक माननीय सदस्य : नेताओं के चावल थे ।

श्री नाथूराम : प्रकृति के प्रकोप से ऐसा भयंकर दुष्काल है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् इस प्रकार की महंगाई कभी नहीं बढ़ी । वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं लेकिन राज्य सरकार कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है । आम जनता परेशान हो रही है । बांसवाड़ा की सही स्थिति बताऊं दिसम्बर माह में मैंने निवेदन कर दिया था और जब मैं यहां आया तो मंत्री महोदय नहीं मिले-- कारण कि वे कलकत्ता गये थे । तो मैंने बांसवाड़ा की सही स्थिति पत्रकारों को बताई और उन्होंने सही स्थिति से अवगत कराया लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं हुआ एक जनवरी को बांसवाड़ा में जहां भयंकर दुष्काल है मैंने जिलाधीश महोदय को सारा क्षेत्र बताया । कुछ क्षेत्रों में गरीब आदिवासी महिलायें खेतों में मिट्टी में सामान इकट्ठा कर रही थीं । मैंने कलेक्टर महोदय की गाड़ी रुकवाई और मैंने कहा यह बांसवाड़ा की सही स्थिति है । यह मिट्टी से मिला हुआ सामान सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा करते हैं । ए. पी. आर. ओ. साथ थे मैंने कहा यह स्थिति अखबारों में देना चाहिये लेकिन आपका जनसम्पर्क विभाग है, वह सही स्थिति नहीं बताता है । मैंने कलेक्टर महोदय से कहा उन्होंने बांसवाड़ा आकर तार द्वारा वायरलेस द्वारा लिखा राज्य सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला ।

डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने निर्णय लिया कि प्रस्तावित काम स्वीकृत होना चाहिये लेकिन चार दिवारी में बैठे हुए कमिश्नर कुछ कामों की मंजूरी देते हैं और कुछ की नहीं देते हैं । यह स्थिति जो काम डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने निर्णय लेकर प्रस्तावित किये गये थे कि फलां-फलां जगह पर काम मंजूर हो जाय लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. के रोड चल रहे हैं वहीं पर काम स्वीकृत होगा अन्य जगह पर नहीं । मेरा निवेदन है, नये राहत कार्य खोले जाने चाहिये । मेरे क्षेत्र भूखिया और गढ़ी में 10 हजार मजदूर गुजरात जाकर कडाणा बांध पर काम कर रहे हैं वहां ठेकेदार लोग ठेके पर काम करवाते हैं क्योंकि वहां ठेकेदारी प्रथा से काम कर रहे हैं । पहले तो लोगों को पैसा अधिक दे देते हैं लेकिन बाद में पूरे पैसे नहीं देते हैं । आज दस हजार मजदूर भूखिया के और गढ़ी के गुजरात में पड़े हुए हैं । यहां काम शुरू हुआ होता तो भूखिया और गढ़ी की जनता प्रान्त के बाहर नहीं जाती ।

भारत सरकार ने पायलट स्कीम, पंचायत समिति भूखिया के लिये मंजूर की है, मुझे इस विषय की खुशी है, इसके कुछ महीनों में दो हजार मजदूर लगेंगे । वहां अभी भी 20 हजार मजदूर मारे-मारे फिरते हैं । जो स्वीकृति दी है वहां पर काम आरम्भ नहीं हुए कुछ हिस्सों में तो बिलकुल काम ही नहीं हैं । वहां कि स्थिति बताऊं अन्न बिलकुल नहीं है । रबी अभियान में हमारी राज्य सरकार का अभियान था कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाय ।

जहां जहां बहुत पानी मिले वहां अनाज पैदा करना चाहिए, लेकिन मैं एक उदाहरण

(श्री नाथूराम)

प्रशासन का देना चाहता हूं। वांसवाड़ा जिले के लिए 2 लाख रुपया पम्पिंग सेट के लिए किसानों को ऋण देने के लिए स्वीकृत किया था और 50 हजार रुपया कुओं के ब्लास्टिंग के लिए किया लेकिन कलेक्टर महोदय ने बी० डी० ओ० से प्रचार कराया और गांव गांव जाकर एप्लीकेशन मांगी और कलेक्टर महोदय ने पंचायत समितियों द्वारा किसानों की एप्लीकेशन्स भी मंजूर कर ली, पंचायत समितियों को पैसा अलॉट कर दिया और मोटरें लगा दीं लेकिन गवर्नमेन्ट ने वह पैसा वियड्रा कर लिया जिस के कारण से लोगों को ऋण नहीं मिला। जिन किसानों ने, जिन गरीब आदिवासियों ने अपने कुओं पर मोटरें लगा लीं उनको ऋण नहीं मिला और ऋण नहीं मिलने के कारण जो मोटरें वहां लगी थीं वापिस व्यापारी द्वारा लेली गयीं जिससे फसल सूख गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जब कलेक्टर के द्वारा कोई व्यवस्था कर दी जाती है उसको भी गवर्नमेन्ट विथड्रा कर ले तो यह सोचना चाहिए कि रबी फसल के समय में जब कि रबी अभियान चल रहा हो और गरीब आदिवासियों को ऋण नहीं मिले और कुओं में पानी नहीं रहे और फसल सूख जायगी तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई भी आदेश दें तो उसका आप पालन भी करायें। केवल आदेश कर देने से कोई काम नहीं चलता है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय वांसवाड़ा जिले में भयंकर दुष्काल है और जहां दुष्काल है वहां लोगों के पास काम नहीं है और वे मारे मारे भटकते हैं। गढ़ी और भूखिया के लोग जो दुष्काल के कारण गुजरात चले गये थे वहां से भी वह वापिस आरहे हैं क्योंकि उनको वहां भी मजदूरी नहीं मिली। मैं चाहता था कि हमारे समाजवादी भाई श्री विट्ठल भाई बांसवाड़ा जिले की सही स्थिति यहां सदन में बतायेंगे कि जो वहां पर आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है लेकिन उन्होंने उनकी सही स्थिति यहां नहीं रखी। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। एक बार अनाज आया था और उसका वितरण किया गया था तो किसी को मिला और किसी को नहीं मिला। अलग यह बताया गया कि बांसवाड़ा में 8 किलो मक्का दी जा रही है लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह बिलकुल झूठ है। कुछ लोगों को मिली और कुछ लोगों को नहीं मिली। आदिवासी लोगों के पास एक भी अनाज का कण नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खाद्य मंत्रीजी मदेरणा जी से निवेदन किया, हैल्थ मिनिस्टर साहब से निवेदन किया कि आदिवासी माइलो चाहते हैं। सस्ता अनाज माइलो है जो कि अमेरिका में जानवर खाते हैं, सूअर खाते हैं वह अनाज कम से कम आदिवासियों को दिलायें। मैं निवेदन करता हूं कि आदिवासी लोगों को मक्का और माइलो मिले और मजदूरी मिले और समय पर पैसा मिले तो भूख से बचाव हो सकता है। लेकिन वहां स्थिति नहीं सम्भली है। सरकार कितनी भी कोशिश करे लेकिन सरकार यह व्यवस्था नहीं कर पाई है।

अभी प्रश्नोत्तर काल में बताया गया कि 9 जिलों में लेवी लगाई गई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आपने बांसवाड़ा में लेवी किस हिसाब से लगाई ? जब खरीफ की फसल में अधिक मक्का पैदा

Page No 80

(80)

(श्री नाथूराम)

होती है उस समय पानी बरसा नहीं और थोड़ा बहुत मक्का थी उसमें भी भयंकर बीमारी लग गयी उससे फसल नष्ट हो गयी। कृषि विभाग इस पर कन्ट्रोल नहीं कर पाया और समय पर दवा नहीं दे सका। जब मक्का पैदा ही नहीं हुई तो फिर लेवी कैसे लगाई ? जब कि डूंगरपुर और उदयपुर में आपने लेवी नहीं लगाई तो बांसवाड़ा में कैसे लगाई यह कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि आप लेवी के आदेशों को कैंसिल कीजिए। आज ही घोषणा कीजिए कि बांसवाड़ा से लेवी हटा ली गयी है। दूसरे जिलों से आप हटायें या नहीं लेकिन बांसवाड़ा से आपको तुरन्त हटानी चाहिए। और लेवी हटा देते हैं तो वहां के लोकल व्यापारी बाहर से मक्का लायेंगे और लेवी हट जाने से 50 परसेन्ट उनको जमा भी नहीं करनी पड़ेगी और लोगों को कम भाव में मक्का मिलेगी। आज बांसवाड़ा में 150 रुपया क्वि० भी मक्का नहीं मिल रही है। हाउस के माननीय सदस्य सोचें और विचार करें कि एक गरीब आदिवासी जिसके पास पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं है वह 100 रु० क्वि० के भाव की मक्का कैसे खरीदेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के ध्यान में है कि वहां के जिलाधीश महोदय ने कई बार निवेदन किया लेकिन सरकार सुनती नहीं है। मैं कहता हूं कि आप लोकल अनाज की व्यवस्था कीजिए और राजस्थान में सस्ते से सस्ता अनाज दिलवाइये। मेरा निवेदन है कि इतनी मंहगाई बढ़ गयी है कि आज जनता खरीद नहीं सकती इसलिए लेवी को हटाने के आदेश जल्दी से जल्दी करें और मजदूरों को मजदूरी दिलायें और जो लोग भटक रहे हैं उनको आप मजदूरी दें। आदिवासी लोग और पिछड़े वर्ग के लोग जिनके पास पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं है अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने बच्चों को जिन्दा रखने के लिए नालों में बहती हुई जो घास है जिसको नाला कहते हैं उसकी पत्तियों को और वृक्षों की पत्तियों को उबालकर खा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह बात झूठी है तो एक निष्पक्ष कमेटी बैठाई जाये और मैं साबित करके बताऊंगा। सरकार का नारा है कि जनता को भूख से नहीं मरने देंगे। यह नारा आपका झूठा साबित हो गया। लोग भूख से मरेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है और खासतौर से खाद्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप जिलाधीश महोदय से वायरलैस से ज्ञात कीजिए और मजदूरों को मजदूरी पर लगाइये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बांसवाड़ा में फारेस्ट विभाग के पास थोड़ा बहुत घास है। उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने निर्णय किया कि यह घास बाहर नहीं भेजा जाये और जो घास है उसको तहसील हैडक्वार्टर पर पहुँचाया जाये। लेकिन अभी तक वह घास तहसील हैडक्वार्टर पर नहीं पहुँचा और रिलीफ का पैसा फारेस्ट डिपार्टमेंन्ट को दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक जगह 27 हजार रुपया घास कटवाने के लिए भेजा और वह फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी ही हड़प गये और तहसील हैडक्वार्टर पर घास नहीं पहुंचा। आज मवेशी वृक्षों की पत्तियां खा रहे हैं। किसान जो आज गरीब है उसके पास हजार रुपये

(श्री नाथूराम)

की जोड़ी होती है। गरीब किसान के बैल मर जायेंगे तो भविष्य में वह किसान कहां खड़ा होगा? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा जिले में घास है उसे तहसील हैडक्वाटर पर पहुँचा कर वहां पर उस घास को आपको बंटवाना चाहिए। पिछले रिलीफ के समय में 12 रुपया क्वि. घास का भाव था और अभी सरकार ने उसका भाव 16 रुपया क्वि. कर दिया। यह क्यों? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अकाल के समय में हजारों रुपयों का दुरुपयोग होता है तो कम से कम गरीब किसानों को घास सस्ते दामों पर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे यहां पानी की समस्या है। मैं मानता हूं कि राजस्थान का पश्चिमी इलाका रेगिस्तान है इसकी व्यवस्था के लिए भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह इसकी व्यवस्था अपने हाथ में ले। पहाड़ी इलाके में जहां पर कुओं में ब्लास्ट कराके लोगों को पानी देना चाहिए ताकि लोग जिन्दा रह सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा में अकाल की समस्या को हल करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले में भयंकर दुष्काल है और हर साल ही दुष्काल पड़ता रहता है। पहले वहां कभी दुष्काल नहीं होता था आजादी से पहले। मैं यहां पिछले 15-16 सालों से हाउस में निवेदन करता आया हूं बांसवाड़ा में पहले ऐसे जंगल थे कि सूरज की किरण नीचे नहीं आती थी लेकिन यह जंगल ठेकेदारों के द्वारा खत्म करा दिये गये और आज पहाड़ियां नंगी हैं। दुष्काल होते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि उन वनों की सुरक्षा की जानी चाहिए। उस क्षेत्र में जहां पहाड़ी इलाका है वहां उन पहाड़ियों पर जो जड़ें बची हैं उनको रक्षा करनी चाहिए और नंगी पहाड़ियों का प्लान्टेशन करना चाहिए। बांसवाड़ा में सागवान और बांस के इतने जंगल थे कि इमारत की लकड़ी वहां से बाहर जाती थी लेकिन वह जंगल सब खत्म हो गए। उस समय जंगल इतने आबाद थे कि 50-50 और 60-60 इंच बारिश बरसती थी और वृक्ष की पत्तियों की खाद खेतों में आती थी जिससे अच्छी पैदावार होती थी लेकिन आज सारी पैदावार नष्ट हो गयी। एक तरफ सरकार हमारा माही डैम बना रही है लेकिन 12 साल हो गए हैं इस माही डैम को बनते हुए, इसके आस पास के जंगल बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इन वनों की सुरक्षा के लिए इन नंगी पहाड़ियों को आबाद करना चाहिए और जल्दी से जल्दी प्लाण्टेशन करना चाहिए। उन वृक्षों की जड़ें जो बच गई हैं

श्री विट्ठल : अभी भी कटवा रहे हैं बन्द करना तो दूर रहा।

श्री नाथूराम : इन जंगलों को आबाद करना चाहिए और आप आदिवासी लड़के जो बी० ए०, एम० ए० तक पढ़े लिखे हैं, हायर सेकेण्ड्री पास हैं, बी० ए०, एम० ए० हैं वे बेकार मारे-मारे फिरते हैं। सरकार बतावें किसी आदि-

(श्री नाथूराम)

वासी लड़के को रेंजर की ट्रेनिंग में या डी. एफ. ओ. की ट्रेनिंग में भेजा हो। आज सैंकड़ों भीलों के लड़के बेकार घूम रहे हैं। लेकिन भेजते किसको हैं सिफारिश किसकी होती है। अपने अच्छे-अच्छे मिलने वाले आदमियों की शिफारिश करते हैं। गरीब आदिवासी का कोई लड़का अगर ट्रेनिंग में जाना भी चाहे तो उसको ट्रेनिंग में भेजा नहीं जाता। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब आदिवासी हैं, गरीब भील हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको रेन्जर और डी.एफ.ओ. की ट्रेनिंग में भेजना चाहिए, जो योग्य हों। और उनको उसी विभाग में रखना चाहिए ताकि उस चीज को समझ सकें और जल्दी से जल्दी जंगलों को आबाद कर सकें। आज इस वन विभाग में आदिवासियों के लड़कों को गार्ड एल. डी. सी., यू. डी. सी. तक नहीं रखा जाता है। यह सरकार इस तरह से पक्षपात कर रही है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप राज्यपाल महोदय के पिछले अभिभाषणों और बजट के समय के मेरे भाषणों को देखेंगे तो मेरा हमेशा यह सुझाव रहा है लेकिन सरकार इसका पालन नहीं करती है। इसीलिए जंगल नष्ट हो रहे हैं और जंगल के बिना दुष्काल हो रहे हैं जिस पर सरकार को लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। जंगलों की सुरक्षा करने से पानी अच्छा बरसेगा और आपका उत्पादन बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि प्रकृति की देन से नदी-नालों में अभी भी पानी बहता है लेकिन सरकार इसको रोक नहीं पाती। पहले फेमीन के अन्दर 50 पर्सेंट का रेश्यो रखा था लेकिन अब 70 और 30 का रेश्यो रखा है। तो आप सोचिये कि 30 परसेंट में कितना पक्का काम हो सकता है। तो नदी-नाले छोटे छोटे बांध, बड़े बड़े तालाब अथवा एनीकट बनाये जायेंगे तो प्रकृति की देन से पानी जो बह कर जाता है वह रुक जाएगा और जल्दी से जल्दी उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 70/30 है, 65/35 का वढ़ाया है इसको और बढ़ा कर 50 परसेन्ट करके एनीकट्स के लिए लिफ्ट योजना के लिए जल्दी से जल्दी पैसा देना चाहिए। बांसवाड़ा जिले में छोटे-छोटे बांध, एनीकट, लिफ्ट योजनाएं ज्यादा सफल हो सकती हैं। सरकार इस प्रकार करे तो जल्दी से जल्दी इसका रिटर्न मिले और लोगों को फायदा मिल सके। आज लिफ्ट योजना लागू हो तो वहां घास पैदा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि यह जो आपने इस रिलीफ में रेश्यो रखा है इसको आप बढ़ा करके पक्के काम लेवें, लिफ्ट योजनाओं को जल्दी से जल्दी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लेवें ताकि अनाज पैदा हो और घास भी पैदा होगा।

माही डैम के निर्माण की जो गति है वह बिल्कुल धीमी है। 12 साल हो गए हैं, ढाई करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं लेकिन डैम के कार्य का अब श्रीगणेश हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से मांग कर माही डैम को जल्दी से जल्दी बनावें ताकि भयंकर दुष्काल में काम आवे और मजदूर भी ज्यादा काम पर लग सकें। इसके साथ ही निवेदन है, कड़ाणा

(नाथूराम)

बांध के बारे में। जैसा कि पहले भी निवेदन किया था और बहुत से माननीय सदस्यों ने समर्थन किया था कि माही डैम से लगभग 150 गांव और कडाणा बांध से डूंगरपुर बांसवाड़ा के लगभग 200 गांव प्रभावित होंगे। पिछले तीन साल में कडाणा बांध के बारे में इस हाउस के तमाम दलों के माननीय सदस्यों ने तथ्य रखे हैं और सरकार को सही स्थिति बताई है लेकिन उस कडाणा बांध की ऊंचाई 410 करने की बात तो सुनते हैं लेकिन सरकार की तरफ 410 के बजाय 419 की ही कार्यवाही जारी है। इस मामले में सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी है, बिल्कुल शान्त होकर बैठी है। कडाणा बांध को बनाने के सम्बन्ध में बिल्कुल गलत अन्दाज लगाए गए हैं। कडाणा बांध के बारे में तमाम सदस्यों द्वारा बार-बार कहने पर भी सरकार आंख मूंद कर बैठी है। सरकार कहती है कि सर्वे कराया है और इस पर दस बीस लाख रुपये भी खर्च कर दिये हैं लेकिन इसकी ऊंचाई 410 होगी या 419 इस पर अभी तक चुप है।....

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य यह सब चार सौ बीसी इसी सरकार की है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसीलिए 410 करांना चाहते हैं।

श्री नाथूराम : मैं गुजरात में खुशहाली चाहता हूं, लेकिन एक को मिटाकर दूसरे को आबाद करना कौन सा न्याय है। इसलिए आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही डेम से बांसवाड़ा जिले के 150 गांव और उधर कडाणा बांध से 200 गांव प्रभावित होंगे। और जमीन जो है वह पहाड़ी इलाका है, खेती की जमीन कम है। जब पोंग डेम बनाने की बात आई तो पंजाबियों के लिए तीन लाख एकड़ जमीन राजस्थान केनाल में रिजर्व की गई, इसी तरह से कडाणा बांध से बैक वाटर आएगा उससे जो लोग प्रभावित होंगे, उन लोगों को बसाने के लिए गुजरात से जमीन की मांग क्यों नहीं की गई। इसमें हमारी सरकार की कमजोरी साबित होती है। आज तक एक बीघा जमीन की भी मांग नही की गई। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह पंजाबियों को बसाने के लिए राजस्थान केनाल में जमीन रिजर्व की गई है उसी तरह से कडाणा बांध से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए भूमि गुजरात में ली जाय। जिन लोगों ने खून पसीना एक करके जिस तरह से पहाड़ी जमीन को आबाद किया है, गेहूं चावल पैदा किया है तो उस जमीन को डुबो कर उनको पहाड़ी जमीन देने के लिए सरकार सोच रही है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय लेवें और उनकी काश्त की जमीन जो डूब रही है तो उनकी जमीन के बजाय जमीन देवें। माही डेम में जो प्रभावित हो और कडाणा बांध से जो लोग प्रभावित हों उनको जमीन दी जाय और उनको शिफ्ट करने का मुआवजा भी देना चाहिए। अगर यह सरकार जमीन के बजाय जमीन नहीं देती है तो यह सरकार की कमजोरी रहेगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं आपके द्वारा सरकार

(श्री नाथूराम)

से निवेदन करना चाहता हूँ और बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि आज बांसवाड़ा जिला ऐसा है कि इधर पड़ौसी प्रान्त गुजरात है, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में बांसवाड़ा जिला है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जहां हजारों और लाखों आदिवासी हैं जिन्होंने रेल नहीं देखी। आजादी के 25 साल के बाद भी उस पिछड़े क्षेत्र के लोगों ने रेल नहीं देखी है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि रतलाम-बांसवाड़ा और डूंगरपुर तक रेल्वे लाईन डालने का काम जल्दी से जल्दी आरम्भ करना चाहिए ताकि हजारों लोगों को मजदूरी मिल सके और रतलाम-बांसवाड़ा रेल से जुड़ता है तो हमारे क्षेत्र की उन्नति होगी। आज आजादी के 25 साल बाद भी सरकार इन गरीब लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए, पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए रेल की व्यवस्था नहीं कर सकी है। इसलिए जिस तरह महाराष्ट्र ने रेल्वे लाईन का काम आरम्भ किया है, उसी तरह से यहां भी आरम्भ करें। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार से निवेदन करके और भारत सरकार से पैसा लेकर इस....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेल्वे लाईन के काम को आरम्भ करें ताकि लाखों लोगों को मजदूरी मिले और रेल्वे शुरू हो। पहले शास्त्री जी के समय में जब शास्त्रीजी बांसवाड़ा पधारे थे तब उस क्षेत्र के लोगों ने उनसे इसकी मांग की थी और इसका सर्वे भी हो गया था लेकिन वह सर्वे किस खटाई में पड़ा है मालूम नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक शिड्यूल एरिया है इसलिए कम से कम राज्य सरकार भारत सरकार पर जोर देकर काम आरम्भ करावे। इस एरिया को हमारे राष्ट्रपति ने शिड्यूल एरिया घोषित किया है और संविधान में भी प्रावधान है कि शिड्यूल एरिया के लिए कोई जनहित की योजना बनती है और इसमें कोई कानून आड़े आता है तो लोगों के हित में उस कानून को भी बदला जा सकता है। तो हमारे कई कानून भी ऐसे बने हैं लेकिन वे कानून भी कागजों में पड़े रहते हैं। आज भयंकर दुष्काल है। हमारे इस आदिवासी क्षेत्र के लिये सागड़ी प्रथा का कानून बना परन्तु सरकार उसका पालन नहीं करवा रही है। इस भयंकर दुष्काल के समय में समाज कल्याण विभाग सुस्त होकर बैठा है। वह आदिवासियों की कोई पैरवी नहीं कर रहा है। आज हजारों की तादाद में सागड़ी हैं उनके पास आज पैसा नहीं है इसलिये अपने बच्चों को सागड़ी पर सौ सौ रुपयों पर रख रहे हैं आज भी हमारे यहां पर हाली की प्रथा चालू है। तो आपका यह कानून कहां चला गया है। इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। मैं आज पिछले 15 साल से निवेदन करता आ रहा हूँ। सरकार का आदेश निकलता है और इस सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। यह ताज्जुब की बात है। इसलिये निवेदन है कि जो भी कानून बनता है उस कानून का आप बराबर पालन करावें और सागड़ी प्रथा के कानून को, छुआछूत के कानून का इस पिछड़े क्षेत्र में पालन कराना चाहिये। आज भी हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिये निवेदन है कि

(श्री नाथूराम)

सरकार जो कानून बनावे उसका पालन करावे और पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश करें।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बताया है, कुछ पंक्तियां यहां पर पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने यहां पर कहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना काल के अन्दर राज्य सरकार ने स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाने का फैसला लिया है और कुछ विशेष प्रकोष्ठ बनाने का राज्य सरकार सोच रही है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकोष्ठ आवश्यक है। कारण कि 6 प्रतिशत आदिवासी आल इंडिया में हैं हिन्दुस्तान की जन संख्या के वे 6 प्रतिशत हैं और राजस्थान में 12 प्रतिशत आदिवासी हैं। जब इतनी जनसंख्या है तो मैं राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो विशेष प्रकोष्ठ की सोच रही है तो एक ट्राइबल प्रकोष्ठ भी बनाने का निर्णय करे।

उपाध्यक्ष महोदय अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में जहां आदिवासियों को मजदूरी नहीं मिल रही है, वहां पर उनको मजदूरी दिलाने के लिये सरकार आदेश जारी करे और अनाज जहां से भी हो वहां पर पहुँचाने की कोशिश करे।

इसके अलावा भ्रष्टाचार के बारे में भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। एक जिले का प्रशासन मुख्यतया एस. पी. और कलक्टर के द्वारा होता है। वर्त्तमान में हमारे यहां पर जो जिलाधीश है वे बड़े ईमानदार हैं, अच्छे हैं, अनुभवी हैं और सरकार को बराबर निवेदन करते रहते हैं परन्तु उनको सरकार की ओर से पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। परन्तु वहां पर जो एस. पी. है वह बेईमान है। मैंने तार दिया था, मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी को बांसवाड़ा जिले के गढ़ी, बागीडोरा तहसीलों में जितने भी मर्डर और चोरियां हुई हैं उनको आज तक पुलिस विभाग सावित नहीं कर पाया है। वह तार वापिस हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हमारे प्रशासन में एम. एल. ए. दखल नहीं करें। हम भी दखल नहीं करना चाहते हैं लेकिन क्षेत्र की जो सही स्थिति है वह तो बताना हमारा कर्त्तव्य है। मेरा वह तार वापिस हो गया और आज भी वहां पर वह भ्रष्ट एस. पी. मौजूद है। परतापुर बड़ा कस्बा हैं। वहां पर मर्डर हो गया और पुलिस वाले वहां आकर पैसा खा गये। कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं। कलक्टर के पास तार जाता है परन्तु वह तो क्या जांच करेंगे। जनता से जांच कराइये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी ईमानदारी की और पुलिस के एस. पी. की ईमानदारी की जनता से जांच करवाइये। आज हमारी राज्य सरकार प्रशासन को ठीक ढंग से नहीं चला पा रही है वह जो मर्डर और चोरियां हो रही हैं उनकी रोकथाम नहीं हो पा रही है और फिर हम से पूछते हैं कि इन चोरियों को गरीब आदिवासी तो नहीं कर रहे हैं। एक जगह अन्न नहीं मिला–अब तो आदिवासी काफी मात्रा में भगत बन गये हैं, वे मांस और शराब से परहेज रखते हैं, शाकाहारी हैं, मैं भी शाकाहारी हूँ, यह संख्या हजारों की तादाद में है। तो मैं यह कह रहा था कि एक जगह अन्न नहीं मिला तो आदि-

(श्री नाथूराम)

वासी पाड़ा मार कर खा गये। पुलिस वहां पर पहुँची और 2200/- रुपया इन गरीब आदिवासियों से रिश्वत ली। यह स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों की जहां कि भयंकर गरीबी है और अकाल है आज वहां पर अनाज नहीं पहुँच रहा लोग भूखों मर रहे हैं। सरकार अनाज नहीं पहुँचा रही है। इससे तो हजारों लोग मरेंगे और इस तरह पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार भी बढ़ता चला जायेगा। एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं, अपने बच्चों को, वस्तुओं को गिरवी रख रहे हैं और इस प्रकार पुलिस विभाग से बचने के लिए पैसा दे रहे हैं। यह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसकी सही रूप से जांच करावें कि कौन तो बेईमान है और कौन ईमानदार है। आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार का पैसा मुफ्त में लें। वे तो मजदूरी चाहते हैं। क्षेत्र में जो गढ़ी-जोलाना सड़क बन रही हैं वहां पर वे ईमानदारी से खणतिया खोदते हैं, मेहनत करते हैं। वे कोई मुफ्त में पैसा नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है। आपके जो ओवरसीयर हैं, जो आपके इन्जीनियर हैं वे इसमें भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। मेट और सुपरवाइजर को इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले दुष्कालों से यह भयंकर दुष्काल है। इस दुष्काल में लोगों को सही स्थिति को देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जायेंगे। आप इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस स्थिति को दूर करने के लिये आप भ्रष्टाचार को दूर कीजिये। किसी ने बेईमानी की है, कोई दुष्काल का पैसा खा जाते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो आप ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिये। उनको नौकरी से अलग मत कीजिये। यह मैं मांग करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। विशेष जो बातें हैं वह मैं बजट के समय निवेदन करूंगा। यही निवेदन कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री **लूणाराम** (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहूँगा।

यह खुशी की बात है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले अकाल की समस्या को प्राथमिकता दी है। यह चीज चाहे आज हम बढ़ा चढ़ाकर कहें या साधारण तरीके से कहें यह आज हर आदमी के चिन्तन का विषय बन गया है और वह विषय इस रूप में कि आज हमारा क्षेत्र, विशेषतया पश्चिमी राजस्थान, इस अकाल की चपेट से इतना भयभीत है, इतना परेशान है कि आज हम चाहे इस बात को स्वीकार करें या नहीं करे यह मानें कि अकाल से मृत्यु हुई है या यह नहीं मानें की अकाल से मृत्यु नहीं हुई हैं पर यह बात सत्य है जैसा कि पंचायतों के आंकड़ों से देखा जा सकता है। 1969-70

(श्री लूणाराम)

का अकाल और 1972–73 के अकाल, इन दो अकालों के अक्टूबर से जनवरी तक चार चार महीनों के मरने वालों के आंकड़े लें, 70–71 और 71–72 के आंकड़े लें उससे यह बात अपने आप साबित हो जायेगी कि बिना भुखमरी के इन बरसों में कितनी कितनी मृत्यु हुई हैं। यह कारण नहीं है कि अकाल से मरे हों। कई तो इसके भय से ही मर जाते हैं। जिसके पास कुछ न हो खाने पीने के लिये उसके लिये यह बड़ा भारी चिन्ता का विषय रहता है। यही स्थिति हमारे इलाके की है।

(3.40 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

इसके साथ साथ आज यह भी बात सामने है कि अकाल निवारण के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया यह बात नहीं है। सरकार अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ कर रही है और आज जो अकाल की हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा के अन्दर दुकानें नहीं खोली या भयंकर अकाल है उसकी पूरी व्यवस्था नहीं हुई इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं पर अकाल के सम्बन्ध में जो कार्य करा रहे हैं उनमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं शिकायतें हम नही कर रहे हैं। मैं दो तीन रोज से देख रहा हूँ कि इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं हुई। इसका कारण यह है कि इन कार्यों को अभी तक राजस्व विभाग कर रहा है। यदि यह कार्य सरकार के लोक-निर्माण विभाग के हाथ में सौंपा गया तो अगले सत्र में इन चीजों को हम भूल जायेंगे और उनके भ्रष्टाचार की चर्चा चल जायगी। आप आज चाहे स्थाई काम खोलें या बड़े काम खोलें लेकिन जब हम लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पिछले अनुभवों के आधार पर देखते हैं तो दिल दहल जाता है और इन कामों के बाद हम लोगों से मिलने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि काम चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो जो भी काम करवाये जांय वह पूरे अंजाम के साथ और इस व्यवस्था के साथ करवाये जायं जिससे किसी को अंगुली उठाने का मौका न मिले।

साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि यह मैं नही कह सकता कि किसी सभा के अध्यक्ष हम ही हों चाहे कोई भी हो सकता है। विकास विभाग का या अन्य विकास का एक सरक्यूलर था जिसमें यह था कि जिस कमेटी में जन प्रतिनिधि सदस्य हों बैठक की अध्यक्षता के लिये लेकिन जहां पर जन प्रतिनिधि किसी सभा (समिति) के सदस्य हों उसकी अध्यक्षता वे ग्रहण करें आज जिले के अन्दर कई समितियों में चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति बनकर नहीं बैठते हैं और उसके सामने समस्याएं रखी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अकाल राहत कमेटी के अन्दर कलेक्टर अध्यक्ष रहता है। लैण्ड एलाटमेंट कमेटी में एस० डी० ओ० अध्यक्ष रहता है। माननीय सभापति महोदय मेरा यह मतलब नहीं है कि सारे काम हम अपने ही हाथ में ले लें हम चाहते हैं जितने काम जिलाधीश और उप जिलाधीश को दिया हुआ है उससे चाहे अधिक काम दें लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि जिस सभा समिति के सदस्य हों उसकी अध्यक्षता उन्ही के द्वारा होनी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

(श्री लूणाराम)

इसके साथ साथ आज दूसरी तरह से भ्रष्टाचार की बात की जाती है। ठीक है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है या अधिक हो रहा है यह तो मैं क्या निवेदन करूं, यह कोई आपसे छिपा हुआ नहीं है। यह बात जरूर है कि जिस शिकायत की सुनवाई न हो तो भ्रष्टाचार किस चीज का है वह मालूम नहीं हो सकता। किसी चीज का मूल्यांकन करने जायेंगे तभी तो पता चलेगा कि इस प्रकार का इतना भ्रष्टाचार है। आज भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार की सुनाई नहीं होने और देर से सुनाई होने के कारण आज लोग अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने दिल को कसे वहीं बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर भी अगर छोटी शिकायत किसी काम की भी की जाय तो उसके लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है यह सोचने की बात है। कोई काम बरसों में नहीं हो सकता है वह सिफारिश से हो सकता है वह सिफारिश किस रूप में? वह दो रूपों में होती है। या तो नोटों के रूप में या इस रूप में कि कोई अधिकारी है उसका कोई साथी है या किसी पर कोई अधिकार हो साथी के रूप में। उदाहरण देकर यह बात कही जाती है कि अमुक आदमी, अमुक अफसर के साथ पढ़ा है उससे सिफारिश करा देगा, लेकिन वह सिफारिश नहीं चलती है। वह साथी ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में अफसर खाता-पीता हो। पपलू या जुआ खेलता हो--अफसरों के यह आचरण दिखते हैं, और ऐसी सिफारिशें जब देखते हैं तो दिल दहल जाता है, और यह चीज हमारे अफसरों के अन्दर और खासकर बड़े अफसरों के अन्दर घर कर गई है और उनका अनुसरण छोटे से छोटा कर्मचारी करता है। मेरा निवेदन करने का अभिप्राय यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? प्रगति की तरफ जा रहे या दूसरी दिशा के अन्दर। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का अभिप्राय यह है कि आज अगर सही ढंग से सरकारी अधिकारी काम करें तो इसके अन्दर कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि सरकार की नीति स्पष्ट है। आज हमारी नौकरशाही, अफसरशाही जिस ढंग से और जिस रिवाज से चल रही है उसी के कारण यह सारे मामले हो रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर अभी 15-2-73 की बात है, जो मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अर्ज कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में हमने एक मिडिल स्कूल की नींव रखी तो माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी वहां पर पधारे। बड़ी सभा हुई, उसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था। मेरे सामने 2-3 महीने पहले एक किसान ने अपनी कहानी बतलाई थी। तो वहां पर सभा में जिले के ए० एस० पी० और थानेदार मौजूद थे, उसका उदाहरण मैंने दिया। वह बात सही थी और मेरे दिल में उस बात के लिए दर्द था इसलिए निवेदन कर दिया कि आज इस अकाल के अन्दर हरेक आदमी परेशान हैं और हर तरह से बोझा ढोकर भी अपने पेट को पालने की धुन में है, लेकिन आज पुलिस क्या कर रही है। यह कहकर मैंने उस बात का उदाहरण दिया और वह उदाहरण इस प्रकार का था कि मेरे क्षेत्र में एक गांव में एक किसान था, जिसके ऊपर 107 का मुकदमा था और वह किसान किसी कारण

(श्री लूणाराम)

वश अदालत में नहीं जा सका उसके लिये अदालत ने न कोई सम्मन जारी किया और न कोई दूसरी कार्यवाही की। उस सामने वाली पार्टी को इस चीज का पता था। दो सिपाही गश्त में घूमते हुए वहां आ गये थे तो दूसरी पार्टी ने उन सिपाहियों को अपने प्रभाव में लेकर–किसी तरह से अपने साथ कर लिया मैं नहीं कहता–उनको कहा कि फलां आदमी को गिरफ्तारी का भय दिखला दो तो वह कुछ दे देगा। सिपाहियों ने वही किया कि उस 70 वर्ष के आदमी के हथकड़ियां लगा दी और उसको एक दो गांवों के अन्दर घुमाया यद्यपि उसने कहा कि वह अदालत में चला जायगा उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी उसको नहीं छोड़ा गया। दो गांवों में घुमाने के बाद उसी किसान की तीसरे गांव के अन्दर खेती थी जहां पर उसका लड़का, उसकी दोहिती और उसके लड़के की औरत काम कर रहे थे वहां ले गये। उस वक्त के अन्दर जब वह लेकर गये तो उस गांव के कई आदमी पुलिस को देखकर वहां पर आ गये। उसका पड़ौसी भी आ गया। उन्होंने सारी हकीकत सुनी तो उन्होंने कहा कि इसको नहीं छोड़ेंगे और 100 रुपया दो तो हथकडियां खोल देते हैं। यह बात हो रही थी तो किसान की दोहिती ने अपने पैरों की कड़ियां निकाल कर पडौसी को दी। वह कडियां लेकर दूसरे गांव में गया और वहां से 100 रु० लेकर आया और उन दोनों देवताओं को दिये फिर जाकर उसकी हथकड़ी निकाली गई और ऊंटों पर चढाकर उन श्रीमानों को जिस थाने के वे थे, वहां पर पहुँचाया गया। यह बात जब सामने आई तो एस० एच० ओ० फैज मोहम्मद ने कहा कि देखेंगे। यह एक उदाहरण है। ऐसे एक नहीं अनेकों काम हैं। यह जब मैंने उदाहरण दिया तो समाज कल्याण मंत्रीजी ने भी उसको महसूस किया। आज उसी किसान के लड़के का सुबह मेरे को तार मिला। इस तार में उसने बतलाया है कि मेरे पिता को पुलिस डूंगरगढ़ 17 फरवरी को ले गई और कुम्भाराम को गायब कर दिया गया है। पुलिस बयान बदलाएगी तो वह बयान अमान्य समझें जायं–बीरमाराम मैं समाज कल्याण मंत्री के साथ आ गया था। यह हकीकत हो रही है भ्रष्टाचार की। इस बात से अन्दाजा लगा लें कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या घट रहा है।

इस प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो मैं निवेदन करने जा रहा हूँ वह यह है कि कृषि के सम्बन्ध में, और वह कृषि के अन्दर निवेदन यह है कि आज हमारे क्षेत्र की तरफ अकाल की हम बात कर रहे हैं और हमारे वहां का चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो किस तरह से पीड़ित है। हम यह चाहते हैं कि वर्त्तमान में अकाल के सम्बन्ध में जो कार्य हाथ में लिये जाते हैं उन कार्यों के साथ-साथ में ऐसे कार्य भी हाथ में लिये जायं जिससे हमारी धोरा धरती है, पश्चिमी राजस्थान की उसमें धरों को रोकने के लिए उपाय किये जायं। उसके लिए ऐसे मौकों पर खेतों के अन्दर अधिक से अधिक प्लान्टेशन करवाये जायं। आज किसान मजबूरी के अन्दर फावड़ा और तगारी हाथ में लेकर सडक पर है, नहीं तो वह दिल से खेत के अन्दर काम करना चाहता है ताकि भ्रष्टाचार को मौका न मिले। खेत

(श्री लूणाराम)

पर काम होने से उसकी उपज शक्ति बढ़ेगी और उपज शक्ति बढ़ने के कारण इसमें अच्छी पैदावार होगी जिससे हम अकाल का सामना करने के लायक होंगे।

आज सिंचाई की बात चल रही है। उसके अन्दर अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं। शिक्षा का सवाल आता है तो सिंचाई के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय की बात आती है, तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर अगर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय तो उसके लिए सूरतगढ़ और संगरिया के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकेगा। सूरतगढ़ में सरकार के कृषि फार्म हैं जिनका प्रबन्ध सरकार करती है और उसके पास 30 हजार बीघा जमीन है और संगरिया के पास में 18000 बीघा जमीन है। उसके साथ-साथ वहां पर भाखरा कैनाल, गंगनहर, राजस्थान नहर और सरिका की नहर का पानी मिलता है। इस प्रकार की जगह अगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय तो उससे बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं होगा। यह नहीं कह सकेंगे कि पानी की कमी रह गई या जमीन की कमी रह गई जिसके कारण हम विकास नहीं कर सके। तो अगर इस बारे में सरकार विचार करती है तो मेरा सुझाव है कि दोनों जगहों में से किसी एक जगह के लिए विचार किया जाय तो वह राजस्थान के हित की चीज होगी

मेरे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने का सवाल है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा और निवेदन कर दूं। तो मेरा निवेदन है कि 12 गांव को लिफ्ट केनाल के इस कार्य के अन्दर शामिल किया जाये। पहले जिनको हटा दिया गया था। इसी प्रकार से पशुपालन का सवाल है। एक तरफ पंचायत समितियों में यह व्यवस्था की गई है। और पंचायत आज अगर विकास की दृष्टि से कहा जाये तो हर पंचायत समिति में विकास अधिकारी के रूप में और दूसरा प्रसार अधिकारी के रूप में है एक कृषि प्रसार अधिकारी एक पशुपालन अधिकारी इतना बड़ा क्षेत्र है जो कि अन्यत्र नहीं मिलेगा। यह जो असमानता है, यह योजना का दोष है। इसलिए पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए पंचायत राज की स्थापना के समय, जो इस राज्य के होम सेक्रेटरी हैं, वह हमारे जिले के कलेक्टर थे। उस समय वह सरपंचों की सभा बुलाते थे। वहां आने से हर एक को उस समय ज्ञान होता था। लेकिन आज उसकी दुर्दशा हो रही है। साथ ही साथ मेरा सुझाव है, सरकार जो पंचम पंचवर्षीय योजना बनाये, हर पंचायत समितिवार सम्मेलन बुलाया जाय, पंचों को उसमें शामिल रखा जाये। जिले में सम्मेलन हो उसमें सरपंचों को शामिल रखा जाये। विधायकों और प्रमुखों को शामिल रखा जाये। एक निवेदन यह भी कर रहा हूं कि योजना, जो भी बनायें, उसमें हमको विश्वास होना चाहिए। जब हम हर आदमी के दिमाग में यह बिठा देंगे कि 5 साल में यह कार्य होगा।

(श्री लूणाराम)

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

हर आदमी को विश्वास हो जायेगा तो वह ऐसे काम के लिए कभी यह नहीं सोचेगा। सारा काम योजना के ढंग से चलेगा। इस प्रकार से विचारें तो इस सम्बन्ध में कोई कमी नही है। अफसोस यह है कि योजनाबद्ध ढंग से काम करने के लिए हमें जो मिलता है, वह मिलती है शराब। जिस इलाके में 5 आदमी पीने वाले नहीं थे। वहां आज गांव-गांव में जो काश्तकार थे, इस शराब से उन सब को समाप्त कर दिया गया है। तो सभापति महोदय, अगर सरकार इस शराब को समाप्त करती है, तो यह बीमारी हटाई जा सकती है। सारी बीमारियां इसी के आधार पर पनप रही है। इसी प्रकार से इस शराब को हटाया जाये इसी प्रकार से मेरा यह भी निवेदन है कि आज 20 साल के बाद भी गांव शिक्षा के बारे में पिछड़े हुये हैं। प्राथमिक शिक्षा को हर गांव में राजस्थान में प्रारम्भ कर दिया जाये तो बहुत बड़ा काम होगा। साथ ही साथ चिकित्सा के मामले में मैं कहूंगा। चिकित्सा के मामले में जहां बडे-बडे धनाढ्य है, अगर वहां थोड़ी सी भी कमी कर दी जाती है तो हल्ला मच जाता है। बाकी जो हमारी सरकार के प्यारे हैं, जिन्हें हम विशेष रूप से हरिजन कहते हैं। आज उन गांवों की क्या हालत है। आज वह गांव इसी प्रकार से पड़े हुये हैं। खारे पानी के गांव है। ऐसे मामले में हर एक गांव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं (जय-हिन्द)

श्री सभापति : श्री झाबरमल।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण (विराम) राज्यपाल महोदय का अभिभाषण झूठा है। समाज की आशाओं का द्योतक नहीं है। इस कारण इस भाषण को अस्वीकार कर दिया जाये। आज इस सरकार के मालिक भूखे तड़प रहे हैं। सरकार उनके लिए चुपचाप है। आज का नौजवान बेकारी में नौकरी पाने के लिए गलियों में घूम रहा है। इस सरकार के सामने आये दिन प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनको चौराहे पर पीटती है। तो क्या यह बात स्वागत योग्य है। सभापति महोदय, जिन परिस्थितियों में हम मिल रहे हैं। उनको भयंकर मान रहे हैं। लेकिन यह सरकार नही मान रही है 17 जनवरी को यहां मीटिंग हुई। उसी रोज दो समितियां बोम्बे, गोआ और बंगलोर हवा खाने के लिए गई। 30-40 हजार रुपया इन दोनों कमेटियों में खर्च किया गया है। आज जो भयंकर परिस्थितियां हैं, उनकी अवहेलना की गई है आज जिस बेरहमी से देहात के लोग और शहर के लोग पीने के पानी के लिये तरसते हैं। वह बहुत बड़े इत्मीनान से यह आशा करते हैं कि हमारे लिए व्यवस्था की जायगी। आज यह जो भयंकर अकाल पड़ा है इसमें दो वजह से हमें ज्यादा कष्ट महसूस होने लग गया है। पहली बात तो यह है कि अकाल का प्रहार है, उसके बाद हमारे पास अनाज की और चारे की कमी मालूम पड़ रही है। इस प्रकार हम पर दोहरा प्रहार हो रहा है और इन दोनों प्रहारों के कारण हमारी परिस्थिति और खराब हो जाती है।

(श्री झाबरमल)

इसका कारण क्या है ? इसका कारण है, हमारा जो सारा प्लानिंग है वह इस ढंग से किया गया है कि जो प्रोडक्शन के क्षेत्र हैं उनको अछूता छोड़ दिया गया है। चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, प्लानिंग में इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अच्छी इंडस्ट्री खोलें, खेती हो या पशुधन हो उसमें प्रॉडक्शन बढ़ें। प्लानिंग इस तरह का होना चाहिए था कि प्राडक्शन बढ़ाते। लेकिन जो आज बेकारी की समस्या खड़ी हुई है, इसमें इस प्लानिंग के हाथ है। बेकारी को को मिटाने के लिए जो लड़के शिक्षित हुए हैं उनको काम देना चाहिए, लेकिन सरकार उन हाथों को काम नहीं दे सकती है। प्लानिंग के द्वारा मरुस्थल का विकास होता, जो पहाड़ी इलाके हैं उनका विकास होता और जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर है उसको ऊपर लाया जाता, खनिज सम्पदा को विकसित किया जाता तो हम आज इन परिस्थितियों के शिकार नहीं होते। लेकिन हमने शुरू से ही इस बात को नजरअन्दाज कर दिया सम्वत् 1956 में जो अकाल पड़ा जिसको छप्पनिया अकाल कहते हैं, वह आज से पिचहत्तर साल पहले पड़ा था। पिचहत्तर साल से हम यह बात भयंकरता के साथ महसूस करते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था आये दिन पड़ने वाले अकाल के कारण छिन्न-भिन्न हो रही है। इसलिए हमें सबसे पहले ऐसे उपाय करने चाहिए। हमारा प्लानिंग ऐसा हो, जो अकाल आते हैं उनका मुस्तैदी के साथ मुकाबला करने के लिए हम जखीरा रखें, घास का, चारे का भी और अनाज का भी। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक पशुधन का सवाल है वह अनाज से ज्यादा महत्व रखता है। किसान को जब पूछेंगे तो वह यह कहेगा 'जीव जाओ जीवारी बचो'। जीवारी पशुधन है। एक आदमी अपना मरना बर्दाश्त कर सकता है, वह पशुधन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता जिसके भरोसे पर वह जिन्दा है। आज हिन्दुस्तान की चंवालीस प्रतिशत ऊन हमारे यहां बनती है यह ऐसी ऊन है जिसकी सानी नहीं है। वह पशुधन आज चारे के अभाव में हमसे अलग जा रहा है, उसकी नस्ल नष्ट होने को जा रही है। तो हमें हमारे पशुधन को बचाने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। जो तार मेड़ लगा कर जंगल में घास लगाने की योजना थी उसमें क्या महसूस किया गया ? सब व्यर्थ गया। अनाज के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो गोदाम भरे थे, उनके ऊपर जो अधिकार था, वह इस ढंग का था कि राज्य सरकार मूक बन कर देखती रही है और वह जखीरा अनाज का बिना सरकार की इच्छा के यहां से चला गया। जैसा रामानन्दजी ने कहा मैं नहीं चाहता कि दूसरी जगह पर अनाज जाने पर रोक लगाई जाय लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है यह सबसे पहले देखने की चीज है। यह सबसे ज्यादा जरूरी बात है। जब अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल ! हम दोनों की दाढ़ी में आग लग जाय तो बीरबल तुम क्या करोगे ? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह ! मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, आपकी की नहीं। हम कष्ट में हैं, हमारे पास अनाज नहीं है तो दूसरे को देने पर विचार नहीं करना चाहिए।

(श्री झावरमल)

सभापति महोदय, आज अकाल का मुकाबला करने का और उससे निपटने का हमारा तरीका, हमारा प्रॉसीजर इस ढंग का हो, हमारा प्लानिंग इस ढंग का हो कि अपने साधनों का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। जो व्यवस्था अब कर रहे हैं, प्रिजेन्ट अकाल के वक्त, उसको भी थोड़ा देखने का सवाल है। आज हम जिनको काम दे रहे हैं, जिन्हें काम देने की योजना है, वह 1 करोड़ 33 लाख के मुकाबले में बहुत कम है। अगर परिवार में तीन आदमियों में से दो को काम मिले, पांच में से तीन को काम मिले, सात में से चार को काम मिले, जो देने का लक्ष्य है तो भी चालीस पर्सेन्ट को काम देना पड़ेगा और चालीस पर्सेन्ट को काम देना पड़ेगा तो यह पचास लाख की संख्या आती है। पचास लाख लोगों के लिए काम का इन्तजाम करना है तो इस ढंग की हमको दिल्ली से मदद मिल सकेगी-इसमें तो शक शायद मैं नहीं करता क्योंकि जब इन्दिरा जी ने कह दिया कि तुमको पैसे से हैरान होने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी अभय दान मानता हूं लेकिन जो व्यवस्था की जा रही है उसमें मिट्टी डालने का काम करा रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, चौदह साल से ऊपर के, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। और जो मिट्टी डालने का काम दिया गया है वह पूरी मिट्टी नहीं डालेगा तो फिर एस्टीमेट बनेगा। मैंने ऐसा भी सुना है और देखा भी है, एक आदमी को बीस पैसे से पचपन पैसे प्रतिदिन का मिला है। तो, सभापति महोदय, आप जरा मुलाहिजा फरमायेंगे कि एक व्यक्ति को चालीस पैसे, पचपन पैसे रोज मिलें और फिर उससे उम्मीद करें कि वह तीन सौ मन मिट्टी ढोयेगा-यह कभी सम्भव नहीं है। इसलिए मजदूरी बढाई जाय, और जो मिट्टी डालने का काम है उसे इसके साथ नहीं जोड़ा जाय क्योंकि आज उनको बचाने का सवाल है। ठीक है, काम होना चाहिए लेकिन इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए कि इस तरह किया जाय। इस तरह से किया जाय। सभापति महोदय, तो मैं मानता हूं कि भूखे लोगों को यातनायें दे देकर मारने की चेष्टा की जा रही है उसको अपने भरोसे मरने भी नहीं दिया जा रहा है। आप भूखे पेट व्यक्तियों से मिट्टी डलवाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति को कम से कम पांच रुपये रोज से कम नहीं मिले और जो यह सत्तर प्रतिशत की बाधा रखी गई है वह हटाई जाय। वह लोग तीन मील दूर चल कर काम करने आयें-यह उनसे आशा नहीं की जा सकती है, एक बच्चा, एक स्त्री तीन चार मील दूर जाकर काम करें, लेकिन जो अपाहिज हैं, अपंग हैं वह काम नहीं कर सकते, उनको एक रुपया प्रति दिन दिया है। कोई मंत्रिमण्डल का सदस्य कोई एम. एल. ए. बता दे कि 1 रुपये में कैसे काम चलायेगा। जो अपाहिज हैं जो काम नहीं कर सकते, उनके लिए महंगाई की परिस्थिति को देखते हुए पैसा बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही, सभापति महोदय, काम क्या देना चाहिए-यह भी अहम प्रश्न है। आज 58 से 65 साल तक की बूढ़ी औरतों और पुरुषों को मैंने मिट्टी ढोते देखा है। मैं खास तौर पर जिस इलाके से आता हूं, उसका मुझे ज्ञान है, जब शादी के बाद गौना होता है तो चर्खा गौने पर जरूर दिया जाता है। हमारे पास

(श्री झाबरमल)
अब ऊन है, भेड़ की जट है, बकरी की जट है, उसको कातने के लिए डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कराये, ताकि जो बूढ़े हैं, अशक्त हो गये हैं,-आप तो 58 साल की उम्र पर रिटायर हो जायेंगे, उनसे आप चाहते हैं कि 58 साल की औरतें मिट्टी ढोयें। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा काम हो जो वह भी कर सकें। उस इलाके में कताई और बुनाई का काम हो सकता है। उससे हमारे डिफेन्स की जरूरत भी पूरी होगी, पुलिस की जो जरूरत है वह भी पूरी होगी। तो उन्हें कताई का काम दिया जाय और कपड़े के प्राडक्शन के काम से उसे जोड़ा जाय। ऐसा कपड़ा जो पचास पर्सेन्ट कम्पोनेन्ट से तैयार किया जा सके। पचास पर्सेन्ट कम्पोनेन्ट को बैंक से ऐसे जोड़ दीजिये, बैंकों को तो आपने नेशनेलाइज कर ही दिया है, ताकि उनको ऋण मिल जांय, बीस पर्सेन्ट आप अपने अनुदान के रूप में देदें और बाकी वह अपनी मेहनत कर लें।

इसके साथ ही कुओं की संख्या बढ़ेगी तो सिंचाई में भी आसानी पड़ेगी। सीकर और सीकर के पास दांकिय में अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने ऐसे ट्यूब वैल लगाये हैं जो साठ हजार, अस्सी हजार गैलन पानी प्रतिदिन दे सकते हैं। इतना पानी का जखीरा मिल जाय और उसका आप उपयोग नहीं कर सकें यह गलती पानी की नहीं है, यह गलती उस आदमी की भी नहीं है जो उपयोग करना चाहता है। आपके लिए उन लोगों को बचाने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, नदियों से भी पानी लिया जा सकता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में माना गया है कि राजस्थान नहर की योजना अहम् योजना है। उसे अहम् योजना मान लिया है लेकिन उस पर अमल जिस ढंग से कर रहे हैं वह निहायत धीमा है। मैं चाहता हूं कि इस योजना को जल्दी से जल्दी उचित ढंग से पूरा करें।

अभिभाषण में जिक्र किया गया ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं का। ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं में, सभापति महोदय, जिस बात का ध्यान रखना चाहिए था वह यह थी कि खारे पानी के इलाके के लोगों को हम कैसे जिन्दा रख सकते हैं। इसमें एक और बात कही है, अकाल के दिनों में ट्रकों से पानी पहुंचायेंगे, रेल से पानी पहुंचायेंगे। जो सरकार पंजाब से अनाज नहीं ला सकती-जो सड़ता नहीं है, जो गलता नहीं है, तो प्रत्येक घण्टे की पानी की आवश्यकता है उसको आप ट्रकों से पूरा कर देंगे, रेल से पूरा कर देंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां खारा पानी है, बहुत गहरा पानी है, वहां सबसे पहले इन योजनाओं को काम में लेना चाहिए नहीं तो वे इलाके या तो खाली हो जायेंगे या फिर सभापतिजी उनको घुट-घुट कर मरना पड़ेगा। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में 15 इलाके ऐसे हैं जहां वर्षा से पानी इकट्ठा हो जाता है, उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए या तो एरियाज खाली हों या उनको होली के बाद, जैसे ही गर्मी शुरू होती है, जहां-जहां भी खारा और गहरा पानी है वहां योजनायें चालू करनी चाहिए।

भ्रष्टाचार की ओर लोगों का काफी ध्यान खींचा है। मगर यह एक ऐसा

(श्री झाबरमल)
डेलीकेट मसला था जिसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी और चुपके-चुपके इस पर काबू कर लेना चाहिए था। हमने भ्रष्टाचार की ज्यादा चर्चा करके उसको उन्मुक्त बना दिया, खुला कर दिया। पहले जो अधिकारी चुपके से पैसा लेते थे, वे सरे आम टेबल पर पैसा रखवाते हैं क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को उन्मुक्त कर दिया चर्चा करके। आज जब ट्रेजरी बैंचेज ने माना है कि 80 प्रतिशत अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं तो इस प्रजातंत्र में इसके जिम्मेदार कौन हैं ? इसका जिम्मेदार है मंत्रिमंडल। तो मैं मानता हूँ कि 80 प्रतिशत मंत्रिमंडल भ्रष्टाचारी है। वे भ्रष्टाचारी अधिकारियों का संरक्षण करते हैं। यह समस्या ऐसे हल होने वाली नहीं है। जब 20 प्रतिशत अधिकारियों को आप ईमानदार मानते हैं, उनकी एफिशियेन्सी ज्यादा है तो उनको क्यों नहीं काम दिया जाता है ? अगर 20 प्रतिशत को आप काम में ले सकते हैं तो समस्या सुलझा सकते हैं लेकिन हमारी मन्शा नहीं है क्योंकि फिर होटल के बिल कौन चुकाएगा, शादी में प्रजेन्ट कौन देगा, मुन्ना पैदा होगा तो पलना कौन लाएगा ? ये समस्यायें हैं, इनका निराकरण असंभव है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आपको तनख्वाह कौन देगा ?

श्री झाबरमल : बरकत साहब ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। वह अब कहते हैं कि कम हो गया। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है जब इन्टर कास्ट शादियां होती थी तो एक पंडितानी की शादी एक रंगरेज से हुई, रंगरेज चमड़ा रंगने का काम करता है....

श्रीमती सुमित्रा : वह कपड़े रंगने का काम करता है।

श्री झाबरमल : आप रेगर समझ लें। दो-तीन दिन के बाद पंडितानी को दुर्गन्ध आई लेकिन प्रकृति का नियम है औरतें एडजस्ट कर लेती हैं। 7-8 दिन के बाद उसको दुर्गन्ध नहीं आई। वह कहने लगी कि तुम्हारे घर से मैंने दुर्गंध दूर कर दी क्योंकि मैं पंडितानी थी। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है। भ्रष्टाचार विद्यमान् हैं लेकिन उनको महसूस नहीं हो रहा है।

इस अभिभाषण में महंगाई का कोई जिक्र नहीं किया गया।

श्री सभापति : समय आपका निर्धारित है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह अपनी पार्टी के फालोअर हैं।

श्री झाबरमल : हम पार्टी के स्पोक्समैन भी हैं, हमारी जिम्मेदारी है....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें। आपका समय केवल 4 मिनट है।

श्री झाबरमल : 15 मिनट और।

श्री सभापति : 15 मिनट तो मिल गए। आपको 5 मिनट और दिए जाते हैं, पूरा कर दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : समय पहले ही समाप्त हो चुका है।

श्री सभापति : आप समय न खोएं।

श्री झाबरमल : महंगाई के बारे में लोगों का मानना है कि महंगाई ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। जिस एक डाक्टर की ट्रांसफर में 2,000) देने पड़ते थे आज 5,000) देने पड़ते हैं। महंगाई को चारों तरफ से रोकना है। गरीबी हटाओ के बारे में इन्दिराजी ने देश को नारा दिया, वह अब कह रही हैं कि सब का सहयोग मिलेगा तो गरीबी हटेगी। लेकिन मैं आपसे कहूं पहले भी गरीबी मौजूद थी, लोगों में साइकलोजीकल टेम्पो पैदा किया गया था, किसानों के हृदय में कि भगवान गरीबों में वास करता है। वह सुखी था, खुश था। जो कुछ मिलता था उससे गुजर करता था। जब कम्युनिज्म आया तो उन्होंने कहा गरीबी अभिशाप है और इन्दिरा गांधी से नारा दिलवाया। गरीब की अगर मोनोपोली थी तो वह थी भगवान पर कि मैं भगवान का ठेकेदार हूं वह ठेकेदारी भी जाने लगी वह तड़प-तड़प कर मर रहा है।

मैं स्टेट ट्रेडिंग की बात पर आता हूं। स्टेट ट्रेडिंग, जो की जा रही है, उसमें मैं कम्युनिस्टों की जीत मानता हूं। इन्दिरा गांधी पर अगर सबसे ज्यादा प्रिवेल किया है तो कम्युनिस्टों ने, उन्होंने अपनी बात मनवाली। उन्होंने मंत्रिमंडल में प्रवेश करवाकर और रूस के इशारे पर मनवा लिया स्टेट ट्रेडिंग के लिए। मामूली शुगर की राशनिंग का इंतजाम हम नहीं कर सकते। 80 प्रतिशत अधिकारी भ्रष्टाचारी हम मानते हैं और फिर स्टेट ट्रेडिंग सफलतापूर्वक चला सकते हैं आज जिक्र आया था कि टनों अनाज पड़ा हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्टेट ट्रेडिंग की बात जब आप हमारी पार्टी में थे तब भी थी, कोई नया परिवर्तन तो नहीं हुआ है।

श्री झाबरमल : सहकारिता के बारे में निवेदन करूंगा कि एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी ने कैटिल फीड के लिए प्लांट लगाया 18 लाख से। लेकिन बूंदी में मोलेसिज सड़ रहे हैं क्योंकि उससे शराब बनेगी वित्त मंत्री ने आर्डर नहीं दिया। प्रतिदिन कम से कम 50 टन की क्षमता वाला प्लांट बेकार है, पशुधन उससे बच सकता था, सहकारिता को बल मिल सकता था लेकिन सब कुछ चुनाव के हिसाब से किया। सहकारिता को कमजोर करने की चेष्टाएं की जा रही हैं। इसके अलावा जब उद्योग में ऋण वापस करने के लिए 5 साल रखे गए हैं तो किसान दो साल में कैसे ऋण का चुकारा करेगा? किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और बैंक से ऋण नहीं मिल सकता है। किसान फैल हो रहा है, सहकारिता फैल हो रही है। लेकिन देश फैल हो रहा है। जिस किसान की अर्थ व्यवस्था एक झटके में एक फसल में लड़खड़ाए, इसका मतलब हमारा ग्राम कितना विकसित है, कितनी अर्थव्यवस्था है। इसलिए सहकारिता को, जो पंडित नेहरू ने चुना था, चलाना चाहिए लेकिन इंदिरा गांधी ने जो रास्ता चुना है वह है कम्युनिस्टों को भी राजी करना और अपने पूंजिपतियों को खड़ा करना। देखें उनको कहां तक राजी रख सकती हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके रामानंदजी को राजी करना चाहती हैं और जोइन्ट सेक्टर से चुनाव लड़ने के लिए एकदम फंड लेना

(श्री झाबरमल)

चाहती है। दोनों बातें कहां चलेंगी ? कुशल कारीगर और कारीगरी निकल गई। किसकी बारी है। तुम्हारी या उनकी, यह आगे का सवाल है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अंत में निवेदन करूंगा कि गांधीजी के स्वप्न स्वावलंबन और ग्राम राज के फैल हो गए और आज भारत का किसान सरकार की तरफ अनाज के लिए निहारे, जो अनाज देने वाला है वह अनाज मांगने की चेष्टा करे, यह 4 पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि है। उसके बाद महान प्रजातंत्रवादी समाजवादी नेहरूजी आए। उसके बाद उन्होंने समाज की प्रगति का रास्ता चुना, सहकारिता और कोऑपरेटिव मूवमेंट फैल हो गया। आज हमारे जितने भी प्रोजेक्ट फैल हुए हैं वे सभी इसी कारण से हुए हैं। इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जनता के प्रतिनिधियों में चाहे वे एम० एल० ए० हों, चाहे वे और कोई चुनिन्दे प्रतिनिधि हों, उनकी आज प्रतिष्ठा वह नहीं है जो पहले थी। आज उनका डीवेल्यूएशन हो रहा है जिस प्रकार की रुपयों का डीवेल्यूएशन हुआ। इसके बाद में हमारे यहां पर लालबहादुर शास्त्रीजी भारत के प्रधान मन्त्री बने उन्होंने एक नारा दिया जय जवान और "जय किसान...."

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनको समय दिया गया था एक मिनट का वह समाप्त हो गया है।

(4.21 म. प.)

श्री रामसिंह यादव : उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री झाबरमल : उपाध्यक्ष महोदय मैं एक मिनट और बोलूंगा, अभी समाप्त कर दूंगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान और "जय किसान" का नारा दिया। उसमें उन्होंने जय जवान के नारे पर तो अमल किया पर जय किसान का नारा है उस पर अमल नहीं किया। अगर जय किसान के नारे पर अमल किया जाता तो राष्ट्र का निर्माण हो जाता। आज जो हम यह परेशानी देख रहे हैं वह नहीं देखते। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी तरफ भी मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह बिजली के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें हमारी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ बनाना है तो हमें बिजली की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं वह....

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय इन का तो समय समाप्त हो गया है।

श्री झाबरमल : समय तो आपका भी खतम हो जायगा वह किसी को बख्शता नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां पुलिस का जो सिपाही है वह बहुत ही गरीब है, आज उसकी सबसे कम तन्ख्वाह है और सबसे ज्यादा काम करता है। आज उसकी कोई सुनवायी नहीं है, उसकी कोई यूनियन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि आप उन्हे भी यूनियन बनाने का मौका दीजिये। ताकि पुलिस वाले अपनी समस्यायें रख सकें। आज

(श्री झाबरमल)
राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यूनियन है। मैं यह नहीं कहता कि यूनियन बनायी जाय जैसी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की या दूसरी यूनियनें हैं उस तरह की। पर इनकी यूनियन आप किसी दूसरे ढंग से बनाइये ताकि ये अपनी समस्यायें आपके सामने रख सकें। आज 40 प्रतिशत पुलिस के सिपाही ऐसे हैं जो टी.बी. के मरीज की तरह हैं। उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। वे बहुत ही कमजोर हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कहीं आपसे तो कमजोर नहीं हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह पतले पर निर्बल नहीं है।

श्री झाबरमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब कुछ बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे गांवों में जहां पर बिजली की जरूरत है वहां तो बिजली नहीं दी जाती है लेकिन बिजली दी जाती है सिरसका में ताकि वहां पर अधिकारीगण, वहां के सरकिट हाउस में बैठ कर जुए खेलें। वहां पर बढ़िया लाईट का इन्तजाम हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, लाइट आज फतेहपुर में नहीं दी गयी है। आज ग्रामों के विद्युतिकरण की जरूरत है वहां बिजली नहीं दी जा रही है। मेरा सुझाव है कि जहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर है वहां पर बिजली दी जानी चाहिये। आज बिजली का कन्जम्पशन 14 परसेन्ट, 17 परसेन्ट, या 13 परसेन्ट तक नहीं है लेकिन जब तक 50 परसेन्ट तक....

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पहले वाले सभापति महोदय ने इनको एक मिनट दिया और....

श्री झाबरमल : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और समय दे देंगे। मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज ग्रामों के विद्युतिकरण की ज्यादा आवश्यकता है ताकि जहां पानी नीचे ज्यादा हो कुओं में वहां पर बिजली के इन्जिन लगाये जा सकें। अब मैं एक बात और निवेदन करूंगा, वह शराबबन्दी के बारे में। आज, उपाध्यक्ष महोदय, क्या गांवों में, क्या शहरों में, जो गरीब जनता है उनमें लोग शराब बहुत पीते हैं। आज राज्य सरकार को अगर शराब के निषेध की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि शराब पीने से राज्य सरकार को दस करोड़ की आमदनी है। और वे कहते हैं कि वह आमदानी तो अमीर लोगों से होती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अमीर लोग तो दो परसेन्ट पीते होंगे लेकिन गरीब वर्ग के लोग 98 परसेन्ट हैं, जो शराब पीते हैं। इस गरीब तबके को अगर आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शराब का निषेध कर दीजिये ताकि यह गरीब तबका तबाह होने से बच जाय। मैं तो कहता हूं कि इसे कल से ही बन्द कर दीजिये।

एक माननीय सदस्य : कल से क्यों, आप आज से ही क्यों नहीं कहते ?

श्री झाबरमल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बीच-बीच में बहुत टोका जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है, अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन

(श्री झावरमल)

परिस्थितियों में यह राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसके लिये समर्थन करने में असमर्थ हूं और इस धन्यवाद के प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन पर मैं भी अपने विचार प्रगट करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले 1 वर्ष के अन्दर जो तरक्की हुई है वह एक सीमा तक बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पंचम पंचवर्षीय योजना के बारे में उल्लेख किया गया है। मेरे पहले के वक्ताओं ने सदन में अपने भाषण दिये हैं, उनमें उन्होंने यह उल्लेख किया है, खास तौर से विरोधी पक्ष वालों ने, कि आज राजनैतिक हस्तक्षेप बहुत है इस सन्दर्भ में निवेदन करूंगा कि कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है और जितना काम इस पिछले साल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। अभी जब राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने इस सदन में घोषणा की थी कि मैं जयपुर शहर को बदल दूंगा, जयपुर शहर की हालत बदल दूंगा तो मैं यह मानता हूं कि कुछ काम हुआ है। जयपुर में काम हुए, और अगर इसी प्रकार योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान के विकास के लिये काम करे तो काफी काम हो सकता है। आज जयपुर के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा तो मैं कहता हूँ कि जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है अगर यहां पैसा खर्च होता है और राजस्थान की राजधानी का विकास होता है तो राजस्थान का ही नाम होता है। आज हम इस सदन में बैठ कर, चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों, राजस्थान के विकास के लिये बैठे हैं। लेकिन आज जो विकास नहीं हो रहा है उसके खास दोषी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। वही विकास के काम में बाधा डालते हैं। ये, उपाध्यक्ष महोदय, ब्यूरोकेट्स उस अंग्रेजों के जमाने से हैं। इनको अंग्रेजों ने ट्रेनिंग दी थी कि ये इस देश को गुलाम बनायें। देश को गुलाम बनाये रखने के उद्देश्य से इन्हें पैदा किया था ताकि अंग्रेज यहां पर अपनी हकुमत कर सकें। सन् 47 के बाद देश को आजादी मिली। देश में जन-कल्याणकारी योजनायें बनीं जो कि आम जनता के कल्याण के लिये थी। इन कल्याणकारी योजनाओं को ये समाप्त करना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ और, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि आज जो भी हमारी पंचवर्षीय योजनायें असफल रहीं उनका मैन कारण यह ब्यूरोक्रेसी है। अभी टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि इन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से फैमिन रिलीफ वर्क्स का पैसा था वह लैप्स हो गया। मैं आपके माध्यम से बड़ी इज्जत से, बड़ी नम्रतापूर्वक राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह दो करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी किन अधिकारियों की है। उनके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जिन अधिकारियों की वजह से यह हुआ है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही गवर्नमेंट ने की ? आज डी०पी०

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ए० पी. के अन्तर्गत राजस्थान को हराभरा बनाने की योजना थी वह क्यों नहीं कार्यान्वित हुई ? क्योंकि उनका योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया गया। अभी भारत के योजना मन्त्री जयपुर आये थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ट्यूबवेल देना चाहता हूं चाहे जितना खर्चा आये भारत सरकार उसे उठाने को तैयार है।

मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे अधिकारियों ने यह नहीं कहा कि हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है ? मैंने जैसा जयपुर का उदाहरण दिया कि यहां पर योजना बना कर काम हुआ है, यद्यपि मैं पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं हूं, फिर भी जितना हुआ है कार्य उसकी मैं तारीफ करता हूं। यदि हमारे राजस्थान को योजनाबद्ध तरीके से डेवलप नहीं किया, विकसित नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जावेंगे देश के अन्य हिस्सों से। यहां मैं अन्य हिस्सों की बात नहीं करना चाहता लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और हमारे पड़ौस में हरियाणा प्रान्त है उसकी ओर इशारा करना चाहता हूं। वहां के मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को बुला कर कहा कि अमुक गांव में बिजली जानी है। एक भी गांव बिजली के बगैर बाकी नहीं रहना है, कैसे भी हो इसको पूरा किया जाय। यदि वह अधिकारी नहीं करता है तो मोअत्तिल होता है और जिसने भी काम किया उसको दो तीन इन्क्रीमेंट दे दिये जाते हैं। इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया।

यहां यह कहा गया कि 80 प्रतिशत भ्रष्टाचार है। 80 परसेन्ट की बात कहें चाहे सौ परसेन्ट की बात कहें, भ्रष्टाचार की बात कही गयी। भ्रष्टाचार है इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सही है। हमारा काम नीति निर्धारित करने का है। राजनैतिक लोग वादा करते आते हैं। वह सर्वोपरी है। उनका हुक्म चलना चाहिये। वह नीतियां निर्धारित करते हैं, वे कहां तक पूरी होती हैं यह देखने का काम भी राजनैतिक लोगों का है। यदि शहर में हम इस बात के लिये पीछे नहीं पड़ते तो शायद कार्य अधूरे ही रह जाते।

राजस्थान में आज भयंकर दुष्काल की स्थिति है। लोग भयंकर अकाल और भयंकर महंगाई से पीड़ित हैं। शहर के लोगों को अकाल की स्थिति मालूम नहीं है यह बात सही है। हम महाराष्ट्र गये। वहां पर सिनेमा देखने के लिये गये। हमने वहां पर सिनेमा के अन्दर यह देखा कि किस प्रकार से वहां के लोग अकाल से दुखी हैं। सिनेमा स्लाइड चला कर दिखाते हैं कि हमारे देहात की यह स्थिति है और हमको उनकी हालात को बदलना होगा। हम केवल यह मान कर चलते हैं कि 94 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को दे दिया, गुजरात को 46 करोड़ दे दिया और मैसूर को 18 करोड़ और राजस्थान के लोग 5 करोड़ 71 लाख ही प्राप्त कर सके। जैसा मैंने शुरू में बात करते हुए निवेदन किया था कि आज हमको वे पूछते हैं। इस बात को कहते हैं। हमारी उनसे दिल्ली में बात हुई है। दो करोड़ रुपया दिया आप खर्च नहीं कर सके। पहले दिया उसको लेप्स कर दिया और खर्च नहीं किया। डी. पी. ए. पी. में पैसा दिया उसको लेप्स कर दिया। क्या करते हैं आपके अधिकारी ? क्यों नहीं खर्च करते

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हैं ? योजना बनाइये और पैसे को योजनाबद्ध तरीके से खर्च कीजिये। सारा राजस्थान अकालग्रस्त है। लगभग 20 हजार से ऊपर गांव अकालग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं। उनको सहायता नहीं दे पाते हैं तो फिर कहीं से भी सहायता नहीं मिल पायगी। आज राजनैतिक दृष्टि से हम सक्षम हैं और लोग जो कहते हैं कि दिल्ली जाकर हमारे मुख्य मंत्रीजी गिड़गिड़ाते हैं, यह सही नहीं है। कारण इसका यही है कि हमारे यहां पर अफसरी वातावरण है। उसको यदि नहीं बदला तो राजस्थान देश के अन्य भागों से सौ साल पीछे हो जावेगा।

अभी हम लोग आबू गये। हमारी कमेटी के सेक्रेटरी ने डाक बंगले के चौकीदार से कहा कि एम. एल. एज. आये, हैं इनके लिये बंगला खोल दीजिये। उसने कहा कि एम. एल. एज. आये हैं तो अपने पेट के लिये आये होंगे हमारे लिये नहीं आये, रात्रि 1 बजे दर्वाजा नहीं खुलेगा, सुबह आना। दूसरी ओर जब हम गुजरात की सीमा में थे। चैक पोस्ट पर मोटर के कागजात चैक करवाने हमारा टैक्सी वाला गया तो आर. टी. ओ. ने हमारी जानकारी होने पर कहा कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य यदि मेरे साथ चाय पीयें तो मेरे लिये यह सौभाग्य की बात होगी। यह दोनों घटनायें दो विभिन्न मनोवृत्ति की परिचायक हैं। इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम आगे बढ़े तो सागर डेरी को देखा जो सहकारिता के आधार पर गुजरात में चलायी गयी है। इसी प्रकार जहां अमूल घी बनता है, उस डेरी का नाम का पता नहीं, वह भी सहकारिता के आधार पर चलायी जा रही है। उन्होंने हमको अच्छे ढंग से समझाया और ठीक ढंग से सारी बातें एक्सप्लेन की। सूरत में पहुँचे तो उद्योगों देखा। दो साल के अन्दर 450 इन्डस्ट्रीज राउन्ड दी क्लाक चल रही है। हमने पूछा कि रा मेटिरियल कहां से मिलता है, कर्ज के लिये क्या सुविधायें हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टेबल पर आकर सब होता है। विकास की बात राजस्थान में करना चाहते हैं तो आज जो राजस्थान की हालत है उसको सबसे पहले ठीक करना चाहिये इसके तीन मुख्य आधार हैं। लघु उद्योगों को पनपा कर राजस्थान की गरीबी को राजस्थान की आर्थिक स्थिति को और बार-बार पड़ने वाले अकाल का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात, रेगिस्तान में ट्यूबवेल आदि की व्यवस्था करके पानी की कमी और दूसरी चीजों को पूरा किया जा सकता है। तीसरी बात मिनरल डेवलपमेन्ट के आधार पर बहुत कुछ काम कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थानी प्रवासी गुजरात में गुजराती एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं लेकिन जब राजस्थान के सम्बन्ध में बात आती है तो वह कहते हैं कि हम जब राजस्थान में जाते हैं तो हमारी किसी प्रकार की भी कद्र नहीं होती है। [illegible] बात नहीं करना चाहते हैं। हनको सलाह नहीं दी जाती है। आप कहते हो कि उद्योग-धन्धे लगाओ। चार दिन पहले भारत सरकार

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के मंत्री यहां पधारे। उसमें वह कह रहे थे कि प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में उद्योग-धन्धे नहीं लगाते हैं। उनसे बात की सौ करोड़ की गारन्टी ले रहे हैं उद्योग-धन्धे लगाने की। इन्डस्ट्री के लिये 800 प्लाट रखे गये। 400 प्लाट दिये गये। सौ उद्योग चल रहे हैं। साल भर से उनको रॉ मेटिरियल नहीं मिलता। साल-साल भर से उनको कर्जा नहीं मिला। आखिर आप किस प्रकार से राजस्थान का डेवलपमेन्ट करना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने सारी बातों को ध्यान में रखा है। इसका प्रारूप रखा है। जो इम्पलीमेन्ट करने वाले लोग हैं यह उन पर है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यदि उन पर इसी प्रकार से भरोसा किया गया तो ये राजस्थान को डुबो देंगे। उनके अन्दर लगन नहीं है, तड़फ नहीं है कि वे इन सारे कामों में जुट जांय। उनकी तो रुचि है नग्न-प्रदर्शन देखने में जो आचार्य रजनीश के यहां किये जाते हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है। इनकी रुचि केवल एक मात्र रहती है कि हमारे लिये सुख सुविधायें किस प्रकार से जुटायी जायं। कहीं एक्सीडेन्ट हो गया, 13 हजार रुपया वसूल कर लेते हैं। मेन्टल ट्रबल हो गयी। देने वाले भी ये ही और लेने वाले भी ये ही जो आम जनता के फायदे की बात है, गरीब के फायदे की बात है उसके लिये यह तैयार नहीं। चन्द लोगों के लिये यह सब कुछ हो रहा है। हमारी पार्टी ने हर तरह के वादे किये हैं। उसको पूरा करने के लिये पूरी ताकत लगा देंगे।

मैं बात कह रहा हूं सवाई मानसिंह अस्पताल की। कोई मरीज अरती होता है, चाहे किराये के बंगले में रहता हो, जो सैलाइन दी जाती है वह आठ रुपये में पड़ती है। अस्पताल के अधिकारी उनको सिर्फ 3 रुपये में खरीदते हैं, मैनूफैक्चर होता है तो वह 1½ रुपये में पड़ती है। उसी का 8 रुपये का रिएम्बर्समेन्ट होता है। जो सही माने में राजस्थान का मालिक है जिसके लिये सारी सुख-सुविधाओं की दुहाई देते हैं उसके जिम्मे सिर्फ तीन नया पैसा दवा का पड़ता है। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था इस पर और मांग की थी कि जब हम एक विशिष्ट वर्ग को गारन्टी देते हैं तो हमारी गारन्टी सारे राजस्थान के लोगों के प्रति भी वही होनी चाहिये। राजस्थान के उन बहुसंख्यक लोगों को हमें आश्वस्त करना है। यदि आप बीमार होते हैं तो उसकी सारी चिकित्सा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे बजट के फिगर देख लीजिये कि यह सारा रुपया किस जगह खर्च हो रहा है। लाखों रुपया इसमें से बचाया जा सकता है। उनको नहीं बचाकर केवल कुछ लोगों की सुख-सुविधा के उपभोग के लिये रुपया खर्च होता है तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि दुबारा इसको वे देखें कि किस प्रकार से हम आम जनता के लिये जो हमारी वास्तविक मालिक है, सुख-सुविधा जुटा सकते हैं।

मैं जिस इण्डस्ट्री के बारे में निवेदन कर रहा था और जिस एप्रोच पेपर टू फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का जिक्र किया था, जो राजस्थान सरकार की तरफ से प्रकाशित हुआ है, उसमें लिखा है :

(श्रीराम गोटेवाला)

"It has been found that inspite of some weitage given by the Planning Commission in the 4th Plan to backwardness, the per capita investment in the backward states has continued to lower. Investment in the Central sector, assistance from the financial institutions, assistance of the reserve bank to co-operative institutions have gone largely to the more advanced states......"

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। यह फाइव इयर प्लान का एप्रोच पेपर इस सदन में नहीं रखकर राजस्थान सरकार ने प्रसारित कर दिया है। मैं समझता हूं यह इस सदन का अपमान है। यह सबसे पहले सदन की टेबल पर रखा जाना चाहिये था और इस सदन को इस पर अपने विचार रखने का मौका मिलना चाहिये था। इसलिये चाहूंगा कि आप राजस्थान सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगें। और भी जो वैधानिक तरीके इस सम्बन्ध में आगे आवेंगे वे सभी इस्तेमाल किये जावेंगे। सदन को प्रारम्भ हुए 6 दिन होने को आये पर सरकार ने अभी तक इतने महत्वपूर्ण पत्र को यहां ले नहीं करके सदन की शान के प्रतिकूल काम किया है। आप आग्रह करें कि वह सदन की टेबल पर रखा जाय और यहां रखने से पहले ही कैसे प्रकाशित कर दिया गया इसका स्पष्टीकरण मांगा जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी यह निवेदन करना है कि केवल कुछ लोगों को, जो यह महत्वपूर्ण दस्तावेज सरकार ने दे दिया और बाकी सदन को इससे महरूम रक्खा, यह सदन की गरिमा के विपरीत है। यह भी सरकार से पूछा जावे कि क्या यह पब्लिक तौर पर प्रकाशित कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। आप उसी के बारे में कहें। आपका सवाल व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। जो पौइन्ट ऑफ ऑर्डर रामानन्दजी ने उठाया है उस पर आसन की ओर से कल व्यवस्था या निर्णय दिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन दी पौइन्ट ऑफ अनादर ऑर्डर सर। आप जब तक इस पर निर्णय दें तब तक इस पर सदन में डिसकशन नहीं होना चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : बोलने तो दें। बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहते हैं। फिर यह व्यवस्था का प्रश्न न भी हो तो भी प्रोप्राइटरी का सवाल जरूर है। Courtsy also demands it.

श्री श्री राम गोटेवाला : पौइन्ट ऑफ ऑर्डर पर कल आप निर्णय देंगे। मैं निवेदन कर दूं कि यह प्रिन्टेड डोकूमेन्ट है और शायद मेरे को भी मिला है सरकूलेशन में कहीं से। मैं नहीं कह सकता कहां से मिला।

Page No 104

(104)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें भी क्या घोटाला है ?

श्री खेतसिंह : घोटाला नहीं गोटेवाला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन कर रहा था। लास्ट में दो-तीन लाइनें और हैं :

" The investment in the Central sector, industrial projects in Rajasthan constitute only 2.8% of the total. Similarly the assistance from the industrial development bank in Rajasthan is low. Advances made by the commercial banks also indicate that Rajasthan's share is 1% as against 30% advances given in Maharashtra, 19% in west Bengal, 11% in Tamilnadu and 6% in Gujrat. Per capita investment by these banks in Rajasthan is only Rs. 18.2 as against Rs. 69.4 for the country as a whole and Rs. 231.6 in Maharashtra, Rs. 136.7 in West Bengal, Rs. 107.6 in Tamilnadu and Rs. 89.7 in Gujrat. As a corrollary of the level on development, private sector investment too has gone into the more advanced states.

उद्धृत सामग्री को सदन पटल पर रखने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऑन ए पौइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। माननीय सदस्य ने जिन पेपर्स में से सदन में उद्धरण रक्खे उसे वे टेबल पर भी रखें। मेरे खयाल से इस तरह की व्यवस्था सदन में पहले भी हो चुकी है। जो पेपर सदन में पढ़े जावें उनको सदन के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था आज भी कायम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब तक किसी पेपर की सत्यता को चेलेन्ज नहीं किया जावे तब तक उसको सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग रोजमर्रा किसी पुस्तक में से, अखबार में से उद्धरण देते रहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह पेपर है, पुस्तक नहीं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ये पेपर कहां से आये इसकी जानकारी से हमें क्या लेना देना कहीं से भी आये हों। माननीय सदस्य को बोलने देना चाहिये। दुर्भाग्य है कि हमारे यहां रिसर्च विभाग नहीं है। होता तो यह आंकड़े उसके मार्फत भी हमें मिल सकते थे। अगर ये कहीं से ले आये हैं और उसे यहां पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वे कह सकते हैं वे यूनीवर्सिटी के इकोनोमिक डिपार्टमेन्ट से लाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य श्री यशवन्तसिहजी ने जो कहा मैं उससे

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सहमत हूं । इसमें कोई पौइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है । कोई ऑफिशियल पेपर कहीं से हो किसी प्रकार से भी हो, सदस्य के हाथ में आ सकता है अनऑफिशियली भी आता ही है। उन पर सदन में चर्चा हो तो इसमें मैं तो कोई आपत्ति जैसी बात नहीं समझता इस तरह के प्रश्न न उठने चाहिये, न उठाने चाहिये ।

जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा यह प्रोप्राइटरी का सवाल जरूर है जिस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र आया तो सरकार को चाहिये था कि इन सेट ऑफ पेपर्स को भी राजपाल के भाषण के साथ-साथ सदस्यों को वितरित कर देती ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जिन दस्तावेजों को सदन की टेबल पर रखने के लिये कहा है यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह टेबल पर रखे उनको या न रखे ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा निवेदन यह था कि हमारा जो इन्वेस्टमेन्ट 2.8 परसेन्ट है, जिसके बारे में पिछले बजट सत्र में भी जिक्र किया गया था उसी को बढ़ाने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे केन्द्र को इसके लिये प्रेरित करें, एप्रोच करें । सवाई माधोपुर में तेल-शोधक कारखाना लगाने के लिये बात आई थी पर वह कारखाना भी उत्तरप्रदेश में चला गया। राजस्थान उससे भी वंचित रहा । राजस्थान में इस प्रकार की कोई बड़ी इन्डस्ट्री केन्द्रीय सरकार की नहीं है ।

हमने खाद का कारखाना लगाने की मांग की थी । उस समय इस पर आश्वासन भी मिला था कि निश्चित रूप से राजस्थान में वह लगेगा ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिनका मुख्य काम सरकार की नीतियों की तरफ इंगित करना होता है कहीं भी उस खाद के कारखाने का उल्लेख नहीं है । अभी चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि खाद का कारखाना चित्तौड़ में लगे । कहीं लगे और कहीं न लगे मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि 240 करोड़ की लागत का कारखाना, जिसके बारे में बहुत जोरों से आवाज उठाई जा रही थी, वह राजस्थान से बाहर जाये । पाइराइट का कारखाना भारत सरकार का कन्सर्न है उसको देने की बात थी और यह बात थी कि कुछ खनन के काम के बाद कारखाना यहां लगाया जाय। अब जो तकनीकी रिपोर्ट की बात कही, उसमें भी मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से गलत ढंग से रिपोर्ट लेकर विशेष जगह पर ले जाने की बात है । आज पाइराइट से सिन्दरी का कारखाना चलता है और वहां 100 माइल दूर लगे हुये होने पर 34 लाख का नुकसान हुआ है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ हमारे जो बेसिक काम है वे लगन के साथ आगे बढ़ने चाहिये । मुझे किसी प्रकार का आधार इस बात में दिखाई नहीं दिया

(श्री श्रीराम गोदेवाला)

इन्डस्ट्रियल एन्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन के बारे में क्या करना चाहते हैं। वह खाद का कारखाना कहां हो, कहां नहीं हो यह तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है मेरी बात के साथ सारा सदन सहमत होगा कि राजस्थान में लगना चाहिये। हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। मैं अभी दिल्ली गया था तब मालूम हुआ जापान के सहयोग से हिन्दुस्तान में पांच कारखाने लगेंगे, उसमें राजस्थान का नम्बर कहीं नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, ये सारे काम नहीं हुये तो 8 हजार 61 टन जो मिनरल पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालने की कौन व्यवस्था कर रहा है। आखिर किस प्रकार हम उन लोगों को, इसी अप्रोच पेपर में कहा है, 61 परसेन्ट जो पापूलेशन है वह पावर्टी से भी बिलो है। इसको हम किस प्रकार दूर करेंगे। 4,600 गांवों को बिजली देकर यह समस्या दूर नहीं होगी। 574 को और देना चाहते हैं। माफ कीजिये राजस्थान में 32 हजार गांव हैं। अगर पूरे राजस्थान में आपने विद्युतिकरण नहीं किया और यह लक्ष्य नहीं रखा तो राजस्थान 100 साल पीछे इस देश में हो जायगा। हमारे यहां से मिनरल कार्पोरेशन चला गया। जो भारत सरकार का जियोलोजिकल सर्वे चल रहा है उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ अकेले राजस्थान में करीब 37 परसेन्ट चल रह है लेकिन वह कार्यालय भी नागपुर ले जाया गया। उस कार्पोरेशन के अधिकारियों ने जमीन देने की बात की जिस पर कार्यालय का भवन बनाना चाहते थे और उनके पास पांच करोड़ का बजट प्रोविजन था, वह जमीन नहीं दे पाये इसलिये मिनरल एक्सप्लोरेशन का कार्यालय यहां से चला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन सारी बातों के बारे में तय किया गया था कि पांच लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जायगा। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर मुझे लगता है कई योजनाओं के अभाव में जैसा अकाल के अन्दर हम यह कहते रहे हैं कि केन्द्र से गुजरात अधिक धन ले गया, महाराष्ट्र अधिक राशि ले गया तो यह वही हालत है कि हमको जो रुपया दिया जाता है, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं।

हमारे अधिकारी आज यह करवा लें कि राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमें आज दूध देने वाले मजदूरों की आवश्यकता नहीं है। आज खून देने वाले मजदूरों की आवश्यकता है। आज राजस्थान को हरा-भरा करने के लिये वे अपने आपको अर्पित कर सकें। इस प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता है। हमारे सारे ढांचे को फिट करवाना होगा....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अगर यह सारा काम नहीं हुआ तो जो लक्ष्य प्राप्त करने को तय किये गये हैं वे अधूरे रह जायेंगे। दो मिनिट और लूंगा उपाध्यक्ष महोदय। एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ हमारे शहर में और सारे राजस्थान में विशेषकर अलवर में हलवाइयों की हड़ताल हुई। उपाध्यक्ष महोदय. ये छोटे-छोटे लोग हैं पता नहीं वित्त मंत्रीजी का क्या दृष्टिकोण है। मैं विशेष निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन छोटे-छोटे लोग हैं, जो कैश मीमो नहीं

Page No 107

(107)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रख सकते, जिनकी 50 दिक्कतें हैं। उनके यहां जाकर बिक्री कर के अधिकारी रोकड़ गिनते हैं और सारी बात करते हैं, जिनको करने का अधिकार नहीं है और दूसरी तरफ मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय जे० के० समूह है, कोटा में अलग चलता है–राजस्थान सरकार सस्ती दर पर उसको बिजली देती है, करजा देती है और जो माल वहां बनता है उसको यह कह कर....

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा सदन का समय 8–00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

सदन की सहमति से 8.00 बजे तक का समय बढ़ाया गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो मैं यह निवेदन कर रहा था जितना माल बनता है उसका एक पैसा सैल्स टैक्स का नहीं दे रहे हैं, और यह कह कर नहीं देते हैं कि सारा माल हम दूसरी ब्रान्च को ट्रान्सफर कर देते हैं। हमारे सैल्स टैक्स के ऑफिसर्स ने सारी चीज की एन्क्वायरी की। बम्बई, सूरत जहां-जहां ब्रान्चेज हैं, सैल्स टैक्स अधिकारी गये और फिर बाद में यह रिपोर्ट दी कि इनके ऊपर सैल्स टैक्स लागू होता है। यह इनकी ब्रान्च नहीं है – फर्जी नाम से धन्धा कर रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट दबा दी गई। सौभाग्य से सदन में दो केबीनेट स्तर के मंत्री हैं। वे उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि इस सदन की मेज पर रखवाये कि जे० के० समूह को क्या रिपोर्ट दी है। आज इस कारखाने में लाखों रुपयों का सरकारी गबन होता है और इस मामले में सब चुप रहते हैं और चन्द छोटे-छोटे हलवाई, जो गांव-गांव में रहते हैं उनके प्रति सरकार खराब स्थिति पैदा करना चाहती है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार जे० के० समूह है, डी० सी० एम० है जिनकी सारी फैसिलिटी राजस्थान सरकार से मिलती है, सारी सुविधायें यहां से लेंगे लेकिन किसी प्रकार टैक्स देने की बात उनके पास नहीं रहती है।

पिछली दफा जितना असेसमेंट हुआ उनका फ्री किया गया अबकी बार ईमानदार सैल्स टैक्स ऑफिसर आ गया, जिनको परचेज नहीं कर सके, उसने इनके खिलाफ 74 लाख रुपया का सैल्स टैक्स निकाला है। वे हाईकोर्ट गये, वहां उनकी रिट खारिज हो गई। अब वे सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर गये हैं कि पहले के अधिकारियों ने उन पर सैल्स टैक्स नहीं लगाया था। इसलिए इसको दुबारा री-ओपीन नहीं किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला 74 लाख का नहीं बल्कि यह करोड़ों का मसला है। यह मसला उन लोगों का है जिन लोगों ने मोनोपाली बना करके राजस्थान की सारी पूंजी को और राजस्थान के सारे धंधों को अपने आप तक सीमित कर रखा है और उसकी सुख-सुविधाओं से राजस्थान वंचित है। कहीं दस, पन्द्रह लाख की घोषणा कर देंगे कि हम अस्पताल बना रहे हैं। कहां अस्पताल है ? कहीं नींव का पत्थर भी नहीं लगा है और हमारे मंत्री महोदय वहां के उद्घाटन समारोह में शामिल हो जाते हैं और

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जहां 74 लाख की गड़बड़ियां हैं वहां 15 लाख दे देंगे और वादा कर देंगे और उसके बाद हुआ क्या इसकी कहीं जानकारी नहीं मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रिम कोर्ट में हमने यह केस हारा तो हम भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हारेंगे। एक ईमानदार आदमी ने 74 लाख का असेसमेंट किया और उसमें हम हाईकोर्ट से जीत गये और उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रुचि ली, मैं तो कहना चाहता हूं कि हमें उस आदमी को पुरस्कृत करना चाहिए कि उसने इतने बड़े कन्सर्न के खिलाफ इतना डिसीजन दिया और हमारी सरकार हाईकोर्ट में भी जीत गयी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक ही मिनट में समाप्त करता हूं। और दूसरी तरफ दूसरे अधिकारी जिनकी वजह से राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ उसके बारे में निवेदन करूंगा कि हम इन सब की जांच करायें ताकि हमको असलियत का पता लगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य बात पर पर पुनः आता हूं। आज राजस्थान के विकास के लिए सब लोगों में तड़प है और हम सारे देश के दूसरे हिस्से में लोगों को देखते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : साहू जैन को भूल गए आप।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भूलने की कोई बात नहीं। इसके लिए भी यदि आवश्यकता हुई तो बोलूंगा। मैं उस पर भी आता हूं। लाखों लोगों को रोजगार दिया जाये उसमें साहू जैन बाधक बनता है तो मैं उनकी भी खिलाफत करूंगा। यहां का लाखों रुपया वह डालमिया दादरी में जाकर लगा देते हैं तो मैंने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जायेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मुख्य बात को कहकर एक मिनट में ही समाप्त करता हूं। आज राजस्थान के अन्दर तड़प है और आगे बढ़ने की तमन्ना है और इसके साथ में जिस तरह से यहां का आदमी मंहगाई से भयंकर रूप से पीड़ित है, और कोयले के लिए हजारों आदमियों को क्यू में खड़ा होना पड़ता है, आज राशन लेने के लिए जैसी व्यवस्था है उसके अन्दर उसको परेशानी हो रही है उन सबको हमें दूर करना चाहिए।

हमने मांग की कि दिल्ली से अहमदाबाद तक की ब्राडगेज लाइन डाली जाये और वह लाइन हमारी सेंक्शन हुई। मैं भारत सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मांग स्वीकार की। इसके अलावा हमने मांग की कि बीकानेर से कांडला तक की लाइन भी डाली जाये और उसके लिए भी सर्वे के आदेश हुए हैं। बीकानेर से कांडल रेल्वे लाइन बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी तो वह राजस्थान के विकास के अन्दर अपने आप को बहुत बड़ा साधन जुटा पायेगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का जो एप्रोच पेपर है, मुझे बहुत बातें कहनी थी लेकिन

(श्री श्रीराम गोटेयाला)

बजट के समय जिक्र करूंगा। लेकिन जो तड़प है वह और है। दुनिया के दूसरे लोग चांद पर पहुंच गये और हम धरती पर पड़े हुए इन्सान को पीने का पानी नहीं मुहैय्या कर सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक सैकिण्ड। अब एक मिनिट से एक एक सैकिण्ड पर आ गया हूं, अभी समाप्त करता हूं। सारी बातों को करवाने में हमें जुट जाना चाहिए और जो मशीनरी हमारी सारी बातों को पूरा करवाने में अक्षम है तो हम उस मशीनरी के खिलाफ कार्यवाही करें और अगर हमने कार्यवाही नहीं की तो लोग हमको भी बरदाश्त नहीं करेंगे, हम को भी लोग हटा देंगे। तो मैं इसी आशा के साथ कि जो हमने लक्ष्य रखे हैं, उनको पूरा करवाने में सारी मशीनरी हमको साथ देगी और जो साथ नहीं देंगे वह नहीं रह पायेंगे किसी भी कीमत पर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि हम राजस्थान की तरक्की के लिए आगे बढ रहे हैं उस पर राज्यपाल महोदय ने जिस तरह से अभिभाषण देकर हमको अनुगृहीत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हमारी सरकार की उपलब्धियों का जो लेखा-जोखा दिया गया है उस सम्बन्ध में, मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो इस अभिभाषण में इसका समावेश नहीं है कि राज्य ने आर्थिक उन्नति कितनी की है इस साल में। यह बताना चाहिए था कि हमारे राज्य की आमदनी कितनी बढ़ी है और कितनी गिरी है। प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी कितनी बढ़ी और कितनी कम हुई और देश में हमारा कितने नम्बर पर स्थान है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अकाल जरूर चारों ओर छाया हुआ है और हर नागरिक के दिमाग पर उसकी वेदना का प्रभाव हो चुका है। वैसे तो अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि हमारे यहां राज्य में 18498 गांव अकाल से पीड़ित हैं और 2 करोड़ 56 लाख जनता में 1 करोड 30 लाख लोग पीड़ित हैं अर्थात् हमारी लगभग 65 प्रतिशत जनता, जो कि गांवों में रहती है, वह अकाल से पीड़ित है। परन्तु यह जो 1 करोड़ 30 लाख जनता है जिसको 5 का औसत मानें तो 26 लाख परिवार बनते हैं उसमें सरकार ने रोजगार अकाल के क्षेत्र में 3 लाख 41 हजार को दिया। 6,500 को राजस्थान केनाल पर रोजगार दिया और 1 लाख 10 हजार को रोजगार डी. पी. ए. पी. और दूसरे कार्यों पर दिया अर्थात् कुल मिलाकर 4,61,590 व्यक्तियों को हमने रोजगार दिया और 26 लाख परिवार पीड़ित हैं। इसका मतलब यह है कि 6 परिवार में से 1 परिवार को रोजगार दिया गया है और बाकी को नहीं दिया गया है। अकाल से रोजगार का सीधा सम्बन्ध जोडना व्यर्थ है। हम समाजवादी समाज बनाने जा रहे हैं। राज्य की जो उपलब्धियां हैं उसमें विशेष बात यह कहता हूं कि समाजवादी समाज में देश के प्रत्येक नागरिक को, मानव को पांच चीजों की मूलभूत आवश्यकता है–भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। ये पांचों आवश्यकतायें न्यूनतम स्तर पर लोगों

(श्री अमृतलाल गहलोत)

को उपलब्ध कराई जायेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पहली आवश्यकता भोजन की है और भोजन में भी मैं संतुलित भोजन की नहीं कहता हूं। केवल अनाज महज जिन्दा रहने के लिए दिन भर में एक इन्सान को कितना चाहिये 550 ग्राम याने महीने में 17 किलो चाहिये। 17 किलो अनाज हम नहीं दे सकते फिर कौनसा समाजवाद बनाने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार की सीमायें हैं, आर्थिक सीमायें हैं लेकिन आखिर वह देश के नागरिक हैं और सारे देश का कर्त्तव्य हो जाता है कि जब किसी प्रदेश पर संकट आता है तो दूसरे प्रदेश उसका भार उठायें। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आज उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो वह केन्द्रीय सरकार पर इस बात का दबाव डाले। मैं समझता हूं कि इस सीमा में हमारी सरकार ने, हमारे संसद सदस्यों ने अपने कर्त्तव्य को पूरा नही निभाया है। केन्द्र से महाराष्ट्र को अकाल के नाम पर जो कुछ मिला है, उसमें उनके साथ पक्षपात किया है हमारे साथ अन्याय किया है। दूसरी चीज यह है कि दुर्भाग्य से उनकी नजरों में हमारी साख भी गिर गई है। जो पहले धनराशि प्राप्त की उसका लेखा-जोखा दिया नहीं जिससे वे समझते हैं कि वास्तव में राजस्थान में अकाल की स्थिति नहीं है और अकाल के नाम पर केन्द्र को ठगते हैं। शेर आया, शेर आया चिल्लाते रहे लेकिन शेर था नहीं लेकिन जब शेर आया तो कोई मदद को नहीं आया और शेर खाकर चला गया। यही हालत आज हमारी हो गई है।

जहां तक अनाज का प्रश्न है, यहां पर दिसम्बर 1 को 2.3 लाख टन अनाज हमारे गोदामों में फूड कार्पोरेशन का पड़ा हुआ था परन्तु राजस्थान को उनमें से केवल दिसम्बर के महीने में दस हजार टन गेहूं ही दिया गया और राजस्थान के बाहर 35 हजार टन भेजा गया। अर्थात् जब हम यहां गेहूं के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे थे हमारे यहां से अनाज बाहर भेजा गया। जहां तक मुझे मालूम हुआ है उसी समय महाराष्ट्र को दो लाख टन अनाज दिया गया है। और हमारी सरकार के कुछ कर्मचारियो की ढील से, जो हमें 30 हजार टन मक्का पंजाब से लेनी थी, वह लेप्स हो गई। मैं एक शहर के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे मालूम है कि राशन की दुकानों के समक्ष कितनी भीड़ रहती है। अनाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि सरकार 20 तारीख को केन्द्र से पूछ कर 25 तारीख तक जिलाधीशों को बता दे कि कितना कोटा मिलेगा और राशन की दुकानों पर व्यवस्थित रूप से यहा बांट दिया जाय। पहले से यह बता दिया जाय कि फलां-फलां राशन कार्ड के नम्बर वालों को फलां-फलां दुकान से राशन मिलेगा। इस समय परिस्थिति राशन की दुकानों की क्या है और राशन की दुकानों के सामने क्या हो रहा है वहां पर झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, लोगों के सिर फूटते हैं। यदि यह भी हुकूमत का काम है कि जो कुछ भी देना हो वह शांति के साथा तो दे दे, लोगों को शांति के साथ चीज मिल जाय तो इसमें भी हमारी शोभा बढ़ती है। जहां तक अकाल का सम्बन्ध है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 16 गांव अकाल में आए हैं और मुझे कहा गया है कि शीघ्र में अकाल राहत कार्य शुरू कर

(श्री अमृतलाल गहलोत)

दिये जावेंगे। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री महोदय ने जो मुझे विश्वास दिलाया है कि इन 16 अकालग्रस्त गांवों में अकाल राहत कार्य जल्दी ही शुरू किये जायेंगे तो मैं समझता हूं कि वे इस वायदे को पूरा करेंगे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मोटे कपड़े का उल्लेख किया गया है। मैं इस बारे में एक चीज बताऊंगा कि इससे अधिक हास्यास्पद बात कोई और नहीं हो सकेगी। कुल राजस्थान की 2 करोड़ 60 लाख की जनसंख्या को 1 करोड़ 20 लाख मीटर कपड़ा साल भर में उपलब्ध होगा अर्थात् 50 सेंटीमीटर कपड़ा साल भर में मिलेगा, परन्तु जब मैं यहां के राज्य स्तर के भन्डार के अध्यक्ष, जो रिटायर्ड आई. ए. एस. ऑफिसर हैं, उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि एक हजार गांठें राजस्थान के लिए तय की गई थी, इस महीने में 500 गांठे आई हैं और पूरा कोटा मिलता नहीं है। अर्थात् जो कपड़ा मोटा रखा है साल भर में केवल मिलेगा 65 लाख मीटर अर्थात् एक व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर, इससे तो पूरी लंगोटी भी नहीं बन सकती....

श्री गुमानमल लोढ़ा : कफन के लिए काफी होगी।

श्री अमृतलाल गहलोत : 25 सेंटी मीटर में तो कफन भी नहीं हो सकता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह अपने हिसाब से बता रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह : मोटा कपड़ा है ही नहीं। है कहां मोटा कपड़ा ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : कागजों में है।

श्री अमृतलाल गहलोत : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया हैं सिंचाई के बारे में। देश भर में करीबन 40 करोड़ एकड़ में खेती होती है उसमें से 10 करोड़ में सिंचाई होती है। गांधीजी की शताब्दी पर हमारा लक्ष्य था दस करोड़ एकड़ यानी सौ मिलियन एकड़। दस करोड़ एकड़ का मतलब है 25 परसेंट सिंचित भूमि देश में होगी औसतन। परन्तु राजस्थान में केवल 18 परसेंट है, क्योंकि बरसात ज्यादा होती नहीं. नदियां भी कम हैं। अतः हमें जो कुछ भी हमारे पास जलाशय हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए। जो भी सिंचाई के साधन हैं, तालाब हैं, लिफ्ट इरिगेशन हैं इनका उपयोग करना चाहिए. परन्तु यह पानी पर्याप्त नहीं होगा। हमें नर्मदा का रावी-सतलज और व्यास का पानी राजस्थान केनाल में आ रहा है तो उस पानी के भण्डार का उपयोग करना चाहिए। कहते हैं कि गंगा का कावेरी से लिंकेज होगा। यह बात कांग्रेस के मैनीफेस्टो में भी है। जब गंगा का पानी कावेरी में जा सकता है तो गंगा का पानी राजस्थान में क्यों नहीं लाया जा सकता ? आपको गंगा का पानी राजस्थान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। कृषि उत्पादन को लीजिए। दो साल पहले राजस्थान में कृषि उत्पादन की प्राप्ति 87 लाख टन था। पिछले साल उसमें गिरावट आई और इस साल तो और भी गिरावट है। पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय

(श्री अमृतलाल गहलोत)

के अभिभाषण में 4.50 लाख टन उर्वरक वितरण करने का कार्यक्रम था। इस साल फर्टीलाइजर्स की अत्यन्त कमी रही। करीब 26-27 रुपये बोरी में मिलने वाली उर्वरक और यूरिया जो करीब 50 रु० में मिलता था वह 80 और 90 रुपये बोरी में लोगों ने खरीदा है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। अर्थात् उर्वरकों के बारे में हमारी प्रगति नहीं के बराबर रही है।

विद्युत् को लीजिए। बिजली की स्थिति भी बड़ी ही शोचनीय है। वैसे हमारे यहां पर इस साल जो इंस्टाल केपेसिटी है, लक्ष्य था 4 लाख 41 हजार किलोवाट का परन्तु देश के अनुपात से देखें तो देश में लक्ष्य है 1 करोड़ 70 लाख अर्थात् 17 मिलियन किलोवाट। आबादी के अनुपात में राज्य में 8 लाख से ऊपर हमारे यहां होनी चाहिए इंस्टाल केपेसिटी देश के औसतन से आधी बनती है। जहां तक प्रति व्यक्ति उपभोग का सम्बन्ध है, देश का 100 किलोवाट घंटा है तो राजस्थान में 50 किलोवाट घंटा और महाराष्ट्र में 200 किलोवाट घंटा और अमेरिका में साढे सात हजार किलोवाट घंटा है।

जहां तक ग्रामीण विद्युतिकरण की योजनाओं का प्रश्न है देश में साढे पांच लाख गांव हैं। 1 लाख 25 हजार गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है, अर्थात् करीब 25 प्रतिशत वहां हमारे राजस्थान का 14½ परसेन्ट हुआ है। पिछले समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह उल्लेख था कि एक हजार गांवों का विद्युतिकरण किया जाएगा। जो दिसम्बर के आंकड़े दिए गए हैं वे यह हैं कि केवल 496 गांवों में बिजली पहुँचाई गई है, अर्थात् 75 प्रतिशत समय में आधे का उपयोग हुआ है और आधा काम होना है। तीन महीने का समय है जनवरी, फरवरी, मार्च और गति शिथिल हो गई है, अर्थात् हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। जहां तक कुओं पर बिजली पहुँचाने का प्रश्न है हमारा लक्ष्य था 20,000 कुओं पर बिजली पहुँचाना, इसमें भी शोर्टफाल रहा है। कुल मिला कर 12,400 कुओं को बिजली पहुँचाई गई है जिसका मतलब है कि 75 परसेंट समय में 60 परसेंट लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं।

जहां तक अनुसूचित जाति जन-जाति की बस्तियों में बिजली पहुँचाने का प्रश्न है इसमें भी भयंकर पक्षपात किया गया है इसमें कोई सिद्धान्त नहीं रखा है और 424 बस्तियों के लिए स्वीकृत योजना में से केवल 162 बस्तियों में अभी तक विद्युत् पहुँचा पाये हैं। जहां तक प्लानिंग बोर्ड का सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं, परन्तु प्लानिंग बोर्ड का जो लक्ष्य रखा गया है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो लक्ष्य केवल लक्ष्य बन कर रह जाएगा। इसमें आर्थिक प्रगति का लक्ष्य, आर्थिक उन्नति का लक्ष्य 7 परसेंट रखा गया है। जबकि भूतकाल में हम ढाई परसेंट, तीन परसेंट और चार परसेंट तक कर पाये हैं। मेरे ख्याल से साढ़े तीन और चार से सात परसेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अनुशासन लाना पड़ेगा। अनुशासन हमें विधायकों में लाना पड़ेगा, अनुशासन हमें मंत्रियों पर लाना पड़ेगा, अनुशासन हमें राज्य कर्मचारियों पर लाना

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पड़ेगा। जहां छः-छः महीने में ट्रांसफर हों, दूसरी ओर वर्षों से जागीर छोड़ते नहीं हों, ऐसी दुर्व्यवस्था हो, अपौइन्टमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन में, पक्षपात हो उस सरकारी मशीनरी से 7 परसेंट की प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमको सबको प्रेरित करना पड़ेगा वरना यह भ्रममात्र ही बना रहेगा।

जहां तक जलप्रदाय योजनाओं का प्रश्न है, राजस्थान ने रिकार्ड कायम किया है, दस करोड़ की योजनाओं को हाथ में लिया। दुर्भाग्य से हुआ क्या कि स्कीमें और परियोजनायें तो मंजूर कर दीं लेकिन होता क्या है कि नल नहीं मिलते, न ए. सी. सी. ई. न प्लास्टिक के पाइप। करोड़ों रुपयों के आर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं और उधर स्वीकृत स्कीमें पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा होता आज से कुछ वर्ष पहले हमारे यहां पर सीमेंट पाइप्स के एस्बेस्टो पाइप के ए. सी. पाइप के कारखाने लगाते। क्या हुआ कि जहां-जहां कारखाने राजस्थानियों के हैं कई राज्यों में कारखाने हैं और पाइप वहां के लिये रिजर्व कर दिये हैं। ये कारखाने हमारे यहां पर भी लगने चाहियें। हमारे उद्योगपति दूसरे राज्यों में जाकर कारखाने लगा रहे हैं। इसके लिये हमारी भी योजना होनी चाहिये और उस योजना के अनुसार वे यहां पर कारखाना लगावें। देर आयद दुरुस्त आयद। अब भी हम कारखाना लगवाने की ओर ध्यान दें। रॉ-मेटेरियल हमारे पास में है। दिन प्रतिदिन मिनीमम नीड्स बढ़ती जा रही हैं इसलिये यह पाइप का कारखाना लगवावें वरना पाइप की कमी की वजह से हमारी योजनाएं खटाई में पड़ जायेंगी।

जहां तक हरिजन और अनुसूचित जातियों की बस्तियों में नल लगाने का प्रश्न है मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जोधपुर शहर के साथ घोर अन्याय हुआ है। अब तक इस पर 50 लाख 21 हजार रुपया खर्च किया गया है परन्तु इसमें से क्या एक नया पैसा भी जोधपुर के एक लाख हरिजनों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है।

औद्योगीकरण की बात का राज्यपाल महोदय ने उल्लेख किया है। मैं साफ शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिकरण एक तरफ से शिथिल है। वह स्टेनस्टिल हो गया है। औद्योगीकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण पेश करता हूं। पिछले अभिभाषण जो हमारे राज्यपाल महोदय ने दिया था, उसमें उल्लेख है – दस उद्योगों के लिये राज्य सरकार को लेटर ऑफ इन्टेन्ट प्राप्त हो गया है। परन्तु इनको स्थापित करने के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रयास किया है। मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया है चार उद्योगों के लिये स्थान निश्चित हो पाये हैं और 6 उद्योगों के लिये निश्चित होने हैं। चार में से एक अलवर का स्कूटर का कारखाना है। यह जो दस उद्योगों के लिये, जो लेटर ऑफ इन्टेन्ट प्राप्त हुआ है, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि भविष्य में इनका कारखाना लगेगा या नहीं। इस बारे में सरकार की नीति ठीक नहीं है। औद्योगिकरण के अभाव में जन संख्या का दबाव गांवों पर पड़ रहा है इसलिये इस आबादी को दूसरे सैक्टर में ले जाना पड़ेगा। इसको उद्योग और व्यापार की ओर खपाना होगा। जोधपुर

(श्री अमृतलाल गहलोत)

में ट्रेक्टर का कारखाना स्थापित हो रहा है, यह बात सुनते-सुनते हम बहरे हो गये हैं। पहले यह बताया गया था कि यह फ्रेन्च कम्पनी के कोलोब्रेशन से स्थापित होगा। फिर बाद में यह बताया गया कि वेस्ट जर्मनी से हो रहा है। अभी मैंने मुख्य मंत्री महोदय से पूछा तो बताया गया है कि रशिया के साथ एग्रीमेन्ट हो रहा है। परन्तु इस बात को सुनते-सुनते भी 5 महीने हो गये हैं।

कुछ खनिज विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। यह दूसरा विभाग है जो कि शोषण विभाग है। यह विभाग राजस्थान के खनिजों का शोषण करता है, उनका विकास नहीं करता है। निश्चित रूप से मैं यह बात यहां पर कह सकता हूं। सबसे बड़ा उदाहरण तो वह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खनिज उद्योग से 25 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है और खनिज विभाग को वे 15 लाख रुपया दे रहे हैं जिसमें से 12 लाख रॉयल्टी के रूप में, 2 लाख रेन्ट के रूप में और 1 लाख मोटर तुलाई के रूप में दे रहे हैं। परन्तु यह विभाग सड़कों का भी विकास नहीं कर पाया है। पांच वर्षों में एक कौड़ी भी इस विभाग में इस पर खर्च नहीं की है; एक हजार गाड़ियां इस पर से गुजरती है और उससे सड़क थरथराती है। सड़क टूट रही है। एक रुपया भी सड़क मरम्मत के लिये खर्च नहीं हो पा रहा है। यह शोषण विभाग कब तक करेगा। सड़क को ठीक नहीं किया गया तो लोगों का रोजगार रुक जायेगा।

मैं सरकार की शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं। यह एक बोल्ड स्टेप है, परन्तु पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसका कारण है। एक हजार नई प्राथमिकशालाएं खोली गई हैं। और 1000 को उच्चतर पाठशालाओं को में क्रमोन्नत भी किया गया है परन्तु इससे उपलब्धि क्या होगी? 50 से बढ़कर औसत 60 हो जायेगा। कांग्रेस पार्टी के मेनिफिस्टों में लिखा है कि 1975 तक हम 6 से 11 वर्ष के वर्ग के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा देंगे। मार्च 75 तक हमें 100 पर जाना है इसके लिये वर्त्तमान एफर्ट्स को डबल करना होगा। एक हजार के बजाय दो हजार स्कूलों को क्रमोन्नत करना होगा। 6 हजार अध्यापकों के बजाय 12 हजार टीचर्स का रिक्रूटमेन्ट करना होगा तब तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। फिर भी जो कदम उठाया गया है वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इससे लोगों में शिक्षा का प्रसार होगा और लोकतन्त्र स्वस्थ होगा।

अब मैं अपने शहर के निर्माण के बारे में बात करूंगा। आज हमारा शहर सड़ रहा है। नगर परिषद् के पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार भी इस ओर कुछ नहीं कर रही है। दुःख की बात है कि हमारे साथ इस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है। जयपुर शहर को एक स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत 20 लाख और 15 लाख रुपया दिया गया है और हम को दिया गया है 5 लाख रुपया। 50 लाख रुपया जयपुर शहर को और दिया जा रहा है। हमारे जयपुर के विधायक तारीफ कर रहे थे कि बरकतुल्ला साहब गुलाबी नगर को सुन्दर बना रहे हैं। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं। जयपुर शहर के विधायकों

(श्री अमृतलाल गहलोत)

को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने प्रयास से जयपुर शहर के लिये धनराशि जुटायी है परन्तु यह राशि भारत सरकार से गंदी बस्तियों के उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मिल रही है और उसमें जयपुर शहर को भी सम्मिलित किया गया है। इसके लिये जयपुर शहर को 50 लाख रुपया मिलता है तो जरूर मिलना चाहिये। मैं इसका स्वागत करता हूं। गंदी बस्तियों का पैसा जयपुर शहर को गुलाबी नगर बनाने में नहीं लगाना चाहिये। ऐसी आशा मैं सरकार से करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर को भी अगले साल से पैसा मिलना चाहिये। हमारी सड़कों की मरम्मत के लिये, नालियों की मरम्मत के लिये पैसा दिया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये पैसा नहीं दिया गया तो मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि कल यहां पर बताया था, जोधपुर में एक भयंकर साम्प्रदायिक संस्था का जन्म हो गया है और वह सारे राजस्थान को डुबा ले जायेगी। या तो जोधपुर की गलियों, सड़कों, गड्ढों को मरम्मत करो वरना इस संस्था से सारे राजस्थान को खतरा पैदा हो रहा है। जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है इस अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि जोधपुर में दो मेडिकल एड पोस्ट खोले गये हैं। एड पोस्ट दूसरे कॉलेज का मुझे पता नहीं है। 1931 में जोधपुर की जनसंख्या 90 हजार थी और उस वक्त जोधपुर शहर में 6 डिस्पेन्सरियां थीं और आज 1973 में 3 लाख 60 हजार की जनसंख्या पर 7 डिस्पेन्सरीज हैं। याने स्वतन्त्र भारत के काल में जोधपुर शहर में केवल एक डिस्पेन्सरी खुल पाई है। रोगी शैय्याओं का प्रश्न भी इसी तरह है। जयपुर डिवीजन में एक करोड़ की जनसंख्या पर लगभग 7823 रोगी शैय्याएं हैं याने 1324 प्रति व्यक्ति पर एक रोगी शैय्या। बीकानेर डिवीजन में 25 लाख की जनसंख्या पर 1322 प्रति पुरुष पर एक रोगी शैय्या का औसत आता है और जोधपुर डिवीजन में 2000 प्रति व्यक्ति पर एक रोगी शैय्या का औसत आता है। इसलिये यदि हमको जयपुर और बीकानेर के बराबर चिकित्सा के क्षेत्र में लाया जाता है तो जोधपुर को 1500 रोगी शैय्याएं और चाहिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जोधपुर का पानी अच्छा है।

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चिकित्सकों का सवाल है राजस्थान में 9000 व्यक्तियों पर एक डाक्टर का औसत आता है जबकि पंजाब में 2000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर का औसत आता है और सारे देश का औसत 4500 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है। इसलिये डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। जहां तक रोगी शैय्याओं का प्रश्न है वह 1500 है जबकि हमारे राजस्थान में यह 1600 पर एक है। परन्तु फिर भी यह राष्ट्र के लगभग बराबर है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसकी सराहना करता हूं और महामहिम राज्यपाल महोदय के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम !

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री जयकिशन लाल तोसावाड़ा : हमारे साथ बराबर यह बात क्यों है। अगर नाम नहीं है तो स्पष्ट उत्तर दे दें तो हम चले जायं

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : जो लिस्ट बोलने वालों की हैं उनके नाम बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब तक वे हाउस चलाना चाहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितने माननीय सदस्य बोलना चाहें वह बोलें मुझे कोई एतराज नहीं है। जो आपकी सूची दी गई है आपके सचेतक महोदय द्वारा उसके मुताबिक मैं पार्टी या दल के माननीय सदस्यों के नाम बोल रहा हूं। यह नहीं है कि कोई नाम पहले आया है या पीछे आया है। यह आप तय कर लें सचेतक महोदय से। यदि वे चाहें तो इसमें हेरफेर कर लिया जाय।

श्री जयकिशन लाल तोसावाड़ा इसके अन्दर मेरा नाम सातवें नम्बर पर था लेकिन वह अभी तक आया नहीं है। नाम सुना दें कि लिस्ट में कितने नम्बर पर नाम है। सुबह से बैठे हुए हैं। हमारा टाइम खराब हो रहा है। बैठने से क्या फायदा अगर नाम नहीं है तो। लिस्ट बता दें कि फलां-फलां आदमी बोलेगा ठीक है हमारा नाम नहीं होगा तो हम चले जायेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल की संख्या के मुकाबले में मेरे दल की संख्या कम है और मेरा यह निवेदन है कि कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक समय दिया जाय। मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन मेरे दल के सदस्यों की संख्या अगर नगण्य भी है तो भी मेरे सिवाय अभी तक मेरे दल का कोई अन्य सदस्य नहीं बोला है। अगर इच्छा हो और सुविधा हो तो 8 बजे तक का सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले ही बढ़ा दिया है 8 बजे तक का समय।

श्री लक्ष्मणसिंह : 9 बजे तक का कर दें। अगर आप हमें भी बोलने देंगे तो मैं अत्यन्त आभारी हूंगा।

श्री चेतराम (टोडा भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव धन्यवाद का मूव किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। वैसे इस अभिभाषण को देखते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि अभिभाषण एक तरह के आकड़ों के जादू जैसा है। इस समय हमारे देश की अकाल के कारण जो परिस्थिति है वह बहुत ही भयंकर है और राजस्थान की जो स्थिति है, वह सब से ज्यादा भंयकर है। राजस्थान में एक के बाद एक लगातार कई सालों से अकाल पड़ रहा है। उसकी वजह से स्थिति और भी भयंकर हो गई। जहां पर यह बताया गया है कि राजस्थान में 1,33,00,000 व्यक्ति इस अकाल के रोग से ग्रसित हैं। वहां हम दूसरे शब्दों में यह कहें कि यहां की आधी से ज्यादा जनसंख्या उससे प्रभावित हुई है। उसके

(श्री चेतराम)
बदले में हम लोगों को क्या मदद मिली यदि उसकी तरफ ध्यान दें तो हमें हतोत्साहित होना पड़ेगा। आर्थिक मदद के रूप में केन्द्रीय सरकार ने हमें सहायता व ऋण के रूप में 5,81,00,000 रुपये दिये हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो 1,33,00,000 व्यक्ति जो इससे प्रभावित हुए हैं उनके हिस्से में यदि एक व्यक्ति के लिए 4 रु० 32 पैसे प्रतिव्यक्ति के हिसाब से आते हैं, और यह एक ऐसी संख्या है जिसको देखकर हम तो, जो इस रोग से ग्रसित हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यदि कोई बाहर वाला व्यक्ति इसको देखेगा तो हंसे बगैर नहीं रह सकता।

इसके साथ ही आज अन्न की समस्या है। अन्न का विवरण बतलाते हुए यह कहा गया है 65 हजार टन गेहूं और 30 हजार टन मोटे अनाज की मांग (डिमाण्ड) की गई है। इसके बदले में केन्द्रीय सरकार ने 17 हजार टन गेहूं और 25 हजार टन मक्का मोटे अनाज में दी है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि देखा जाय तो गेहूं जिसका कन्जम्पशन राजस्थान में ज्यादा है वह 25 पर्सेन्ट के लगभग ही दिया है। इसलिए यदि यह कहूं कि केन्द्रीय सरकार की जो मदद है वह हमारे लिए सन्तोषप्रद नहीं है तो गलत नहीं होगा।

इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने हमारे सामने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं इस सम्बन्ध में इसके लिए कि इससे प्रभावित लोगों के लिए हमने क्या किया है, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि यह कार्य तीन केटेगरीज में विभक्त हैं। एक तो जो डाइरेक्टली इफेक्टेड हैं, दूसरे वह हैं जो राजस्थान परियोजनाओं में लगे हुए हैं और तीसरे वह हैं जो क्रेश प्रोग्राम में या नेशनल हाईवेज में लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवेज और क्रेश प्रोग्राम में जो लगे हुए हैं मैं समझता हूं कि उनका अकाल राहत कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए यदि पहली केटेगरीज को लें तो 3,40,000 व्यक्तियों को सरकार इस समय सहायता दे रही है। 1,33,00,000 व्यक्ति जो इससे प्रभावित हुए हैं उनका यदि हिसाब लगाया जाय तो बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रभावित व्यक्तियों के 2.5 प्रतिशत को ही सरकार कार्य दे रही है, जो कि बहुत कम है। यदि एक परिवार को 5 व्यक्तियों का परिवार मानकर चलें तो आश्चर्य नहीं है कि इस समय 11 प्रतिशत प्रभावित व्यक्तियों को सरकार सहायता देने में सफल रही है। यदि हम यह सोचकर चलें कि एक परिवार में से दो व्यक्ति भी कार्य पर लग सके हैं तो यह प्रतिशत और भी नीचे आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रेश प्रोग्राम में जो कार्य चल रहे हैं उसके लिए हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिले के प्रशासक बड़ी लापरवाही के साथ इसमें जो राशि आई हुई है उसको लेप्स कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें दो सेंक्शन होती हैं— एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन और दूसरी टेक्निकल सेंक्शन टेक्नीकल सेंक्शन में देरी हो सकती है, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन में जानबूझकर देरी की जाती है, और इसके लिए जो दोषी वे जिले के प्रशासक हैं।

(श्री चेतराम)

मैं इसके साथ ही आप से निवेदन कर दूं कि सवाई माधोपुर जिले में अकाल राहत समिति की मीटिंग हुई पिछली बार उसमें एम० एल० एज० को भी बुलाया गया जहां पर वे उसके सदस्य थे । उनसे वहां पर कई बार यह पूछा कि आपके पास कितना पैसा है जिसको आप प्रयोग में लाना (यूज करना) चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया । बाद में उन्होंने यह बताया कि हमारे लिए यह इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रि-मण्डल ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स नहीं दे सकता है । या तो जिलाधीश महोदय ने झूठ बोला है या ऊपर के एडमिनिस्ट्रेशन की इस प्रकार की इन्स्ट्रक्शन्स हों । इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से जिलाधीश महोदय, ने यह बात कही कि मुख्य सचिव महोदय ने यह इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं कि जो एम० एल० एज० हैं या राजनैतिक नेता है उनकी अवहेलना की जाय, तो इस बात से मुझे यह याद आ जाता है कि हो सकता है कि अजमेर में दिया गया मुख्य सचिव का राजनैतिक हस्तक्षेप वाला वह स्टेटमेंट सही रहा हो । ऐसी बात कुछ हो सकती है जिनका कि विश्वास करके चलना पड़ता है । एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है और हम जो सेवा करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह निवेदन करूंगा कि इस समय मजदूरी है, वह काम की मात्रा से जोड़ दी गई है । काम की मात्रा से जोड़ने का मतलब यह है कि आज लेबर को 70-75 पैसे की मजदूरी पड़ रही है । इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें यह बतलाया गया है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दी गई है कि 70 प्रतिशत कार्य करने पर पूरी मजदूरी दी जायगी । इस तरह से भी वह एक रुपया और एक रुपया 10 पैसे से ज्यादा नहीं पड़ रही है । इस महंगाई के जमाने में एक परिवार के 5-6 सदस्य भी लगाये तो उसके लिए अन्न और दूसरी चीजें मिलाकर वह 5 रुपये का हिसाब बैठता है । तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसको बड़ी गम्भीरता से सोचा जाय और कम से कम इस संकट के समय में इतनी मजदूरी जरूर दी जाय जिससे उनका गुजारा हो सके ।

अब सवाल यह आता है कि यह दुर्भिक्ष है कैसे ? वैसे तो यह कहा जाता है कि दैवीय प्रकोप है । बरसात नहीं होने से दैवीय प्रकोप आवश्यक है । लेकिन हमारी राजस्थान सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है । पिछले 20 वर्षों में सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं सोचा है । बरसात हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है । जो योजनाएं है, वह राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होती है । वैसे पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है, वह ऊपर से, दिल्ली से थोपी जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भौगोलिक विभिन्नता है । कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पहाडी है । यदि इस राजस्थान को बनाना है तो हमें इजराइल और मिश्र से सबक सीखना चाहिए । वह जिन भौगोलिक परिस्थितियों में बसे हैं, जिस अक्षांश में बसे हुए हैं, वही परिस्थितियां हमारी हैं । वह हमें देखना चाहिए । उन्होंने अपने

(श्री चेतराम)

रेगिस्तान को कैसा उपजाऊ बना लिया है। इसी प्रकार से मैं निवेदन करूं अकाल में अनाज के बारे में जो संकट है वह तो है ही, अनाज के बारे में हमारे सामने सच्चे आंकडे नहीं आते हैं। सरकार जिस कार्य को करने में सक्षम है, वह भी नहीं करती है। आज कुछ लोगों के पास लाखों मन अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। 9 जिलों में सरकार ने लेवी लगाई। 9 जिलों पर लेवी लग गई है। सवाई माधोपुर, भरतपुर कुछ ऐसे जिले अवश्य थे जिनसे मक्का आई है। मन्त्री महोदय को यह पता लगेगा कि जितना अनाज जयपुर जिले में पैदा हुआ है, उतना ही उनके यहां पैदा हुआ है। लेकिन वहां के जो व्यापारी हैं, वह जनता को भूखा मारने के लिए और अपना मुनाफा कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह सरकार का दायित्व है कि वह उनको बचाने के लिए कदम उठाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति अनाज की हो रही है, वही पेयजल की भी है। जिस प्रकार से मानव के लिए अनाज और पेयजल की आवश्यकता है उसी प्रकार से उतनी ही आवश्यकता पशुधन के लिए है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसे अपने पशुधन पर गर्व करना चाहिए। 30/40 प्रतिशत जनसंख्या पशुधन पर निर्भर करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनाज की समस्या को सॉल्व करने के लिए, अनाज के व्यापार को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसके तीन पक्ष हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापारी। उत्पादक जिनको आप किसान कहते हैं। सरकार ने अनाज उत्पादन कास्ट का जो तीन चार साल पहले सर्वे किया है, उसके आधार पर प्राइस निश्चित कर दी है। आज खाद तथा कृषि यंत्र ब्लेक में उनको लेना पड़ता है। इसके अलावा जो जो भेंट सिंचाई एवं अन्य कर्मचारियों को देनी पड़ती है, वह अलग है। आज बीज का दाम बढ़ गया है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि किसानों को इस संकट से बचाने के लिए सरकार उनका खयाल करे। उनको उपज का उचित मूल्य मिले।

हर एक उपभोक्ता यह सोचता है कि कम से कम प्राइस में हमको अन्न मिले। सरकार ने पिछले समय गल्ला खरीदा। 76 रु. क्विंटल के भाव से सरकार का पैसा लगा है और सरकार उसको 85/90 में बेचती है तो इसमें कौनसा समाजवाद है। उपाध्यक्ष महोदय मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, फूड-कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के गोदामों में जो गल्ला है वह उतना ही होगा। जो गल्ला उस समय था। क्विण्टल 100 किलो है, वह 80-85 किलो बैठेगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में स्पेशल जानकारी रखी जाये। आज सरकारी कर्मचारियों के भरोसे कार्य होना मुश्किल हो जाएगा। यह ऐसा विषय है, जिसमें गोलमाल हो सकता है। जब आंकड़े लेने पड़ते हैं तो कहा जाएगा कि कीड़ा लग गया। घुन लग गया। बाढ़ आ गई। इस प्रकार से सरकारी तरीका चलता है। वैसे यह स्कीम बहुत अच्छी है। इसको तत्परता से अपनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जोत की सीमाओं को निश्चित करने जा रही है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो आर्डिनेन्स सरकार ने जारी किया है, उसमें जिले

(श्री चेतराम)

वाइज सीमा निश्चित की गई है। आज सवाई माधोपुर जिला लिया जाये। अण्डर ग्राउण्ड वाटर एक तरफ बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अण्डर ग्राउण्ड वाटर की ऐसी स्थिति है कि पीने के लिए पानी नहीं है। जमीन की किस्म जो है वह अच्छी नहीं है। इसलिए जो सीमा रखी जाये वह पूर्ण रूप से जांच करके रखी जाये। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सब डिवीजनवाइज या तहसील वाइज यह सीमा रखनी चाहिए। सवाई माधोपुर जिले की जो स्थिति है, उसमें गरीब आदमी ही शोषण में आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर पूरा जिला और जयपुर की एक तहसील में बाढ़ आई है। इसमें गवर्नर महोदय ने। करोड़ रुपये का प्रावधान बताया है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस समय बाढ़ आई तो आठ दस दिन कहीं जाना भी नहीं हुआ। तार टेलीफोन सभी ठप्प हो गये। उस अवसर पर जिला प्रशासन ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। इस बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वह कृषि भूमि (एग्रीकल्चर लैण्ड) का रहा। एक तो जमीन कट गई जो खेती के लायक ही नहीं रही। दूसरे जमीन वह है, जहां बालू हो गई है। उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बालू की स्थिति ऐसी नहीं है। इतनी मात्रा में नहीं है कि बालू को उठाकर कहीं और डाला जा सके या कटी हुई जमीन है वहां डाला जा सके। इसके लिए सरकार को चाहिए कि भू विशेषज्ञों को भेज कर तथा Relation of Crops के द्वारा उस जमीन को उपजाऊ बनाया जाये। बाढ़ग्रस्त इलाका यथा बयाना, हिण्डौन, रूपवास, टोड़ाभीम में ऐसी जमीन हो गई है। एग्रीकल्चर के लायक नहीं रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने उन गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार को चाहिए कि उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युतिकरण की स्कीम है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा, जो गांव दिखाये गये हैं वह सही ही हों-इसके अन्दर थोड़ा शक पैदा होता है मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, टोड़ा भीम के चार गांव हैं बालघाट, भण्डारी पदमपुरा और बेरोज इन गांवों का सरकारी रिकार्ड में आज भी विद्युतिकरण दिखा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा, विद्युतिकरण तो अलग रहा इन गांवों में से दो गांवों में खम्भे भी नहीं गाड़े गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को चैक कर लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अगले एक साल के लिए बढ़ा दिये गये हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारा एक्सपीरियेन्स है कि चीनी का जो वितरण हो रहा है उसमें से पचास पर्सेन्ट यानी हाफ सरपंच ले लेता है। ऐसा मालूम होता है कि जो सरपंच हैं वे सेंट परसेंन्ट बहुत करप्ट हो गये हैं। इसका एकमात्र कारण है चुनाव का न होना। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए फार्मूला है, तीन साल के बाद सरकारी कर्मचारी को ट्रान्सफर हो जायगा उसमें ऐसी बात

(श्री चेतराम)

नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी करप्ट ही हों। लेकिन सरकार ने यह अनुभव से देखा है कि एक जगह रहने से आदमी में निष्क्रियता आ जाती है,. एक जगह रहने से आदमी फेवरिटिज्म करने लग जाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, दस साल से प्रधान, सरपंच और प्रमुख बैठे हुए हैं, क्या सरकार मानती है कि वह निष्पक्ष हैं, वह ईमानदारी से काम करते हैं? मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र करा दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में निवेदन है, राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पांच फेक्टर हैं–लैन्ड, लेबर, पावर, कैपिटल और आर्गेनाइजेशन, राजस्थान के अन्दर इन पांचों फेक्टर में कमी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी लापरवाही ही थी कि सरकार ने हरियाणा से सबक नहीं सीखा। दिल्ली से निकलने पर पलवल तक पच्चीस-तीस मील की एक बेल्ट उसने बनाई है, जो पांच-छः मील चौड़ी है। जिससे हरियाणा की जितनी इन्कम है वह उसके द्वारा होती है। राजस्थान सरकार के अन्दर इतना स्कोप है फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया है, वरना इतना टैक्स आ सकता था कि इतने टैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार टैक्स उगाने की तरफ ध्यान नहीं देती है, इस कारण आज साठ-पैंसठ करोड़ की बकाया राशि टैक्स की राजस्थान में है। यह बकाया उन लोगों में है जो पूंजीपति हैं, बड़े-बड़े जागीरदारों में बकाया है, ठेकेदारों में बकाया है। ऐसे लोगों में यह बकाया है। यह पूंजी गरीबों में होती तो मुझे पूरा विश्वास है निश्चित रूप से कि सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करती। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसी पूंजी के आंकड़े जिम्मेवार (डिस्ट्रिक्टवाइज) इकट्ठे किये जांय, जिससे उसकी वसूली करने की ओर कदम उठाये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पच्चीस पर्सेन्ट रोड का नेशनेलाइजेशन करने का तय कर लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन रोड्स का नेशनलाइजेशन हो गया है उन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाय तो आपको आश्चर्य होगा। जयपुर, भरतपुर रोड का नेशनेलाइजेशन हुआ, उससे पहले डिपोज से जो सेल हुआ करती थी वह आज नहीं है। इन्डाइरेक्ट रूप से कहें, तो इसका अर्थ यह होगा कि या तो पैसेन्जर कम हो गये हैं या रोडवेज की बसेज के अन्दर पैसेन्जर बैठते नहीं है। लेकिन बात यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, जो रनिंग स्टाफ है उसमें करप्शन इतना हो गया है कि पैसा लेकर टिकट देना पसन्द नहीं करते हैं। इसको इन्डाइरेक्टली यह कहा जाय कि करप्शन बढ़ रहा है तो दो राय नहीं होगी।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, इस रोड पर प्राइवेट बसेज चल रही हैं, उनको चैक नहीं किया जा रहा है। ट्रकों में पैसेंजर चल रहे हैं उनको चैक नहीं किया जा रहा है। इससे एक तरफ रोडवेज को हानि होती है। वहां सैल्स टैक्स नहीं मिलने से हमारे टैक्सेशन को भी हानि होती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

(श्री चेतराम)

इसके साथ ही एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। हमारे इस अभिभाषण को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो जो भी लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है वह सब सेन्टर गवर्नमेंट का है, विद्युत् की स्कीम है, बड़ी नहर योजना है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स रिलीफ वर्क्स हैं, जो अकाल रिलीफ के कार्य चल रहे हैं, जलप्रदाय योजना है जो ड्राट प्रोन एरिया के लिए चल रही है, जो टूरिस्ट बंगले बनाये जा रहे हैं, फ्लड रिलीफ जो चल रहा है, कलस्टर स्कीम है, जो भी प्रोग्राम वह सेन्टर गवर्नमेंट के हैं। जो भी योजनायें चल रही हैं वह सेन्टर गवर्नमेंट की स्कीम हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार का राजस्थान के डेवलपमेंट में कोई हिस्सा (शेअर) नहीं है। यह जानबूझ कर नहीं दिखाया है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज राजस्थान सरकार इस स्थिति में है कि कुछ भी करने में असमर्थ हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह जो अभिभाषण है उसमें प्रमुख-प्रमुख घटनाओं और सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया है। जैसा राज्यपाल महोदय ने स्वयं अपने अभिभाषण में कहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, राजस्थान गवर्नमेंट की, वह एक तरह से नगण्य है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं, इस अभिभाषण में कहीं भी शराबबन्दी (प्रोहिबिशन) का जिक्र नहीं किया गया है। पिछली साल सर्वोदयी नेता श्री गोकुलभाई भट्ट जिस समय अनशन पर बैठे हुए थे, हमारी प्रधान मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में निश्चित रूप से कदम उठाये जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी के इस आश्वासन के बावजूद भी इस सरकार ने कुछ नहीं किया है आज तक। मैं निवेदन करता हूं, बजट के टाइम पर इस ओर अवश्य ध्यान रखा जाय।

मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने लोक आयुक्त और उप-लोकायुक्त के बारे में ऑर्डिनेन्स इश्यू किया है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं, यह सराहनीय कदम है। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त नियुक्त किये जायं, वह हाईकोर्ट के रिटायर जज हों या सैशन जज हों

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और वह राज्य से बाहर के आने चाहिए।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने साठ अधिकारियों को उनके आचरण के कारण अलग किया है। मैं यह कहूं, यह बहुत ही सराहनीय काम है लेकिन तालाब से मछली निकाल देने का काम सराहनीय अवश्य है लेकिन वास्तव में सराहनीय तब होगा जब मगरमच्छ निकाल दिये जायं। आज भी मगरमच्छ बैठे हुए हैं, इसके हम कई उदाहरण देखते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, सवाईमाधोपुर के भूतपूर्व जिलाधीश श्री राजेन्द्र जैन के खिलाफ काफी एलीगेशन लगाये गये हैं लेकिन सरकार ने आज तक उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया है। इसी तरह हमें

(श्री चेतराम)
अखबारों में देखने को मिलता है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा जो माल डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है उसमें काफी गड़बड़ होती है, लेकिन आज तक सरकार इस ओर हाथ नहीं बढा पायी है। सरकार इन मगरमच्छों की तरफ भी हाथ बढ़ाये तो सराहनीय कदम होगा।

इसके साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन !

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह (सीकर)।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन के इस सत्र में पिछले साल के राज्य सरकार की उपलब्धियों के लेखे-जोखों को प्रस्तुत किया है, इसके सम्बन्ध में इस हाउस में यह दूसरा दिन है जब कि उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद चल रहा है। उपलब्धियों के बारे में जो गवर्नर महोदय ने लेखा-जोखा दिया है उस बारे में भी यहां कहा गया है-यह वास्तव में कार्य नहीं हुए है, उस जगह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ऐसी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्परा के अनुसार पिछले साल का राज्य सरकार का जो वास्तविक अकाउन्ट होता है, उसके आधार पर और आंकडों और उपलब्धियों के आधार पर अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है। इन तथ्यों को इस हाउस में इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को सही मानना पड़ेगा। जो तथ्य दिये हैं, वे इम्प्लीमेंटेशन के तथ्य दिये हैं, उनका वास्तव में मौके पर काम मौजूद है। उसके बारे में कोई शक या दूसरी बात नहीं हो सकती है। इसके अलावा गवर्नर महोदय हमेशा अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की नीतियों के बारे में घोषणा करते हैं, नीतियों और उपलब्धियों के साथ जो राज्य सरकार के द्वारा आगे के वर्ष में होने वाला कार्य है, जो कमियां रही हैं उसके बारे में भी कुछ-कुछ संकेत मिलता है।

इस बारे में मैं आपके जरिए राज्य सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूं कि जो कार्य हुए हैं वे तो संतोषजनक हैं ही परन्तु जो नीति राज्य सरकार के बजट भाषण में हो या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हो, उसका इम्पलीमेंटेशन राज्य सरकार के तंत्र द्वारा सतर्कता से होना चाहिए। जिस तरफ भी स्लगिशनेस हो और इम्पलीमेंटेशन अगर नहीं होता है तो उस बारे में सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हम सदन में प्रश्नों के जरिए सूचना प्राप्त करते हैं और आपने देखा होगा कुछ तथ्य ऐसे प्रकट होते हैं जो वास्तविक रूप में वहां नहीं हैं, लेकिन यहां जानकारी दी जाती है। बाद में सदन की कमेटी इम्पलीमेंट करती है परन्तु अक्सर देखा गया है कि जिस अधिकारी की गलती है, उस बारे में आज तक सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि सूचना बिल्कुल एटरेंडम दी जाती है, कान्सीक्वेन्सेज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। भविष्य में जो भी जानकारी इस सदन में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यदि कोई अधिकारी गलत दिलवाता है तो उसको सख्त से सख्त दंड देने की आवश्यकता है। तो सरकारी मशीनरी के लिए जो असंतोष है सदन में दोनों तरफ उसको कुछ हद तक दूर किया जा सकता है।

दो साल पहले घोषणा की गई थी कि म्युनिसिपैलिटो में वाटरवर्क्स और पावर स्कीम्स के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लो में अगर पानी और बिजली नहीं पहुँचेगी तो वह स्कीम अधूरी मानी जाएगी। बार-बार हम सवालों के जरिए पूछते हैं मंत्री भी मजबूर हैं। वे कहते हैं हमने अधिकारियों को लिख दिया है और साल भर से लिखते रहते हैं लेकिन वे परवाह नहीं करते। मेरी समझ में नहीं आता, क्यों नहीं परवाह करते ? राज्य सरकार का बजट है किसी जिले के पास ज्यादा पैसा है, स्कीम भी आ गई है तब तो खर्च करना पड़ता है नतीजा यह होता है कि कुछ जिलों में अधिक पैसा खर्च हो जाता है और कुछ जिले महरूम रह जाते हैं। इसलिए जो जिले पिछड़े रह गये हैं और बार-बार हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और जो घोषणाएं की जाती हैं, उनमें समान रूप से जिलों में राहत पहुँचाने के बारे में उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उस बारे में जिसकी नेग्लीजैन्स होती है, उसको सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए। चाहे सेण्ट्रल स्कीम हो या राज्य सरकार की स्कीम हो। जहां भी गरीब तबके के लोगों का सम्बन्ध है, जैसे वृद्धावस्था पेन्शन है, ये कमिटेड स्कीम्स है, किसी जिले में 5 केसेज फाइनेलाइज हुए, जैसे मंत्रीजी ने आज कहा 14 केसेज फाइनल हुए बाकी पड़े हुए हैं। खुशी की बात है कि आज मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि महीने भर में हम रूल्स का संशोधन कर देंगे। सारे सदन के माननीय सदस्यों को जिस बात के लिए कठिनाई होती है, तो उस बारे में राज्य सरकार को नियमों में उचित परिवर्तन करने में संकोच नहीं होना चाहिए। अगर जनता में असंतोष बढ़ता गया और इस बात का समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह बीमारी भयंकर है और सबको खा सकती है क्योंकि आखिर यह वेल्फेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी है और हम चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की भावना को व्यक्त करते हैं और इसलिए जहां लैप्स हो जाती है, कार्य की प्रगति रुकी हुई है, उस बारे में हम राज्य सरकार का ध्यान समय-समय पर आकर्षित करते हैं। सारे अधिकारी बेईमान नहीं हो सकते, कुछ ईमानदार भी हैं परन्तु जो आपकी पकड़ में आ जायें उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए। उस बारे में रियायत देते हैं, पक्षपात होता है, तो ईमानदार जो थोड़े हैं क्या कहेंगे ? आज हम सुनते हैं उनको कहते हैं कि हम मूर्ख हैं जो ऐसा काम नहीं करते। यह भयंकर टेन्डेन्सी है और हमेशा बार-बार कहा जाता है कि भ्रष्टाचार दूर हो। राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त, उपलोकायुक्त की नियुक्ति की घोषणा की गई है हम भी स्वागत देने की कोशिश करते हैं, परन्तु हमारे सामने कोई चीज होती है उसकी ओर अगर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं तो उसको सरकार लाइटली लेती है और नतीजा यह होता है कि हम अगर किसी को छेड़ते हैं तो वे छेड़े हुए सांप की तरह पेश आते हैं। उसका नतीजा क्या

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

होता है, वह तो हमें ही भुगतना पड़ता है। रूरल एरियाज में हम काम करते हैं वे कहते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लिया? आज ही मुझे डाक से एक छपा हुआ खुला पत्र मिला है और जनता की ओर से कहा है कि यहां भ्रष्टाचार ओपनली चल रहा है अपने जिले में, आप आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं या तो जवाब दो या इसमें आपकी भी साझेदारी है। मुझे बड़ी चिन्ता हुई। हम भी कोशिश करते हैं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाते कहते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं, एन्क्वायरी कराने के सजा दिलवाने के या पेन्शनर्स की जो शिकायतें हैं वह हम तो कह सकते हैं किसी के खिलाफ लेकिन जो ग्रामीण जनता है, उसकी तो यह हालत है कि हम कहते हैं कि लिखित में शिकायत दो तो कह देते हैं कि इस तरह तो हमारी शिकायत तो दूर हो या न हो, लेकिन हमको परेशानी अवश्य होगी। अधिकारियों द्वारा तो हम भी कह देते हैं कि अच्छा, हम ही लिख कर दे देंगे क्यों कि हमारा कुछ कम ही बिगाड़ सकेंगे।

चुनाव को एक साल गुजर चुका है, राजस्थान में भयंकर अकाल साल ब साल पड़ता रहता है और आज भी जिस भयंकर रूप से यह अकाल है उसको सरकार बड़ा लाइटली ले रही है, यह देखकर हमें दुःख होता है। हमारी कमेटी अभी महाराष्ट्र गई थी, वहां इतने काम हो रहे हैं कि हमारी एरियाज के लोग भी, जिनको राजस्थान में काम नहीं मिला, वह वहां जाकर काम में लगे हैं। इतनी खुली छूट है वहां पर देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। राजस्थान को जिस कन्जूसी के साथ पैसा दिया जा रहा है और यहां की अकाल की स्थिति को जैसा लाइटली लिया जा रहा है वह भयंकर स्थिति है। आज अभावग्रस्त गांव को क्लेसीफाइ किया गया है, लेकिन जिस धीमी गति से काम चल रहा है, ऐसा चलता रहा तो आगे की स्थिति बहुत भयंकर होगी और उस पर कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जायेगा।

तो मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का और विशेष तौर से अकाल राहत मंत्री का, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक बार आपने स्वयं जाकर अकाल क्षेत्र के ऑफिसर्स को ठीक किया था, वैसा अब भी करें। महीनों तक काम नहीं होते जहां-जहां काम तय हुए हैं और राहत दी जा सकती है, वह नहीं हो रहा है। पब्लिक डीमारलाइज्ड है तो हम भी डीमारलाइज्ड हैं। इसलिये एक्टिव रूप से काम करने की आवश्यकता है। हम सरकार से सहयोग करना चाहते हैं और सहयोग देना चाहते हैं, तो आप जो स्कीम कमिट करते हैं उसको हर हालत में इम्पलीमेंट करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उदाहरण के रूप में एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में दो-तीन बार राहत कमेटी की मिटिंग हुई, कुछ काम मन्जूर हुए; कलेक्टर ने इन्जिनियर को बुलाकर कहा कि काम शुरू करो लेकिन काम शुरू नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल सही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उन्होंने दो-तीन बार मीटिंग बुलाई लेकिन किसी मिटिंग में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
वहां का इन्जिनियर नहीं आया। तो अकाल राहत मंत्री को मेरा निवेदन है कि जब आप दूसरे जिलों में जायं तो थोड़ी डांटडपट करें तो कुछ काम तो हो एक बार वह गये और कुछ कार्य की प्रगति चली। आज पी० डब्ल्यू डी० के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर कहते हैं कि हमें मेटीरियल और लेबर काम्पोनेन्ट को मालूम नहीं। मंत्रीजी ने कहा कि वह तो चीफ इन्जीनियर मुकर्रर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम नहीं। तो यह ड्यूटी तो चीफ इन्जीनियर की है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को सूचना भेजें। तो जो काम मन्जूर हुआ है उसको शुरू करने का अगर यही ढंग रहा तो लोगों का भगवान ही मालिक है।

इसलिये मैं राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि जो कार्य आपने मन्जूर किया है उसकी इम्प्लीमेन्टेशन में, जो राज्य अधिकारी नेग्लीजेंट है, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाये। क्यों नहीं वह कन्ट्रोल में आता? आप एक्शन नहीं लेते इसलिये वह आपसे नहीं डरता। जो आदमी सही है, वह नहीं डरे, यह तो ठीक है, लेकिन गिल्टी कान्शेन्स होते हुए भी, करप्ट होते हुए भी उल्टा हमको डांटने की कोशिश करे, यह क्या चल रहा है? उपाध्यक्षजी, आज सदन में इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ दिलाया। मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कम्पलसरी एजूकेशन के लिये कहा कि स्कूल खुलेंगे। आज दस माह हो गये लेकिन 75 स्कूल तो खुले नहीं। हमने लिखा कि लड़कों को गिनती कैसे सिखाओगे? जब स्कूल ही नहीं खुले हमने बार-बार प्रयत्न किया एम. एल. ए. ने लिखकर भेजा कि स्कूल खोल दिये गये। हमने कहा कि इनको चलाने की व्यवस्था तो करो, तो कहते हैं कि राजस्थान भर का रिक्रूटमेंट होगा टीचर्स का, तब टीचर्स भेजेंगे। कल मुझे चेयरमेन मिल गया, उन्होंने कहा कि हमने तो सिलेक्शन कर दिया है, अब टीचर्स नहीं जायें, तो हम क्या करें? हमने तो सभी ट्रेन्ड टीचर्स का सलेक्शन कर दिया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय आज जालोर, बाड़मेर में 50 प्रतिशत स्कूलें ऐसी हैं जहां टीचर्स नहीं हैं और क्लासेज खाली पड़ी हैं। इसके अलावा जहां पर टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल खुलें हैं वहां दुर्भाग्य की बात यह है कि 15 तारीख को तो स्कूले खुली हैं और उन्होंने पांच दिन बाद ही एडमिशन बन्द कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से एड प्राप्त की वहां स्कूल खोलने के लिये, खर्चा जब राज्य सरकार का नहीं लग रहा है तो फिर ऐसी क्या दिक्कत है कि वहां पर आज स्कूलें नहीं खुली परन्तु पूरी भरती नहीं हुई और टीचर्स नहीं लगे हैं वहां मैं तो कहता हूं कि वहां पर एक भी सीट खाली क्यों रहे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने की उसमे विशेष व्यवस्था की गयी है तो राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि वहां टीचर भेजकर पूरा इन्तजाम करे। उपाध्यक्ष महोदय, हम बराबर राज्य सरकार को लिख रहे हैं कि वहां पर स्कूलें खोली जाय और अगर स्कूलें नहीं खोली जाती है तो फिर, इसका

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या फायदा हुआ इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह सुझाव देता हूं कि जहां पर ट्रेनिंग स्कूलों में टीचर्स नहीं पहुंचे हैं वहां पर जो रिजर्व लिस्ट के टीचर्स हैं उनको तुरन्त भेजा जाय। और उन स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दिया जाय फरवरी का महीना खतम होने को आया है अब कब स्कूलें खुलेगी और बच्चे क्या पढ़ेंगे अगर आपके पास ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हों तो आप जो भी बी० ए०, एम० ए०, फर्स्ट इयर सेकण्ड ईयर के जो भी आपको केन्डीडेट मिले उन्हें एपोइन्ट करके वहां पर भेजिये जब तक कि आपको ट्रेन्ड टीचर्स नहीं मिले अगर इसी तरह से काम होता रहेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास होना मुश्किल है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि राज्य सरकार घोषणायें करती है कि इतनी स्कूलें खुलेंगी पर उन घोषणाओं का इम्पलीमेन्टशन नहीं होता है, मैं बराबर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता आ रहा हूं फिर भी उनका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा है। इसलिये राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें इम्पलीमेन्टेशन नहीं करने के लिये दण्ड दिया जाय दे शुड बी टेकन टू टास्क।

इसके अलावा मैं राज्य सरकार का एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज जहां पर अकाल राहत काम चल रहे हैं वहां पर विशेष वर्ग के लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्स ट्राइब्स के लोगों को काम देने के लिये रिलेक्सेशन होना चाहिये। आज जो हर परिवार से एक आदमी को काम देने की बात है वह इन परिवार वाले लोगों को मुश्किल होगी क्योंकि उनके बड़े-बड़े परिवार के लोगों में अगर हर परिवार में से एक व्यक्ति को ही काम दिया गया तो स्थिति उनकी खराब हो जायगी। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके लिये प्रति परिवार ज्यादा व्यक्तियों को अगर काम मिले तो उन्हें राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा जो निवेदन करना चाहता हूं वह है क्रुड आइल के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, क्रुड आइल की पोजीशन बहुत खराब है। आज गांवों में बिजली नहीं है और काश्तकारों ने, जिन्होंने अपने कुओं पर पम्पिंग सेट लगा रखे हैं उन्हें आज बाजार में क्रुड आईल नहीं मिलता है और जो मिलता है वह बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वह भी ब्लेक में। कई लोगों को क्रुड आईल नहीं मिलने से फसल बरबाद हो रही है। लोग बहुत ही मेहनत करते हैं पर आज किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बिजली की व्यवस्था की जाय। वरना आज ऐसा मौका है कि क्रुड आइल मिल नहीं रहा और इधर रबी की फसल को खतरा है। अगर कोई क्रुड आईल लेने जाता है तो वह सोने के भाव में बिक रहा है, इधर वहां पर यह भी स्थिति है कि टेन्कर नहीं मिल पा रहे हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ-साफ कहूंगा कि हमारे इधर के एरिया में क्रुड आईल की आज आरटीफिशियल स्केअरसिटी कर रखी है। और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यह स्केअरसिटी क्रूड आईल के कम्पनी वालों ने और उनके एजेन्ट्स ने कर रखी है। मैं राज्य सरकार को इस बारे में आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर इस स्केअरसिटी को समाप्त नहीं किया गया तो आने वाली फसल बरबाद हो जायेगी। जो किसान का पैसा खर्च हुआ है वह भी बेकार जायेगा। राज्य सरकार ने अनाज का थोक व्यापार हाथ में लिया है और राज्य सरकार किसानों से अनाज वसूल करेगी। इस बारे में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को यह जरूर ध्यान में रखना चाहिये कि किसानों ने किस प्रकार और क्या खर्च किया है और इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर अनाज की कीमतों का निर्धारण करे, नहीं तो वही हाल हो जायेगा उपाध्यक्ष महोदय कि जो एफ० सी० आई० की खरीद में हुआ था। मैंने खुद ने 27 हजार बोरी अनाज हमारे क्षेत्र से 48 रुपये क्विन्टल खरीदा। यह राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को भी पता है लेकिन बाद में रिपोर्ट आयी कि अनाज काला है और खाने के काबिल नहीं है। जो बाजरा हमारे यहां सोने के भाव बिकता था उसे बेकार बताया और बाद में खराब रिपोर्ट देकर कोडियों के भाव बेच दिया, नीलाम कर दिया। मैंने फूड मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी कि इस माल को आप नीलाम नहीं करावें। मैंने नाथूरामजी मिर्धा से बात की और फिर हम प्रधान मन्त्रीजी से भी मिले और उन्हें साबित कर दिया कि बाजरा खराब नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने हमारी नहीं मानी और वह बाजरा 48 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से 10–15 लाख रुपये का घाटा खाकर नीलाम करवा दिया। बड़े खेद की बात है उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कहता रहा कि यह अनाज खराब नहीं है लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब मैं कहता हूं कि हमारे इधर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है लोगों को खाने को अनाज नहीं है आप वही बाजरा हमें देवो, जो बाजरा आपने खराब बताया है, वह हमें 70 नहीं 80 90 रुपये क्विन्टल के भाव देवो। हम उसे वापिस लेना चाहते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य सरकार वह बाजरा हमें देने को तैयार नहीं है। वह तो खतम हो गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की गड़बड़ियां ये राज्य सरकार के अधिकारी कर रहे हैं और उनकी गलत कार्यवाही के कारण हम जनता के प्रतिनिधि बेईमान समझे जाते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, हम आखिर कितने दिन तक बेईमान समझे जाते रहेंगे। आज फैक्ट तो यह है कि बाजार में 120 रुपये क्विण्टल बाजरा नहीं मिल रहा है और जो अच्छा बाजरा था वह इन सरकारी अधिकारियों की गलती से खराब बाजरा कह कर उसे बेच दिया गया। मैं तो यह कहूंगा कि जिन अधिकारियों की वजह से यह हुआ उसके लिये उन्हें दण्ड अभी तक नहीं दिया गया है तो अब उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। जो बाजरा हमारे पास खराब नहीं था वह बाजरा उनके पास कैसे खराब हो गया। हमने एफ० सी० आई० से कहा कि इसे 6 महीने और रक्खो लेकिन वह नहीं किया गया। आज जहां अकाल की हालत है, जहां लेबर कैम्प्स खुले हुए है वहां वह काम आ सकता था। अब उपाध्यक्ष महोदय, न तो पहले जो अमेरिकन ज्वार, मक्का आता था वह नहीं है और वहां पर जनता

(श्री रघुनाथ विश्नोई

परेशान है। मैं इसलिये राज्य सरकार से सारी स्थिति से आगाह करना चाहता हूं कि इस बार रबी की फसल के वक्त जो अनाज के भाव तय करें वह किसानों के हितों को देखते हुए करें।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि आज काश्तकारों की स्थिति बहुत ही खराब है। अकाल की वजह से वह खेती नहीं कर सकते तो मेरा निवेदन है राज्य सरकार को कि अब जो भी सर्विसेज हैं उनमें 100 में से 80 प्रतिशत किसानों के बच्चों को जो कि बेकार हैं, उन्हें नौकरी देने में प्राथमिकता दी जाय। आज बेचारे कोई तो चपरासी बनने के लिये, कोई मास्टर के लिये धक्के खा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उनके लिये भी रिजर्वेशन होना चाहिये और जिस तरह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के लिये पोस्ट्स रिजर्व रहती है उसी प्रकार रिजर्व की जाय और जिस प्रकार अगर 4-5 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट के लोग नहीं लगे हैं पर जगह खाली रहती है उन्हें कैरी फोरवर्ड करते हैं उस प्रकार इनके लिये पोस्ट्स रिजर्व होनी चाहिये। ताकि आज जो किसानों के बच्चे मारे-मारे फिरते हैं नौकरियों के लिये उन्हें राहत मिले। इसके अलावा जो परीक्षायें ली जाती हैं उसमें इतने पर्सेन्ट नम्बर होने चाहिये वे गांवों के किसानों के बच्चे कैसे ला सकते है। क्योंकि गांवों में स्कूल में मास्टर नहीं हैं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या पास होंगे? इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में स्कूलें जो सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी हैं वहां भी काश्तकारों के बच्चों के रहने के लिये होस्टल भी नहीं है। बेचारे गरीब काश्तकारों के 5-5 लड़के मिल कर एक कोटड़ी लेकर वहां पढ़ते हैं। और इस फैमीन में मुश्किल हालत है। पैसे कहां से लायें। इस रियेलिटी को समझना पड़ेगा। बैंक की फैसिलिटी फर्टीलाइजर के लिये दे नहीं पाये। पहले फर्टीलाइजर कोओपरेटिव को दिया। सारा का सारा मामला फैल करवा दिया। और अब प्राइवेट एजेंसी को दे दिया है जब फसल होती है तो कोटा नहीं मिलता और फसल खत्म हो जाती है कोटा आवेगा। ले लो फर्टीलाइजर। प्राइवेट एजेंसी में इसको दे दिया।

इन मुद्दों पर राज्य सरकार को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। फैमीन में कैटल मर जाय। एनीमल हस्बैन्डरी विभाग कुछ करता नहीं। मैंने प्रश्न पूछा कि पिछले तीन वर्ष में कितनी कैटल मरी है। वे कहते हैं कि हमारे पास प्रावधान नहीं है कि इनका (Census) हम रख सकें। कितनी मरी यह बताना हमारे वश का रोग नहीं है मेरा अनुमान है कि 50 परसेन्ट कैटल इस प्रकार से प्रति वर्ष अकाल में मर जाती है। इसलिये इनके फीगर्स रखे जाने चाहियें। जिन स्कीम्स के बारे में डिक्लेरेशन हुआ है और जो पहले की स्कीम हैं उनको इम्पलीमेन्ट नहीं किया गया तो भगवान भरोसे ही है। सत् बुद्धि इनमें आनी चाहियें। जो ईमानदारी से काम करें उनको रिवार्ड दीजिये। जैसे गोटेवालाजी ने कहा कि इतने लाख का असेसमेन्ट ऑफिस ने कर दिया। ऐसों को रिवार्ड भी दे दो। जो बेईमानी करे, रेड हैंडेड को पकड़ायेंगे नहीं, छोटे-मोटे चपरासी वगैरा पकड़े जावेंगे। यदि बड़े पकड़े भी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गये तो मामला तो रफा दफा जहां का जहां हो जाता है। खतरा वैसे भी कोई लेना नहीं चाहता। राज्य सरकार को हाउस की जो कन्सेन्सस ओपिनियन है उसका रिगार्ड करना चाहिये। योजना इम्पलीमेंट नहीं होने में जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं दोषी अफसरों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता तो जो फैक्ट्स दिये जाते हैं उनके बेसिस पर उनको दंड दिया जाना चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने वास्तविक स्थिति जो रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं क्या बोलूं यह तो समझ में नहीं आता। आता नहीं। क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक ही बात कही कि धन्यवाद देना चाहिये और जितने बोले हैं धन्यवाद पर ही बोले हैं। श्रीमान् गोटेवालाजी बोल रहे थे तो हमारे चीफ व्हिप स हब इतने खुश हुए कि टेबल को थपथपाया। मैं बोलूं। क्या बोलूं समझ में नहीं आता। बोलना तो पड़ेगा।

इतना मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दस वर्ष के इतिहास को ले लीजिये। सात वर्ष अकाल पड़ा। केन्द्रीय सरकार के पास पहुँचे। अन्नदाता। राजस्थान भूखों मर रहा है। कुछ मिला कुछ न मिला। 73 में आये तो अकाल हमारे सामने खड़ा है, मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं फिर भी कहूंगा। मैं कहूँगा। कॉन्स्टियूशन में हमारे जो फाइनेन्शियल रिलेशन्स हैं स्टेट और सेन्टर के, उनके सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालूं इस समय वह उपयुक्त नहीं होगा। एक निवेदन करना चाहता हूँ हमारा फेमीन कोड है। पटवारी से शुरू होता है, इन्सपेक्टर आता है। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस० डी० ओ० और उन सब से बन कर स्टेट गवर्नमेन्ट के पास आंकड़े पहुँचते हैं और स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इतने गांव अकालग्रस्त हैं और इतने रुपयों की आवश्यकता है। हम कहते हैं हमारी फाईनेन्शियल पोजीशन खराब है। सेन्टर का मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन फिर भी लिये बगैर नहीं रहूँगा। एक कमेटी आयी। उसने कहा गलत बोल रहे हो और फरजी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो। हमें सोचना पड़ेगा कि फैमीन डिक्लेयर करने जा रहे हैं क्या वे प्रोपर आदमी थे? वे प्रोपर आदमी नहीं थे। मन चन्दा साहब को राजस्थान सरकार के द्वारा आंकड़े दिये गये थे। मनचंदा साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन कहूंगा कि उन्होंने कहा कि यह फरजी आंकड़े हैं। बावेला मचा। उसके बाद भी टांय-टांय फिस। हमें सोचना पड़ेगा और इस ओर विचार करना पड़ेगा, जिस कानून के तहत अकाल डिक्लेयर किया जाता है जिसका एक प्रोसिजर है उसके बारे में। राज्य म्युनिसिपल बोर्ड नहीं संविधान के अधीन राज्य है। इस असेम्बली को एक जनरल प्रस्ताव पास करना चाहिये कि इतने करोड़ रुपयों की, इस फैमीन को मीट करने के लिये जरूरत है। हम चीफ मिनिस्टर के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। 100 करोड़ रुपया इस अकाल को मीट करने के लिये आवश्यकता है, वह दीजिये। क्या यह असेम्बली एक रेजोल्युशन पास करके चीफ मिनिस्टर के

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
हाथ मजबूत नहीं कर सकती ? मैं चाहता हूं कि असेम्बली इस रिजोल्युशन को ले। असेम्बली राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रही है। इसके साथ ही हमको यह रेज़ोल्यूशन पास कर देना चाहिये। 186 सदस्यों का यह सदन है। एक-एक लाख से अधिक वोट पर चुन कर आते हैं।

मनचन्दा साहब यहां पधारे। जयपुर डाक बंगले में ठहरे। बाग-बगीचे लगे हुए हैं। जोधपुर में भी गये, पाली में भी गये वहां भी डाक बंगलों में उतरे जहां पर बाग बगीचे लगे हुए थे। लेकिन आंखों को खोल दें और बता दें कि हमारे राजस्थान में अकाल की क्या भीषणता है। अकाल की, इस भीषणता को उनको बता दें जिससे उनकी आंखें खुलेंगी। भीलवाड़ा आये। डाक बंगले मे उनसे मिलने पहुंचे। खूबसूरत बाग लगा हुआ है वहां। उन्होंने सोचा कि अकाल नहीं है। आगे बढ़े होंगे तो उनको मालूम हुआ होगा कि खेतों में एक दाना भी नहीं है और साफ मैदान पड़े हुए हैं। एयर कन्डीशन्ड कार में थे शायद यह उनकी आंखों ने नहीं देखा होगा।

मनचन्दा की रिपोर्ट राजस्थान को भूखों मार सकती है तो यह विधान सभा उसको बर्दाश्त नही करेगी। हमें विवश मत करिये कि हम इसके लिये कान्स्टिट्यूशन में अमेन्डमेन्ट करायें। हमारे पास वह शक्ति है जो इस प्रकार का रेजोल्युशन पास कर सकती है।

65 हजार टन अनाज हमने केन्द्र से लेने की मांग की है। आंकड़ों को छोड़ दीजिये। आज सुबह खाद्य विभाग से पोस्टर इश्यू हुआ उसमें यह लिखा था कि 20 हजार टन अनाज पंजाब से हमको मिला है। यह जनवरी माह का कोटा है। वह हमें कल इश्यू हुआ है। आज आया है अखबार में। एक सप्ताह पहुंचने में लग जावेगा।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था हो रही है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जनवरी का कोटा फरवरी के एन्ड तक आने की संभावना नहीं है।

यों तो हमारे पास स्टॉक भरे पड़े हैं। राजस्थान सरकार के दिये हुए आंकड़ों के अनुसार केवल 60 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होती है। इसमें सभी प्रकार की सिंचाई बान्ध की कुओं की, बिजली की आ गई। तालाबों की भी आ गई। कुल 375 लाख एकड़ जमीन में खेती होती है। अर्थात् इस साल जो अकाल पड़ा वह सूखे के कारण पड़ा यह स्पष्ट है। 60 लाख के अलावा बाकी 315 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है, जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं।

पर यह अनाज जो आज मिल रहा है चाहे महंगा मिल रहा हो, वह आया कहां से ? सरकारी आंकड़े दस मिलियन टन के या बीस मिलियन टन के दिये जाते हैं। इन सबको चुनौती देने के मूड में तो मैं नहीं हूं पर एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इन आंकड़ों के अनुसार 35 लाख एकड़ जमीन में गत सात सालों से अकाल पड़ रहा है। पांचवीं योजना के प्रारूप में भी ये आंकड़े आये हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
में भी ये आंकड़े आये हैं। पर यह 315 लाख एकड़ जमीन में कहां से अनाज पैदा होना शुरू हो गया।

अब बाहर के कोटे पर हम निर्भर हैं। जनवरी का कोटा कितना आया है ? जितना आया है उसमें निर्वाह नहीं होने वाला है। अब यदि अनाज की कमी के कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब होकर मरने की स्थिति आवेगी तो आप हम क्या करेंगे मैं भी इस तरह की भयंकर रिपोर्ट सुनता हूं। मन्त्रियों की निगाह में भी लाया हूं। और भी लाने का बराबर प्रयत्न करता रहूंगा। यह अकाल राजस्थान की एक स्थायी बीमारी हो गई है। सदन में और बाहर हर साल हम और सरकार सोचते रहेंगे कि इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है। ढूंढते रहें हम इलाज।

एक कमीशन इसके लिये 1969 में बिठाया था। उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ पता नहीं ? हमारे पास तो नहीं आई। आपके पास आई हो तो अलग बात है। छ महीने पहले मुख्य मन्त्रीजी का स्टेटमेंट हुआ किसी सभा में भाषण में कहा उन्होंने कि राजस्थान में इस भयंकर विभीषिका का मुकाबला करने के लिये राजस्थान का इण्डस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी है। मैं कहता हूं सरकार से कि आपने फिर इतने इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर, माइनिंग इन्जीनियर वगैरह किस लिये रखे हैं ? वे केवल एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगे हुए हैं, टेक्निकल ज्ञान उनका काम नहीं आ रहा है वह सब भूल से गये हैं।

हमारा प्रदेश रत्नगर्भा वसुंधरा कहलाती है। पर पिछले दस वर्षों के आंकड़े उठाकर देख लीजिये सिवाय थोड़े से स्टोन बिल्डिंग मेटेरियल के अन्य किसी खनिज के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। इनसे कुछ लोगों को रजक मिली हो, बाकी तो कुछ नहीं दिखता है।

माइका में जहां पहले 18 हजार लेबर काम करती थी, आज 8000 भी नहीं है।

तो कहने को तो बहुत सी चीजें हैं पर समय नहीं है। माइनर मिनरल से जरूर आमदनी बढ़ी है, पर वह भी पूंजीपतियों को दे रखी है। मजदूरों की मेहनत और उनके खून पसीने के बल पर वे स्वयं लाखों रुपया कमाते हैं। ये सब ठेके सहकारी समितियों को मिलने चाहियें, रूल्स भी हैं, सब कुछ है पर कुछ होता जाता नहीं है। सब तरफ आपाधापी है। अब वे रूल ठीक तरह से अमल में क्यों नहीं आते और अगर ठीक नहीं हैं तो बदले क्यों नहीं जाते, मैं नहीं जानता।

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में फरमाया कि हमारे यहां इतनी इण्डस्ट्रियां पंजीकृत हुई हैं जो 1046 हैं। जब कि हालत यह है कि रजक कितने आदमियों को इनसे मिली, इसका कुछ पता नहीं। प्रोडक्शन कितना हुआ, उत्पादन प्रदेश में कितना बढ़ा यह सब आंकड़े कुछ नहीं। मुझे तो कहीं दिखता नहीं कि राजस्थान में इण्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। भारतवर्ष में केवल इण्डस्ट्रियलाईजेशन में कहीं कार्य हुआ है तो वह सरकार को रिजनल लेबोरेटरी में। उसके डाईरेक्टर हैं मिस्टर ऐयर। उन्होंने 60 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की हैं। इनको इम्पलीमेन्ट करने के लिये पचीसों बार मैं भी सरकार को लिख चुका

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

हूं। जहां हजार लगाने से दो हजार हों और 200 आदमियों को रजक मिलती हो वे काम सरकार को ठीक नहीं जचते। मुझे तरस आता है सरकार की इस मशीनरी पर। इस तरफ ध्यान देने की किसी को फुरसत नहीं है। हम समाजवाद का नारा जरूर लगावेंगे पर गरीबी हटाने का वास्तविक प्रयत्न कभी नहीं करेंगे।

अधिक समय नहीं है समय लेने की इच्छा भी नहीं है।

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कही गई। आपके नियमों में कान्स्टीट्यूशन में प्रोविजन है कि जो अपोइन्टिग अथोरिटी है वही हटाने के लिये भी आँथोरिटी है। यह भी स्पष्ट है कि कौन डिसीजन लेने वाली आँथोरिटी हैं। पर काम कोई करना नहीं चाहता। अभी मैंने आपको आंकडे देकर बताया था कि महीने-महीने और साल-साल भर निकल जाता है पर कोई चार्ज शीट देने वाला नहीं मिलता।

अब आप अगर ट्रिब्यूनल बनाना चाहते हैं तो यह भी स्पष्ट कर दीजिये कि जिनको पेनल्टी देने का अधिकार है सी. एस. आर. में डिसमिसल का अधिकार है उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकेगा या नहीं। यों इस ट्रिब्यूनल में भी किसी रिटायर्ड आइ. ए. एस. को बिठा दिया तो हालत यह हो जावेगी कि चार-चार और पांच-पांच साल जहां आज भी कार्यवाही नहीं हो रही, वहां आठ-आठ और दस-दस साल भी होनी सम्भव नहीं होगी। छोटा कर्मचारी तो तबाह हो जावेगा। आज भी कई लोग सस्पेन्सन में बरसों से चल रहे हैं। उनको कोई देखने भालने वाला नहीं है। वे उनके प्रति भी वफादार नहीं हैं। हमारे प्रति वफादारी का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं उनको चुनौती नहीं देना चाहता। आज एक सरकूलर निकाला गया है कि जो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स लाएगा उसे सजा दी जावेगी। किसको मिलेगी यह सजा? मैं स्पष्ट निवेदन कर दूं कि यह राज प्रजातान्त्रिक प्रणाली से ही चलेगा। इन नौकरों से नहीं चलेगा। पोलिटिक्स को लोग नहीं भुला सकेंगे। हां अगर आप यह चाहते हैं कि यह राज फेल ही हो तो बात दूसरी है। फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

मैं माननीय मुख्यमन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय लें। एम. एल. ए. होंगे तो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भी रहेगा। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं। एक आदमी है जो भयंकर भ्रष्टाचार कर रहा है। अब इस स्थिति में क्या करूंगा मैं? अपने घर में बैठा रहूंगा? सवा लाख लोगों के प्रतिनिधित्व का भार मुझ पर डाला है। मेरा एक व्यक्तित्व उससे बना है उसको मैं नहीं भुला सकूंगा। मेरा कर्तव्य हो जाता है जनता के हित को मैं देखूं। सही बात के लिये मैं इन्कार नहीं कर सकूंगा। अगर उसका ट्रान्सफर चाहता हूं तो उसके लिये स्पष्ट कहूंगा। मेरा भी एक व्यक्तित्व है जो लाखों लोगों ने मुझे दिया है। मैं मन्त्री के पास जाऊंगा और ट्रान्सफर की जरूरत समझी तो उसके लिये कहूंगा और किसी एक्शन को जरूरी समझूंगा तो उसके लिये कहूंगा। यह एक अजीब परेशानी है कि जिसको मैं मानता हूं कि मरडर हुआ है, गड़बड़ी हुई

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

है, भ्रष्टाचार फेल रहा है तो यह बात मन्त्री से नहीं कहूं ? कहूंगा तो क्या पोलिटिकल प्रेसर समझा जावेगा । एक मंत्री वही बात कहे या करे तो वह पोलिटिकल प्रेशर नहीं हुआ एक एम. एल. ए. कहे या करे तो वह पोलिटिकल प्रेशर गिना जावेगा । एक आदमी लाखों का भ्रष्टाचार कर रहा है मैं उदाहरण देकर नहीं कहना चाहता । मैं भी जानता हूं कि भ्रष्टाचार के कोई आंकड़े नहीं मिला करते । सबूत भी बड़ी मुश्किल से मिला करता है । कोई एविडेन्स नहीं मिल सकती है लेकिन मैं यह कहता हूं कल मैं मंत्री बन गया तो आप विश्वास कर लेंगे, एम. एल. ए. रहा तब तक विश्वास नहीं । जरा इन बातों को सोचिये । जब तक उनके सम्बन्ध में समन्वय नहीं चलेगा आपका राज्य चलने वाला नहीं है ।

ट्रिब्यूनल के सम्बन्ध में एक बात कह कर अपने भाषण को आगे नहीं बढ़ाऊंगा ट्रिब्यूनल आप लाने की योजना बना रहे है । हाईकोर्ट में छोटे-मोटे एम्प्लाईज को जो बेचारे गरीब हैं, उनको न्याय मिलता है, ऐसे आंकड़े ऑडिट रिपोर्ट में हैं 10-10 साल तक के केस खतम नहीं हुए हैं, उसका बेटा पोता कहेगा हमारे पिताजी को पेन्शन नहीं मिली और कई चीजों से महरुम रह गये ।

अगर ट्रिब्यूनल में आपने किसी रिटायर्ड आई० सी० एस० को बैठा दिया तो कर्मचारियों के तकदीर फूट जायेंगे और राजस्थान की सर्विस क्लास खतम हो जायगी । मेरा निवेदन है कि अभी आपके पास जितने कानून हैं उनको स्ट्रिक्ट बनाइये । एक निवेदन और है 100-150 शिड्यूल्ड एम्प्लाइज को कर दिया-राज्यपाल महोदय ने कह दिया शायद मैं कहूँ तो अचरज नहीं होगा । शायद समाजवाद में तो नहीं बना होगा । वह बना होगा 1948 से पहले । आज तो मजदूर ट्रेड यूनियनें बना सकता है हाईकोर्ट में जा सकता है । सामन्तवाद के युग में उसकी जबान बन्द थी । आज मेरा निवेदन है इनको मिनिमम तनख्वाह मिलनी चाहिये । उनके हायर वेजेज की व्यवस्था करिये, प्रोविडेन्ट फन्ड, ग्रेच्युएटी के लिये व्यवस्था करिये । तय करिये कि इस हिन्दुस्तान या राजस्थान में, मत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कम से कम किसी लेबर से कोई काम लिया जाय तो मिनिमम वेजेज यह होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कदम उठायें जिनसे जनता का भला हो। मुझे कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में आज भी पांच हजार आदमियों के साथ खून की होली खेली जा रही है । मैं जब यहां से जाता हूँ तो रिक्शा में बैठकर जाता हूं और वे लोग कहते हैं नाहर साहब आपका कानून कहां गया । मैं कहता हूं आयेगा अभी चल रहा है ।

अब और दूसरी बात देखिये सेक्रेटेरियेट में जाता हूं तो मेरा रिक्शा बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है । यह बात समाजवाद की कहते हैं और काम करते हैं सामन्ती ठीक है वहां पर कोई रिक्शा स्टेन्ड हो और भले ही दो रिक्शा खड़े होते हों यह तो बात जमती है लेकिन मुझे वहां तक पैदल चलना पड़ता है। कौनसा जनतन्त्र है यह आपका ? मैं चुनौती देना चाहता हूँ आपकी जितनी कमेटीज हैं, आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपका लेजिस्लेचर जनलेखा सुप्रीम नहीं है

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

आप देख लीजिये प्राक्कलन समिति, समिति की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। आज समय नहीं है कि सब पर प्रकाश डालूं हम तो यहां बैठे-बैठे साल में एक मीटिंग बुला लेते हैं। वह भी साल में एक बार। आज जनतन्त्र किस में रह गया है चुनाव लड़ने में, भीख मांग कर चुनाव जीत कर आ गये और भूले भटके बोल गये यह है जनतन्त्र? जनतन्त्र जो वास्तव में जीने का तरीका है तब तक नहीं आयेगा जब तक वास्तविक जनतन्त्र नहीं होगा। पांच साल असेम्बली की रिपोर्ट पढ़ लीजिये आज आपके मंत्री महोदय सामन्तवाद के सबसे बड़े प्रतीक है। उन सबको बदलने का प्रयत्न कीजिये। कोई मंत्री महोदय, स्कूल में चले जाय तो मंत्री महोदय, के स्वागत में स्कूल के बच्चे आरती उतारते हैं। अरे भाई आरती आदमी की उतारी जाती है आरती तो भगवान की उतारी जाती है। आज इस प्रकार के सामन्तवाद के ठाठ देखे गये हैं।

अभी एक सगाई में चला गया और वहां देखा गलीचे के ऊपर रण्डियां नाच रही हैं यह भूले भटके देखने को मिलता है लेकिन आज यह सब उनकी आदत बन गई है। यह सब विवश होकर हमको देखने को मिलता है गांव के बच्चे मंत्री महोदय का स्वागत करने कलश लेकर आये हैं। अरे, हम अपने आप में कुछ तो सोचे और फिर संस्कृति का नाम लिया जाता है। अरे राजस्थान की संस्कृति वह संस्कृति है जो सामन्तवाद की है, वह हमें बदलनी पड़ेगी-यह सारी की सारी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ और जो बातें कही हैं समय बहुत हो गया है कभी समय आवेगा तो और निवेदन करूंगा अभी तो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसमें आगे बढ़ें और सोचें। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, क्योंकि राज्यपाल महोदय कृपा करके यहां पधारे हैं। आज सदन को सोचना है कि हम अन्धेरे में चल रहे हैं या प्रकाश में....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुंशी लाल।

श्री मुंशी लाल महावर (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्षजी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ और मैं कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान में बरसात न होने की वजह से अकाल पड़ा है और समय-समय पर अकाल पड़ता रहता है जिससे हमारे यहां एक भंयकर स्थिति हो गई है। कहीं ज्यादा बरसात हो गई तो बाढ़ आ गई और उसमें छोटे-मोटे बान्ध टूट जाते हैं और फसलें नष्ट हो जाती हैं और अकाल के आने पर उत्पादन में कमी हो जाती है और कमी आ जाने से महंगाई होती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है। भूखमरी बढ़ती है गत साल हमने पढ़ा था हरित क्रान्ति लाना चाहते हैं. श्वेत क्रान्ति लाना चाहते हैं लेकिन बरसात की वजह से चारा भी नष्ट हुआ तो फसल भी नष्ट हो गई जिससे न तो हरित क्रान्ति आ सकी और न श्वेत क्रान्ति आ सकी, न हम उस लक्ष्य पर ही पहुँच पाये। ये सब बातें ऐसी हैं जब अकाल पड़ता है तो प्राकृतिक कोप राजस्थान पर होता है और जो भी राजस्थान का खर्च होता है वह

(श्री मुंशीलाल महावर)

मानव जीवन को बचाने के लिये और पशु धन को बचाने के लिये हो जाता है। अकाल में हमारा पशु धन भी संकट में आ जाता है। यह सारी एक राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय समस्या के लिये केन्द्र की सरकार सारे खर्च को बर्दाश्त करे। हमारी राजस्थान की सरकार पर आर्थिक जो प्रभाव पड़ा है उसकी वजह से हमारे आर्थिक विकास के कदम रुक गये और उनके रुकने की वजह से आज, हमारे जो माननीय सदस्य आपके सामने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, यह सही बात है कि हम गांवों में जाकर देखें कि जहां एक गरीब हरिजन पांच रुपये लेकर घूम आया लेकिन उसको अनाज नहीं मिलता। जिसके पास क्रय शक्ति नहीं है वह भूख से परेशान है। आज जानवरों के लिए घास तक नहीं और वृक्षों की पत्तियां तोड कर पशुओं को चराई जा रही हैं। अगर ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार इस तरफ अधिक ध्यान देकर जो प्राकृतिक प्रकोप होता है उसके लिए कोई स्थाई हल नहीं ढूंढती है तब तक राजस्थान को बहुत भारी संकट का सामना करना पड़ेगा मैं मानता हूं कि हमारे राजस्थान के लोग बड़े उत्साही और हिम्मत वाले हैं और हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहे हैं लेकिन जो सीमित साधनों में हमारे अकाल राहत मंत्रीजी ने, जो भी काम खोले हैं, वास्तव में वह प्रशंसनीय हैं और उससे लोगों को कुछ राहत मिली है। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि 1 करोड़ 33 लाख जनता अकाल से त्रस्त है और केन्द्रीय सरकार 5 करोड़ 88 लाख रुपया सहायता और कर्ज के रूप में देती है। यह बड़े दुःख की बात है कि हमारी समाजवादी सरकार जो कि समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहती है जो गरीबी और अमीरी के भेदभाव को मिटाना चाहती है और इस समय जो प्रधान मंत्रीजी कर रही हैं उनको चाहिए कि राजस्थान को संकट के समय में ज्यादा से ज्यादा मदद देकर और वित्तीय सहायता देकर इस संकट से बचायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य व हमारे मुख्य मंत्रीजी भी इस राजस्थान की, वस्तुस्थिति हैं, सके बारे में समय-समय पर या इस समय जो आगे आने वाला संकट है उसके लिए प्रधान मंत्रीजी को बतायें और ज्यादा से ज्यादा सहायता लेकर राजस्थान के जन-जीवन को संकट से बचायें।

उपाध्यक्ष महोदय जहां तक थोक व्यापार का सवाल है मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आज तक जो हमारे इस हिन्दुस्तान में मिक्स्ड इकानामी रही और उसका जो परिणाम सामने आया है हम कह सकते हैं कि समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। वास्तव में सही बात है कि हम समाजवाद को ओर जा रहे हैं लेकिन एक भेड़िये के पास बकरी बांध दें तो वह नष्ट हो जायेगी इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप थोक व्यापार अपने हाथ में लेते हैं तो खाली गेहूं और चावल का ही क्यों? सारे ही अनाजों का थोक व्यापार आप अपने हाथ में लें जैसे कि हमारी होर्डिंग पालिसी है अतः गेहूं का ही क्यों, चावल का ही क्यों दूसरे अनाज भी लेंगे तो हम

(श्री मुंशीलाल महावर)

सारी व्यवस्था को नियंत्रण में रख पायेंगे। यदि गेहूं और चावल का ही व्यापार हाथ में लेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट और व्यापारी होर्डिंग कर लें और जनता को संकट का सामना करना पड़े। इसलिए जरूरी है यदि आप थोक व्यापार हाथ में लेते हैं तो खाद्यान्नों का पूरा थोक व्यापार आपको हाथ में लेना चाहिए।

सिंचाई व विद्युतीकरण की प्रगति के अन्तर्गत अभिभाषण में राजस्थान नहर, चम्बल घाटी परियोजना, व्यास योजना, मध्यम सिंचाई और छोटी योजनाओं के बारे में कहा गया है। मैं मानता हूं कि प्रगति हुई है लेकिन प्रगति के साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जहां राजस्थान में एक तरफ मरुस्थल है वहां दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका और दूसरे मैदान भी हैं तो उसमें मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जितनी नदियां हैं उनका सर्वे होना चाहिए और सर्वे होने के बाद में इमीडियेटली सिंचाई योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाना चाहिए। मैं जयपुर जिले की बात कहना चाहता हूं। जयपुर के पास ढूंढ नदी बहती है और कानोता प्राजेक्ट के लिए सर्वे हो चुका है और सर्वे हो जाने के बाद भी हमने सिंचाई मंत्री को लिखा है और उन्होंने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता को लिखा और उनका जवाब आ गया है कि दुबारा स्टेटमेन्ट के लिए भेजा जा रहा है। तो इस तरह का प्रशासन है। हमारे मंत्रीगण या सरकार प्रोग्रामों को कार्यान्वित करना चाहते हैं लेकिन सरकार में जो प्रशासन तंत्र है वह इतना निकम्मा है कि मंत्रियों के आदेशों की भी पालना नहीं करता है और उनके कार्यक्रमों को किसी न किसी वजह से टालता रहता है और उसका नतीजा यह होता है कि जनता में दिन व दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वहां प्रशासन को लोकतंत्र में जनहित की बात सोचते हुए, प्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए और जब तक लोकहित में काम नहीं करेंगे तब तक इस राजस्थान का भला नहीं हो सकता इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां कि हमने परामर्शदात्री समितियां बनाईं और को-आर्डीनेशन कमेटीज बनाई थी, मैं मानता हूं कि उसके कुछ अच्छे परिणाम आये हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मंत्रियों के साथ हमने परामर्शदात्री कमेटी बनाई थी उसके लिए होना यह चाहिए कि उनकी मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाते और माननीय सदस्यों की राय लेकर काम करते, लेकिन उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में देखा जाये तो प्रशासन को जनता के प्रतिनिधियों की राय से काम करना चाहिये और प्रशासन पर पूर्ण रूप से जन प्रतिनिधियों का नियंत्रण होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पालिटीशियन्स को प्रशासन में कहां तक दखल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस मामले में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी प्रतिनिधि हैं उनको जाकर सीधा जनता के पास पहुँचना पड़ता है, उनसे वोट लेने पड़ते हैं और इस शासन को चलाते हैं तो अन्त में जिम्मेदारी तो जन प्रतिनिधियों की होती है। इसलिए

(श्री मुंशीलाल महावर)

मेरा निवेदन है कि चाहे एम. एल. ए. हों या मंत्री हों यदि सही बात है तो प्रशासन को उसको मानना ही चाहिए और जन प्रतिनिधियों का दखल हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि जैसे रथ में घोड़े लगे हैं और उसकी लगाम रथवान के पास नहीं है तो वह रथ भी चकनाचूर हो जायेगा और सारी व्यवस्था भी बिगड़ जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्रीगण प्रशासन पर नियंत्रण पूरी तरह से रखें और जनता की भावनाओं को समझते हुए आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को हमारी पार्टी व सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करें।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्टेट प्लानिंग बोर्ड का फैसला किया गया है। इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टेट प्लानिंग बोर्ड का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था और उसमें जो कृषि, उद्योग, खनिज, नगर आयोजना, रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास आदि के बहुत ही अच्छे सुझाव हैं, मानने योग्य हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि इस स्टेट प्लानिंग बोर्ड में एक प्रकोष्ठ ऐसा भी होना चाहिए जो कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जिनका पुश्तैनी धंधा चलता आ रहा था, जैसे एक वीवर बुनाई का काम करता था, चर्मकार चर्म उद्योग का काम करता था या छोटे उद्योगों में जो लोग लगे हुए थे वह बिना धंधे के हो गए, का ध्यान रखे। जैसे कपड़ा बुनने के धंधों को कपड़े की मिलों ने छीन लिया और बड़े-बड़े केपिटेलिस्टों ने छीन लिया। दूसरी तरफ चर्म के उद्योग को बाटा और फ्लेक्स ने छीन लिया और आज लोग बेरोजगार नजर आते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भूख से परेशान हैं, धंधों से परेशान हैं और मैं तो यह कहूँ कि शिड्यूल्ड कास्ट के एम. एल. ए. आफिसर्स से जाकर कहें तो वह भी उनकी बात नहीं मानते कि उनके जाने पर कुर्सी तक से नहीं उठेंगे, मैंने तो यहीं तक देखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता है तब तक इस दलित वर्ग का जो एक्सप्लायटेशन होता रहा है, सदियों से, वर्षों से, वह समाप्त नहीं हो सकता। यह सही है कि उस वर्ग के प्रति सरकार सचेत है, उनका विकास करने की कोशिश कर रही है, चाहे वह किसी भी कम्यूनिटी का हो सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा पहुँचाना चाहती है परन्तु सवाल यह उठता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में पटवारी को गिरदावर को दस्तूर देना पड़ता है, गिरदावर को तहसीलदार को दस्तूर देना पड़ता है और तहसीलदार को कलेक्टर को दस्तूर देना पड़ता है और इस प्रकार करप्शन की कड़ी बनी हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात में तो मैं जाना ही नहीं चाहता। पुलिस डिपार्टमेंट का तो यह हाल है कि जब तक सी. ओ. एस. पी. को रुपया नहीं चुकाये, थानेदार सी. ओ. को रुपया नहीं चुकाये तब तक वह किसी थाने पर टिक ही नहीं सकता उसको लाइन पुलिस में भेज दिया जाता है। कैसे ईमानदारी से काम होगा? ईमानदारी से भी काम करने वाले प्रशासन में जरूर हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हम प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें यह होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट से या कोई सी. आई. डी. पुलिस के जरिए हर एक

(श्री मुंशीलाल महावर)

की डायरियां खोली जायं कि कौन-कौन कहां से रिश्वत लेता है, किन-किन तारीखों पर उसने क्या-क्या काम किया है, उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। उनको पेनलाईज करना चाहिए और उनकी फाईलें खोली जानी चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बिना किसी जांच के कम्पल्सरी रिटायरमेंट करना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह काम शुरू किया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है और इसको ज्यादा से ज्यादा तादाद में किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि समाजवादी अर्थ व्यवस्था में जो हमारे विद्यार्थी नए-नए पढ कर आते हैं और जो बेकार हैं उनको काम दिया जाना चाहिए।

इसके साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सहकारी क्षेत्र में हमारे यहां हाउसिंग, स्टेट फाइनेंस सोसायटी, भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय-सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, ऐसी संस्थाएं हैं और उनसे हम यह उम्मीद करते हैं कि सहकारिता, जिसके लिए नेहरूजी कहते थे कि हम सहकारिता से समाजवाद लाना चाहते हैं, आज सहकारिता की राजस्थान में जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। सहकारिता के अन्तर्गत चाहे कैसी भी स्कीम आवे, चाहे किसी भी जनता के वर्ग को रुपया देने की बात हो, गरीबों को, काश्तकारों को, मजदूरों को, छोटे-छोटे उद्योग धन्धे चलाने वालों को उसमें पैसा देने का तरीका रखा गया है। लेकिन सहकारी बैंक हैं उनमें प्रोसीजर कितना कठिन रखा है कि गरीब आदमी रुपया नहीं ले सकता है। अब मैं भूमि बैंक के प्रोसीजर के बारे में मिसाल देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक तहसीलदार एक काश्तकार की खातेदारी को प्रमाणित नहीं करता है उसको पैसा नहीं मिल सकता। फिर यह पब्लिक इन्क्वायरी क्या बला है? तीन-तीन और छः-छः महीने इसमें लग जाते हैं और काश्तकारों को रुपया नहीं मिलता है। हमारे यहां पर जितनी सहकारी वित्तीय संस्थायें हैं उनका प्रोसीजर जब तक बिल्कुल आसान नहीं किया जाएगा तब तक काश्तकारों को छोटा मोटा उद्योग धन्धा चलाने वालों को इमीजियेटली रुपया नहीं मिलेगा, मैं यह उम्मीद नहीं करता कि सहकारी संस्थायें सार्थक हो सकेंगी।

तो मैं यह निवेदन करता हूं कि सहकारिता की हमारी नीति है और हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में हाउसिंग सोसायटीज बनायें तदनुसार हाउसिंग सोसायटीज बनाई गईं। यहां के जो सहकारिता के कर्मचारी हैं उन्होंने इस तरह की धांधली कर रखी है कि वह सहकारी समितियों को बनने नहीं देते। अगर बन गई तो उसके बाद पंचायतों के द्वारा वैधानिकता की जांच के पट्टे, सरपंच सहकारी समिति के सदस्यों को दे देते हैं और वैधानिक पट्टे मिल जाने के बाद भी उसकी वैधानिकता की जांच के लिए एक लीगल एडवाईजर हाउसिंग सोसायटीज में रखा गया है जिसकी सलाह से टाईटल पास होता है। एक-एक हाउसिंग सोसायटी से लीगल एडवाईजर फीस का हजार-हजार, पांच-पांच सौ रुपया ले लेता है। ऐसी हालत में मैं उम्मीद नहीं करता कि गरीब तबके के लोगों को हाउसिंग सोसायटीज के जरिये रुपया मिल पाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जो भी सहकारी

(श्री मुंशीलाल महावर)
वित्तीय संस्थायें हैं उनसे जो भी गरीब काश्तकारों को रुपया मिलता है उसका प्रोसीजर जल्दी से जल्दी आसान किया जाय और कानून में, नियमों में संशोधन किया जाय।

श्री केसरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम है सदन का ?

कई माननीय सदस्य : हां है।

श्री मुंशीलाल महावर : औद्योगीकरण की बात में जैसा कि नाहर साहब ने अभी फरमाया, मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कैसे भी उद्योग धन्धे लगे, वे सब बड़े-बड़े शहरों के पास लगे हैं। होना यह चाहिए कि जो शहरों के पास बड़े उद्योग-धन्धे खोले गये हैं उससे आबादी बढ़ती गई है और कई तरह की समस्यायें पैदा हुई हैं इसलिए औद्योगीकरण कस्बों की तरफ ग्रामों की तरफ हो। रूरल इण्डस्ट्रियलाईजेशन की वजह से जो हमारे गांवों में सरप्लस लेबर है उनको वहां पर एडजस्ट किया जा सकता है।

औद्योगीकरण के साथ-साथ मैं खनिज के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में सिलिका सैण्ड की कई खानें हैं और मैंने यह सुना है कि 80 लाख टन तक पदार्थ वहां पर उपलब्ध है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर पाई है। सिलिका सैण्ड जो निकलता है उसका सही उपयोग इस राजस्थान में किया जाय कोई ग्लास फैक्ट्री हो जिसमें इसका उपयोग हो सके। अतः खनिजों के मामले में मेरा यह निवेदन है और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी खानें लीज पर ठेकेदार को दी जाती हैं वे ठेकेदार लोग सही तरीके से खानों का एक्सप्लॉयटेशन वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाते हैं। न वहां पर लिंक रोड्स हैं, मजदूरों का शोषण किया जाता है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार जो समाजवाद के रास्ते पर जाना चाहती है तो मैं यह कहूंगा कि खनिजों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और खनिजों का राष्ट्रीयकरण करके जो शिक्षा है उस शिक्षा में भी कृषि, उद्योग, साइन्स और टैक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि कृषि की शिक्षा लेकर एक ग्यारह क्लास तक पढ़ा हुआ विद्यार्थी कृषि का काम सीख कर खेतों में जाकर खेती कर सके, उद्योग की शिक्षा प्राप्त किया हुआ स्किल्ड लेबर खानों में या छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों में काम कर सके। इस तरह से हमें शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा का प्रोविजन रख कर, छात्रों को आर्थिक कार्यक्रम में इवॉल्ड करना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके।

अभिभाषण में कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में एक हजार पांच सौ मिडिल और एक हजार प्राईमरी स्कूल बढ़ाये जायेंगे जो वास्तव में स्वागत योग्य हैं। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा जहां एक टीचर वाली स्कूल खोली गई है वहां टीचर यदि छुट्टी पर चला जाता है तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और भवनों की व्यवस्था देखें तो भवनों की इतनी खराब स्थिति है कि वहां पर बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। इस तरह से ग्रामीण जनता जिसके बलबूते पर हम जीत कर यहां आते हैं, उनके बच्चों के लिए शहरों जैसी कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। उनके बच्चों के

(श्री मुंशीलाल महावर)

लिए, ग्रामीण और काश्तकार, मजदूर के बच्चों के लिए भवन की व्यवस्था तक नहीं है, न अच्छे ढंग के स्कूल हैं। तो मेरा निवेदन है कि जहां शहरों में बड़े-बड़े अफसरों के लड़के या दूसरे बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं, वैसी स्कूलें, वैसी शिक्षा और उस तरह को सुविधाओं की व्यवस्था मुझे शक है कि, 10-15 साल में भी कर पायेंगे या नहीं। लेकिन यह समाजवाद की तरफ जो हमारी सरकार यदि जाना चाहती है तो इन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करे और ग्रामीणों के लिए जल्दी से जल्दी इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करे।

राजस्थान पथ परिवहन निगम ने राष्ट्रीयकृत मार्गों को बढ़ाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके बारे में निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीयकृत मार्गों की वृद्धि करना तो बड़ी खुशी की बात है, और होना तो यह चाहिए कि यातायात के जितने साधन हैं, चाहे वह ट्रक से माल ढोने का काम हों, चाहे सवारी ले जाने का काम हों इन सबका पूर्ण तरह से राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। यदि राजस्थान सरकार समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहती है तो सभी मामलों में आगे बढ़ कर इसका राष्ट्रीयकरण करे आज हमारे सामने कई समस्यायें हैं। इसको हल करने के लिये यदि हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग होते, यदि हमारी राज्य सरकार और हमारे विभाग के पास ट्रक होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भी खाद्यान्न का अलॉटमेंट होता वह खाद्यान्न लाया जा सकता था और सही टाइम पर लोगों को सप्लाई कर पा सकते थे।

समाज-कल्याण विभाग द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। मुझे इस बात पर खुशी होती है कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को आर. ए. एस. और आई. ए. एस. की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये राज्य सरकार की ओर से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। ये गरीब लोग समाजवाद के समर्थक होते हैं और यदि इनको प्रशासन के काम में रखा जायेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गरीबों के हितों का ज्यादा ध्यान रखेंगे।

इसी तरह से आज ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट को वृत्ति दी जा रही है। इसके बारे में भी कहना चाहता हूं। इनको 150/— और 250/— रुपया प्रति माह दिया जा रहा है, यह अच्छी बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनको आप रुपया दे रहे हैं, उनसे काम भी लेना चाहिये। हमारी ह्यूमन पॉवर बेकार पड़ी है इसका उपयोग किया जाना चाहिये। आज इस मानव शक्ति का ह्रास हो रहा है। इस शक्ति को उत्पादन की ओर लगावें।

मरुस्थल के बारे में, राजस्थान नहर के बारे में, जो बातें अभिभाषण में कही गयी हैं वे वास्तव में महत्वपूर्ण बातें हैं। मरुस्थल का जहां तक सवाल है इस समस्या को राष्ट्रीयस्तर पर हल किया जाना चाहिये। मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व बैंक की कुछ योजनाएं विचाराधीन हैं। इसके लिये हमारी राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार को एप्रोच करे और जल्दी से जल्दी इन योजनाओं को पास करावें और राजस्थान में इन योजनाओं

(श्री मुंशीलाल महावर)
को लागू करावें ताकि लोगों को लाभ मिले।

मैं यह भी कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने कृपा करके सदन में जो अभिभाषण दिया है वह वस्तुस्थिति का ज्ञान कराता है और जो वस्तुस्थिति है वह सदन के सामने मौजूद है। आज सदन को चाहिये कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए और राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को संकट का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग करे। अकाल राहत कार्य जो खोले गये हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेंट किया जाना चाहिये और प्राथमिकता उन कार्यों को दी जानी चाहिये जो कि प्रोडक्टिविटी सेक्टर के हों, जैसे सिचाई छोटे बांध लिंक रोड आदि-आदि।

इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इलेक्ट्रिफिकेशन, माइनर इरिगेशन, ए.आर.सी. स्कीम जल्दी से जल्दी पूर्वी राजस्थान के भाग में ज्यादा से ज्यादा तादाद में होनी चाहिये क्योंकि हमारे यहां के कुओं में पानी है लेकिन पॉवर नहीं है। इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो उसके साथ ही साथ एग्रो इन्डस्ट्री कायम की जा सकेंगी और वहां पर छोटे-मोटे उद्योग भी चलाये जा सकते हैं।

जयपुर जिले के बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जिले की लैन्ड फर्टाइल है, और यदि यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो जायगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खाद्यान्न का उत्पादन काफी गुना बढ़ जायगा और काफी हद तक हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर पायेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि इलेक्ट्रिफिकेशन, ए.आर.सी. स्कीम ज्यादा से ज्यादा लागू की जानी चाहिये। मैंने कृषि मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखे थे। मैं उनसे यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप हमारे यहां बस्सी क्षेत्र में ए. आर. सी. स्कीम को लागू करावें ताकि किसानों को लाभ मिले। एक कानोता प्रोजैक्ट है। इससे दस हजार बीघा जमीन की सिचाई हो सकती है। किसानों को फायदा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन दोनों योजनाओं के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। राज्यपाल महोदय ने कृपा करके जो निर्देश दिया है, और वस्तुस्थिति से अवगत कराया है उसके लिये धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हुआ अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी !

(अनुपस्थित)

श्री चिम्मनसिंह भाटी !

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रथम चरण में अकाल की विभीषिका पर प्रकाश डाला गया है। और उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा असन्तोष है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो राहत कार्य चलाये जा रहे हैं उनमें असमानता है। ऐसा भयंकर अकाल और उसमें भी इस प्रकार की असमानता और जहां आठ-आठ साल से भयंकर अकाल पड़ रहा है उस जिले में दूसरे जिलों के समानान्तर श्रमिक लगाना कहां तक न्यायसंगत है?

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

मैं उदाहरण के रूप में आपको निवेदन करूं कि उदयपुर जिले की 15 लाख की जन-संख्या प्रभावित है और उसके समानान्तर ही अजमेर जिले में 8 लाख की आबादी में से करीब 6·7 लाख की आबादी अकाल से प्रभावित है। वहां भी 60 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं और उदयपुर में 15 लाख की जनसंख्या पर भी 60 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि इसका कारण क्या है, और क्यों इतनी असमानता है? लेकिन इस प्रकार लोगों में असन्तोष है और लोग बड़े दुःखी हैं। जैसा कि हमारे नाथूभाई ने बताया था कि लोग जानवर खाने लग गये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। यह कोई उदयपुर जिले की बात नहीं है कि वहां पर मर रहे हैं। राजस्थान भर के जिलों में मर रहे हैं। यह प्रश्न दूसरों का भी है।

अब प्रश्न यह है कि इसकी परिभाषा क्या बनाई जाय? लेकिन मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, और कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि आज मौत शुरू हो गई है और आने वाले समय में इससे भी भयंकर महामारी, बीमारी फैलेगी। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो सीमा बनाई गई है उस सीमा को एक दम से बढ़ाया जाय। अभी होली का त्यौहार आने वाला है। लोगों के दिलों में होली जलेगी। उनको खाने को अन्न नहीं मिलेगा, राशन नहीं है उनको कम से कम रोजगार नहीं देंगे तो वे राशन कहां से खरीदेंगे, राशन कहां से उपलब्ध करेंगे? यह मेरी समझ में नहीं आता है। आज लोगों के पास काम नहीं होने की वजह से ऐसी असमानता बढ़ गई है। हमारे जिले में 9 हजार की जनसंख्या में कोई काम नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी जगह 9000 की जनसंख्या पर 100 आदमियों को लगाया गया है। यही हाल और कई पंचायत समितियों का है। हमारे यहां कई गांवों में 8-8 साल से लगातार अकाल पड़ रहा है तो वहां के लोगों ने मवेशी बेच दी है। जब अकाल की आशंका उत्पन्न हो गई तो उन्होंने कोड़ियों के भाव में मवेशी को बेच दी। इसलिये यह निवेदन करूंगा कि यह जो श्रमिकों की सीमा लगाई गई है वह न केवल उदयपुर जिले की समस्या है बल्कि पूरे राजस्थान की समस्या है। इससे असमानता बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं पक्षपात हो रहा है, करप्शन हो रहा है। इसलिये अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अविलम्ब इसकी संख्या को बढ़ाया जाय।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि फेमीन में जो काम चलाया जा रहा है उसमें अधूरे कामों को नहीं लिया जा रहा है जो कि गत फेमीन से अधूरे पड़े हैं। इसका कारण मेटेरियल कम्पोनेन्ट बताया जाता है। अधिकारियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो मेटेरियल कम्पोनेन्ट तय किया गया है वह बहुत ही कम है उससे हम इन कामों को पूरा नहीं करा सकते हैं। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ने वाली सड़कें गत फेमीन से जिनकी पुलिया तैयार पड़ी हैं लेकिन खाली आज उन पर मिट्टी नहीं डालने की वजह से इन राष्ट्रीय मार्गों से बरसात शुरू होते ही यातायात बंद हो जाता है। इसकी यह 12 मील की सड़क बुरी हालत में है। पहले मवेशी निकल

(श्री चिम्मनसिंह भाटी

सकती थी, लेकिन अब पुलिया बन जाने और मिट्टी नहीं डालने की वजह से मवेशी भी नहीं निकल सकती है। ऐसी हालत है. इसलिए मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि वह मेटेरियल कम्पोनेन्ट को, जहां तक हो, बढ़ाये और ऐसे अधूरे कामों को पूरा किया जाय।

दूसरा प्रश्न उठता है कि राहत कार्यों में हमारे एनीकट्स को नहीं बनाने का इसका पहला कारण, जो है वह मेटेरियल कम्पोनेन्ट का आता है तथा दूसरा प्रश्न उठता है रिटर्न का। रिटर्न के मामले में हम जब तक यह छूट नहीं देंगे, डेढ़ पर्सेन्ट का जो है रिटर्न उसको बांटने का है वाटर लेवल पर, क्योंकि एनीकट बनते हैं वहां पर वाटर लेवल ऊंचा हो जाता है और लोगों के कुओं में पानी आता है, तब तक एनीकट्स नहीं बन सकते हैं। उसका सही एवरेज निकाला जाय। गंगानगर, बीकानेर में तो राजस्थान नहर भी ले गये लेकिन उदयपुर और अजमेर जिलों के लिए कौन सी नहर आने वाली है यह मेरी समझ में नहीं आता है? इसलिए उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़े जैसी हिली एरियाज में एनीकट्स नहीं बनायेंगे तो वहां के लोगों की सही हालत कभी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि एनीकट के मामले में मेटेरियल कम्पोनेन्ट बढ़ाया जाय और रिटर्न को कम से कम किया जाय जैसा कि दूसरे जिलों में भी हो रहा है।

इसके साथ-साथ ही मजदूरी जो बढ़ाई गई है—3 रुपया प्रति व्यक्ति और ढाई रुपया औरतों के तय किये हैं यानी 3, 2½ और 2 रुपये किये हैं वह मेरी समझ में नहीं आता है। राजस्थान में बच्चों को छोड़कर 17 आदमियों में से एक-एक आदमी लिया जा रहा है। 17 आदमियों के परिवार में से एक आदमी काम पर लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र में यह पाबन्दी नहीं है। खैर, यह भी किया जाय, लेकिन कम से कम उन लोगों को रोजगार तो दें। 17 में से एक आदमी लगाना कहां तक न्याय-संगत होगा? फिर उसके बाद में काम का, टास्क का जो माप दिया है वह 100 क्यूबिक फीट मिट्टी पहले एक आदमी और दो औरतें निकालते थे उनको डेढ़ रुपया और ढाई रुपया यानी कुल मिलाकर 4 रुपये उनको मिलता था। 4 रुपये में उनको 100 क्यूबिक फीट मिट्टी निकालनी पड़ती थी। आज राजस्थान सरकार ने मजदूरी बढ़ाने का जो आदेश दिया है तो काम दुगुना कर दिया है यानी 8 रुपये में उनको 200 क्यूबिक फीट मिट्टी निकालनी पड़ेगी। पहले 100 क्यूबिक फीट मिट्टी का काम जो एक आदमी और दो औरतों को दिया जाता या वह भी वह नहीं निकाल सकते थे तो आज इस भुखमरी के टाइम में वे इसको कैसे निकाल सकते हैं? अब प्रश्न यह आता है कि राज्य सरकार ने 30 पर्सेन्ट की छूट दी है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 30 पर्सेन्ट की छूट के आदेश अभी तक अधिकारियों के पास नहीं पहुंचे हैं, और नहीं पहुंचने के कारण लोगों पर पैनल्टी जारी हो गई है, और पैनेल्टी शुरू हो गई है तो लोग वही हल्ला मचायेंगे जो पहले भ्रष्टाचार या उस ढंग से करते थे। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह जो टास्क

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

बढ़ाया गया है उसको कम किया जाय और जो 30 पर्सेन्ट की छूट दी गई है उसके तुरन्त आदेश कलेक्टर और सम्बन्धित अधिकारियों को पहुँचाये जायं। और सम्बन्धित अधिकारियों को यदि दे दिये गये हैं, तो यह उनकी नादिरशाही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसरों के पास वे अभी तक नहीं पहुँचाये गये हैं।

तीसरा सवाल यह क्रेश योजनाओं के मामले में अर्ज करूंगा। श्रीमान्, क्रेश योजनाओं के मामले में जितना काम चला तो कुछ ढंग से वह नहीं चलाया गया, और यदि चलाया गया है तो चार-चार महीनों में पेमेन्ट किया गया है। इससे लोगों में असन्तोष है। राशि जो इसकी लैप्स होगी उसके लिए जवाब देने वाली तो सरकार है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है उनको 4-4 महीनों तक वेतन नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो 90-90 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से चुकाये गये हैं। पहले तो चार-चार महीनों तक पैसा नहीं दिया गया है, और अगर दिया गया है तो 90 पैसे के हिसाब से दिया गया है।

अब मैं डी० पी० ए० पी० योजनाओं के मामले में अर्ज करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ब्यावर, भीम, देवगढ़, खेरवाड़ा और एकाध जिलों में यह योजनाएं चालू की गई हैं, लेकिन आज 9 महीने हो गये हैं, उन योजनाओं का कहीं पता नहीं है। कहां वे योजनाएं अटक रही हैं, हम नहीं जानते। हमने कुछ पता लगाया यहां तो यह मालूम हुआ है कि मंत्री महोदय ने, राज्य सरकार ने और चीफ मिनिस्टर महोदय ने यह आदेश दे दिये हैं कि वे काम शुरू कर दें, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं किये गये। काम शुरू करना तो दूर रहा उनका सर्वे तक नहीं किया गया है। यह मालूम हुआ है कि जो थोड़ा बहुत सर्वे किया गया है वह भी पता नहीं कहां गया है ? यह हमें मालूम नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त राज्य सरकार संकट में है और राज्य की जनता काफी संकट में है। उस पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ा हुआ है। डी० पी० ए० पी० योजनाएं शुरू कर देंगे तो इससे राज्य सरकार को फायदा है और जनता को रोजगार मिलेगा और राज्य का आर्थिक बोझ हलका पड़ेगा।

(7.25 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

विद्युतिकरण के मामले में, श्रीमान्, काफी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। अफसोस इस बात का है कि कुछ दिनों पहले सिलवर जुबली के टाइम पर यह पंचायत समितियों को आदेश दिये गये थे कि वह प्रत्येक पचायत समिति में दो-दो ग्राम विद्युतिकरण के लिए चयन कर लें। 15 अगस्त से आज तक वह योजना, पता नहीं कहां हैं और किसी जगह बिजली राजस्थान में लगी हो यह मैं नहीं समझता। एकाध जगह हुआ हो विद्युतिकरण तो यह अलग बात है। उदयपुर जिले में कहीं भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, ..

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : सभापति महोदय, मुझे कोरम के बारे में शक है। कोरम पूरा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कोरम पूरा नहीं है आप तो बैठें। सभापति महोदय, लोकसभा में मैंने देखा है कोरम पर इन्सिस्ट नहीं करते हैं। जो इन्ट्रेस्टेड हों वह बैठें और बोलना चाहते हों बोलें।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : विद्युतिकरण के मामले में सिलवर जुबली के उपलक्ष्य में जो निर्णय लिये गये थे, उनका पालन अभी तक नहीं किया गया है। 28-6-72 को उदयपुर जिले से जिला स्तर पर रिकमण्डेशन किया गया है विद्युतकिरण के बारे में, लेकिन राज्य सरकार ने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया है। व्यक्तिगत रूप से भी लिखा-पढ़ी की, लोगों ने भर दिये एल फार्म भी, लेकिन उसका आज तक पता नहीं। उदयपुर जिले के पास में भीलवाड़ा है वहां के व्यापारी यह कहते हैं कि यदि हम से बात करो तो बिजली दिला सकते हैं। राजसमन्द के 25 आदमियों ने पैसा भर दिया लेकिन वहां पर बिजली नहीं पहुँची, और पैसा भरने के बावजूद भी उनको बिजली नहीं मिली और भीलवाड़े के व्यापारी यह कहते हैं कि हम बिजली दिलाने को तैयार हैं अगर आप पैसा, मीटर वगैरह का दे दें तो। क्या थ्योरिटी है ? हम लोगों की जो लिखा-पढ़ी होती है और हम राज्य सरकार से सम्पर्क करते हैं उसका कोई महत्त्व नहीं है, और यह व्यापारी आश्वासन देते हैं कि आपको बिजली दिला देंगे तो इसका मतलब क्या है ?

सिचाई के मामले में मैं निवेदन कर चुका हूं कि डेढ़ पर्सेन्ट जो रिटर्न का सवाल है, उसको बन्द किया जाय। दूसरा हमारे यहां पर भेजा और दूसरे बान्धों के एन्केचमेंट का प्रश्न जो सिंचाई विभाग वाले लेते हैं, वह निरर्थक है। भेजा से फीडर फिर आ रही है। इस तरह से होता है तो देवगढ़, भीम में एक भी एनीकट या तालाब नहीं बन सकेगा। इसलिए मैं सिचाई मंत्रीजी से और अकाल मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा, सभापतिजी कि जो एन्केचमेंट का प्रश्न है उसको लिबरल बनाया जाय और "जीओ और जीने दो' वाली कहावत को चरितार्थ किया जाय। जिन लोगों के यहां से पानी जाता है और जिन लोगों के यहां पानी इकट्ठा होता है उनको दोनों को राहत की सांस दी जाय। वह पहाड़ी इलाका है और वहां से 11000 सैनिक फौज में हैं और जिस तहसील के चार शहीद हुए हैं वहां पर एनीकट्स नहीं बनेंगे तो मैं समझता हूं कि उन लोगों के साथ अन्याय होगा।

जलप्रदाय योजनाओं का भी यही हाल है, जलप्रदाय योजना में उदयपुर जिले के भीम, देवगढ़ के लिए कई स्कीमें माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी को भेजी गई। आज भीम जैसे कस्बे में, जहां एस. पी. हो, और दूसरे अधिकारी हों कोई जलप्रदाय योजना नहीं है। गतवर्ष भी स्वास्थ्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि अगले साल तक चालू कर दिया जायेगा। आज वहां यह स्थिति है कि पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायतों को जलप्रदाय योजना में 10 लाख या 10 करोड़ रुपया दिया है और जैसा कि देबारी, पीपली आदि पंचायत समितियों में रुपया पड़ा है, तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस योजना

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

को तुरन्त हाथ में लिया जाये जिससे कि लोगों को राहत मिल सके ।

शिक्षा के मामले में मैं, सभापति महोदय, राज्य सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि जहां पर 5 प्राथमिक स्कूल होंगे वहां पर एक मिडिल स्कूल खोल दिया जायेगा । लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि चौबेजी छब्बेजी होने गये, कहीं दूब्बेजी न हो जायें । वैसे तो 50,50 की संख्या पर अध्यापक की बात कही गई है लेकिन 150 बच्चे हैं और अध्यापक एक भी नहीं है, ऐसी भी जगह हैं । अभी अजमेर में 300 अध्यापकों को चयन किए जाने के बारे में सुना गया लेकिन पता नहीं उनको कहां भेजा गया है । मैं जहां तक जानता हूँ एक भी पंचायत समिति में अध्यापक नहीं है कुछ दिन पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी थी । तभी से ऐसी बाढ़ आगई है । इन लोगों को पंचायत समिति को दे दिया जाये जिससे कि लड़कों के मां-बाप को या दूसरे लोगों को यह तो बताया जा सके कि स्कूल खोल दिया गया है । लेकिन वह भी नहीं है । इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा जितने स्कूल खोलें वहां अध्यापक भी होना जरूरी है । सभापति महोदय, अजमेर जिले में पाठ्य पुस्तकों के भण्डार पड़े हुये हैं । अजमेर शहर में तो वितरित कर दी गई है लेकिन गांव में आज तक पाठ्य पुस्तकें नहीं दी गई हैं । दूसरी जगह भी यही हालत हो गई है । इसके बारे में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ।

भ्रष्टाचार के मामले में बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं । मैं उदयपुर जिले की भीम तहसील का उदाहरण देता हूँ । राशन सप्लाई होता था पहले, उनकी शिकायत करके हम लोगों ने तहसील हैडक्वार्टर पर करवाया । तहसील हैडक्वार्टर पर राशन की दूकान खोली गई । वहां अधिकारी लोग मृत्यु भोज करवाते हैं । 1500 रु. लेते हैं । अगर वह झूठ है तो भदारा गांव में जाकर पूछ लिया जाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, कहीं से भी पैसा लें जनता पर ही आता है व्यापारी नहीं भुगतेगा । बड़े-बड़े व्यापारियों का यही हाल है, भ्रष्टाचारियों के बारे में यदि इण्टेलीजेंस डिपार्टमेण्ट को भेजो तो मैं एक-एक व्यक्ति को बता सकता हूँ । पीपली पंचायत में जाकर पूछिये, बगड़ पंचायत में जाकर पूछिये । भीम सब-डिविजन के वकीलों से जाकर पूछिये तो पता चलेगा कि वहां पर किस स्तर पर भ्रष्टाचार फैल रहा है. इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए सख्ती से कदम उठाना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल जाट !

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं दो शब्द कहना चाहूंगा । राज्यपाल महोदय ने राजस्थान के भीषण अकाल की बात बताई है । और राजस्थान सरकार, इसमें कोई संशय नहीं कि काम करने में असमर्थ है । लेकिन भारत सरकार ने जो

(श्री शंकरलाल जाट)

टीम भेजी, उसने जो अन्याय किया, उस स्टडी टीम ने जो अन्याय किया है, वह बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। स्टडी टीम का पता नहीं कोई पिछले जन्म का क्या बैर था जो उसने हमारे साथ अन्याय किया है। अभी जब हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ गये थे तो हमने देखा कि राजस्थान के मुकाबले वहां अकाल बहुत कम था। लेकिन हमने वहां अधिकारियों से बातचीत की। बाद में वहां के जन प्रतिनिधियों से बातचीत की तो पता चला कि 44 करोड़ रुपये गुजरात को दिया गया है और 96 करोड़ महाराष्ट्र को दिया गया है। वह लोग इतना रुपया ले आये, लेकिन उसके मुकाबले हमें कुछ नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह से हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ है ऐसी क्या कमजोरी थी हमारी जब कि हमने बंगलोर में सुखाड़िया साहब जो बंगलोर में राज्यपाल हैं, से बात की उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अकाल गुजरात और महाराष्ट्र में भी है लेकिन जो पैसा गुजरात और महाराष्ट्र को दिया जा रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा राजस्थान सरकार को दिया जाना चाहिए। तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि हमारे पक्ष को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में जाकर उठाये। हम ज्यादा से ज्यादा केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले ताकि वह हम को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। जहां पैसे देने का सवाल आता है तो गुजरात सरकार अपने पशुओं का गोबर तक हम को नहीं देती है। हम सोने चांदी का मामला आता है तब भी देते हैं। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि अपने पक्ष को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में जाकर रखे। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का एक-बार पैसा लेप्स भी हो गया था। ठीक है, गलती हो गई। लेकिन अब तो आंखों देखी बात है। लोग भूख से तड़प रहे हैं। पैसा मिल रहा है। इस मौके पर भारत सरकार हमारी इमदाद नहीं करेगी तो आज जो कुछ हम कह रहे हैं विधान सभा में, लेकिन आनेवाला 9 महीने का समय बहुत भयंकर होगा। न तो लोगों को और न पशुओं को पीने को पानी मिलेगा और न चारा मिलेगा। आज स्थिति यह है, अनाज की बात को ले लीजिये, सरकार ने अनाज दिया है बेशक दिया है, दुकानें भी खोल दी है सब कुछ कर दिया है। लेकिन वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। अनाज तो आप बाहर से मंगा लेंगे कि इस वितरण की व्यवस्था को ठीक नहीं किया, इस वितरण की व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो इसका नतीजा यह होगा कि गरीब लोग तो मर जायेंगे और पैसे वाले लोग हैं वह फायदा उठा लेंगे। कपासन में अनाज आया इससे इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन वह लिया किसने ? जो 85 के भाव का गेहूं था वह 115 और 120 के भाव से बेचा गया और पैसे वाले, जिन्होंने लिया, उन्होंने फायदा उठा लिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था थोक व्यापार की है, वह हम अपने हाथ में लेने जा रहे हैं लेकिन उसके पहले इस वितरण-व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो उसके कारण सारा कार्य आपका फेल होगा और वह इसलिए होगा कि जो क्रय-विक्रय समितियां बनी हुई हैं, उन पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इसलिए

(श्री शंकरलाल जाट)

नहीं है कि कल आपको वोट लेना है, लेकिन आज के जमाने में और जो दूसरे हैं जिनके पास अनाज पड़ा हुआ है उन पर छापा मार कर ले रहे हैं, या किसी तरह भी लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वितरण व्यवस्था में ढिलाई बरतेंगे और कल को वोट लेने के लिए लोगों को छोड़ देंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपकी यह योजना फेल हो जायगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वितरण की व्यवस्था की है, उसमें अब तक ढिलाई है, उस ढिलाई को निकालने के लिए आपको कोई न कोई इस प्रकार की एजेंसी कायम करनी पड़ेगी, जिस प्रकार कि आपने अनाज खरीदने का काम अपने हाथ में लिया है उसी तरह इसके वितरण के हक को भी हाथ में लें। तब जाकर गरीब को अनाज मिलेगा। बाकी आप सस्ते अनाज की दुकान खोलते जा रहे हैं, सस्ते कपड़े की दुकान खोलते जा रहे हैं, लोग अपने पास वह जमा कर लेते हैं चाहे किसी को मिले या नहीं। लोग पता कर लेते हैं और जैसे ही अनाज आता है उसको आपस में बांट कर भर लेते हैं और गरीब के लिए रामजी का नाम। इसलिए जब तक आपकी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होगी, मुझे गुंजाइश नहीं दिखती है कि लोगों को राहत मिलेगी।

माननीय सभापतिजी, जितनी नाज की आवश्यकता है उससे मैं समझता हूं कहीं ज्यादा आवश्यकता घास की है। कुछ जगह अनाज हो गया है, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो अकाल में नहीं आया है, वहां अकाल जरूर हो गया है और जो अनाज है उससे महीने दो महीने वह गुजर-बसर कर लेंगे, लेकिन जो घास की दिक्कत है, वह वहीं की वहीं है इसलिए गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

खाद का जहां तक सवाल है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, यूरिया की जिस समय आवश्यकता थी तो पिचहत्तर-पिचहत्तर रुपये में एक बैग ब्लेक में लेकर डाला। अब सवाल यह आया कि जो खाद हमें मिलने वाला था, वह आन्ध्र में जाकर बिक गया, यूरिया दूसरी स्टेट्स में जाकर बिक गया, अपने यहां पर नहीं आ पाया। चित्तौड़ में पिचहत्तर-छिअत्तर रुपये में एक बैग लेकर खाद डाला है। कल सवाल आयेगा, कल किसानों के पास जायेंगे नाज लेने के लिए, गेहूं लेने के लिए तो वह कहेंगे, कल हमारे साथ यह बात होती रही तब आप सोते रहे। आपने जांच की कि कंट्रोल रेट पर खाद, जो हमें मिल सकती थी, वह बाहर किसने भेजी हमें जो मिलने वाला कोटा था वह बाहर क्यों चला गया, आन्ध्र किस एजेंसी के द्वारा गया, किसका हाथ था ? और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जब तक आप इस सम्बन्ध में सख्ती के साथ कदम नहीं उठायेंगे तब तक ब्लेक होता रहेगा और विधान सभा में हल्ला मचता रहेगा। इसलिए मैं इस रासायनिक खाद के लिए भी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दूसरी स्टेट में जाकर बिका है, वह क्यों बिका है—इसकी जांच होनी चाहिए।

राजस्थान में राज्यपाल महोदय ने बताया है कि काफी भूमिहीन कृषकों के

(श्री शंकरलाल जाट)

लिए भूमि आवंटित की है। इसमें दो राय नहीं है, बहुत भूमि आवंटित की है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी बताऊं कि राजस्थान नहर और दूसरे एरिया में जो भी जमीन एलॉट की है, उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि वह आवंटित हुए व्यक्ति को मिली। मैं पांच-दस वर्ष पहले की चित्तौड़ जिले की बात अर्ज करूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि चित्तौड़ जिले में पांच-छः वर्ष पहले जो भूमि आवंटित कमेटी के द्वारा आवंटित की गई थी, वह जमीन कलेक्टर ने या राज्य सरकार ने वापिस निरस्त कर दी है। यह नहीं कि वह जमीन कांग्रेसी के पास थी या जनसंघ के व्यक्ति के पास, सब आदमियों के पास जो जमीन थी वह यह बात कह कर निरस्त कर दी कि अमुक आदमी किसान नहीं है। किसान नहीं है— इसकी क्या परिभाषा है। यदि किसान नहीं है तो पच्चीस वर्ष की आजादी के दौरान जितनी भी भूमि आवंटित की है, उसको निरस्त कर दें। किसान की क्या परिभाषा है? कोई आदमी के पास पांच बीघा जमीन है अथवा उसके पास बैल नहीं है वह दूसरों से खेती करवाता है तो वह किसान है। उसके सम्बन्ध में तो यह हो गया कि किसान नहीं है और यह कह कर निरस्त कर दी। तो इस प्रकार से यह प्रजातंत्र में तो, मैं समझता हूं, यह अच्छा तरीका नहीं है। मान लीजिये किसी आदमी को जमीन आवंटित की, चाहे वह किसान हो या नहीं जैसे स्वर्ण नियंत्रण कानून के अन्तर्गत स्वर्णकारों को एक तरह का पिछड़े वर्ग का माना था और गवर्नमेंट का जो आदेश था स्वर्ण नियंत्रण का, उसके अन्दर था कि जो स्वर्णकार हैं, उनको जमीन आवंटित की जायगी। लेकिन उनको जो जमीन आवंटित की, वह जमीन भी निरस्त करदी। एक तरफ आप प्रजातंत्र में हर आदमी को हर ढंग के वर्ग को कुछ प्रोत्साहन देना चाहते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा उनको क्रश करना चाहते हैं, तो फिर कौन होगा आपका सहयोगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? इसलिए मान लीजिये, जो जमीन कोलोनाइजेशन एरिया में जिन लोगों को आवंटित की, पांच-छः साल पहले, उनकी फाइल मंगा कर आप एन्क्वायरी करें कि क्यों निरस्त की गई? क्या कारण था. इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी हों उनको तो सजा मिलनी चाहिए। बाकी नहीं तो डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से आज जमीन दी, कल आने वाला कलेक्टर वापिस रिजेक्ट कर देगा, फिर दूसरा आयेगा, वह फिर कर देगा। इस प्रकार डेमोक्रेसी में, मैं समझता हूं, कोई जन प्रतिनिधियों की अथवा जनता की कोई इज्जत बनी रहने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के मामले में, मैं तो समझता हूं, अपने राजस्थान में एक प्रकार से सहकारिता समाप्त सी है। दूसरी तरफ गुजरात में महाराष्ट्र में देखेंगे तो हर काम सहकारी आधार पर है। हमने सहकारिता जिस बुनियाद पर खड़ी की थी और सोचा था कि सहकारिता का क्या प्रारूप होना चाहिए, वह अब लुप्त हो गया है। जिन लोगों ने दस रुपये का शेअर खर दिया, उसको आठ गुना कर्जा मिल जाता है, और वह छः महीने में ब्याज के साथ वापिस जमा करा देते हैं। यह रूटीन चलता रहा, तो मैं समझता हूं, सहकारिता का फायदा नहीं है। सहकारिता इस बुनियाद पर, नेहरूजी ने खड़ी की थी

(श्री शंकरलाल जाट)

कि को-ऑपरेटिव बेसिस पर डेअरी फार्म बढ़ें, को-ऑपरेटिव सोसायटी बढ़ें, बेसिक नेसेसिटीज की चीजें सबको मिल जायं और उत्पादन बढ़े जिससे आगे जाकर लोग सुखी और सम्पन्न हों। आज तक राजस्थान की स्थिति तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं चित्तौड़ जिले की बात अर्ज करूं कि यही रूटीन हो गया है कि कर्जा लेते हैं, और छः महीने बाद वापिस जमा करा देते हैं। और जो मंत्री आता है वह होशियारी से दूसरों को कर्जा नहीं देता है और नाम बता देता है किसी के और अंगूठा की निशानी लगा देता है। इस प्रकार चल रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर सहकारिता को आपको आगे सफल बनाना है तो सहकारिता के आधार पर जो संस्थाएं चल रही हैं उन पर गवर्नमेंट मशीनरी का पूरा कंट्रोल हो, और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कोई न कोई काम किया जाय, तो मैं समझता हूं इसमें फायदा होगा। सारे राजस्थान में एक तो पाटन सहकारी समिति है शुगर वाली और दूसरी एक स्पिनिंग मिल हैं, इन दो का ही जिक्र आया है।

सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में काफी प्रगति हुई है लेकिन एक निवेदन मैं कर देना चाहता हूं। जहां स्कूल बिल्डिंग का सवाल आता है तो कहते हैं कि पचास पर्सेन्ट जनता कन्ट्रीब्यूशन दे, 75 पर्सेन्ट दे। जब कि बड़े-बड़े शहरों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाते हैं उसमें एक पैसे का भी जनता से आप कन्ट्रीब्यूशन नहीं मांगते हैं। एक तरफ आप डेमोक्रेसी में समाजवाद-समाजवाद का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ जो गरीब समाज है, जो गांव में बसने वाला है, उससे शिक्षा के लिए भी पैसे मांगते हैं–यह कहां तक न्यायोचित है? मैं कहता हूं कि आप एक कमरा बना कर ही हमें दें, हमें आवश्यकता नहीं है कि आप दस कमरे बना कर दें, आप एक कमरा बना कर दें तो हमारे साथ न्याय होगा। हम चाहते हैं कि जयपुर में कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने लेकिन आवश्यकता है गांवों में एक कमरे के प्राइमरी स्कूल को बनाने की तो वह बनायें। इससे मैं समझता हूं कि सबके साथ न्याय होगा।

आप चित्तौड़गढ़ जिले को ले लीजिये। चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 109 अध्यापकों की जगह खाली है। वहां थोप दिया है भरतपुर के लोगों को, अजमेर के लोगों को। क्यों साहब हमारे यहां भी तो बेकार हैं? एक तरफ कहते हैं, बेकारी मिटानी है, शिक्षित लोगों की बेकारी है उनको रोजगार देना है, दूसरी तरफ आप लोगों को बाहर से लाकर थोपते हैं, यह क्या बात है? आप कहते हैं कि एस० टी० सी० ट्रेण्ड नहीं हैं, नहीं हैं तो एस० टी० सी० स्कूल वहां खोलिये। एस० टी० सी० स्कूल आपने खोला तो कहां खोला, बांसवाड़ा में खोल दिया, आपने जोधपुर में खोल दिया। वहां लड़के गए सीखने, उनको कह दिया निकल जाओ, आपको एलाऊ नहीं करते। आप जिले वालों को लिखिए यह भेद-भाव की नीति हटानी पड़ेगी। यह फलां जिले का है, यह फलां का, यह विचार निकालना पड़ेगा, यह सब भूल जायं। कम से कम शिक्षित लोग, जो बेकार हैं ये एम्प्लॉइड हो जायेंगे और अगर आगे जाकर कम से कम उनको साहस दे...

(श्री शंकरलाल जाट)

10 में से 4 आये हैं, इनको रोजी रोटी मिली।

आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान सिंचाई की ओर दिलाना चाहता हूं। भूपालसागर फीडर, जयसमंद फीडर हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पानी का इतना स्कोप है कि कई नदियों का पानी बाहर जा रहा है, इनको रोकने के लिए जयसमंद फीडर है, इसका शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने किया था, वह ऐसे ही पड़ा हुआ है। भूपालसागर का बहुत सा काम हो चुका है, इसका भी साथ ही हो जाए तो तालाब से पानी आने में बहुत सिंचाई हो सकेगी। हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में इतना पानी है कि हमारे जिले का सरप्लस पानी दो जिलों को और दे सकते हैं लेकिन राज्य सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, इसलिए पानी दूसरी तरफ जा रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं जब प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने पटवारियों की शिकायत की है, बिल्कुल सही बात थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री शंकरलाल जाट : इसलिए मैंने जो बातें तथ्यपूर्ण कही हैं, इन पर राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान दें और राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री विद्यासागर !

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : सभापति [illegible] महोदय ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे कई माननीय सदस्य तीन दिन से लगातार बहस में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले अकाल की स्थिति पर राज्यपाल महोदय ने अपने विचार दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हालत बड़ी खराब है। वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान में चारों तरफ अकाल है 26 जिलों में से सिर्फ दो जिलों की अकाल से छूटने की बात है शेष 24 जिलों में अकाल है। 25 वर्षों से हम देखते आए है हर दूसरे या तीसरे साल अकाल आता रहा है। राज्य सरकार ने प्रयत्न किए लेकिन इकोनोमिक दृष्टि से जो फायदा होना चाहिए था अकाल रोकने में, जो काम सहायक होना चाहिए थे, वह राज्य सरकार नहीं कर पाई है। मैं खास तौर से उन इलाकों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारी तरफ पहाड़ी इलाका है, वहां ज्यादातर आदिवासी पिछड़ी जाति के लोग हैं। अक्सर हम राज्य सरकार से कहते आए हैं कि आदिवासियों को जिंदा रखने के लिए तालाब, एनीकट्स और कुओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सहायता करें। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारा टेक्कनीकल स्टाफ है वह हमेशा रिटर्न बेनीफिट्स के नाम से हमको पीछे धकेलता गया है और आए दिन हमें अकाल का सामना करना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। राज्य सरकार इन बातों की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। अगर इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आए दिन अकाल से हम पीड़ित होंगे। आज आप शायद मानने के लिए तैयार नहीं होंगे बिछीवाड़ा पंचायत समिति, डूंगरपुर में एक औरत और तीन बच्चों का कतल कर दिया गया, चोरों ने उनको रात को मार

(श्री विद्यासागर)

डाला और जो कुछ सामान मिला, ले गए। उसी तरह से उसी पंचायत समिति में एक और रात को एक आदमी चोरी करने गया और मकान के आदमी जग जाने पर घर के आदमी को तलवार मार कर चला गया। आए दिन इस तरह की स्थिति होती है। जो कामकाज चल रहा है, बहुत कम है।

मेरी तहसील में 85 प्रतिशत जहां आदिवासी हैं, उस जगह बहुत मामूली काम चल रहा है। वैसे मेरी तहसील में 1,21,400 जनसंख्या है और 85,000 लोग आदिवासी हैं और वहां हम देखें तो सिर्फ 4 या 5 हजार मजदूरों को काम दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। आए दिन सड़कों पर झगड़े होते हैं पहली और दूसरी तारीख को सड़कों पर जमाव हो जाता है। हम लोगों का घेराव होता है। हम मुश्किल से उनको समझाकर भेजते हैं। जिलास्तर पर जो काम सेंक्शन किए जाते हैं वे शुरू नहीं किए जाते, लोग परेशान होते हैं। कलक्टर से कहते हैं 'वह कहता है राज्य सरकार से सेंक्शन होना आवश्यक है। जब सरकार से कहते हैं, तो वह कहती है, कलक्टर को अथोराइज कर दिया है और वह सब कुछ कर सकते हैं। राजस्थान में जो सेंट्रल स्टडी टीम आई थी उससे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, हमारी तहसील में आई और उनको अचम्भा हुआ, कोटरा में बदा कोटदिया का मकान उन्होंने देखा जिसमें सिर्फ चावल की तुस और घास के अलावा कुछ नहीं मिला। इसके अलावा और जगह उन्होंने कुछ फैमिलीज़ देखीं।

श्री खेतसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो तब तक के लिए समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री विद्यासागर : एक फैमिली ऐसी भी देखी जिसके दो बच्चे मर गए थे, वे बिना खाए-पीए मरे, यह मैं साक्षी के साथ कह सकता हूं। मैंने खुद जा कर देखा है। सदन में कई माननीय सदस्यों ने यह बताया कि भूख से कई लोग मरे हैं, उन्होंने नाम नहीं बताए। मैं इस बात पर चैलेंज के लिए तैयार हूं अगर सरकार जांच कराले, वास्तव में दो बच्चे मर गए सेंट्रल स्टडी टीम ने उस फेमिली को देखा है। अगर चाहें तो उस फैमिली की फोटो मंत्रीजी को नजर कर सकता हूं। एक तरफ से देखा जाए तो आदिवासी इलाकों के लोग काफी परेशान हैं, दुःखी हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए इन इलाकों के लिए स्थाई सोल्यूशन निकाला जाए जो एकमात्र एनीकट्स, कुएं और तालाब ही हो सकता है। इससे उनको राहत मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे तो मैं बहुत कहना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल 22 फरवरी, 1973 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 8 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 22 फरवरी 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 46 की सूची)

वर्ष 1972-73 में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के विभिन्न मोहल्लों में नल लगाने की स्थानवार प्रस्तावों की सूची जो स्वीकृत किये गये 5 लाख 50 हजार के प्रावधान के पक्ष में।

परिशिष्ट– (क)

क्र.सं.	नाम जिला	नाम नगरपालिका या पंचायत समिति	स्थान का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	बीकानेर	नगरपालिका, बीकानेर	बीकानेर	38946.00
		नगरपालिका, देशनोक	देशनोक	8950.00
		,, भीनासर	भीनासर	5750.00
		,, नोखा	जसरासर	3960.00
2.	चूरु	नगरपालिका, चूरु	चूरु	26550.00
3.	डूंगरपुर	पंचायत समिति, आसपुर	ग्राम वोडीनामा बड़ा	5595.00
			नामा छोटा	22315.00
		,,	वनकोड़ा	2130.00
		,,	फलाढालबडली	1648.00
		,,	कलाहेम्बा	44475.00
4.	गंगानगर	नगरपालिका, हनुमानगढ़	हरिजन बस्ती	27300.00
		,,	हनुमानगढ़	
5.	भीलवाड़ा	पंचायत समिति, सुवाना	खुरेड़ा	5175.00
		,,	सुवाना	15815.00
6.	सीकर	नगरपालिका, श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	21200.00
7.	झुन्झुनूं	नगरपालिका, मण्डावा	मण्डावा	3600.00
		नगरपालिका, चिड़ावा	चिड़ावा	13506.00
		नगरपालिका, बगड़	बगड़	13900.00
		नगरपालिका, पिलानी	पिलानी	27248.00

1	2	3	4	5
8.	नागोर	पंचायत समिति, मेड़ता	मेड़ता	10639.00
		नगरपालिका, मेड़ता सिटी	मेड़ता सिटी	2703.00
		नगरपालिका, कुचामन रोड़	कुचामन रोड़	15980.00
9.	जयपुर	पंचायत समिति, बैराठ	अमरसर	17515.00
		पंचायत समिति, शाहपुरा	मनोहरपुरा	19500.00
		नगरपरिषद्, जयपुर	जयपुर	3700.00
		नगरपालिका, फुलेरा	फुलेरा	17338.00
10.	झालावाड़	नगरपालिका, झालावाड़	झालावाड़	12228.00
		पंचायत समिति, डग	चौमेला	15330.00
		नगरपालिका, झालरापाटन	झालरापाटन	10765.00
11.	कोटा	नगरपालिका भवानी मण्डी,	रामनगर	10593.00
		नगरपालिका, छबड़ा	छबड़ा	13725.00
		नगरपालिका, रामगंज मण्डी	रामगंज मण्डी	26516.00
		ग्राम पंचायत, केथून	केथून	4430 00
12.	अजमेर	नगरपालिका, केकड़ी	केकड़ी	8703.00
13.	टोंक	नगरपालिका, निवाई	निवाई	43645.00
		पंचायत समिति, खंगार	खगार	10397.00
		नगरपालिका, मालपुरा	मालपुरा	17975.00
			कुल योग	549798.00
			अर्थात्	550000.00

परिशिष्ट–(ख)

क्र. सं.	नाम जिला	नाम नगरपालिका या पंचायत समिति	स्थान	राशि
1	2	3	4	5
1.	झुन्झुनू	नगरपालिका, सूरजगढ़	सूरजगढ़	25126.29
2.	नागौर	नगरपालिका, नागौर	नागौर	10576.00
3.	भरतपुर	पंचायत समिति, नगर	नगर	23422.00
4.	सवाई माधोपुर	नगरपालिका, सवाईमाधोपुर	स. माधोपुर	15800.00
		नगरपालिका, करौली	करौली	34247.58
		नगरपालिका, खण्डार	खण्डार	6660.00
		नगरपालिका, टोडाभीम	टोडाभीम	27800.00
		नगरपालिका, गंगापुर	गंगापुर	13000.00
		ग्राम पंचायत, महुआ	महुआ	14650.00
5.	उदयपुर	पंचायत समिति, सलूम्बर	सलूम्बर	15000.00
		पंचायत समिति, खेरवाड़ा	खेरवाड़ा	40000.00
		पंचायत समिति, ऋषभदेव	ऋषभदेव	10000.00
		पंचायत समिति, भम्भोरा	भम्भोरा	15000.00
		पंचायत समिति, भीण्डर	भीण्डर	15000.00
		पंचायत समिति, कानोड़	कानोड़	15000.00
		पंचायत समिति, खैरूंदा	खैरूंदा	20000.00
		पंचायत समिति, धरियावद	धरियावद	16700.00
		पंचायत समिति, मावली	मावली	20000.00
		पंचायत समिति, फतेहनगर	फतेहनगर	11600.00
		पंचायत समिति, सनवाड़	सनवाड़	8500.00
		पंचायत समिति, वल्लभनगर	वल्लभनगर	11000.00
6.	डूंगरपुर	पंचायत समिति, सिम्बलवाड़ा	सिम्बलवाड़ा	47300.00
7.	जालोर	नगरपालिका, भीनमाल	भीनमाल	23200.00
8.	जोधपुर	नगरपालिका, जोधपुर	जोधपुर	62800.00
9.	अजमेर	नगरपालिका, ब्यावर	ब्यावर	88453.50
10.	उदयपुर	पंचायत समिति, राजसमंद	राजसमंद	24675.00

1	2	3	4	5
11.	नागौर	नगरपालिका, नावां	नावां	16930.00
			मालासर	6100.00
12.	बून्दी	नगरपालिका, केशवरायपाटन	केशवरायपाटन	43000.00
13.	कोटा	नगरपालिका, छबड़ा	छबड़ा	11340.00
14.	जयपुर	नगरपरिषद्, जयपुर	जयपुर	44210.00
15.	उदयपुर	नगरपालिका, नाथद्वारा	नाथद्वारा	24151.00
16.	बांसवाड़ा	ग्राम पंचायत, छींछ	छींछ,	16000.00
			गढ़ी	24000.00
17.	कोटा	नगर पंचायत समिति, कोटा	कोटा	35920.00
18.	पाली	पंचायत समिति, सोजत सिटी	सोजत सिटी	15100.00
19.	नागौर	नगरपालिका, डीडवाना	डीडवाना	3751.00
20.	बांसवाड़ा	पंचायत क्षेत्र, बागीडोरा	बागीडोरा	26600.00
21.	डूंगरपुर	सागवाड़ा	सरोद	24000.00
			ठाकरड़ा	20600.00
22.	सिरोही	पंचायत समिति, सिरोही	सिरोही	14540.00
23.	झुन्झुनूं	पंचायत समिति, नवलगढ़	नवलगढ़	11014.39
				1069361.76

157

परिशिष्ट–2

(ता० प्र० संख्या 52 की सूची)

Plots for industrial purposes are available at—

	Size of Plots
Jaipur (for Technocrats)	
Kota	10,000 Sq. metres
Ajmer	8,000 „ „
Sadulpur (Churu)	4,000 „ „
Pali	2,000 „ „
Beawar	

New areas are being developed at—

Bhinmal (Jalore)	Chirawa (Jhunjhunu)
Jalore	Sikar
Dungarpur	Vijai Nagar (Ajmer)
Panch Pahar (Jhalawar)	Bundi
Pilani (Jhunjhunu)	Kishangarh

Industrial areas/estates have already been developed at 33 places.

Terms and conditions :

1. **Land** is given on 99 years' lease.

2. **Security Deposit :**

Rs.200/-for every 2,000 sq. metres or part thereof.

3. **Annual economic rent :**

Rs. 50/-per 4,000 sq. metres in towns with population of 3 lakhs and above.
Rs. 30/- - per 4 000 sq. metres in towns with population of 10,000 to 3 lakhs.
Rs. 15/-per 4,000 sq. metres in towns with population of less than 10,000.

4. Development charges :

Upto Rs. 1.30 per sq. metre of which 10% is payable before signing the agreement and the balance in 4 equal annual instalments commencing from third year of date of allotment.

The rate of interest is 9%
Factory sheds/buildings can be constructed on hire purchase basis.

For details, contact Rajasthan State Industrial & Mineral Development Corporation Ltd., Jaipur.

Financial assistance

(*For Fixed & Working Capital*)

Item	State Govt.	Rajasthan Financial Corporation	Scheduled Banks	Industrial Finance Corporation
Limit of loan	Upto Rs. 1.5 lakhs	Upto Rs. 20 lakhs	On merits	Above Rs. 20 lakhs.
Rate of Interest /annum	5½ to6%	Minimum 9½%	8½ to 10½%	9½%
Repayments	In 7 annual equated instalments	10 to 12 years	1 to 7 years	12 to 15 years

For backword districts named below the rate of interest is reduced upto 6% and period of repay-

ment is enhanced to 15-20 years. Loans in such cases are given by R. F. C., I. F. C. & I. D. B. I.

Dungarpur	Jodhpur	Sirohi
Nagaur	Jalore	Jhunjhunu
Churu	Tonk	Bhilwara
Alwar	Banswara	Jhalawar
Udaipur	Sikar	

Availability of Firm Power (anticipated)

(in Mega Watts)

Source	1970-71	1973-74
Thermal	112.00	110.00
Nuclear	—	175.00
Hydel.	147.00	230.00
Total	259.00	515.00

Power Tariff

	Average rate in Paise per unit including surcharge: Hydel and steam	Diesel
Small Industries, 10 K. W. 20% L. F.	14.53	28.90
Medium Industries 50 K. W. 30% L. F.	14.53	28.90
Large Industries 250 K. W. 40% L. F.	12.93	No Tariff prescribed for H. T. consumers
Large Industries 1000 K. W. 50% L. F.	11.83	
Heavy Industries 5000 K. W. 60% L. F.	10.81	

Electricity Duty: One Paisa per unit.

Concessions in power charges:

1. Electro-chemical and electro-thermal Industries are exempted from payment of electricity duty.
2. Industries established/expanded between 1-4-68 and 31-3-74 are also exempted from payment of electricity duty for 7 years.
3. Power subsidy to SSI units where the tariff exceeds 12.5 paise per unit by subsidising the excess tariff upto maximum of 6 paise per unit.
4. Rebate at the following rates available upto 31-3-79 to new Industries which start drawing power after 1-3-70 but before 31-3-74.

Contract Demand	Rebate
1. More than 6000 KVA	15%
2. More than 1200 KVA and upto 6000 KVA	12½%
3. More than 125 KVA and upto 1200 KVA	10%
4. New Small Scale Industries	25%

5. Cost of service lines is borne by R. S. E. B. though this amount is initially taken as a loan from consumers and adjusted later against their power supply bills.

Incentives & Concessions

The following incentives and concessions are provided for Industrial Development in Rajasthan—

* Land in Industrial Areas on attractive rates.

* Built-up factory sheds/plots on hire-purchase.

* Financial assistance at cheap rates of interest repayable in easy intalments.
* Govt. Guarantee on loans negotiated by large and medium scale industries from financial institutions.
* Machinery on hire-purchase basis from the National Small Industries Corporation, New Delhi.
* Rebate on power supply to new industries from 10 to 25%.
* Exemption from payment of electricity duty to new units/expanding units.
* Relief in payment of octroi duty and sales tax.
* Interest-free loan by way of cash refund of Central Sales Tax.
* Piped water supply in almost all the towns and cities and provision for lifting water from irrigation projects at concessional rates.
* Assistance in marketing of finished products through Government purchases by way of grant of price preference.
* Grant of loan-cum-subsidy for equipment and worksheds in Rural-Projects in Nagaur & Churu districts.
* Participation in equity and preference share capital through the Rajasthan State Industrial & Mineral Development Corporation Ltd., Jaipur.
* Assistance in procurement of scarce and imported raw materials.
* Testing facilities in the Chemical Laboratory, Jaipur, Small Industries Service Institute, Jaipur and Engineering Colleges at Jaipur and Jodhpur.
* Free technical advice and economic information service.

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

पशु चिकित्सालयों के भवन

57. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की ओर से पशु चिकित्सालय के कितने भवन विभिन्न जिलों में किन-किन स्थानों में अब तक बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बाड़मेर नगर में अब तक पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक स्वीकृति राज्य सरकार की ओर से दे दी जायगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अर्थाभाव के कारण बाड़मेर में भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है और न ही चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इस कार्य को हाथ में लिये जाने की सम्भावना है।

———

LIST OF VETERINARY HOSPITAL BUILDINGS

1. Ajmer Distt.	1. Ajmer
	2. Beawar
	3. Pushkar
	4. Nasirabad
	5. Kekri
	6. Masuda
	7. Pisangan
2. Alwar Distt.	1. Alwar
	2. Tijara
	3. Thanagazi
3. Bharatpur Distt.	1. Bharatpur
	2. Kumber
4. Jhunjhunu Distt.	1. Jhunjhunu
	2. Khetari
	3. Udaipurwati
5. Jaipur	1. Jaipur
	2. Phulera
	3. Bassi
	4. Amarssar (Donated)
	5. Kaladera (Donated)
	6. Jamwaramgarh
	7. Bagru (Donated)
6. Sawai Madhopur	1. S. Madhopura
	2. Hindon
7. Sikar	1. Sikar
	2. Reengus
8. Tonk	1. Tonk
	2. Malpura
	3. Newai
	4. Deoli
9. Udaipur	1. Udaipur
	2 Rajsamand

(165)

10. Bhilwara	1. Bhilwara 2. Jahazpur (Donated)
11. Banswara	1. Banswara
12. Chittorgarh	1. Chittorgarh
13. Dungarpur	1. Dungarpur 2. Bankoda
14. Kota	1. Kota 2. Baran
15. Bundi	1. Bundi 2. Talera
16. Jhalawar	1. Jhalawar 2. Dug
17. Bikaner	1. Bikaner 2. Nokha (Donated)
18. Churu	1. Churu (Donated) 2. Doongargarh (Donated) 3. Sujangarh (Donated) 4. Bidasar
19. Ganganagar	1. Ganganagar 2. Hanumangarh 3. Nohar 4. Suratgarh 5. Sangria 6. Baropal 7. Birman
20. Jodhpur	1. Jodhpur 2. Baleshwar
21. Barmer	1. Nil
22. Jaisalmer	1. Jaisalmer
23. Jalore	1. Jalore 2. Malwara (Donated)

24. Nagaur	1. Nagaur
25. Pali	1. Pali
	2. Bali (Donated)
	3. Sadri (Donated)
26. Sirohi	1. Mt. Abu
	67 out of which 11 are donated by private parties.

समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय

58. श्री चूनाराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय खोला गया है ? यदि हां, तो उन जिलों की सूची देने का कष्ट करें जिनमें ये कार्यालय खोल दिये गये हैं।

(2) समाज कल्याण विभाग का कार्यालय जिला स्तर पर खोलने के लिए क्या नियम बनाये गए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ बड़े जिलों पर समाज कल्याण विभाग के कार्यालय नहीं हैं जब कि कुछ छोटे जिलों पर भी ये कार्यालय खुले हुए हैं ?

(4) चूरू जिले में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय नहीं खोलने का क्या कारण है जबकि यह बहुत बड़ा जिला है ?

(5) क्या सरकार इस जिले में समाज कल्याण विभाग जिला स्तर पर खोलना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान के 26 जिलों में से 20 जिलों में समाज कल्याण विभाग के दफ्तर खोले गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग के दफ्तर खोलने के लिये कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। विभाग के कार्यक्रम एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला कार्यालय खोले गये हैं।

Page No 167

(166).

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) आर्थिक कटौती के कारण दिनांक 1-12-69 से 6 जिलों में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय समाप्त करने में जिले की जनसंख्या को ही आधार नहीं माना गया है ।

(4) आर्थिक कटौती के कारण दिनांक 1-12-69 से जिला कार्यालय, चूरू से समाप्त कर जिला कार्यालय, बीकानेर में मिला दिया गया है ।

(5) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

परिशिष्ट [क]

20. जिलों की सूची जहां समाज कल्याण विभाग के दफ्तर खोले गये हैं

क्र० सं०	नाम जिला जहां दफ्तर खोले गये हैं	विशेष
1	2	3
1	जयपुर	
2	जोधपुर	
3	अजमेर	
4	गंगानगर	
5	बाड़मेर	जैसलमेर जिला इसमें सम्मिलित है ।
6	सिरोही	जालौर जिला इसमें सम्मिलित है ।
7	चित्तौड़गढ़	
8	बांसवाड़ा	
9	डूंगरपुर	
10	उदयपुर	
11	कोटा	झालावाड़ जिला इसमें सम्मिलित है ।
12	टौंक	बून्दी जिला इसमें सम्मिलित है ।
13	नागौर	

1	2	3
14	पाली	
15	बीकानेर	चूरू जिला इसमें सम्मिलित है।
16	सीकर	झुन्झुनूं जिला इसमें सम्मिलित है।
17	भीलवाड़ा	
18	अलवर	
19	भरतपुर	
20	सवाईमाधोपुर	

जयपुर नगर में ड्रेनेज सिस्टम

59. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुनर्वास विभाग द्वारा जयपुर नगर में आदर्शनगर राजापार्क आदि बनाई गई बस्तियों में ड्रेनेज सिस्टम करने का उत्तरदायित्व नगरपालिका, नगर विकास मण्डल व राज्य सरकार में से किस पर है ?

(2) क्या यह सही है कि ड्रेनेज व्यवस्था के अभाव में पानी सड़कों पर बहता है जिससे सड़कें टूटी हुई हैं और आवागमन बन्द है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो कब और उसके अनुसार कब और किस प्रकार से काम प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार पर।

(2) जी हां। पानी वहाव से कहीं कभी सड़कें टूट जाती है। आवागमन बन्द नहीं है।

(3) जी हां। सर्वे कार्य सन् 1972 में प्रारम्भ कराया गया था तथा इस कार्य को प्रारम्भ करने हेतु 2 लाख रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार ने दिनांक 17-4-72 को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेज दी तथा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

(168)

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा

60. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा गत चार सालों में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को बन्द करने के लिये विभिन्न जिलों में क्या-क्या कदम उठाये गये और उन पर किस किस मद पर क्या-क्या व्यय हुआ ? प्रत्येक जिले का गत चार सालों का विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(2) राज्य सरकार राज्य के सभी शहरों और नगरों में कब तक उक्त कुप्रथा को बन्द कर देगी ?

उत्तर

(1) राज्य में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये गांधी शताब्दी वर्ष 69-70 में एक योजना प्रारम्भ की गई, जिसे भंगी कष्ट मुक्ति योजना कहते हैं ।

इस योजना में विभिन्न जिलों की नगरपालिकाओं को नवीन उपकरण तथा यांत्रिक वाहन एवं नगरपालिका क्षेत्र की जनता के निजी व सार्वजनिक सूखे शौचालयों को फ्लश में बदलने के लिये अनुदान दिया गया है ।

इन कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्न वर्षों में कुल अधोलिखित व्यय हुआ है:—

वर्ष	नवीन उपकरण एवं यांत्रिक वाहन क्रय करने हेतु	निजी शौचालयों को फ्लश में बदलने हेतु	सार्वजनिक शौचालयों को फ्लश मे बदलने हेतु	योग
69–70	20.45	15.35	10.00	45.80
70–71	10.35	6.30	2.55	19.20
71–72	2.04	4.02	3.23	9.29
72–73	—	0.30	0.20	0.50
योग	32.84	25.97	15.98	74.79

उक्त धनराशि जो जिलेवार आवंटित की गई है उसकी वर्षवार व जिलेवार सूचियां संलग्न कर प्रस्तुत हैं ।

(समाज कल्याण मन्त्री)

(2) यह व्यवस्था सदियों से समाज में व्याप्त है जिसने मेहतर समाज के मन और मस्तिष्क पर गहरी छाप लगादी है। परिणामस्वरूप यह प्रथा धीरे-धीरे ही समाप्त हो सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर में मसूरिया हिल को रमणीक स्थान बनाने पर व्यय की गई धनराशि

61. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा जोधपुर में मसूरिया हिल को रमणीक स्थान बनाने हेतु कुल कितनी लागत लगने का अनुमान था ?

(2) अब तक इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा अब यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर में मसूरिया हिल को रमणीक बनाने हेतु पांच लाख रुपयों की योजना थी।

(2) दिसम्बर, 1972 तक इस योजना पर कुल व्यय प्रभार सहित 7,19,628.43 रुपया हो चुका है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

कृषि विभाग के अन्तर्गत नल-कूप

62. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कषि विभाग के अन्तर्गत किस किस स्थान पर कब-कब से कितने-कितने नल-कूप हैं और उनके पानी की क्षमता कितनी-कितनी है ?

(2) इन नलकूपों का क्या उपयोग हो रहा है ?

(3) नलकूपों को चलाने एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर सन् 1967 से लेकर प्रति वर्ष अब तक कितना-कितना और किस-किस प्रकार से व्यय हुआ है ?

(170)

(कृषि मन्त्री)

उत्तर

(1) कृषि विभाग में राजकीय फार्मों पर 16 नलकूप—जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, श्री गंगानगर एवं अलवर जिलों में हैं। इनके निर्माण वर्ष एवं क्षमता की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट क)

(2) सभी चालू नल-कूप संबंधित राजकीय कृषि फार्मों की सिंचाई के उपयोग में आ रहे हैं।

(3) इन चालू नल-कूपों के चलाने एवं प्रशासनिक खर्च का ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट ख)

परिशिष्ट—क

कृषि विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित नल कूप हैं।

जिला 1	स्थान 2	वर्ष 3	क्षमता 4
1. जयपुर	दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान फार्म		
	(अ) बीज गुणन फार्म		
	1. नल कूप	1958 से पहले	68,190 लीटर
	2. ,,	,,	45,460 ,,
	3. ,,	1968–69	36,368 ,,
	(ब) शस्य शाखा फार्म		
	1. नल कूप	1963	24,548 लीटर
	2. ,,	1968	36,368 ,,
	3. ,,	1969	15,911 ,,
2. जैसलमेर	जेठा फार्म		
	1. नल कूप	1964–65	1,45,000 लीटर
	2. ,,	,,	यह सन् 1968 में पंचर हो गया इसलिए इसकी क्षमता नहीं ली गया और न ही उपयोग हो सका।
	3. ,, (सगरा)	,,	यह नल कूप भी सन् 1972 में पंचर हो गया।

Page No 172

(171)

1	2	3	4
	4. नल कूप (नया)	1969	1,24,600 लीटर
3. झालावाड़ खानपुर फार्म			
	1. नल कूप	नवम्बर, 1972	क्षमता लगभग 32000 लीटर
4. श्री गंगानगर क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र			
	5. जड़		
	1. नल कूप	1965–66	अभी इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है तथा न ही इसकी क्षमता जांच की गयी है, कारण भू जल मंडल से पम्पिंग सैट प्राप्त नहीं हो सका है।
5. अलवर नौगांव फार्म			
	1. नल कूप	1965–66	1,36,380 लीटर
	2. ,,	,,	31,822 ,,
	3. ,,	,,	45,460 ,,
	4. ,,	,,	45,460 ,,

परिशिष्ट—ख

झालावाड़ व श्री गंगानगर जिले के नल कूप अभी तक प्रयोग में न आने के कारण उन पर कोई व्यय नहीं हुआ है। जैसलमेर के नल कूपों का समस्त व्यय भार भू-जल मन्डल वहन करना है तथा कृषि विभाग केवल सिंचाई के पानी का मूल्य चुकाता है। जयपुर एवं अलवर के नल कूपों का व्यय भार निम्न प्रकार है।

दुर्गापुरा फार्म (जिला जयपुर)	वर्ष	व्यय (रुपया)
(अ) बीज गुणन फार्म	1967–68	9,198
	1968–69	9 886
	1969–70	9,666
	1970–71	9.166
	1971–72	9,478
(ब) शस्य शाखा फार्म	1967–68	1,443
	1968–69	1,880
	1969–70	5,161
	1970–71	3,059
	1971–72	3,606

(172)

बीज गुणन फार्म नौगांव (अलवर)	1967-68	5,125
	1968-69	5,507
	1969-70	8,630
	1970-71	7,866
	1971-72	10,637

जिला झालावाड़ के गांवों एवं शहरों में हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के मोहल्लों में विद्युत् लाइन

63. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में तहसील झालरापाटन के किन-किन ग्रामों एवं शहरों में इस वर्ष (72-73) में हरिजनों व पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में विद्युत् लाइन लगाई गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या झालावाड़ व झालरापाटन नगर के सभी पिछड़े वर्गों के वार्डों में बिजली लगा दी गई है जो लगाना आवश्यक था ? यदि नहीं, तो कौनसी जगह बिजली नहीं लगाई गई और वहां अब कब लगाई जावेगी ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पदोन्नति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों का आरक्षण

64. श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने दिनांक 28-4-72 के प्रश्न संख्या 67/सी० एम० के उत्तर में सदन में यह घोषणा की थी कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार भी पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों के आरक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री ने उसी दिन सदन में यह भी घोषणा की थी कि इस प्रकार के आदेश दो माह के अन्दर-अन्दर निकाल दिये जावेंगे ?

(3) क्या उक्त अवधि के दो माह अभी तक नहीं हुए हैं ? निर्धारित समय में उक्त आदेश न जारी करने के क्या कारण हैं ?

(श्री जयकिशनलाल)

(4) सरकार अब ये आदेश कब तक जारी कर देगी ?

(5) क्या सरकार मुख्य मंत्री के दो माह के वायदे को ध्यान में रखकर इन आदेशों को दिनांक 1 जुलाई, 1972 से प्रभावशील करने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) प्रशासनिक कारणों के कारण दो माह से अधिक समय हो गया है।

(4) निकट भविष्य में जारी किये जाने की संभावना है।

(5) नियमानुसार आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

———

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची)

क्रम संख्या	लेटर ऑफ इन्टेन्ट के नाम	स्थान	उद्योग लगाने वाले का नाम
1.	ग्लास शैल फॉर जी० एल० एस० लैम्प व लेड ग्लास ट्यूबिंग	स्थान का निर्णय होना है	संयुक्त-क्षेत्र (जौइन्ट-सेक्टर)
2.	माइल्ड स्टील तथा स्टील बीलेट	"	"
3.	टेलीवीजन सेट	जयपुर	"
4.	स्पान्ज आइरन	स्थान का निर्णय होना है	"
5.	स्कूटर्स	अलवर	राजस्थान राज्य औद्योगिक व खनिज निगम
6.	थ्रीवीलर्स	"	"
7.	क्रायोलाइट	स्थान का निर्णय होना है	संयुक्त-क्षेत्र (जौइन्ट-सेक्टर)
8.	ग्लास बोटल्स व कन्टेनर्स	सवाई माधोपुर	"
9.	कैल्शियम कारबाईड	स्थान का निर्णय होना है	"
10.	सोडा एश	"	"

(175)

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 1973

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
33	1	तोमावड़ा	तोसावड़ा
35	1	जुंझारसिंह	जुझारसिंह
39	1	नोगेन्द्रवाला	नगेन्द्रबाला
84	ऊपर से 6	उसक	उनकी
87	नीचे से 16	दूसरे जा	दूसरी जाति
88	ऊपर से 14	असेम्बली प्रारम्भ	असेम्बली के प्रारम्भ
88	,, 17	फोरेन ऐम्वेसेडर	फॉरेन ऐम्बेसेडर
89	,, 6	कोशिश की गयी।	कोशिश की।
90	,, 5	कॉन्स्टिटयूशनल	कान्स्टीट्यूशनल
90	नीचे से 3	हमारा देश इस	इस
91	ऊपर से 2	झकडे	जकड़े
91	नीचे से 16	जूंझने	जूझने
93	ऊपर से 15	बैंच दी	बेच दी
100	,, 18	लैण्ड रिफार्म्स और	लैण्ड रिफार्म्स के जरिये
100	,, 19	लार्डस के जरिए	लार्डस से
101	,, 11	नीति की निष्ठा	नीति का पालन निष्ठा
103	नीचे से 8	डिटेल में	डिटेल मैं
103	,, 6	,,	,,
104	,, 12	गार्व में	ग्रेव में
106	ऊपर से 1	मानो पालिसिट्स	मोनो पोलिस्टस्
110	,, 3	सीरियली	सीरियसली
110	नीचे से 13	कोंफि.डेंस	कॉन्फिडेन्स
112	ऊपर से 4	ममद	मदद
114	नीचे से 3	बांधों को	बांधों की
115	ऊपर से 8	क्षेत्र से में	क्षेत्र से मैं
115	,, 12	कहां है,	कहा है,
126	नीचे से 17	राजस्थान	राजस्थान की
137	ऊपर से 3	और दूर हो	दूर हो और

1	2		3	4
138	नीचे से	6	(बागडोरा)	(बागीडोरा)
139	ऊपर से	8	नाथूराय	नाथूराम
151	,,	2	राज्ज	राज्य
155	,,	1	(श्री सुरेन्द्र व्यास)	(श्री नाथूराम)
156	,,	3	चार दिवारी	चाहर दिवारी
176	नीचे से	13	तो व।	तो वहां
205	ऊपर से	2	Weitage	Weightage
246	ऊपर से	12	वरे में	बारे में
249	आखरी पंक्ति		फन्जूसी	कन्जूसी
252	नीचे से	7	उसमे	उसमें
266	ऊपर से	4	चाहत	चाहता
274	ऊपर से	8	वत	वात
277	ऊपर से	6	मष्ट	भ्रष्ट
285	नीचे से	8	जायं	जाय
290	नीचे से	10	पचायत	पंचायत
293	,,	6	है	हैं
302	ऊपर से	16	लोर्गो	लोगों

———